राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

गुरुवार

8 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा ।

जयपुर शहर की क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइनें

93. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों की पाइप लाइन गल जाने के कारण उसमें सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो जाता है ? क्या सरकार ऐसी पाइप लाइनों को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2007 के गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): (1) जी हां। जी हां, पेयजल प्रदूषण से प्रभावित पाइप लाइनों को बदलने हेतु स्वीकृत योजनाओं को 30 जून, 2007 तक पूर्ण करना लक्षित है ।

(2) जी हां।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस पोल्युटेड पानी से जयपुर शहर का कौन-कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? जो पानी की पाइप लाइनें सड़-गल गई हैं जिससे जयपुर शहर के लोगों को पोल्युटेड पानी पीना पडा है, ऐसी सडी गली लाइनें कितने किलोमीटर है? सरकार ने जो 2007 का विवरण दिया है वह तो सही है लेकिन क्या इसके कोई टेण्डर हो गये हैं, क्या आपने इसकी कोई

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

व्यवस्था की है? मंत्रीजी यह भी बताने का कष्ट करें, क्या सरकार ऐसे लोगों को जिनको पोल्युटेड पानी पीने से स्वास्थ्य की हानि हुई है, किसी तरीके की सहायता देने का कोई इरादा रखती है?

नम्बर दो, जयपुर शहर को पहले बीसलपुर की योजना का पानी 2007 में लाने को कहा गया था, अब इसे 2008 में लाने को कहा गया है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग से प्रश्न है आपका ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नहीं, इसमें 2007 में पानी देने को कहा गया है । पहले 2007 में बीसलपुर योजना के पानी की बात थी ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ... (व्यवधान) यह 2008 तक ला तो रहे हैं न, आप तो 40 साल तक नहीं ला पाये ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, आप थोडा बैठ जाएं, थोडा बैठकर सुनने का कष्ट करें। सुनने का माद्दा रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष: आसन का काम भी आप ही करेंगे ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बीसलपुर की योजना जब तक प्रगति पर है इसका कितना पैसा केन्द्रीय सरकार से आया है और इस योजना की क्या रूपरेखा आपने तैयार की है, कृपया यह बताने का कष्ट करें?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सरकार 2007 की गर्मी के मौसम में जयपुर शहर को पीने के पानी के लिये जितने ट्यूबवैल, हैंड पम्प खराब हो गये हैं, क्या उनको बदलने का कोई विचार रखती है या उनके स्थान पर नये हैंड पम्प, ट्यूबवैल लगाना चाहती है? जयपुर शहर को जितने ट्यूबवैलों से पानी सप्लाई किया जाता है...

श्री अध्यक्ष: यह आप भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जिन ट्यूबवैलों को पानी की सप्लाई की जाती है ऐसे ट्यूबवैलों पर जो पावर कट लगा हुआ है क्या सरकार ऐसे ट्यूबवैलों पर से पावर कट हटाने का विचार रखती है? यह प्रश्न नहीं है तो क्या है? यह भाषण है क्या, माननीय अध्यक्षजी?

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी जवाब दें ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके बारे में व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती रही है । अभी पोल्युटेड वाटर की जो बात आई है यह समस्या इसलिए है कि जो सर्विस पाइप लाइनें हैं वे डोमेस्टिक कंजूमर को बदलनी पडती हैं। बार-बार उनसे अनुरोध करने पर, लिखने पर भी वह उसको चेंज नहीं करते हैं इसलिए कई जगह यह समस्या है कि सीवरेज लाइन से वह हो जाती है । कुछ जगह हमारे विभाग की पाइप लाइन भी गली हुई है । मैंने आपको जवाब में बताया कि, 30 जून, 2007 तक इसीलिए होगी कि सारे टेण्डर वर्क आर्डर दे दिये हैं और काफी कुछ काम हम कर चुके हैं । आप चाहो तो एक-एक चीज बता दूंगा, कौनसी गली में और कौन से मोहल्ले में है। यह अखबारों में आया हुआ है आपने पहले भी पढ़ा है, कहां-कहां प्रदूषित वाटर गया है । चारदीवारी एरिया में जहां कंजस्टेड एरिया है, वहां पर ये सारी चीजें हुई हैं यह आपकी जानकारी में है । गत पांच साल जब सरकार थी मैं यह कह सकता हूं कि एक इंच पाइप लाइन भी इन्होंने चेंज नहीं की । इस बार हमने लगभग 27400 मीटर लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया है । इसके लिये दो पैकेज सैंक्शन किये हैं । एक की स्वीकृति 25 जनवरी, 06 को 498.25 लाख की की है । इसमें सब अलग-अलग साइज की लाइनें, एरिया सब दिया हुआ है । दूसरा पैकेज भी हमने सैंक्शन किया है इसकी कोस्ट है, 222.24 लाख। यह सब कार्य 30 जून, 07 तक हो जायेगा । इसके अलावा सैम्पल लिये हैं उसमें केवल 2 परसेंट सैम्पल ही सब स्टैण्डर्ड पाये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं कि लगभग 98 परसेंट से ज्यादा सैम्पल ठीक पाये गये हैं और गंदे पानी की जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका तत्काल निराकरण किया है । इस संबंध में विस्तृत सूची मैंने संलग्न कर रखी है । अगर एक-एक चीज को मैं पढूंगा तो समय जाया होगा । आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको यह सूची उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपकी बड़ी कृपा होगी अगर सूची मुझे दिलवाने का कष्ट करें । आपने कौन-कौन से क्षेत्रों में शिकायतें प्राप्त की हैं, आपने कौन-कौन से क्षेत्रों की लाइनें बदलने का फैसला किया है, इसमें क्या प्रगति हुई, है इसकी अगर पूरी सूची मुझे दिलवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा । अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर के पानी की जहां तक बात है, माननीय उच्च न्यायालय में मामला लम्बित रहने के कारण 2007 की जगह 2008 तक टारगेट हुआ है । अभी भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि काम युद्ध स्तर पर किया जाए । जो जो भी टेण्डर हैं उनके वर्क आर्डर दे दिये हैं । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भी नजर रखिए, कहीं काम में ढिलाई हो तो आप हमें बताइए वैसे हम भी नजर रखे हुए हैं। अब यह केवल सरकार का काम नहीं है, आपका सहयोग भी होना चाहिये, आप भी जन प्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से वह काम समय पर हो, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है । मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी हम कितना सहयोग करते हैं, मैंने पानी की व्यवस्था के लिये 2004 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 10.50 लाख, 2005-06 में 14.57 लाख...

श्री अध्यक्ष: आप इनफोर्मेशन सीक कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नहीं, मैं सहयोग की बात का जवाब दे रहा हूं, आप सुनने का कष्ट करें । 2006-07 में 50 लाख और 2007-08 में 35 लाख रुपये मैंने दिये हैं । (व्यवधान) इस तरीके से 1 करोड़ 10 लाख रुपये विधायक कोष से मैंने दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह आप क्या बात कर रहे हैं हम सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर, सीक द इन्फोर्मेशन । क्वेश्चन आवर इन्फोर्मेशन सीक करने के लिये होता है, देने के लिये नहीं होता ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लेकिन जब उन्होंने सहयोग की बात की है तो मैं सहयोग बता रहा हूं ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि पिछली सरकार के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने जयपुर में बीसलपुर से पानी लाया जाएगा...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह भाषण नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है यह ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ... (व्यवधान) जयपुर की जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, क्या यह सही है, बताइए ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना वजह विवाद का विषय बना रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा आपको कि आपने एमएलए फंड से दिया या नहीं दिया, मैंने सिर्फ यह कहा है कि यह टेण्डर बीसलपुर का हो रखा है, ठेकेदार अगर काम में कहीं ढिलाई रखे तो आप भी नजर रखें ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): वह ठीक है ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वही मैंने आपको अर्ज किया है, बाकी एमएलए फंड आपका है, आप सारा का सारा पैसा कहीं लगा दो, मैं उसका हिसाब मांग रहा हूं क्या आपसे ? दूसरी चीज, एमएलए फंड नहीं देना चाहते हो आप जनता के लिये तो मैंने कभी यह नहीं कहा कि पानी के लिये सरकार के पास पैसे की कमी है । आप जो कहोगे, हम सैंक्शन कर देंगे । इस गर्मी में जो व्यवस्था है...

श्री अध्यक्ष: यह जो कहेंगे वह सब कर दोगे ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आवश्यकतानुसार कर देंगे, साहब। सब करने का मतलब जनता को जितना पानी, पानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता होगी तो करेंगे। हुकुम, मेरा कहने का मतलब यह है। (व्यवधान) दूसरी चीज, गर्मी में टयूबवैल, हैण्डपम्प जो चाहिये, हमने हमारे विभाग को आदेश दे दिया है, यह इतना बजट आपको दे दिया है इसका आप उपयोग करिये। टयूबवैल खोदकर उसे चालू कराइये । उसके बाद और जरूरत होगी तो और दे देंगे। जीमने बैठते हैं तो थाली के अंदर तो उतना ही परोसते हैं, कोई सेर-सवा सेर एक साथ थोड़े ही डालते हैं । (व्यवधान) कहा गया पर, ये खर्च करेंगे उतना पैसा और दे देंगे। दूसरी बात बीसलपुर की है, बीसलपुर पर... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बीसलपुर का पानी कब तक आ जाएगा, क्या प्रोग्रेस है उसकी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पत्थर लगा दिया यहां पर, पता नहीं दूदू में । एक कौड़ी की व्यवस्था नहीं की । यह तो मुख्य मंत्री, हमारी सरकार ने की है व्यवस्था । यह बात ठीक है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): गुमराह कर रहे हैं सदन को। अध्यक्ष महोदय,

(श्री बाबूलाल नागर)

किसी भी योजना में बजट दे दिया जाए, उसका टेण्डर लग जाए और उसका शिलान्यास हो जाए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, जुबेर खान।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यह सरकार जानबूझकर...(व्यवधान) मंत्री महोदय, गुमराह मत करिये आप। पूरे राजस्थान की, ग्यारह तहसीलों में, जयपुर, टोंक और नागौर की...(व्यवधान) इतना बड़ा अन्याय किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया कि जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): समय आयेगा, इंतजार कीजिए, ये 11 तहसीलें, जयपुर, टौंक, नागौर की आपको माफ करने वाली नहीं हैं। पाई-पाई का हिसाब लेंगे, जितने दिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री जुबेर खान।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): लोग विकलांग हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने तीन बार नाम पुकार लिया आपका।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): प्रश्न संख्या 94

श्री अध्यक्षः कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये सारी समस्याएं...

श्री अध्यक्षः नो, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसलिए हो रही कि बरसात की कमी हो रही है, नहीं तो कहां पर दूदू में बीसलपुर के पानी की जरूरत थी, जयपुर में कहां बीसलपुर के पानी की जरूरत थी। पर वाटर लेवल नीचे जा रहा है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): भिनाय में जरूरत है ऐसे ही दूद, टौंक में भी जरूरत है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): भिनाय में.... (व्यवधान) पाइप लाइन डाल दी, ऐसे ही टौंक, जयपुर में शिलान्यास...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक पैसे की व्यवस्था नहीं की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसलिए कि वहां काम शुरू हो जाए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): बता दें...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य कह रहे हैं, जयपुर में भी केवल पत्थर लगाया, कोई फण्डिंग की व्यवस्था नहीं की।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे का एहसान मानिये, 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): टेण्डर लगता है, जब पैसा जमा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): प्रश्न संख्या 94

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन। नो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, बैठिये। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठ जाइये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, कृपया उनको बैठाएं। यस।

सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत जिलों को आबंटित राशि

94. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों के लिए किया जाता रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया एवं आबंटन के विरूद्व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार एवं मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	**केन्द्र से प्राप्त राशि (रु. करोड़ में)**
2001-02	39.09
2002-03	64.07
2003-04	152.52

(श्री वासुदेव देवनानी)

2004-05	230.00
2005-06	588.29
2006-07	721.38

(जनवरी, 07 तक)

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राशि का व्यय निम्नलिखित कार्यो में किया जाता है :-

क्रम संख्या	**मदवार कार्यो का विवरण**
1.	अध्यापक वेतन
2.	नि:शुल्क पाठयपुस्तक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए
3.	निर्माण कार्य
4.	मरम्मत एवं रखरखाव
5.	अध्यापन अधिगम उपकरण
6.	स्कूल अनुदान
7.	अध्यापक अनुदान
8.	अध्यापक प्रशिक्षण
9.	सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण
10.	विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था
11.	अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग
12.	प्रबन्ध लागत
13.	नवाचार
14.	ब्लाक संसाधन केन्द्र
15.	संकुल संसाधन केन्द्र
16.	स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक जिलों को की गई आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट क संलग्न है तथा जिलों द्वारा किये गये व्यय का वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट "ख व "ग" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, यह बात तो स्पष्ट है कि 2001-07 में जहां 39.09 लाख रुपये की राशि केन्द्र से मिलती थी वह 2006-07 में 721.38 लाख रुपये पहुंच गई है। मंत्री महोदय, आप इतना बता दीजिए कि आपको टीचर्स सैलेरी के मद में जो 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार से मिला, 25 प्रतिशत राज्य सरकार से मिलाकर, कितने पैसे बनते थे और उसके अगेंस्ट में आपने कितने शिक्षकों की भर्ती की?

नम्बर दो, आपके उत्तर में देखे तो जो आपने जिलों को आबंटित राशि की है, मैं दो-तीन जिलों का ही बताऊंगा, सभी जिलों में, अध्यक्ष महोदय, हाल यह है, जहां आपने अजमेर में 2148.39 आबंटन किया वहां 2130 रुपये ही आप व्यय कर पाए 2005-06 में। इसी तरह से जहां 3161.90 बासंवाड़ा में आपने आबंटित किया वहां आप खर्च करा पाए सिर्फ 2890 लाख रुपये। आपने बाड़मेर में 4362.37 किया, खर्च सिर्फ 4298 यह तो मैंने तीन-चार जिलों का उदाहरण दिया है। गंगानगर में 1409.18 आपने आबंटित किया, वहां खर्च कर पाये सिर्फ 1343 लाख रुपये। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र से 75 प्रतिशत पैसा आ रहा है, आपको इतनी मदद मिल रही है उसको आप पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, नम्बर एक। नम्बर दो, आपने कहा है खण्ड दो में, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए, आपने जो व्यय दिया है उसमें शून्य दिया है, क्या राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के इतने समृद्ध लोग हो गए है कि उनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं है? आप इसके ऊपर जवाब दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया है 2001-02 से यह सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ हुआ है और 2010 तक है। इन्होंने 2001-02 से लेकर सन् 2006-07 तक केंद्र से 1795 करोड़ रुपये मिला। राज्य सरकार ने 611.05 करोड़ अपना सहयोग दिया है। पहले इनके राज में राज्य-अंश नहीं दे पाते थे इसलिये इनको अनुदान कम

(श्री वासुदेव देवनानी)

मिलता था। इसके साथ ही एक बिंदु और है, इन्होंने कभी खर्च नहीं किया। सन् 2001-02 में इन्होंने प्राप्त राशि के विरुद्ध जो व्यय किया वह केवल 36.98 प्रतिशत किया है और 2002-03 के अन्दर 47.7 प्रतिशत किया है। जबकि हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों के अन्दर जो प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय किया है वह 115 प्रतिशत, 98 प्रतिशत और 97.3 प्रतिशत किया है। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न किया है, मुझे उत्तर देने दें। (व्यवधान) तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दूं मैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय, यह बजट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक्सक्लूजिव फिगर पूछ रहा हूं। (व्यवधान) भारत सरकार का जितना पैसा आया है, भारत सरकार के पैसे में राजस्थान सरकार का 20 प्रतिशत खर्चा नहीं किया है। आप एड कर लीजिये। टोटल आपका एक्सपेंडीचर हर साल का बचा... (व्यवधान) 10 प्रतिशत है। 400 करोड़ रुपये बचा रखे हैं आपने स्टेट के मिलाकर। आप बातें कर रहे हैं खड़े होकर यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देने दें। आप जवाब देने दें। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। (व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सब के प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जो इन्होंने प्रश्न पूछा... (व्यवधान) नहीं, मूल प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न पूछा है। (व्यवधान) नहीं, सुनिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति में जो दिया है, हमने 4 लाख बच्चों को अपने फण्ड में से नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। उसका इस मद में नहीं लिखकर राज्य सरकार ने उनको दिया है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक अरब 81 करोड़ रुपये की पुस्तकें, उसमें एस.सी., एस.टी. के बच्चे भी, 4 लाख शामिल हैं, उनको फ्री पुस्तकें दी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपने जो जवाब फर्निश किया है उसमें आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के उच्च प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों का जीरो लिखा है। आपको लिखना चाहिए था कि राज्य सरकार ने

(श्री अध्यक्ष)

अपने पैसों से ये पुस्तकें, यह लिखते तो इनको गलतफहमी नहीं होती। यह लिखना चाहिए था आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने इस मद में चार्ज नहीं किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिये कि अध्यापकों के लिये जितनी राशि बनती थी, 75 प्लस 25 प्रतिशत, आपने उसके अगेंस्ट में अध्यापकों को कितनी सैलेरी दी है, नियुक्तियां कितनी की हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः पूछिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार से 1795 करोड़ रुपये आपको मिले हैं, स्टेट का आपको मेचिंग ग्राण्ट करना था 611 करोड़ रुपये। कुल अमाउण्ट हुआ लगभग 2400 करोड़ रुपया। 2400 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में एज ऑन टु-डे राजस्थान सरकार ने दोनों को मिलाकर कितना पैसा खर्च किया, नम्बर-एक? नम्बर-दो, इन 2400 करोड़ रुपये में जितने पदों की संख्या बनती है, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक केवल मात्र विधवा और परित्यक्ता को मिलाकर 33 हजार टीचर्स की भर्ती की है, 29 हजार टीचर्स की रिक्वीजीशन आर.पी.एस.सी. में भेज रखी है? 2006-07 के पेटे में पैसा है, वह भर्ती करेंगे 2007-08 में। यह राजस्थान की जनता को गुमराह करके। राजस्थान की जनता को यह बताएं कि एज ऑन टु-डे, 2006-07 के अन्दर जितने पद बनते हैं, क्या राजस्थान सरकार ने उतने पद सर्व शिक्षा अभियान में भर दिये हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जो 2403.47 करोड़ हमारा टोटल दोनों, का केन्द्र और राज्य का अंश मिला, उसमें से 2343.22 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। यह जो ये कहें कि खर्च नहीं हुआ, इसके लिये जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सौ करोड़ रुपये जनवरी माह में रिलीज हुए हैं? किसको बोल रहे हैं। रात को पढ़कर आया हूं। आपकी जो खुद की यह एनुअल रिपोर्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गुमराह करने की पराकाष्ठा है। (व्यवधान) 36 हजार अध्यापकों को नियुक्त किया है और 31058

(डा. सी. पी. जोशी)

आर.पी.एस.सी. के पास ... (व्यवधान) आपकी जो एनुअल रिपोर्ट मिली है कल रात को उसको पढ़कर आया हूं मैं। उसमें जनवरी में रिलीज हुए है सौ करोड़ रुपये और आपने खर्च कर दिये फरवरी में। आप क्या फिगर देना चाहते हैं? यह एनुअल रिपोर्ट भी गलत लगा रखी है। आप फिगर बता दीजिये कि 23... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): केन्द्र के अभी भी 170 करोड़ रुपये बाकी हैं। (व्यवधान) अभी तक केन्द्र ने भेजे नहीं हैं। हमने सारी चीजें भेजी हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, सुनिये। माननीय मंत्रीजी, आपका काम जवाब देने का है, डिटेल मालूम नहीं है आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरे को आपसे ज्यादा पता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं, अध्यक्ष महोदय, पूरी गम्भीरता से कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, फिर गम्भीरता से कह रहा हूं। कल असेम्बली में हमें प्रारम्भिक शिक्षा की और सैकण्डरी शिक्षा की एनुअल रिपोर्ट भेजी है, रात को पढ़कर आया हूं मैं एनुअल रिपोर्ट। उसका फिगर मैं दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता का आज जन्म दिन है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सारा सदन ही बधाई दे इनको। आप बधाई दे देंगी उसमें हमारी सब की भावना है, पक्ष और प्रतिपक्ष की, सब की। और आज तो आपके कहने पर बजट की पूरी तैयारी छोड़कर आयी हैं। आपने कहा सदन में आएं, पूरा सदन आपको बधाई देना चाहता है। आपको बहुत-बहुत बधाई।

बधाई एवं आभार

वसुंधरा राजे श्रीमती, मुख्य मंत्री के जन्म दिवस पर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और सदन के सभी सदस्यों की ओर से मुख्य मंत्रीजी को उनके जन्म दिन की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और उनसे उम्मीद करती हूं कि जन्म दिन तो उनका आज है लेकिन जन्म दिन का कल वह सारे राजस्थान को और हम

(श्री अध्यक्ष)

सब लोगों को इतना बढिया बजट लाएंगी कि उसके अन्दर बहुत-बहुत हमारी शुभकामनाएं फलीभूत होंगी। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): उसमें अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. के लिये एक करोड़ रुपये का कोटा करेंगी कल मैडम।

श्री अध्यक्ष: हमारी शुभकामनाएं हैं, उसमें फलीभूत होंगी हमारी शुभकामनाएं। उनको फिर से बहुत-बहुत आप सब की ओर से और मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं। बहुत-बहुत बधाई।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, तोहफे के रूप में कल एक करोड़ का विधायक कोटा देंगी मैडम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जीवेत् शरदम् शतम्, श्रवणेद् शरदम् शतम्, दृष्येत् शरदम् शतम्। सौ साल तक जिएं, सौ साल तक देखें, सौ साल तक सुनें। इसी प्रकार से अगर सौ साल तक रहें तो सौ साल और जिएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और सौ साल तक मुख्य मंत्री भी रहें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने सौ साल तक मुख्य मंत्री रहने की कल्पना नहीं की लेकिन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कह दिया, वह भी कह दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं में हम हमारा दल भी सम्मिलित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुख्य मंत्रीजी दीर्घायु रहें और राजस्थान की सेवा करें। हम अपने आपको सम्मिलित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप परमिट करें तो मैं अपना प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे पास शब्द नहीं हैं उस धन्यवाद देने के लिये। आपकी भावना ने मेरे दिल को छूआ है, उसके लिये मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इस मौके पर इसका एडवांटेज लेते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे लिये पिछले तीन साल का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता रहा है। जब पहली दफा इस हाउस में आयी थी तो यह सोचा भी था मैंने कि इतने सारे डाइवर्स लोग यहां बैठे हुए हैं, इनको किस तरीके से कैसे मिलकर चलाने का हमको मौका मिलेगा। परन्तु मैं समझती हूं कि पिछले 3 साल के अन्दर बहुत सारे अप्स एण्ड डाउंस जरुर हुए होंगे परन्तु I wouldn't have it any other way. I have enjoyed every single minute in this House. आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और प्यार जो मिला है, चाहे हाउस में कुछ भी हो, उसके लिये मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि यही चीज है जिसको हम ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सी.एम. के नाते कुछ कह दें, मन में तो ऐसी कोई नीयत है नहीं। हम लोग कोई भावावेश में आकर कह दें, लेकिन मन में बिलकुल कोई बात नहीं रही है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह तो मुझे भावना आपकी मालूम है। परन्तु आज तो आपने मेरे को सी.एम. कह दिया, अभी तक तो कभी कहा नहीं आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी के जन्म दिन, आज पक्ष और विपक्ष और पूरे विधान सभा परिसर में आपकी तरफ से लड्डू भेजे गये हैं। सुबह जब मैं लड्डू लेकर गया था तो सी.पी. जोशी साहब ने कहा कि जब तक मुख्य मंत्रीजी नहीं पधारेंगी तब तक लड्डू नहीं खाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा था। अब मुख्य मंत्रीजी आ गयीं इसलिये वे मीठे-मीठे लड्डू जो प्यार और स्नेह के साथ इन्होंने भेजे हैं, जरुर खाएं आप।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सर्व शिक्षा अभियान्तर्गत जिलों को आबंटित राशि

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, जो मंत्री, आप हों या कोई भी जवाब दे दें, बात एक ही है। आप इनको ट्रेण्ड करके आप आ जाएं, बात एक ही है।

अध्यक्ष महोदय, कल प्रारम्भिक शिक्षा की एनुअल रिपोर्ट हमको सदन

(डा. सी. पी. जोशी)

में दी, मैं उसका फिगर दे रहा हूं। 2400 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में जितने पद बनते थे, 2006-07 में, मैं फिगर दे रहा हूं 2006-07 के, राजस्थान सरकार ने केवल मात्र 33 हजार टीचर्स की भर्ती की है जिसमें परित्यक्ता और ये हैं। 29 हजार की आर.पी.एस.सी. को रिक्वीजिशन भेजी है।

श्री अध्यक्ष: एजुकेशन की डिमाण्ड पर क्या बोलेंगे फिर आप, सब बात आज ही कह देंगे तो?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डिमाण्ड की जरुरत ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय। सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए। और राज्यपाल के भाषण में जो फिगर दिया है वह 42 हजार का दिया है। यह भी चैक कर लें, माननीय मंत्रीजी। जो राज्यपाल के भाषण में आपने आंकड़ा दिया है वह 42 हजार की संख्या दी है। आप प्रारम्भिक शिक्षा की एनुअल रिपोर्ट में संख्या दे रहे हैं 33 हजार। 32 हजार की भर्ती और विधवाओं को मिलाकर 33 हजार। 29 हजार की आपने रिक्वीजिशन भेजी है। यह 29 हजार की भर्ती होगी 2007-08 में। फिगर, 24 हजार करोड़ रुपये आपको मिले हैं, उस 24 हजार के आपके पद बनते हैं 60 हजार से ज्यादा। 60 हजार से ज्यादा पदों का पैसा आपको सैंक्शंड है टीचर्स भर्ती करने का सर्व शिक्षा अभियान में, आपने भर्ती किये हैं 33 हजार। नम्बर-दो, उन 33 हजार शिक्षकों की भर्ती केवल मात्र एलिमेंटरी एजुकेशन के लिये। आपने उनमें से 12-13 हजार टीचर्स को सैकण्डरी एजुकेशन में डैपुटेशन करके पढ़ाई कराई है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न पूछें। आप भाषण दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप भाषण कर रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो सौ प्रतिशत ले रहे हैं न मंत्रीजी, सौ प्रतिशत काम करो आप। आप यह बताएं। यह वाह-वाही लेने से काम नहीं चलेगा। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का 75 प्रतिशत पैसा लेकर राजस्थान सरकार ने 25 प्रतिशत का हैड खोलकर 600 करोड़ देने की कागजी एण्ट्री की है, आज भी राजस्थान सरकार ने 400 करोड़ रुपये अपने अंश का खर्च नहीं किया है। जवाब दीजिये आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना जब यह सर्व शिक्षा अभियान चला, ढाई साल तक ये राज्य सरकार में थे। हम तीन साल से हैं। इन्होंने पूरे ढाई साल में केवल 644 विद्यालय खोले

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्राइमरी और हमने ... (व्यवधान) उस समय आपने तो खर्च ही नहीं किया। हमने तो खर्च करके बताया है। अध्यापकों की नियुक्ति की है। (व्यवधान) आपने खाली ... (व्यवधान) पदों की नियुक्ति की है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 27 हजार, 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। 52 हजार टीचर्स कहां से आये आपके? आपके घर से आये क्या? आपने केवल मात्र पांच हजार स्कूलें खोली हैं। 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं जो कि 52 हजार पद आपके बने। खाली भाषण दे रहे हैं आप। पांच हजार शिक्षा केन्द्र नहीं खोले आपने। (व्यवधान) उसके हिसाब से तो दस हजार पोस्ट भी नहीं होती है। (व्यवधान) 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं, शिक्षा केन्द्र नहीं होते तो 52 हजार पद आपके नहीं बनते। अब बोलो आप? बोलिये, मंत्रीजी, आप। आप बोलिये खड़े होकर, बोलिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 36 हजार पद ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूं न। आपने प्राइमरी स्कूल...(व्यवधान) 644 खोले। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केबिनेट मंत्री बोलना नहीं चाहते खड़े होकर। 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को शिक्षा केन्द्र के रूप में किया गया है इसलिए 52 हजार पद मिले हैं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 644 आपने खोले ... (व्यवधान) राजीव गांधी पाठशालाएं ... (व्यवधान) 10230 यह ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वर्ना 52 हजार पद नहीं मिलते आपको। कांग्रेस सरकार ने 26 हजार केन्द्र खोले, उससे 52 हजार पद बनते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं कह रहा हूं आपको कि 644 ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उतनी भर्ती नहीं की आपने और खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। 52 हजार पद आपको केवल मात्र मिले राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर, जवाब दीजिए आप। खाली भाषण देने के लिए खड़े हो रहे हैं। खाली पांच हजार राजीव गांधी आपने प्राथमिक पाठशालाएं खोलीं। पांच हजार। 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में बदला।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): दस हजार तो ... (व्यवधान) खोले हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उन 26 हजार के अगेंस्ट में आपको 52 हजार पद मिले हैं। (व्यवधान) 52 हजार के अगेंस्ट में 33 हजार की भर्ती की है। बोलिये खड़े होकर। बोलिये खड़े होकर। बोलिये, मंत्रीजी, खाली मुंह क्यों हिला रहे हो? खड़े होकर बोलिये न आप। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके ढाई साल में तो एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं हुआ। ढाई साल के अन्दर एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं हुआ। हमने 33 हजार अध्यापक नियुक्त किये हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ... (व्यवधान) उनको क्या बना रहे हैं? यह क्या बोलेंगे? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन को और राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कर रखा है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और इस प्रकार से ... (व्यवधान) मिलकर यह ... (व्यवधान) हो जाएगा। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 60 हजार टीचर्स का पैसा भारत सरकार से मिल चुका है और 32 हजार ही भर्ती कर रहे हैं और भाषण देने के लिए खड़े हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2001-02 में आपने उनको एक पैसा दिया नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, सुनिये आप। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ... (व्यवधान) उसमें आपको परेशानी हो रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, सुनिये आप। मैं फिर बता रहा हूं। 2001 में ... (व्यवधान) देवल साहब, रुको एक मिनट। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी, जवाब दो। इनको कहो। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2001-02 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ हुआ। 2001-02 में राजीव गांधी पाठशालाओं की संख्या थी 23 हजार। राजस्थान सरकार ने उनको शिक्षा केन्द्र के रूप में डिक्लेयर किया। वह शिक्षा केन्द्र के डिक्लेयर होने से सर्व शिक्षा अभियान में आपकी सरकार ने हमारी इस कमी का फायदा उठाकर राजीव गांधी का नाम हटाया। जब आप सरकार में आये, राजीव गांधी शिक्षा केन्द्र के नाम से भारत सरकार से आपको 52 हजार पद मिले। उन 52 हजार पद के अगेंस्ट में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी,

(डा. सी. पी. जोशी)

इस क्षण तक आपने केवल मात्र 33 हजार अध्यापकों की भर्ती की है। 29 हजार की आर.पी.एस.सी. को रिक्विजीशन दी है आपने। आप इस बात के लिए कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दीजिए। आपने केवल मात्र पांच हजार प्राइमरी स्कूल खोलीं है। ये 26 हजार शिक्षा केन्द्र नहीं होते तो 52 हजार पद राजस्थान में सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं आते। सरकार बताए इस बात के लिए ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने क्यों नहीं ले लिया? आप ही ले लेते न। आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, टेम्परेरी शिक्षक क्यों भर्ती किये (व्यवधान) संविदा के आधार पर शिक्षक क्यों भर्ती किये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी बस की बात नहीं है यह। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने 4500 रुपये में मास्टरों को लगा रखा है, 4500 रुपये में। क्या यह सही है कि भारत सरकार से आप रैगुलर ग्रेड का पैसा पा रहे हैं जबकि आप अध्यापकों को 4500 रुपये ही दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह बात गलत है। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई वाद-विवाद का विषय है ही नहीं। राजस्थान के लिए यह एक अभूतपूर्व योजना है और इसमें मैं आपको कह चुका हूं, आपके योगदान को मैं नकार ही नहीं रहा हूं। मैंने यह कहा कि अगर ये 26 हजार शिक्षा गारंटी केन्द्र नहीं होते तो 26 हजार प्राथमिक पाठशालाएं एक साथ नहीं बनतीं। यह मैं कह चुका हूं इसलिए विवाद कहां है? (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं, आपने कहा कि मैं पढ़कर आया हूं प्रगति प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन में ही लिखा है कि माह दिसम्बर, 2006 तक इस योजना मद में 23037.11 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, नम्बर एक।

दूसरा, मैं कह रहा हूं कि अब तक इसमें 3833 . इतने रुपये व्यय हो चुके हैं 2001-02 से जो चालू हुआ तब से लेकर अब तक, यह बात भी सही है कि इस बार हमको जो केन्द्रांश था, वह केन्द्रांश पूरा नहीं मिला और अभी भी हमारा 170 करोड़ रुपया बाकी है। कल भी हमने बात की थी और हमने 50 परसेंट, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कुल कितना जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति का सवाल है, 38 हजार अध्यापक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी मद में, 33 हजार आर.पी.एस.सी. से और 4200 विधवाओं और परित्यक्ताओं की जो नियुक्ति हुई थी, इसी मद में थी। 38 हजार वे हो गये हैं और बाकी 38 हजार की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उनको हम प्रयत्न यह कर रहे हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लें ताकि हमारा खर्च भी पूरा हो। इस प्रकार से वह काम भी हमारा पूरा होगा। यह बात भी सही है कि राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने से हमको इसमें पैसा मिला है। इसमें पद भी मिले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने नियमित वेतन श्रृंखला में इनको नियुक्त किया है। हिन्दुस्तान के बाकी सारे राज्यों ने पैराटीचर्स के रूप में उनको नियुक्त किया है। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कल इसकी मीटिंग थी दिल्ली में, कल दिल्ली में मीटिंग होने के बाद में भारत सरकार ने यह बात कही कि केवल राजस्थान और कर्नाटक दो राज्य ऐसे हैं जिनको जितना पैसा चाहिएगा इस योजना में, हम देंगे । राजस्थान इसमें व्यय करने में एक नम्बर पर रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह शिक्षा का काम है, यह कोई राजनीति का काम नहीं है। हमने यह कहा कि जितनी ई.जी.एस. हैं, उनका प्रामोशन किया जाए, सभी माननीय विधायकों के क्षेत्र में हुआ। जब हमने यह कहा कि सारे प्राथमिक विद्यालय जो लड़कियों के हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए तो राज्य के सभी उसमें हुए। जब हमने यह कहा कि संस्कृत के सारे विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए तो सब में हुआ। और अगली बार हमको आशा है कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी का भी काफी होगा, उसमें हम सब में करेंगे। मैं आप सब से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से, 40 हजार जगह काम हुए हैं, उन सब कामों को भी देखें हमारा यह शिक्षा का विकास का काम है, जितना 3823.83 करोड़, रुपये, इसमें जो व्यय हुआ है, वह अपने आप में एक रिकार्ड है । इस साल की योजना भी बड़ी होगी। मैं आप सब लोगों का आह्वान और प्रणाम और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व-शिक्षा अभियान के इस काम में आप सब लोग मदद करें, राज्य इसमें एक नम्बर पर आए। निश्चित रूप से एक नम्बर पर आएगा। आप सबको इसके लिए धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम क्वेश्चन है। आप भी एप्रीशिएट करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): भेदभाव नहीं किया गया? आप कह रहे हो कि राजनीति नहीं करते हो, यह राजनीति नहीं है तो क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछ रहे हैं और आप खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप परिशिष्ट-ख देखिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसमें रिसर्च, इवेल्युएशन, सुपरविजन एण्ड मानिटरिंग, मैनेजमैंट कोर्स और इनोवेशन के ऊपर लगभग 8500 लाख रुपया गत तीन सालों में खर्च किया गया है। 8500 लाख रुपया इन कामों के लिए। आप भी क्षेत्र में जाते हैं, इनसे जरा मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या तो आप रिसर्च कर रहे हैं इसमें, सर्व-शिक्षा में? क्या इवेल्युएशन कर रहे हैं? क्या सुपरविजन और मानिटरिंग कर रहे हैं? क्या मैनेजमैंट के ऊपर कोर्स कर रहे हैं। मेनेजमैंट कोर्स क्या है और इनोवेशन क्या हो रही है? ये 8500 लाख रुपये जो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर बता दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 85 करोड़ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 85 करोड़।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसमें एक-एक मद में जो है वह बड़ा स्पष्ट है। हमने ब्रिज कोर्स शुरू किये, 1,49,911 बच्चियों के लिए, बालिकाओं को शिक्षा के साथ जोड़ा। फिर जो कमजोर बच्चे थे, उपचारात्मक शिक्षण, हमने 49825 स्कूलों में 20 लाख बालक-बालिकाओं को उसका प्रशिक्षण दिया ताकि जो कमजोर विद्यार्थी थे वे आगे आकर सबके साथ मिल सकें। जहां तक विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाएं थे, उसमें भी 23752 बच्चों को जो अस्थि विकलांग थे, दृष्टि बाधित थे, श्रवण बाधित थे या अन्य थे, इन सबको हमने मदद की। इसके अलावा रैम्प निर्माण हमने ... (व्यवधान) 13130 बच्चों को किया। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये भी हमने 56 शुरू कर दिये और 130 हम और शुरू करने वाले हैं जिस पर भारत सरकार से स्वीकृत आ गयी है। जहां तक नवाचार की बात है, राज्य के प्रत्येक डाइट में कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी है। हरेक में 20 कम्प्यूटर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। उसमें 378 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 13536 हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा 38 मुख्य ... (व्यवधान) संदर्भित व्यक्तियों को हमने डाइट में लैंग्वेज

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेब में अंग्रेजी प्रशिक्षण का लाभ दिया है। इसके अलावा जो कच्चीबस्ती हैं, मैं आपको नवाचार बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए तो अलग से है। (व्यवधान) आपने कम से कम 35 करोड़ रुपये अलग से खर्च किया है। ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नवाचार की बात कर रहा हूं जिससे कच्चीबस्तियों का भी हमने बस के द्वारा ...(व्यवधान) कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये हैं। उसमें हमने इतने लोगों को लाभ दिया है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीचर्स ट्रेनिंग का अलग हैड है। आप तो इनसे यह पूछिये कि मैनेजमैंट कोर्स हुए, यह कहां जा रहा है पैसा? ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं वही तो बता रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अलग से आपका हैड है यह। टीचर्स टेनिंग के लिए अलग से हैड है । टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग से हैड है। आपने 35 करोड़ रुपये अलग से खर्च किया है इस 85 करोड़ के अलावा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने यह डाइट में किया है। हमने सारे नवाचार में किये हैं। आपने पूछा, क्या-क्या मानिटरिंग की, यह हमने मानिटरिंग की है। बच्चियों को दिया। उनको आगे प्रशिक्षण दिया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैनेजमैंट के नाम से, इनोवेशन के नाम से और अन्य रिसर्च ट्रेनिंग के नाम से आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए जो पैसा जाना चाहिए, आप इसके ऊपर रोक लगवाइये। ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक पैसे का भी दुरुपयोग कोई सिद्ध कर दें। हमारी इतनी पारदर्शी पद्धति है, जिसमें एक पैसा का भी दुरुपयोग का आरोप नहीं लग सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, सीकर जिले में ब्रिज कोर्स के लिए पाटी और बस्ता खरीदा नहीं गया। ...(व्यवधान) पूरा का पूरा पैसा विथड्रा कर लिया गया । आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। पूरी जिला परिषद् की मीटिंग में सी.ई.ओ. ने और इनके सर्व शिक्षा अभियान के

(श्री अमराराम)

जो इंचार्ज हैं... (व्यवधान) अब हटा दिया आपने, लेकिन पाटी और बस्ता खरीदा नहीं गया और ब्रिज कोर्स में पूरा का पूरा पैसा उठा लिया गया। इससे ज्यादा घोटाला और क्या होगा होगा ? आप बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बांसवाड़ा जिले में बागीडोरा पंचायत समिति में 12 आवासीय कैम्पों में पांच-पांच बच्चे नहीं थे, उसके लिये जिला परिषद् में चार बार प्रश्न उठ चुके, बागीडोरा पंचायत समिति के पांच स्कूलों में 100-100 फीट लगाकर इन्होंने पैसा उठा लिया सर्व शिक्षा अभियान के नाम से। तीसरी बात, मंत्रीजी यह बताएं एस डी एम सी में जो सदस्य मनोनीत करने चाहिये थे ब्लॉक लेवल पर संकुल प्रभारी से एक भी नहीं हुआ पूरे राजस्थान में। आप बता दें एक भी लिस्ट हो तो। मैं आपको हैण्डपम्प के बारे में नाम सहित बता दूं, आप नोट करना चाहें तो कर लें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जहां तक किसी विशेष स्थान की बात है, यदि आप अपनी शिकायत देंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे। बाकी एस डी एम सी हर जगह बनी हुई है । पूरे राजस्थान में 77,436 एस डी एम सी हैं, 13 लोग हैं उसमें एस सी, एस टी का, महिला का जो प्रावधान है उसके अनुसार एस डी एम सी बनी हुई हैं।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): एस डी एम सी में पंचायत स्तर से तीन व्यक्ति मनोनीत करने चाहिये, वे हुए कि नहीं? एक भी कहीं पर नहीं हुआ। बागीडोरा में 12 कैम्प आवासीय हुए, मात्र तीन कैम्पों में पांच-पांच बच्चे थे। नम्बर दो, पिंडारमा पंचायत में एस डी एम सी के नाम से पांच हैण्डपम्प खुदे 100-100 फीट ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आप जांच करवा लें। मंत्रीजी, यह नोट करके जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भरत सिंह।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हैण्डपम्प के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 33 हजार रुपये में लग जाता है जबकि 60 हजार ले रहे हैं। एक हैण्डपम्प 60 हजार रुपये में लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। श्री भरत सिंह।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री जुबेर खान : ×××

डा. सुरेश चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिये, सुनिये बात। आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया। सबका जवाब दे दिया उन्होंने। श्री भरत सिंह, नैक्स्ट क्वेश्चन।

रानपुर एग्री फूड पार्क, कोटा में आबंटित भूखण्ड

95. **श्री भरत सिंह** (दीगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा के रानपुर एग्रो फूड पार्क में आबंटित भूखण्डो में से कुल कितने एग्रो फूड पार्क कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समय अवधि समाप्त हो जाने पर भी अधिकांश आबंटित भूखण्ड आज भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त भूखण्डों की सूची सदन की मेज पर रखें व यह भी अवगत करावें कि समय सीमा में कार्य नहीं करवाये जाने पर कितने भूखण्ड निरस्त किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) रानपुर एग्रो फूड पार्क में कुल 142 भूखण्ड आबंटित हैं। 3 भूखण्डों पर 2 इकाइयां वर्ष 2005 से कार्यरत हैं। कार्यरत इकाइयों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उत्पादन प्रारम्भ करने की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने पर भी 36 भूखण्ड रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। 12 भूखण्ड निरस्त किये जा चुके हैं एवं शेष 24 प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ...(व्यवधान)

(सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलने वाले और मेरे बीच में आ रहे हैं। (व्यवधान) अब भी परवाह नहीं है आपको। आप समझाओ न, बैठे हो पास में। टैल हिम। हां, आप पूछिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एग्रो फूड पार्क स्थापित करने के पीछे क्या प्रदेश के किसानों का हित भी जुड़ा हुआ था? या इसके पीछे भावना यह थी कि इस नाम के ऊपर कुछ लोगों को भूखण्ड आबंटित कर दें, जिनका आने वाले समय

(श्री भरत सिंह)

में बाजार मूल्य बढ़ेगा और उसके ऊपर वे कब्जा लेकर वह बैठ जाएंगे? और इन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि 146 भूखण्ड आबंटित किये। यह फिर देखकर जवाब दें कि 146 किये हैं या 148 भूखण्ड आबंटित किये? गत वर्ष मैंने इनका और सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर दिलाने हेतु प्रश्न किया था उस वक्त मुझे उत्तर दिया गया था कि 148 भूखण्ड हैं। इस वर्ष पूछा तो 146 भूखण्ड बताये। मोटी बात यह है कि केवल दो साल में दो भूखण्डों पर इन्होंने उद्योग चालू होना बताया है। क्या इन भूखण्डों को आबंटित करते समय आपने किसानों का हित भी देखा था? क्या आपने मौके पर जाकर साइट का अवलोकन किया कि इसका दुरूपयोग तो नहीं हुआ ? क्या आपके चेयरमैन वहां पर गये? जो आपने उत्तर प्रदान किया है माननीय मंत्री महोदय, क्या वास्तव में वह स्थिति है ? और आपने केवल दो भूखण्डों पर ही उद्योग चल रहे हैं, उनके अलावा जो भूखण्ड खाली पड़े हैं, उनको क्यों नहीं निरस्त किया? क्या भूखण्ड खाली करने में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई है और क्या यह सही है कि भूखण्ड पर वास्तविक उद्योग लगाने वाले अभी भी कतार में खड़े हुए हैं? वे इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये भूखण्ड आपने जिन लोगों को दिये हैं उन्होंने स्थान रोक लिया। और क्या यह भी सही है कि इन भूखण्डों के ऊपर अभी उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं और आपके ये दूसरे चरण की यही प्रणाली वापस चालू कर दी है, ताकि भूखण्ड लेकर लोग-बाग़ कब्जे करके बैठ जाएं। इसको कौन रोकेगा? उद्योग मंत्री के रूप में आप रोकेंगे या इसका दायित्व किसके ऊपर है?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रीको द्वारा जो भी भूखण्ड आबंटित किये जाते हैं, उसमें कुछ समयावधि बीच में ऐसी रही है जिसमें स्लो मूविंग था, इसलिये समयावधि नहीं रखी। अन्यथा दो वर्ष में उद्योग स्थापित अगर नहीं किया जाता है तो उसमें नोटिस देकर उसको निरस्त करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है। यह तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष की अवधि सम्पूर्ण होने से पहले अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कोर्ट से उनको जो लाभ मिलना है और जो किसान को हम लाभ देना चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा। 2003 और 2005 के मध्य ये 146 भूखण्ड आबंटित हुए हैं और इनमें डवलपमेंट वर्क 16 फरवरी, 2005 तक गया है। 16 फरवरी, 2005 से लेकर 16 फरवरी, 2007 तक का समय है जिसमें भूखण्ड में काम किया जाना चाहिये था। 16 फरवरी के बाद में नोटिसेज जारी हो गये ।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

12 को निरस्त कर दिया और 24 प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उसमें नोटिस जारी हुए लेकिन तामील नहीं हुए। मैं ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ना चाहता जिसमें संदेह का लाभ उसको मिले। यहां पर पूर्व उद्योग मंत्री भी विराजमान हैं, मेरे ख्याल से एक भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर भूखण्ड रिक्त हों । वह अगर आबंटित हो और उस पर काम नहीं किया है तो मैंने उसको नोटिस जारी किया है। रीको या उद्योग विभाग का रीयल एस्टेट बिजनस में कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक आपने एग्रो फूड पार्क फेज-2 का जिक्र किया है रानपुर में, उस पर मैंने डवलपमेंट वर्क इसलिए आरम्भ नहीं किया, एक भी भूखण्ड आबंटित नहीं करूंगा जब तक इसके अंदर कम्प्लीशन नहीं होगा, जब तक इसके अंदर काम चालू नहीं होगा। हमारा इंटेशन उद्योग लगाने का है, फैसिलिटेट करने का है, रीयल एस्टेट बिजनस का हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उद्योग मंत्रीजी, जब आपका लक्ष्य वहां उद्योग लगाने का है और भूखण्ड आबंटन करने का नहीं है तो दूसरे चरण में क्या यह सही है कि वहां पर 10 लोगों को भूखण्ड आबंटित किये गये थे और जयपुर से इन्टरवीन करके वे निरस्त किये गये? अगर किये गये तो उसके पीछे सोच क्या है? आपके पास 150 भूखण्ड पड़े हुए हैं ? उनके ऊपर आपने जब फरवरी में नोटिस दिये हैं, तब जाकर लोगों ने कम्पांउड वॉल और वह भी 6 प्लाट के ऊपर, 150 में से सिर्फ 6 प्लाट के ऊपर बनी है, मैं देखकर आया हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि उद्योग मंत्री के रूप में जब आप कोटा जाएंगे तो वहां जाकर अवलोकन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले छह महीने में या कोई निर्धारित समय आप ही तय कर दें, वे चालू हो जायेंगे, क्योंकि किसानों का भला इससे जुड़ा हुआ है। अभी दो दिन पहले ही एक प्रश्न उद्योग से संबंधित था, रीको के इन्द्रप्रस्थ एरिया, कोटा के अंदर भूखण्ड आबंटन हुए थे और उनको राजनैतिक आधार पर, कौनसी राजनैतिक पार्टी है, उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता, आपने किये या कांग्रेस ने करे, उनका दुरूपयोग करके बड़े-बड़े पद पर लोग-बाग़ बैठकर अपने लाभ में उसको आबंटित करा लेते हैं और उसका विकल्प चेंज करा लेते हैं। क्या इस प्रकार के भूखण्डों का आप विकल्प बाद में तो चेंज नहीं कर देंगे ?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना उत्तर इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उस पर आधारित रखूंगा। पूर्व में जो प्रश्न पूछा गया

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उस पर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लैण्ड यूज का चेंज समय-समय पर हुआ है। यहां तक कि कुछ में तो ऐसा भी हुआ है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्लाट को चेंज करवा सकता है, यह भी किया था। लेकिन बाद में उसको चेंज भी किया है। गुणावगुण के आधार पर, मैरिट्स पर अगर आवश्यक हुआ तो हम चेंज करेंगे। हाउस को मैं असत्य बात नहीं कहना चाहूंगा।

जहां तक फेज टू का सवाल है, अभी तक मेरे को सूचना दी है कि उसमें नहीं है। और जो सूचना मेरे को दी है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो मैं टीम भेज कर वहां पर दिखवा लेता हूं । जो अधिकारी गलत सूचना देता है I will take action against him. How can it be possible कि हाउस को गुमराह कर दे? जो भी जवाब दिया है जिम्मेदारी के साथ मैं दे रहा हूं हाउस के अन्दर, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उसमें अगर गलत सूचना है, आप मुझे बताएं, में खुद जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी कार्यवाही हो जाएगी, इसमें आप संतुष्ट रहें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती।

राजस्व मण्डल का विखण्डन

96. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर में राजस्व मण्डल कब से कार्यरत है तथा किन शर्तों पर इसकी स्थापना की गई? क्या मण्डल उक्त शर्तों पर कायम है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजस्व मण्डल के विखण्डन का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): (1) अजमेर में राजस्व मण्डल वर्ष 1958 से कार्यरत है। अजमेर में स्थापना के समय किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गयी थी। जब कोई शर्त ही नहीं थी तो कायम रहने या न रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) जी नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में अजमेर का मर्जर हुआ तो राव कमेटी की शर्त यह थी कि रेवेन्यू बोर्ड वहां दिया जाएगा। यह राव कमेटी के तहत वहां रखा गया था इसलिए प्रश्न का जवाब अधूरा है।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

इसके अलावा इसमें बात यह थी कि इस स्वरूप से छेड़खानी नहीं की जाएगी। वर्तमान में सरकार ने लम्बे समय से, दो साल से अधिक हो गये, वहां 15 पद राजस्व सदस्यों के हैं जिसमें से कुल 6 भरे हुए हैं, बाकी खाली पड़े हैं, जुडीशियरी का वहां एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है लेकिन आपकी शंका का समाधान कर दिया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं वो ही बता रहा हूं। इससे शंका यह होती है कि सरकार की मंशा राजस्व मण्डल का खण्डन करने की है। सरकार क्या वो पद भरना चाहती है? कब तक भरना चाहती है और क्यों नहीं भर रही है, यह सरकार स्पष्ट करे।

दूसरा, सरकार यह बताए कि जो बैंच आपकी जा रही है, उसका खर्चा और डिस्पोजल कितना है?

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न का जवाब तो दे दिया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कहां दे दिया?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है उतना प्रश्न का उत्तर मैंने अपने इस उत्तर में दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: हां, दे दिया। दे दिया।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अब कोई शर्त वगैरह या कैसे मर्ज हुए, किस प्रकार का अजमेर के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गयी, तो यह बहुत पुराना मामला है । जब 56 में मर्ज हुआ, अजमेर को विलय किया गया राजस्थान के अन्दर । राजस्थान के पूरे ढांचे के अन्दर कि कहां क्या रहेगा, तो उसके अन्दर रेवेन्यू बोर्ड जो जयपुर के अन्दर था ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या, मंत्रीजी, यह सही है कि राजस्थान के बनने के समय हाई कोर्ट, जोधपुर को रेवेन्यू बोर्ड ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं

आया इनका। उसका जवाब नहीं आया। ...(व्यवधान) जवाब ही नहीं आया पूरा इस बात का।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): करवाओ न, क्या बात है, 6 सदस्य क्या करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न पूछे उनका जवाब दे दिया है। ...(व्यवधान) विखण्डन नहीं हो रहा ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जहां किसानों का सबसे बड़ा कोर्ट है वहां इतनी पोल हो और उसमें आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करें, यह जवाब नहीं दें उस बात का।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 6 आदमी काम करें, क्या काम करेंगे वो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 94 और 92 के केस भी लम्बित पड़े हैं अभी तक ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो जो संधि हुई विभिन्न शहरों के बीच में, उससे भी अलग जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): प्रश्न संख्या 97 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय पशुपालन मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्री महोदय, आज राजस्थान में रेवेन्यू बोर्ड में सबसे बुरी हालत है कि 1994 और 92 के केस लम्बित पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 15 पदों तक अलाउ करते हो, पांच और चार पद भरते हो, क्या काम होंगे वहां?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप अलाउ करना चाहें तो अलाउ करें। श्रवणकुमारजी, एक मिनट। आप निवेदन सुनें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भावना के साथ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि 22 में से 6 पद भरे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: वह अलग चीज है ...(व्यवधान) आप प्रश्न देखो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप पढ़ें न।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप प्रश्न दूसरी तरह से लाते।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न है कि, 'अजमेर में राजस्व मण्डल कब से कार्यरत तथा किन शर्तों पर इसकी स्थापना की गयी है? क्या मण्डल उक्त शर्तों पर कायम है? यदि नहीं, तो क्यों?

जवाब इन्होंने दिया, 'अजमेर में राजस्व मण्डल वर्ष 1958 से कार्यरत है। अजमेर में स्थापना के समय किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गयी थी। जब कोई शर्त ही नहीं थी तो कायम रहने या न रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।'

प्रश्न दो है, 'क्या सरकार राजस्व मण्डल के विखण्डन का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर, 'जी नहीं।'

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): राजस्व मण्डल के स्थापना की शर्तें हैं। शर्तें हैं उसकी, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज हजारों केस पैंडिंग पड़े हुए हैं वहां पर। इतना साधारण प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वो अलग से प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरा निवेदन सुन लें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात गलत है।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है वो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): शर्त यह नहीं थी क्या? यह शर्त थी कि गरीब किसान को न्याय मिलेगा और तत्काल मिलेगा? यह शर्त तो होगी न? यह शर्त नहीं है क्या? आज 1994 के लम्बित पड़े हैं, क्या काम करोगे?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मंत्री महोदय शर्त की बात नहीं कहना चाहते।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वहां पर हजारों की संख्या में सालों से केस लम्बित पड़े हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मंत्री महोदय।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, अब आप कांग्रेस के माननीय सदस्यों की ओर जरा ज्यादा झुकाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में केस लम्बित पड़े हुए हैं वहां।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने जब प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मंत्री महोदय देने को तैयार थे, मेरे को बैठा दिया और कांग्रेस के लोगों के लिए आप ज्यादा समय आबंटित कर रही हैं। ...(व्यवधान) ध्यान दीजिए हमारी तरफ, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछते तो मैं सारी स्थिति का स्पष्टीकरण कर देता। ...(व्यवधान) और जब आपने पूछा ही नहीं है तो ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जब आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, समय देने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): राजस्व मण्डल की स्थापना के साथ शर्तें थीं, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान) श्रवणजी, एक मिनट। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप उनको भी बोलिये कि वो उनको बैठाएं।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, प्लीज।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके मुख्य सचेतक महोदय को बोलिये कि उनको वो बैठाएं। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसलिए मैं इस किसान विरोधी सरकार के उत्तर के खिलाफ वाक आउट करता हूं।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा बहिर्गमन)

मेड़ता के पशु चिकित्सालय

97. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नये पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का एक पद तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के तीन पद रिक्त हैं। 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19.11.2006 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिसकी आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.12.2006 थी।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से उपलब्ध होने के उपरान्त पशु चिकित्सक के पद भरे जाने की भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

(2) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय नहीं खोले जा रहे हैं। बजट प्रावधान की उपलब्धता एवं गुण-अवगुण के आधार पर नवीन राजकीय उप केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये पद कब से रिक्त हैं और वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या की है?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में 393 पद चिकित्सकों के रिक्त चल रहे हैं और जहां तक मेड़ता विधान सभा क्षेत्र ...

श्री अमराराम (धोद): 393 रिक्त हैं, 200 आपने भरने के लिए मांगा तो भरेंगे कैसे?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): यह मैं अभी बता रहा हूं आपको।

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशु चिकित्सालय लियाबड़ी में 2005 से,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

गगराना में 2003 से और पादुकलां में 2000 से पद रिक्त चल रहे हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 113 पद चिकित्सकों के बैकलॉग के पूरे किये हैं। इसके अलावा 100 पशु चिकित्सकों को संविदा पर हम लोगों ने लिया है और 200 पशु चिकित्सकों की शीघ्र ही आर.पी.एस.सी. से सूची प्राप्त होगी, प्राप्त होने पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 393 पद सैंक्शन हैं, रिक्त हैं और आपने आर.पी.एस.सी. से मात्र 200 डाक्टर्स की रिक्विजिशन दी है, जब 393 हैं तो 200 की क्यों दी है आपने? बाकी जो 193 बचेंगे वो कैसे भरे जाएंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000 से जहां पर रिक्त हैं, आज 2007 की मार्च आ रही है, आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है ? पशुओं की स्थिति ऐसी है, यह तो नहीं है कि आदमी की तरह उसको ले जाकर आप दूसरी जगह, जयपुर लाकर इलाज करा सकते हैं। पादु से लाकर मेड़ता करा सकते हैं, वहां से 40 किलोमीटर है, तो आपने वहां क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ? 193 पद जो आपके स्वीकृत हैं, क्या आप संविदा पर लेकर इनको भरने का भी इरादा रखते हैं या नहीं?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 57 वर्षों में मात्र 1400 चिकित्सक भर्ती किये अब तक की सरकारों ने और हमारे इस तीन साल के शासन काल में ...

श्री अध्यक्ष: आप तो सीधा-सा जवाब दे दो, करोगे कि नहीं करोगे, बस, काहे को झगड़े में पड़ते हो?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के सीमित संसाधन हैं और हमारा प्रयास है।...

श्री अध्यक्ष: रोक लगी हुई थी ...(व्यवधान) कह दो, बस खतम बात।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हमारे ये प्रयास हैं कि आर.पी.एस.सी. ज्यों ही आएगी प्राथमिकता से हम लोग उनको भरेंगे और जहां पर हमारे चिकित्सक नहीं हैं..

श्री अमराराम (धोद): सीमित संसाधन कैसे हैं? आपका खजाना भरा हुआ है, पोस्ट सैंक्शंड हैं तो फिर कहां रह गया? ट्रेन्ड लोग तैयार हैं, फिर आपका खजाना भरा हुआ है, पोस्ट सैंक्शंड हैं तो फिर कहां दिक्कत आ रही है आपको, यह तो बताओ? (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आप तो इतनी बात बता दीजिए कि 194 खाली रहेंगे जो इन्होंने पूछा, या ये संविदा पर रखने का प्रयत्न आप करेंगे ? बात खतम।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भवन बने हुए हैं वहां क्या स्वीकृति जारी करेंगे पशु चिकित्सालय की या पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की ?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर पशु चिकित्सा और उप केन्द्र खोलने का प्रश्न है, उसमें प्रावधान बने हैं कि तीन हजार की आबादी या तीन किलोमीटर की परिधि में ....

श्री अमराराम (धोद): आप तो खाली जगह बताओ, खजाना या तो जनता के लिए खाली नहीं है, किसानों के लिए नहीं है केवल मंत्री और मुख्य मंत्री के लिए है । जब खजाना भरा हुआ है तो 194 पद रिक्त क्यों रहेंगे? आप भरोगे कि नहीं भरोगे यह बताओ? ये है और वो है इससे कोई मतलब नहीं । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या होगा और क्या नहीं होगा, किसानों की आप सुध नहीं लो, 194 जो पद खाली हैं उनको बताओ, भरोगे या नहीं भरोगे आप (व्यवधान) नहीं भरना है तो मना करो, हमारे पास नहीं है। डाक्टरों की कोई कमी नहीं है, डाक्टर बहुत हैं, ट्रेन्ड बहुत बैठे हैं, आप तो बताओ, है क्या पैसा आपके पास? ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): चपरासी कर रहा है इलाज वहां ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपका वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा है, खजाना भरा हुआ है, पैसे की कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: खड़े हैं मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो दिलवा दो, 194 पद तो भरेंगे। इस तरह से पशुओं की बीमारी का इलाज नहीं हो रहा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं न जवाब।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): तो दिलवाओ फिर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां तो दे रहे हैं न जवाब तो। वह जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): जहां भी हमारे पशु चिकित्सकों के रिक्त पद हैं वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करके उनको चला रहे हैं । हमारे वहां पशुधन सहायक होते हैं, वहां पर वेटरिनरी असिस्टेंट होते हैं और उस क्षेत्र के पशु पालकों की चिकित्सा की सारी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं।

श्री अमराराम (धोद): समाप्त कर दो डाक्टरों की पोस्ट।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): लेकिन फिर भी जहां तक रिक्त पदों को भरने का प्रश्न है, इसमें सरकार के स्तर पर वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था करके हम लोग विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कह दिया न डाक्टर की जगह कम्पाउण्डर से काम चलाएंगे, खाली नहीं रहेंगे।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, चपरासी लगा रखा है, चपरासी क्या देखेगा... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): डाक्टर का काम चपरासी करे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से बूंदी जिले में मूर्ति चोरी बरामद नहीं होने के कारण आत्म हत्या की घटना के संबंध में।
2. डा0 चन्द्रशेखर बैद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में रबी 2005-06 की फसल बीमा मुआवजा राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।
3. श्री अमराराम (धोद) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के किसानों को राजधानी में रैली के लिए प्रवेश नहीं करने देने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से नगर पालिका, पिलानी की बेहद कीमती जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने के संबंध में।

5. श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की सम्वत् 2063 की रबी की फसल जीरा एवं ईसबगोल को वर्षा से भारी नुकसान होने के संबंध में।

6. श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से अलवर शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में दिनांक 22 फरवरी, 2007 को मीडिया कर्मियों पर हुए कथित हमले के संबंध में।

7. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश पत्र नहीं मिलने की स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डा. चन्द्रशेखर बैद, श्री अमराराम (धोद), श्री श्रवण कुमार, श्री हेमाराम चौधरी, श्री जितेन्द्र सिंह एवं डा. श्रीगोपाल बाहेती को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। लेकिन आप दस मिनट लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में।

2. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से निवाई उपखण्ड मुख्यालय स्थित श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को राज्याधीन करने के संबंध में।

3. श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

4. श्री जीतराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन भारत इण्डस्ट्रीज को आबंटित भूमि को उद्देश्य विरुद्ध उपयोग होने के कारण नगर पालिका के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से नागौर जिले में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

6. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से शहीदों के स्मारक विधायक कोष से निर्मित करवाये जाने का प्रावधान करने के संबंध में।

7. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से नीमकाथाना से सेफरागुवार सड़क पर बने एनीकट के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

9. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम नौवी में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित पुल की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

10. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

11. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा से संचालित महत्वपूर्ण रोडवेज बसों को अचानक बंद कर देने के संबंध में।

12. श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मैंने कल दस बजे दिया था ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मैंने एक कल दिया था ...(व्यवधान) जो राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि नगर विकास न्यास अपने नाम गैर मुमकिन जोहड सिवाय चक, गोचर जमीन को उस सम्बन्ध में मैंने दिया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया है जो कागजों में रह गया होगा, मैंने कल दस बजे दिया है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यहां पहले आना चाहिए था वह बाद में आया है इसका क्या कारण रहा है? मेरा पहले है अधिकार मेरे विधान सभा क्षेत्र का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिये, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिये। आज जिस किसी ने दिए हैं कल चूंकि व्यवस्था की जा चुकी थी, आज की जो जीरो आवर की कार्य सूची है स्थगन प्रस्ताव, 295 और पर्ची कल के लिए कर दी गई है स्थगित इसलिए, आज लिया नहीं गया है और आज का यह जो है डिटेल एज .....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगले दिन तो आ जाएगा ना, अध्यक्ष महोदय, जो अगली कार्यवाही होगी तब तो लेंगे इनको आगे?

श्री अध्यक्ष: नये सिरे से दीजिएगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज वाले कल के लिए ?

श्री अध्यक्ष: जब व्यवस्था की जा चुकी थी कल, तो कल क्या आप आए नहीं क्या हाउस में जब यह व्यवस्था हो रही थी तो? (व्यवधान) हां, यह कोई बहस का विषय नहीं है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सोमवार के लिए ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, मैं कहती हूं दुबारा से दे दीजिए, दुबारा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें आप दुबारा दीजिए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरे को बोलने का अवसर देंगे या नहीं देंगे इतना सा बता दें?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम यह निवेदन कर रहे हैं कि मन्डे को रख लीजिएगा, हमने चुनौति थोड़े ही दी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही विषय है और यह निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे....

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या, आपकी क्या पीड़ा है, आप क्यों खड़ी हैं?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमने पहले निवेदन कर दिया था, एक स्थगन मैंने लगा रखा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरिमोहन शर्मा बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आज शून्यकाल चलेगा, कल शून्यकाल नहीं चलेगा, परसों शनिवार होगा ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्षजी, यह निरर्थक बहस क्यों हो रही है? अध्यक्षीय व्यवस्था को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह निरर्थक बहस हो रही है बिना मतलब की।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। आप सदन का समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आपको सदन का समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। गलत है यह।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्ष: क्यों बिना ... (व्यवधान) ला रहे हैं। नियमों में व्यवस्था है। खड़े होकर बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। इस समय मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: देखिये यह सदन नियमों से चलता है। आपकी कोई बात इस तरह की यदि बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको कायदे से स्पीकर के चैम्बर में जाकर बात करनी चाहिये और वहां मिलना चाहिये। आप पुनः प्रयत्न करें। लेकिन यह तरीका गलत है। फिर हर कोई इस फ्लोर पर आकर मर्जी आए वह कहने लग जाएगा। यह क्या तरीका हुआ ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): ×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज स्थान ग्रहण करें। शिक्षा मंत्रीजी खड़े हैं। शिक्षा मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। प्लीज सिट डाउन। शिक्षा मंत्रीजी खड़े हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते क्या ? शिक्षा मंत्रीजी इसीलिये खड़े हुए हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्यों को कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं अभी घण्टे, दो घण्टे में उसकी सारी सूचना मंगा लेता हूं और मैं पूरी व्यवस्था। विधान के हिसाब से जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये अगर उसके हिसाब से नहीं है तो मैं उनको रोकने की व्यवस्था भी करूंगा। मैं दो-तीन घण्टे में आपको सारी सूचना सदन को दे दूंगा।

बूंदी में मूर्ति चोरी बरामद नहीं होने से आत्महत्या की घटना

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान लगातार काफी समय से मूर्ति चोरी का जो अभियान एक संगठित गिरोह ने चला रखा है और उसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की मूर्तियों की चोरी अलग-अलग स्थानों पर एक गैंग बनाकर...

श्री अध्यक्ष: अब भूमिका मत बांधो। आत्महत्या की उसका वर्णन कर दीजिये और फिर कह दीजिये। और लोग करने लग जाएंगे तो क्या होगा ? अब इस बात पर आओ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो अभियान चल रहा है उसी अभियान के अन्तर्गत बांसी ग्राम में अभी फरवरी के महीने में चार भुजा के मंदिर की मूर्ति चोरी हुई सरेआम, जो मेन जगह पर है। इसी प्रकार बूंदी में अन्य मंदिरों में भी चोरियों का अभियान चल रहा है। बांसी बंद हुआ, हड़ताल हुई। उसके बाद लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वह मूर्ति बरामद नहीं होने से वहां

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के एक युवक ने दिन में चारों तरफ प्रचार करते हुए एक ही शब्द कि मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति नहीं मिली कहकर केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने के कारण पूरे गांव, पूरे जिले में भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गयी । उसके लिये आज तक किसी प्रकार की भी कोई सहायता सरकारी स्तर पर नहीं दी गयी। हमारे प्रभारी संसदीय सचिव वहां गये थे, यह जरूर अपनी जेब से कुछ पैसे देकर आये। लेकिन इस गंभीर स्थिति में उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके पिता हैं, एक वृद्ध माता है, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन कारणों में मूर्ति बरामद नहीं हुई उसके परिप्रेक्ष्य में तो आप अपने स्तर पर अलग से टीम बनाकर जल्दी से जल्दी बूंदी जिले में होने वाली सभी मूर्तियां चाहे वह जोजावर की हो, चाहे वह तलवास की हो, चाहे वह करवर की हो, चाहे गुणा देवजी की हो, यह मूर्तियां बरामद नहीं हो रही हैं, इसलिये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभियान चलाकर मूर्ति चोरों को तो आप गिरफ्तार करें ही। लेकिन जिसने आत्महत्या की है, जो भावनावश की गयी है, जो भावना सारे शहर, पूरे गांव में थी, उसके गरीब परिवार को भी राज्य सरकार की ओंर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर सहायता की जानी चाहिये। नहीं तो उसके छोटे-छोटे बच्चे तड़प-तड़पकर वैसे ही भूख की स्थिति में मर जाएंगे और उसकी जो वृद्ध मां है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही मेरा सदन से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा यह निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कटारियाजी के राज में मूर्तियां चोरी हो रही है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने बोल दिया ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गृह मंत्रीजी, मैं खुद मौके पर गया हूं। मैंने आपसे बात की है। मेरा विधान सभा क्षेत्र है ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह दूं शायद इनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गृह मंत्रीजी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। गृह मंत्रीजी, मेरी आपकी बात हुई है। आपने कहा है कि फाइल चलायी है। चूंकि वह परिवार ऐसा है, बिलकुल हैंड टू माउथ है। वह यह कह कर मृत्यु को

(श्री रामनारायण मीणा)

गया है कि जब चार भुजाजी बांसी में नहीं हैं तो मैं रहकर क्या करूंगा। भावनात्मक दृष्टि से उसको जो रूप दिया जा रहा है आत्महत्या का या किसी का वह गलत होगा। उसको आप मैक्सिमम मुआवजा दीजिये। कहीं आप पांच लाख दे रहे हो ऐसे केसेज में, कहीं एक लाख दे रहे हैं। इसलिये मेरा अर्ज करना है मैं मौके पर गया था, सारे गांव वाले वहां मौजूद थे और सैंकड़ों मूर्तियां चोरी हो रही हैं। आप इसकी स्टेट लेवल पर टीम गठित करने के बारे में बात हुई थी वह गठित करें। उस परिवार को, गिर्राज की मां जो अंधी है उसको जल्दी से जल्दी मैक्सिमम सहायता दें। दो छोटे-छोटे बच्चे हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तत्काल दें। हालत बहुत खराब है। तत्काल दें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उसका कोई करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है वह गरीबी की रेखा के नीचे है। उसके बाद कोई है ही नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, है ही नहीं कोई।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बिस्वा जमीन नहीं है इसलिये मेरा अर्ज करना है, उसको पूरी सहायता दी जाए। मूर्ति बरामद की जाए।

श्री अध्यक्ष: आ गयी बात अधिकतम सहायता देने की। ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मेरी आपसे व्यक्तिगत फोन से भी बात हुई । निश्चित रूप से चार भुजाजी की मूर्ति 18 तारीख को चोरी हुई है, लोगों में आक्रोश था, ये सारी स्थिति थी। लेकिन अभी तक मैंने जांच करायी इसमें अभी यह नहीं कह पाता हूं कि वह किस कारण से मरा है, अभी तक जो बयान हमने लिये हैं। फिर भी आपने जैसा कहा, अगर मेरे नियमों में किसी भी प्रकार से इसकी मदद करने का कोई आधार मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसके लिये प्रयास करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुख्य मंत्री सहायता कोष से करवा दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि मैं स्वयं अपने विभाग के लेवल पर जो मेरे नियम बने हैं, उनमें अगर किसी तरीके से कवर होगा तो मैंने इसकी फाइल चलायी है मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन आपका जो यह आरोप है, यह आरोप लगाना मात्र मत रखिये कि केवल मेरे कारण से ही मूर्तियां चोरी हुई हैं। मैं आपका नक्शा बताता हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि आपके कारण। मैंने यह कहा, लगातार मूर्ति चोरी का अभियान संगठित गिरोह चला रहा है। आपके कारण क्यों होंगी मूर्ति चोरी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह सही है, लगातार हो रही हैं। 2001 में 94 हुईं, 2002 में 97 हुईं, 2003 में 95 हुईं, 2004 में 55 हुईं, 2005 में 42 हुईं, 2006 में 67 हुईं। आपके टाइम में तीन साल में 283 ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप और हमारा समय यह मैंने थोड़े ही? आरोप लगाया है। मैंने यह बात कही है कि ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): तो आप यह कह रहे हैं ... (व्यवधान) आपने कहा कि आपके राज में चोरी हुई ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कहा कि आपके होते हुए मूर्तियां चोरी हो रहीं हैं यह दुर्भाग्य है । ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नहीं कहा है। आप रिकार्ड उठाकर ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चोरी हुई हैं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप रिकार्ड उठाकर देख लें, मैंने यह कहा है लगातार राजस्थान में एक ऐसा गिरोह है जो करोड़ों रुपये की मूर्तियों की चोरी कर रहा है । ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो, गृह मंत्रीजी, यह कहा कि आपके होते हुए मूर्तियां चोरी हो रही हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप नहीं लगाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि मेरे होते हुए चोरी हो रही है, मैं कोई इसमें शरीक नहीं हूं। आपके कहने का मतलब क्या है ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप सक्षम गृह मंत्री हैं तो आपके समय में अंकुश लगना चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको कहा है कि नियमों के तहत जिसकी मृत्यु हुई है उसमें मेरे विभाग के जो कुछ भी नियम अब तक बने हैं उसमें जो मदद मेरे से हो सकती है, मैंने फाइल चलायी है, उसमें जो भी परिणाम आएगा वह मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार के स्तर पर करो। मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिलाओ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मूर्ति चोरी नहीं हुई हो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सदन जिस प्रकार से ... (व्यवधान) नो-नो बैठ जाएं ...(व्यवधान) बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य,, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) नहीं, कुछ नहीं, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। यह बहुत गलत परम्परा है, स्थगन प्रस्तावों पर यदि दो मिनट बोलने का मौका दिया जाता है, उसका मतलब यह है कि आप जिस चीज का महत्व समझते हुए यहां पर अपनी बात कहना चाहते हैं वह आपने कह दी। यह आवश्यक भी नहीं है कि मंत्री उसका जवाब दें। लेकिन चूंकि इस तरह का मामला था, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। अब आप उसके बाद प्रश्न पर प्रश्न पूछने लग जाते हैं। डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप बिराजें।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले का प्रभारी मंत्री हूं और जिस दिन यह घटना हुई, होली के दिन मैं वहां पर गया और मैंने उस परिवार की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए 30 हजार रुपये जन सहयोग से उसको दिये और उसके परिवार को बी.पी.एल. में शामिल कर लिया गया है। मैं सोचता हूं कि जितनी चिंता हमारी सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों को है, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य भी उसके परिवार को कुछ न कुछ सहयोग करते तो ज्यादा ठीक रहता।

श्री अध्यक्षः : यह जानकारी आप मंत्रीजी को दे देते तो वह बोल देते ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने अपनी जेब से 30 हजार रुपये दिये यह तो आपकी शक्ति है, लेकिन हर आदमी में इतनी ताकत नहीं है ।... (व्यवधान) आप अगर दस लाख भी दे दो तो आपकी सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो आपको जानकारी देनी चाहिए थी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): भगवान में अगर ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन सरकार का दायित्व है, आपकी जेब का सवाल नहीं है, आप तो दस लाख भी दे दें, आर्थिक दृष्टि, से बिड़ला साहब, आप पूरे संपन्न हैं। लेकिन हर आदमी संपन्न नहीं है आपकी तरह। मेरा कहना यह है कि सरकार अपने स्तर पर उन लोगों की व्यवस्था करे, उन गरीबों की।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभी तो बिड़ला हैं नहीं। ...व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): बिड़ला तो हैं, इसलिए कुछ न कुछ अपने वेतन में से भी देना चाहिए । ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय सचिव महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। संसदीय सचिव महोदय, मैं आपको नियमों की जानकारी देना चाहूंगी। आपके पास जो सूचना थी, आपको गृह मंत्रीजी को देनी चाहिए थी। वह कहते। उन्होंने जब बात कह दी, उसके बाद आप उठ गये, सारी परम्पराओं को छोड़ रहे हैं आप। यह कौनसी परम्परा हुई कि गृह मंत्री बोले और गृह मंत्री के बाद संसदीय सचिव खड़ा होकर कहने लग जाए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आइंदा से मत करना। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कहां की परम्परा है?

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं, उन्होंने आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष: यह कौनसी संसदीय परंपरा है? संसदीय परम्परा के विपरीत बात है आपकी। आप भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): इन्होंने प्रभारी मंत्री बताया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, बैठिये आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): प्रभारी मंत्री बताया है, यह मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री नहीं हैं। इन्होंने प्रभारी मंत्री कहा है इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी हो तो भी संसदीय परम्परा और सदन की परम्परा यही है कि गृह मंत्री के बोलने के बाद संसदीय सचिव को एक्सप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्षः डॉ. चन्द्रशेखर।

राज्य में रबी 2005-06 का फसल बीमा मुआवजा

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2005-06 रबी की फसल का मुआवजा अभी तक किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्ष 2005-06 के अंदर पूरे राजस्थान के 32 जिलों में 6 लाख 70 हजार किसानों ने फसल बीमा कराया है, उसमें से 60 प्रतिशत सीमांत कृषक थे, लघु कृषक थे। तकरीबन चार लाख छोटे किसानों ने कृषि बीमा करवाया है और बीमा करवाने के बावजूद जब फसल नहीं हुई, खराबा डिक्लेयर हो गया और खराबा जिला प्रशासन द्वारा नोटिफाई करवा दिया गया उसके बाद भी विभाग ने समय पर यह रिपोर्ट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को उपलब्ध नहीं करवायी, पहली बात।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, आपने जब यह उपलब्ध करा दी तो जैसा कि आपने केन्द्र सरकार और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के साथ में जो मेमोरेंडम साइन किया है उसके अंदर आपने यह हस्तक्षेप किया है कि "The State and the Union Territory Governments will maintain single series of crop cutting experiments." सिंगल सीरिज में आपको करना चाहिए था क्योंकि खुद ही मेमारेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया है केन्द्र सरकार के साथ में। बावजूद इसके आपने मल्टीपल सीरिज के अंदर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया। इससे क्या हुआ? इससे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जबकि नियम ये बने हुए हैं कि 2005-06 रबी की फसल का मुआवजा मई, 2006 तक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था, ताकि लघु कृषक जिनको मुआवजा मिला, वे अगली फसल में बुवाई सही समय पर उस राशि का सदुपयोग करते हुए कर सकें। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं कि अभी तक यह फसल बीमा का मुआवजा उपलब्ध नहीं करवाया गया है? विवाद की स्थिति कब खतम होगी ? कब इन सात लाख कृषकों को फसलों का मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्षः थैंक्यू, हां।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि रबी 2005-06 फसल बीमा की राशि का एक लाख तिरेपन हजार लोगों को सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कर दिया जाएगा, ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): लेकिन मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को यह अपडेट करना चाहूंगा कि अब तक फसल बीमे के भुगतान में देरी का कारण राजस्थान सरकार नहीं, केन्द्र सरकार रही है। राजस्थान सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्राब्लम ही सॉल्वड, ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): राजस्थान सरकार ने क्रॉप कटिंग के परिणाम जनवरी, 2006 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): प्रस्ताव दिया गया था और आठ माह के विलम्ब के बाद भी उन्होंने कोई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब एक सप्ताह में मिल जाएगा। खतम हुई बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसमें आपकी गलती थी, आपके विभाग की गलती थी।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलेंगे । ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, जिस दिन भी आप यह पता कर लोगे कि गलती किसकी है, उस दिन आप विद्वान सदस्य बन जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मंत्रीजी, ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): जो काम भारत सरकार का है, उसको करना चाहिए था। वह तो करते नहीं । ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मंत्रीजी ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): और हम लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारा काम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): क्रॉप कटिंग है, जहां तक सिंगल सीरिज और डबल सीरिज का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप भी किसान हैं यह रोज का विषय है, सिंगल सीरिज और डबल सीरिज का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यह भारत सरकार के ही एक संगठन एनएसएसओ यानि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजनेशन का ही काम है। वह सिंगल सीरिज और डबल सीरिज का सर्वे भारत सरकार के निर्देशों से करते हैं। राजस्थान सरकार में हम लोगों ने सर्वे कराकर हमारी रिपोर्ट जून में भिजवा दी और अभी इतने विलम्ब के बाद उनसे मिली है। आपका पैसा राजस्थान सरकार को मिला है 21 फरवरी, 2007 को। आठ दिन के फासले में राजस्थान सरकार ने अपना हिस्सा भारत सरकार को जमा करा दिया, सात दिन में सारे किसानों को इसका भुगतान हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः बढ़िया, बहुत अच्छा। अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वैसे यह प्रश्न आप पहले उठा चुके हैं, लेकिन आप तीन मिनट में फिर अपनी बात कह दीजिये क्योंकि आपको तो कहनी है, कह दीजिये। वैसे उठा चुके हैं। आपने तो राज्यपाल महोदय का ही ध्यानाकर्षित कर लिया, सारे राजस्थान का ध्यानाकर्षित कर लिया। किसानों का भी कर लिया फिर भी तीन मिनट में, तीन मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो प्रसंग एक बार सदन में आ चुका है उसको दुबारा उठाने की अनुमति कभी नहीं हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार ने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। स्टेटमेंट नहीं दिया, सारे किसानों का मामला है। आपके निर्वाचन क्षेत्र से भी सैकड़ों लोग आये थे, इतना बड़ा मामला है। अहम मामला है, किसानों का मामला है, मंत्री को इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सामने भी किसान है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अन्याय की बात कि उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया।

श्री अमराराम (धोद): सामने है, तभी रिकार्ड बनाया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपके नेता खड़े हैं प्रतिपक्ष के और आप खड़े हो गये, यह क्या बात हुई?

श्री अमराराम (धोद): नहीं, वह विराज रहे हैं, तब मैं खड़ा हुआ हूं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बैठ गया, बैठ गया।

किसानों को राजधानी में रैली के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 22 फरवरी को पूरे राजस्थान का किसान अपनी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, महंगाई और अकाल की समस्या को लेकर इस सरकार के सामने अपनी फरियाद लेकर आना चाहता था। लेकिन इस सरकार ने पहली बार राजस्थान की आजादी के इतिहास में मैं समझता हूं कि आजादी के इतिहास से पहले भी सीकर, झुंझुनूं का किसान अपनी समस्याओं को लेकर राजशाही के समय भी जयपुर आता रहा है, उस समय भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, जब राजशाही थी उस समय भी सीकर का किसान कई दफे जयपुर के राजघराने के सामने अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्याएं लेकर आता रहा है, कई-कई दिनों तक रहता रहा है, लेकिन यह राजस्थान में पहली सरकार है जिसने ऐसा कलंकित इतिहास बनाया है कि राजस्थान के किसान को अपनी फरियाद लेकर जो इस सरकार के सामने आना चाहता था, उसको जयपुर में आने से रोका। न केवल जयपुर में आने से रोका बल्कि घर से निकलने से भी रोका। पहली बार राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के किसान, अन्नदाता को राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं आने दिया गया। यह जहां जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया, संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया, पहली बार यह कलंकित इतिहास राजस्थान की सरकार ने किया है। अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि सामने भी किसान हैं, मैं समझता हूं कि सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति अगर किसान होता तो ऐसा कलंकित इतिहास राजस्थान के किसान के साथ नहीं रचा जाता। अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, बल्कि छह महीने से सरकार के सामने वह किसान संघर्ष कर रहा है।

जिस पानी के लिए सरकार ने खुद यह समझौता किया है 11 दिसम्बर, 2004 को। उसको लागू कराने के लिए। उसकी परिस्थिति का आप अंदाजा कीजिए । हमारी मुख्य मंत्रीजी कल कह रही थी कि बहुत पानी दिया है, बहुत फसल हुई है यह तो कोई राजनीति कर रहे हैं। घड़साना कृषि उपज मण्डी में 2000-2001 में गेहूं की बिक्री रिकार्ड हुई 4 लाख 41 हजार क्विंटल और कपास की 4 लाख 33 हजार क्विंटल, वह गिर कर 2004-2005 में गेहूं की मात्र 28 हजार क्विंटल रह गई और नरमा की मात्र 24 हजार क्विंटल रह गई।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अमरारामजी, यह फसल डाइवर्जन के कारण हुआ। सरसों की बता दो आप। क्या बात करते हो?

श्री अमराराम (धोद): सरसों की भी बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): आपके कितने किसान थे उसमें?

श्री अमराराम (धोद): डाइवर्जन क्यों कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): आपने जो आंदोलन किया उसमें किसान कितने थे? उसमें आपकी सारी ईंट-भट्ठा मजदूर यूनियन थी। किसान-किसान करते हैं। किसान तो सिंगूर में बैठे हैं न। सिंगुर के किसानों की चिंता करो, वहां सिंगूर में भी किसान बैठे हैं। जितना पानी पिछले तीन साल में चला उतना पिछले पचास साल में नहीं चला।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ...(व्यवधान) आजादी के 58 साल बाद यह पहला व्यक्ति है ...(व्यवधान) ।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी कह रहे हैं फसल डाइवर्जन, फसल डाइवर्जन 2000-2001 में ...(व्यवधान) ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, जैसी जानकारी है, किसानों से पांच-पांच सौ रुपए लिए हैं और उनकी सारी व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) आप बीच में न बोलें। माननीय सदस्य आपका जो स्थगन प्रस्ताव है वह किसानों को राजधानी में आने से रोकने के बारे में है, कितनी फसल हुई, डिटोरेशन हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रश्न यह नहीं। यह नहीं लिखा आपने स्थगन प्रस्ताव में। केवल उनकी रैली को जयपुर में प्रवेश नहीं करने देने का सम्बन्ध है, जिस पर आप अपनी बात कहिए।

श्री अमराराम (धोद): वह क्यों आ रहे थे, यही तो कह रहा हूं। वह क्यों आ रहे थे?

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई, क्यों आ रहे थे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): वह यहां पर्यटक बनकर नहीं आ रहे थे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम है कि प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है। फिर भी

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

आपने सहृदयता दिखाते हुए मौका दिया। नियमानुसार तो इस पर चर्चा नहीं की जा सकती फिर भी आपने इनको मौका दिया है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने राजशाही के खिलाफ बता दिया, बात खतम हुई, चलिए। श्री श्रवण कुमार। (व्यवधान) श्री श्रवण कुमार। आपने यह कह दिया राजशाही के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था, बात खतम।

श्री अमराराम (धोद): कृषि मंत्रीजी कह रहे हैं कि फसल डाइवर्जन हुआ है, 2000-2001 में सरसों हुई है 1 लाख 47 हजार क्विंटल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फसल वाली बात नहीं है स्थगन प्रस्ताव में।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आपके जाने के बाद वहां फसल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने वहां जाकर गड़बड़ी पैदा कर दी। आप कहते हैं घड़साना, घड़साना, घड़साना है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको जो बात कहनी थी, वह कह दी। आपको तीन मिनट मिले हैं। ...(व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): इनको सीकर की ज्यादा चिन्ता नहीं, घड़साना की ज्यादा चिन्ता करते हैं क्योंकि डीलिमिटेशन में इनकी कांस्टीट्युएंसी चली गई है। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनट ही नहीं बोला, उससे पहले तो हमारे कृषि राज्य मंत्रीजी बोल गए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) अमरारामजी का अंकित नहीं होगा।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): कैनाल में पिछले दस साल से कहीं ज्यादा अबकी बार पानी चला है। ...(व्यवधान)... साढ़े तीन रोजा बारी करने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया था। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): ×××

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान) अब अंकित नहीं हो रहा। आपने पांच मिनट ले लिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: वह तो तब खड़े हुए हैं जब रोकने की बात, राजशाही से तुलना कर दी, सारे आपके विषय आ गए। जब आप ईर्रेलेवेंट बोलने लगे तब वह खड़े हुए। रेलेवेंट बात पर सब चुप थे। जब तक आपने रोकने की बात की तब तक तो ठीक था, सब चुप बैठे थे।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): ×××

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बोलूं कहां से? मैं क्या करूंगा? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप भी विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ××× .(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप जिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के नाते ही मैंने आपको समय दिया था। वर्ना नियम यह था कि एक बार जो बात सदन में उठा दी जाती है वह बात दुबारा नहीं आ सकती, दुबारा नहीं उठाई जा सकती। फिर भी चूंकि किसानों का मामला था और आप एकमात्र सदस्य हो, आपके प्रोटेक्शन देने का भी सवाल था इसलिए मैंने आपको तीन मिनट का समय दे दिया। अब आप प्लीज अपने स्थान पर बैठें।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: एक बार जो बात उठा दी जाती है नियमानुसार वह बात दुबारा नहीं उठाई जा सकती, फिर भी आप बोल लिए तीन मिनट।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: बोल लिए न, क्या करें? सारा दिन बोलेंगे क्या?

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष : आप जब तक रेलेवेंट रहे तब तक कोई नहीं बोला। जब आप फसल पर आ गए, इतनी फसल, उतनी फसल, आपका विषय था रोकने के बारे में, तब तक कोई नहीं बोला, सब लोग चुप रहे।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले चर्चा कब हुई? गवर्नमेंट का व्यू ...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सैकण्ड। आपका प्रस्ताव था राजधानी में रैली के लिए प्रवेश नहीं करने देने के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: नीचे क्या पढ़ूं? यही तो है। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: वो किसी के लिए भी आ रहे हों, रोकने के संबंध में है। ...(व्यवधान) आपका मुद्दा केवल उनको रोकने के संबंध में था कि उनको रोकना गलत था, असंवैधानिक था, अनियमित था। वह सब आपने कह दिया, और क्या चाहते हैं आप? ...(व्यवधान) कह तो दिया। आपने कह दिया, असंवैधानिक है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, आप बोल गये। और क्या चाहते हैं अब आप?

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था हो गई। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के राज में जयपुर रियासत के खिलाफ शेखावाटी के किसानों का आंदोलन चल रहा था उसमें आपके फादर भी थे।

श्री अध्यक्ष: मेरे फादर हजारों की तादाद में नहीं आते थे, डेलीगेशन 10-15 आदमियों का आया करता था और वे मिला करते थे। हजारों की तादाद में तब नहीं आते थे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं इस बात को जस्टीफाई नहीं कर रही हूं। मैं सरकार की इस बात को जस्टीफाई नहीं कर रही हूं कि उनको रोका। मैं जस्टीफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं आपसे बात कह रही हूं कि आपने जो रोकने के संबंध में अपना स्थगन प्रस्ताव दिया वह आप बोल चुके हैं। अब आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप भी फर्मा दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस जमाने में जब रियासतों का, जागीरदारों का और अंग्रेजों का राज था, उस समय भी जयपुर में आने के लिए किसी ने रोका नहीं।

श्री अध्यक्ष: डेलीगेशन आते थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उस जमाने में प्रधान मंत्री से मिले, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले, शिकायतें सुनी गई तो आज किसान की बेटी विधान सभा की अध्यक्षता करे..

श्री अध्यक्ष: मैं कोई जस्टीफाई नहीं कर रही हूं इस काम को कि रोका। मैं रोकने को जस्टीफाई नहीं कर रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज किसान की बेटी विधान सभा की अध्यक्षता करे और किसान की बात यहां उठायी जाए और, अध्यक्ष महोदया, आप सरकार से स्टेटमेंट नहीं दिला सकती। आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट दिलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विल यू लाइक। ठीक है, फिर विराजें, वे दे रहे हैं। वे स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्यों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: नियमों को कोट करने का सबको अधिकार है। वे नियम बता रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, आप नियम बता दें। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्षः अब आप शांति से सुनिए। ध्यानपूर्वक सुनिए, प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं कि जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उस लोकतांत्रिक अधिकार पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात न हो। आपकी भावना के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं। मैंने व्यक्तिगत आपसे बात की। आपने 13 तारीख को अपनी पार्टी की तरफ से एक दरख्वास्त लगायी सिटी मजिस्ट्रेट को और उसमें आपने लिखा था कि हम अमरूदों के बाग़ में एक रैली का आयोजन करना चाहते हैं। 14 तारीख को ही एडीएम ने आपको वापस पत्र का जवाब दिया। ''सूचित किया जाता है, कृपया उक्त आदेश के मद्देनजर 22 फरवरी, 07 को अमरूदों के बाग़ में प्रस्तावित रैली का आयोजन न करें तथा उक्त कार्यक्रम विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित करने हेतु विधिवत आवेदन करें।'' हमारी तरफ से सहमति है। मैंने व्यक्तिगत बात की कि आप जिद मत करो क्योंकि सामान्यतः यहां 144 लागू है और 144 लागू होने के कारण से हम आपको अमरूदों के बाग़ की सहमति नहीं दे सकते। पिछली बार जब कांग्रेस की रैली हुई थी तब भी इसमें बड़ी जद्दोजहद हुई। बाद में यह हुआ कि विधान सभा जब चलती है तो वहां हम जंगल में विधान सभा को कहां सुनाएं तो कांग्रेस पार्टी को, कल्लाजी, आपके कहने के कारण हमने बैठकर आपको अलाउ किया था कि विधान सभा जब चलती है उस समय आप कर सकते हैं। हमने इनको भी बताया कि अगर विधान सभा के समय आप यहां आना चाहें तो ठीक है, अमरूदों के बाग में रोक है, आप विद्याधर नगर में करें। पहले भी विद्याधर नगर में इसी प्रकार की दो-तीन रैलियां जो करनी चाही थीं, जैसे जाट महासभा की रैली हुई, वहीं करने के लिए हमने उनसे कहा, उन्होंने वहां की। इसी तरह से सामाजिक न्याय मंच की रैली हुई, उसको भी हमने वहीं किया। आपसे मैंने व्यक्तिगत बात की, मैंने कहा, मैं आपसे बात करने को तैयार हूं, आपकी बात समझने के लिए तैयार हूं, आपकी कोई समस्या हो, उसके बारे में चर्चा करनी हो तो उसके लिए तैयार हूं। अभी तक हमारे पास आपका कोई डिमाण्ड चार्ट आया नहीं, फिर भी आपको अधिकार है, आप रैली करें। लेकिन आपने तो तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया था कि महापड़ाव अमरूदों के बाग़ में ही होगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा। जब आपका यह स्टेटमेंट आया तब हमें लगा कि इस जगह अगर जद्दोजहद हुआ तो यहां की जनता भी परेशानी में आएगी और हमको इसको सम्भालने में बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तकलीफ होती है। हमारी मजबूरी थी। हम आपकी भावना को आहत नहीं करना चाहते थे, आप जरूर करें, लेकिन इतनी बड़ी जगह में जहां जनता के बीच में इस तरह आवागमन में बार-बार, कई लोग कोर्ट में चले गये, पिछली बार आपका जो महापड़ाव लगा था, सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, लोगों ने कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन लगायी कि इसको किसी तरह रोको और उसके कारण दो आर्डर 27 के भी निकले, 144 धारा लागू करने का और फरवरी का भी आदेश निकला। हमने आपसे आग्रह किया था, मैंने निवेदन किया, व्यक्तिगत आपको ढूंढा, टेलीफोन किया था कि आप अपनी रैली जरूर करें, आपको यह अधिकार है। लेकिन आपने थ्रेटनिंग देकर कहा कि चाहे जो करना पड़ेगा, हम यहां करेंगे। तो फिर मेरी मजबूरी हो गई कि मैं ऐसी जगह आपको रोकूं जहां बाकी जन-जीवन को मैं बचा सकूं। इसलिए मैं ने आपको नाले पर ही रोका और आपने भी मेरी मदद की और अपनी बात कहकर आप वहां से चले गये, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं आपके इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहता हूं, न छीनना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर है कि बाकी जनता की शांति व्यवस्था का भी मेरा जिम्मा है और उसके आधार पर मैंने करने की कोशिश की और मैं सोचता हूं यह ठीक था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री श्रवण कुमार।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्षः यह गलत बात है। ...(व्यवधान) यह गलत है तो फिर आपको अधिकार है प्रिविलेज लाएं, नियमों में आइए। अब कुछ नहीं। ...(व्यवधान) आप नियमों में आओ। आप प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ लाओ।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्षः गलत बात है। अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो। आप आसन के आदेश के विपरीत चलते हैं। मर्जी आए जैसे बोलने लगते हैं। यदि उन्होंने असत्य वाचन किया है तो आप प्रिविलेज मोशन लाएं, कौन मना करता है आपको?

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्षः आपने सारी बात तो कह दी। सारी बात तो बता दी, आप इस बात से अड़े हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वहीं जाएंगे।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन से ऐसा करेंगे ..(व्यवधान) आसन आपसे अपेक्षा रखता है कि आप नियमों का पालन करें। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप आसन को मजबूर न करें। श्री श्रवण कुमार।

पिलानी नगरपालिका की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिलानी नगरपालिका में 40 बीघा आसाणा जोहड़ था और कांग्रेस के समय मैंने प्रश्न लगाया था उस समय उसमें स्टे, स्थगन आदेश था और वह स्टे हमने तुड़वाया। अभी उन्होंने जब अभियान चलाया शहरों के अन्दर तो 40 बीघा में 15 बीघा को तो हटा दिया और 25 बीघा रख दिया। 15 हटा दिया था उस पर भी लोग वापस आने लग गये और 25 बीघा को हटाया ही नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं, नगरपालिका पिलानी के पास मात्र एक जगह थी 40 बीघा आसाणा जोहड़ जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया। न उनके ऊपर कोई जाकर कहता है कि हटाओ। पार्टियां आती जाती रहती हैं, कौन-कौन सी पार्टी है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि असामाजिक तत्व असामाजिक तत्व ही होता है, वह किसी पार्टी से लिंक नहीं रखता है, समय आता है तो उससे मिल लेंगे और वह आए तो उससे मिल लेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कि आप ध्यान नहीं देते हो। या तो आपका ध्यान जाता नहीं है पिलानी की तरफ, मुझे मालूम नहीं है। पर मैं यह कहता हूं कि छोर का इलाका है लुहारू से लगता हुआ और गरीब नगरपालिका है, उसकी 25 बीघा जमीन जो अभी अतिक्रमण से पीड़ित है, उसको खाली करवाएं। और आप तत्काल ध्यान देकर के कम से कम 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कहो कि करवा देंगे। आश्वासन देकर आसन पर बैठाते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आश्वासन देकर हम आसन पर बैठना नहीं चाहते। अगर आप इम्प्लीमेंट करके हमें बैठाना चाहते हो तो हम मानते हैं।

(श्री श्रवण कुमार)

आज राजस्थान में तीन चीजें, चार चीजें सब जगह पीड़ित हैं। वे चीजें कौन सी? कृष्ण भगवानजी की तो गाय सबसे पीडित है और हनुमान जी के बंदर पीडित हैं और भगवान के किसान पीड़ित हैं और बी.जे.पी. के कार्यकर्ता पीडित हैं। ये चार चीजें इस राजस्थान में पीड़ित हैं इसलिए आप ध्यान दीजिए। न गाय का कोई रखवाला है, न बंदरों का कोई रखवाला है, बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं का कोई रखवाला है न किसान का कोई धणी है। ये चार चीजें आप पर आधारित हैं, जो आप भगवान को मानते थे, कृष्णजी को मानते थे, हनुमानजी को मानते थे और बी.जे.पी. के आप स्वयं हो ही और किसान के लिए आप कहते थे कि किसान के बड़े हितेषी हैं, पारदर्शी सरकार है। आश्वासन देते हैं, कहती है वह करती है, डन करती है, वह कहां गया आपका डन? कहां कृष्णाजी की गाय गई, कहां बंदर भूखे मर रहे हैं, कहां बी.जे.पी. के कार्यकर्ता परेशान होते जा रहे हैं। ध्यान दो, नहीं तो आपको भी वही दिन देखना पड़ेगा जो हमें देखना पड़ा था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, हेमारामजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष: कह दो आप जो बोलना है। परम्परा तो नहीं है लेकिन बोल दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह बात सही है कि पिलानी में आसाणा जोहड़ जो है वहां 40 बीघा जमीन पर कुछ अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा था।

श्री अध्यक्ष: किसने कर रखा था ?

एक माननीय सदस्य : असामाजिक तत्वों ने।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वह खाली करवा दी गई है कुछ जमीन। जो कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, काफी वर्षो से मकान बने हुए हैं वह जमीन अभी खाली नहीं हुई है। हमने कह दिया है कि नियमानुसार इस पर भी जो कार्यवाही हो, नियमानुसार कार्यवाही करके इसको खाली, मकान ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, जो पुराने मकान बने हुए थे जब आप खाली कैसे करवा सकते हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, खाली नहीं करवाई।

श्री अध्यक्ष: बने हुए थे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बताओ। अगर साढ़े 9 बजे इस चेयर पर आकर कोई बैठ जाएगा तो वह अध्यक्ष महोदय बन जाएगा क्या ? जिस व्यक्ति ने गलती की है आपको उस व्यक्ति को तत्काल हटाना चाहिए था। जिस आदमी ने अपराध किया है, इतने दिन से अपराध करता रहा और उसको आप नहीं हटाते हो तो इसका मतलब तो मेलाफाइड इंटेंशन है आपका।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, नहीं, मैं ये थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप यह कहते हो कि पुराने मकान, काहे के पुराने मकान हैं? चार पहले बना लिए, 5 साल पहले बना लिए और स्टे ले लिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 4 साल पहले के मकान नहीं हैं, वे वर्षों पहले के मकान बने हुए थे। पुराने मकान बने हुए हैं, दो-दो, तीन-तीन मंजिल के मकान बने हुए हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कोई साढ़े 9 बजे आकर बैठ जाएगा तो मंत्री विधान सभा अध्यक्ष बन जाएगा क्या ? क्या बात करते हो ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): फिर भी नगरपालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि नियमानुसार कार्यवाही करे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नियमानुसार क्या? नियम तो आप खुद ही कह रहे हो कि अतिक्रमण है। आप खुद ही कह रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अतिक्रमण है। और मैं सही बता रहा हूं, आपको मालूम है, आप एमएलए थे उस समय कोई अतिक्रमण नहीं था। केवल 5-6 साल से अतिक्रमण हुआ है और स्टे आर्डर लेकर बैठ गये। स्टे आर्डर कैसे जैसे हमने तुड़वाया।

श्री अध्यक्ष: अब तो वहां एमएलए आप ही हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हां, तो मैं हूं। मैं ही बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है ? मेरा देवता बोल रहा है क्या ? मैं ही बोल रहा हूं, और कौन बोल रहा है? सुनने वाले आप हो और मैं ही तो बोल रहा हूं, मेरी छाया थोड़े ही बोल रही है। बोल रहा हूं तो करो। इम्प्लीमेंट करने वाला थोड़े ही हूं मैं, बोलने वाला ही तो हूं, मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, कांग्रेस शासन का हितैषी नहीं हूं। इस बात को मैं कह रहा हूं, अपराधी-अपराधी ही होता है, कांग्रेसं की सरकार हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार हो, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात का हितैषी हूं कि वह कांग्रेस में बनी थी, अपराधी-अपराधी ही होता है, आप हटवाना चाहते हो या नहीं ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हेमारामजी, बोलो।

बाड़मेर एवं जैसलमेर की सम्वत् 2063 की रबी की फसल को वर्षा से भारी नुकसान

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर और जैसलमेर जिले में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जीरे और ईसबगोल की फसल होती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर यह पश्चिम राजस्थान है, जीरे ईसबगोल की फसल सिर्फ इन्हीं जिलों में होती है। इसका कारण वहां पर शुष्क मौसम है, वहां पर साख कम होती है और सूखा मौसम हो वजह से जीरा और ईसबगोल की फसल होती है। जहां नमी है, वहां जीरा ईसबगोल की फसल नहीं होती है इस बार जीरा और ईसबगोल फसल बहुत अच्छी थी, रिकार्ड फसल थी लेकिन दुर्भाग्य से अभी बारिश होने की वजह से जीरे की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, एकदम, बिलकुल ही खतम हो गई। ईसबगोल की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या हुआ, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन ने भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहां जाकर किसी ने भी किसानों को यह नहीं पूछा कि आपकी जीरे और ईसबगोल की फसल की कोई बारिश हुई उससे कुछ नुकसान हुआ क्या? अगर नुकसान नहीं हुआ तो बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले में दूसरे जन प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के हैं, वह कह दें कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह राजनीति कर रहा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर वास्तव में उन किसानों का नुकसान हुआ है तो फिर सरकार को मदद करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मदद करनी चाहिए। पहले तो खराबा रिकार्ड कराएंगे। तो वह तो हैं ही नहीं, राजस्व मंत्री तो हैं नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): कृषि मंत्री बैठे हैं न।

श्री अध्यक्ष: कौन? कहां बैठे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कहां हैं यहां ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी जो भावना व्यक्त की है, लिख ली गई है और इसको निश्चित तौर पर अभी अकाल राहत मंत्रीजी आ जाएंगे, इनसे व्यक्तिश: तौर पर बता देंगे। इसमें क्या है?

श्री अध्यक्ष: पहले तो वहां पर गिरदावरी होगी न, कितना खराबा हुआ, कहां-कहां हुआ तो वह तो राजस्व विभाग ही करेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर में रबी की फसल में दूसरी जगह दूसरी फसल बोते हैं।

श्री अध्यक्ष: वह कह दिया न, करेंगे, कराएंगे, कह दिया न उन्होंने। मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे साहब, मैं आपको ठीक कह रहा हूं। यह इनके करने की कुछ मंशा होती तो यह हाजिर रहते और कुछ जवाब भी देते। इन्होंने कोई रिपोर्ट भी मांगी है क्या प्रशासन से? यह तो विधान सभा जैसे ही शुरू हुई...

श्री अध्यक्ष: सुनो इनकी बात, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर सुनो, इनकी बात। यह कहते हैं कि मेरी बात पर गौर नहीं कर रही है सरकार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने इनको बीच में ही खड़ा कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि मंत्री आज हैं नहीं इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आपकी गवर्नमेंट की जो ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, सीनियर मिनिस्टर बैठे हैं, गृहमंत्री जी इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पीएडी मिनिस्टर भी, कल आप कह रहे थे ग्रास-रूट के मिनिस्टर हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, वह भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: सीएम के भी बहुत नजदीक हैं, आप कह रहे थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर भी काम्पीटेंट हैं, कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी 28 तारीख को जब दौरे पर गई थीं तब भी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, आपकी भावना से हम अवगत हुए हैं। निश्चित तौर पर इस बारे में विचार चल रहा है, कानून के अनुसार जो कुछ भी इसमें कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है, निश्चित तौर पर की जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अमरारामजी कुछ कहना चाहते हैं क्या ? कह दो, अमरारामजी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष: कह दिया न उन्होंने, मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): वह बाड़मेर जिले के मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मंत्री क्या कहेगा ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अमरारामजी, क्या नुकसान नहीं हुआ, इस जीरे की फसल में हुआ है न ?

श्री अध्यक्ष: वह कह दिया न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, ज्ञापन मिला है, ज्ञापन का परीक्षण हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय स्वयं वहां गयी थीं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित तौर पर किसानों के हित में किया जाना सम्भव होगा, वह किया जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा मुख्य मंत्रीजी स्वयं वहां पर 28 तारीख को आईं। मुझे मालूम है मुख्य मंत्रीजी स्वयं 28 तारीख को वहां पर आईं उसी दिन बारिश हुई, उससे पहले बारिश हुई थी, उस दिन और बारिश हो गई जिस दिन मुख्य मंत्रीजी आईं, थोड़ी बहुत फसल जो पीछे बची थी...

श्री अध्यक्ष: श्री जीतेन्द्र सिंह। Are you sleeping? I have called your name.

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उस दिन बारिश हुई और बारिश होने

(श्री हेमाराम चौधरी)

से वह भी चौपट हो गई, सब कुछ साफ हो गया। उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी ने किसानों से इस बारे में बात तक नहीं की।

(13.00 बजे)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): वहां फसल का जो नुकसान हुआ, उसकी अभी तक किसानों की कोई भरपाई नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ....कि हम गरीब की चौखट पर जाते हैं, गरीब के आंसू पोंछते हैं। पर वहां पर उन किसानों से बात तक नहीं की, कोई उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया, कोई उनकी सुध नहीं ली। किसान बहुत दु:खी हैं, बहुत परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): नागौर जिले के तीन-तीन मंत्री यहां विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र सिंह। (व्यवधान) अब आप विराजें। आपने पूरे 10 मिनट ले लिये, अब आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में परबतसर, मेड़ता, डेगाना, नावां, कुचामन, मकराना में भी ओलावृष्टि हुई है, उन किसानों को भी राहत मिले। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...जीरा खराब हो गया लोगों का, जो फसलों का नुकसान हुआ है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का इस समय सर्वे हो रहा है कि क्या है, क्या नहीं है, कह दिया न उन्होंने।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह कब तक जवाब दे देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कब तक तो मैं नहीं कह सकती। कहा है कि ज्ञापन मिला है, ज्ञापन का सर्वे हो रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पर कोई समय सीमा तो हो। इसका तो साल भर ही आपका सर्वे नहीं होगा। सर्वे हो गया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, परबतसर विधान सभा क्षेत्र और नागौर क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप सर्वे की बात कर रहे हैं, एक मिनट, मैं आपसे निवेदन करूं कि खरीफ की फसल की जो गिरदावरी हुई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बाड़मेर जिले में 8 तहसीलें हैं, 8 में से सिर्फ एक गुढामालानी तहसील ऐसी है जिसमें एक भी गांव में खराबा नहीं दर्शाया, बाकी सातों तहसीलों में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ×××

श्री अध्यक्ष: आप क्या बोल रहे हो? बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। फिर खड़े हो गये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है जितेन्द्र सिंह। आपका नाम नहीं पुकारा। प्लीज स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैंने नाम पुकारा है जितेन्द्र सिंह।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री अध्यक्ष: खड़ा होकर ऐसे नहीं बोलते। जो कोई यहां पर देता है उस सम्बन्ध में बोला जाता है, यह है व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल नहीं। यह क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हां, बोलिये।

अलवर कोर्ट में हुई ए.सी.बी की ट्रैप कार्यवाही कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दिनांक 22.2.2007 को लगभग 12 बजे ए.सी.बी. की टीम, एंटीकरप्शन की टीम अलवर कोर्ट में पहुंची और रंगे हाथ कुछ कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जो वकीलों के पहली मंजिल पर चैम्बर बने हुए हैं, ई टीवी और दूरदर्शन की टीम के श्री कनिष्क शर्मा और अमित भारद्वाज उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। वहां से कुछ कर्मचारी और उनके साथ अन्य लोग पहली मंजिल पर पहुंचे और जब मीडिया की फोटोग्राफी चल रही थी तो उनको देखकर उनके कैमरे को लेकर जमीन पर पटक-पटक कर तोड़ा ही नहीं, चूरा-चूरा कर दिया। उसके बाद एक फोटोग्राफर को, एक जर्नलिस्ट को चार लोगों ने उठाया और पहली मंजिल पर ले गये, खिड़की से नीचे फेंकने के लिए तैयार थे, उसी टाइम पुलिस और कुछ और जर्नलिस्ट वहां पहुंचे और उस जर्नलिस्ट को छुड़ाया, बचाया। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मीडिया के लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, कोई सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अगर सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो मीडिया को बैन कर दो और सबसे पहले यहां से बैन कर दो। मेरा निवेदन यह है कि जब यह सारी घटना चल रही थी, वो लोग भागे, 10-20 लोग तो थे नहीं। जो इलाका है, अध्यक्ष महोदय, जितनी दूर गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं उतनी दूर पर पुलिस के एस.पी. बैठे हुए हैं, दो-दो एडिशनल एस पी बैठे हुए हैं, डी.एस.पी. बैठे हुए हैं और हजारों पुलिसकर्मी वहां थे, उन्होंने उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया।

(समय : 13.05 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह बात सही है कि इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और उनको अरेस्ट किया। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी भी बात कर रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये लोग हैं, मिस्टर कनिष्क शर्मा और अमित भारद्वाज, ये फ्री-लांसर हैं, मतलब चैनल की तरफ से इनको कैमरा नहीं मिलता है, बहुत गरीब लोग हैं, इनका डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी भरपाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा ही एक प्रकरण 2005 में जयपुर के अन्दर हुआ था। मोती डूंगरी के ऊपर एक

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जुलूस निकल रहा था वहां भी इस तरह से एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी, कैमरा तोड़ा गया था और उसकी भरपाई सरकार ने की थी। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार भरपाई करे। ये बहुत गरीब लोग हैं। उसकी वजह से आज 15 दिन से अलवर की कोई न्यूज नहीं आ रही है, कोई खबर नहीं आ रही है। इससे पत्रकारों को आत्मबल मिलेगा। आज वहां का मीडिया है वह बिलकुल एक तरह से डरा हुआ है, भयभीत है कि कहीं भी जाकर फोटोग्राफी करें, कोई भी आंदोलन के अंदर जाएं तो उनका कैमरा टूट सकता है, उनके साथ किसी तरह से मिसबिहेव हो सकता है। ऐसा ही प्रकरण अभी दो दिन पहले इस विधान सभा के अन्दर उठा था। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि ऐसा आगे नहीं हो। आज अलवर में हुआ है उससे पहले अलवर में एक और मामला हुआ था, उसके बाद अभी कलेक्ट्रेट के अन्दर जयपुर में हुआ है, ऐसे मामले राजस्थान के अन्दर, हर जिले के अन्दर नहीं हों, इसकी भी व्यवस्था माननीय गृह मंत्रीजी करें। प्रदर्शन हों, इस तरह के कोई कार्यक्रम हों जिसके अन्दर इस तरह का कोई झगड़ा होने का अंदेशा हो तो वहां आप अपने पुलिसकर्मियों को निर्देश करें, वहां के एस.पी. को निर्देश दें कि आपके कुछ लोग, 4-5 सिपाही मीडिया के लोगों के साथ होने चाहिए जिससे कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया को कहते हैं कि मीडिया निष्पक्षता से, निर्भीकता से अपना काम करे। पर जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से देखते रहे हैं जहां कहीं भी मीडिया जाता है उसके ऊपर या तो आरोपी हमला कर देते हैं या जिसकी वो चोरी पकड़ते हैं वो कर देते हैं। क्या राज्य सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही है, ऐसे नियम या कानून बनाने जा रही है कि जो ये मीडियाकर्मी हैं इनकी सुरक्षा हो? इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सरकार कोई ठोस कदम उठाने का सोचती है या नहीं सोचती है?

श्री उपाध्यक्ष: कह रहे हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि अब वो समय आया है कि आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर जिसकी मर्जी आएगी, मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह नहीं पाएगा। गृह मंत्रीजी, आज तो हम इधर बैठे हैं, कल को आप इधर बैठे तो फिर आपकी भी बात नहीं आ पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप गई आपकी बात। माननीय मंत्रीजी से जवाब लेने दीजिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपन बात कर रहे हैं फ्रीडम आफ स्पीच की, स्पीच तो सरकार इनकी रोक रही है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां हुई है?

श्री उपाध्यक्ष: आप बात तो सुनें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि ट्रेप करने के लिए वहां टीम गई थी। जब ट्रैप की टीम जाती है तो सामान्यतया बाकी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है कि कैसे ट्रैप होगा। मीडिया को कैसे जानकारी थी, यह... (व्यवधान) एक सैकिण्ड, मेरी बात पूरी सुन लें। वास्तव में घटना हुई, निश्चित रूप से उनका कैमरा तोड़ा, उनके साथ उन्होंने मारपीट की, ऊपर से फेंकने के लिए भी कहा। पुलिस का हमारा जो एस.आई. था, वह मौके पर वहां नीचे ही था, वह भागकर के ऊपर गया और उसने बचाया। मुकदमा उसी समय दर्ज हुआ, उसी समय चार लोग गिरफ्तार हुए, उनकी बाद में जमानत हुई। 8 लोग अग्रिम जमानत करके उसमें छूटे। तो पुलिस ने जो कार्यवाही उनको मुकदमा दर्ज करके करना है, उसमें तो उन्होंने की। रहा सवाल कम्पनसेट करने का, तो अगर कोई ऐसे नियम हैं जिनमें मदद की जा सकती है तो जरूर विचार होगा, और अगर नहीं हैं तो मैं आपको केवल आश्वासन देकर इस बात को खतम नहीं करना चाहता। अगर नियमों के तहत कहीं संभव होगा तो जरूर विचार करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आगे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? गृह मंत्रीजी, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। गृह मंत्रीजी से मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह मामला हुआ था, जब यह ए.सी.बी. की टीम पहुंची थी तो मीडियाकर्मियों को मालूम नहीं था। जब वहां उनको ए.सी.बी. की टीम ने पकड़ लिया था, वहां हजारों लोग कोर्ट परिसर के अन्दर इकट्ठे हो गये थे तब किसी ने मीडिया को फोन किया था, मीडिया वाले तो सामने ही थे। जितनी दूर आप बैठे हैं उतनी दूर एस.पी. आफिस है। उसी टाइम सब लोग देख रहे थे, हजारों लोग इकट्ठे थे, पुलिस का सब प्रशासन वहां था, तब जाकर वे लोग भागे, जब तोड़े, तब जाकर वहां पुलिस

(श्री जितेन्द्र सिंह)

क्यों नहीं पहुंची? बाद में तो आपने कार्यवाही कर ली, उसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। उस समय क्यों नहीं पुलिस टाइम पर वहां पहुंची?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे घटनाक्रम हैं जो अचानक हो जाते हैं। श्रीगोपाल जी बाहेती।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे के लिए क्या करना चाहते हो इन मीडियाकर्मियों के लिए, इसलिए ये तो कुछ बोलें। माननीय गृह मंत्रीजी, ऐसी घटनाएं नहीं हों, उसके लिए तो कहो।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी गृह मंत्रीजी से एक बात कहना चाहूंगा कि आज से सात दिन पहले भरतपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष को बुरी तरह मारा-पीटा गया। वह जन प्रतिनिधि है, कामां पंचायत समिति का प्रधान भी है, सात दिन से आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार का उन गुंडों को संरक्षण प्राप्त है या आप कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आगे के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो, मेरा निवेदन यह है?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): पुलिस ने सात दिन तक भाजपा के जिलाध्यक्ष की पिटाई होने पर कार्यवाही नहीं की, जो कामां पंचायत समिति का प्रधान भी है, मुल्जिम सरे आम घूम रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यह भाजपा की बात को तो आप अपने आप कर लें लेकिन आप यह बता दें कि आगे के लिए ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है सरकार?

श्री उपाध्यक्ष: श्रीगोपाल जी बाहेती।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अपना सत्र चल रहा है, अब तक जो अपने पास पुलिस का बेड़ा है, जो अपना अब तक का काम है, वह आपको भी पता है, आप भी राज में रहे हो, और मुझे भी पता है। अभी तक तो जो मेरे पास है, उसके आधार पर मैं जो-जो भी कर सकता हूं, वह मैं कर रहा हूं। अगले दिन जब बहस होगी तो उस समय यह चर्चा उठाएं, सरकार इसके लिए आगे से और क्या व्यवस्था कर सकती है, उस दिन अगर कोई सरकार की बात बनेगी तो मैं जरूर बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती। राजस्थान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में किस बात के लिए?

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): यह इसी बात को लेकर कि जब मीडिया पर हमला हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिन से...

श्री उपाध्यक्ष: खतम हो गई बात, चर्चा समाप्त हो गई। इस पर आपको परमिशन नहीं दी गई है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है आपका।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप गृह मंत्रीजी से मिल लें।

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक स्तरीय स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा में रोल नम्बर व प्रवेश पत्र की अव्यवस्था

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल बी.ए. स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा प्रारम्भ हुई थी, राजस्थान के सात जिलों के करीब 300 केन्द्रों पर छात्रों के रोल नम्बर नहीं पहुंचे और उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बहुत-से छात्र इम्तिहान देने से वंचित रह गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब छात्रों को यह कहा गया कि परीक्षा फार्म की रसीद दिखाने के बाद आपको एंट्री दे दी जाएगी। उन्होंने दिखाया तो भी उन्हें एंट्री नहीं मिली। पूरे राजस्थान के अन्दर सात जिलों के हजारों छात्र इस बात से वंचित रह गये, वे परीक्षा नहीं दे पाये। किस प्रकार से सरकार का यह गुड-गवर्नेंस है? महाविद्यालयों में जहां इतनी बड़ी परीक्षा होती है, वहां सात जिलों के अन्दर 300 केन्द्रों पर ऐसी अव्यवस्था हो जाए और सरकार उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

देखिये आज के अख़बार में आया कि सैकड़ों छात्र परीक्षा नहीं दे पाये। इन छात्रों का साल खराब हुआ है। बच्चे आपके भी हो सकते हैं, बैठने वाले मेरे छोटे भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, छात्रों का एक साल खराब करना, यह सरकार का इतना बड़ा क्रिमिनल स्टैप है कि सरकार या तो उनकी पुन: परीक्षा करने की व्यवस्था करे या सरकार इन्हें आगे कोई पास करने की व्यवस्था करे। जो अधिकारी इस बात के लिए दोषी रहे, जिन्होंने लापरवाही की कि रोल नम्बर, एडमिशन फार्म वहां नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, यह शिक्षा मंत्रीजी बताने की कृपा करें? इस बात को सुनिश्चित करें कि जो विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गये हैं, उनका साल खराब नहीं हो। उनके साल को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य का जब स्थगन प्रस्ताव आया था तो मैं भी इससे बड़ा चिंतित था कि इस प्रकार की घटना घटित हो जाए। पहले तो, माननीय सदस्य, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय सारी व्यवस्था करता है-परीक्षा केन्द्र कायम करना, पेपर भेजना, प्रवेश-पत्र देना। यह विश्वविद्यालय करता है, सरकार नहीं करती है। अब मैं आपको इसकी स्थिति बता देता हूं। यह राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सात जिलों जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनूं और सीकर में स्नातक स्तरीय परीक्षा कल से प्रारम्भ हुई थी। शुरू वाली परीक्षा में लगभग 2000 नियमित छात्र हैं तथा लगभग 1.18 लाख स्वयंपाठी छात्र हैं। इस हेतु कुल 206 परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी। नियमित छात्र वोकेशनल से हैं, स्वयंपाठी सामान्य हिन्दी, राजनीति विज्ञान आदि सब्जैक्ट्स से हैं। सभी प्रवेश पत्र परीक्षा केन्द्रों पर 2.3.2007 को पहुंच चुके थे, नम्बर एक। अखबारों में विज्ञप्ति एवं नोटिस जारी कर बोर्ड पर प्रति लगा दी गई थी। सारे समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, भास्कर, नवज्योति में सारे रोल नम्बर सहित बता दिया गया था कि किस-किस का परीक्षा केन्द्र कहां पर है और किस-किस का रोल नम्बर कहां पर उपलब्ध है। यह कागज मेरे पास है, नम्बर एक।

इसी प्रकार से सभी कालेजों में 206 बोर्ड पर इसको लगा दिया गया था। 400-500 ऐसे छात्र स्वयंपाठी थे, उन लोगों की प्रवेश पत्र नहीं मिलने की शिकायत आई थी। यह सुबह अख़बार में छपी थी। रात को ही मेरे पास इसकी शिकायत आ गई थी। शिकायत प्राप्त सभी को डुप्लीकेट प्रवेश पत्र यहां से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिलवा दिये गये थे परीक्षा से एक दिन पहले, नम्बर एक। विद्यार्थियों को इसकी परेशानी न हो, इस हेतु 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी खुला दिया गया था। इसके साथ ही इसकी एक और व्यवस्था की, मान लीजिये, विद्यार्थी को प्रवेश पत्र भी नहीं मिला, उसके ऊपर भी नहीं लिखा, फिर उसके पास अगर फार्म जमा कराने की रसीद है तो हमने एक प्रोफोर्मा बनाकर तुरन्त सभी प्रिंसिपल्स को भिजवा दिया था जिसमें डिक्लेरेशन के आधार पर, केवल दस्तखत करने पर उनको फिस्टीशस रोल नम्बर अलाट कर दिये गये थे ताकि एक भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहा। सभी 206 केन्द्र, जितने भी हैं, उन सभी 206 केन्द्रों की मेरे पास रिपोर्ट है, जितने परीक्षार्थी थे, फार्म जिन्होंने भरे थे, जिनके फार्म सही पाये गये थे और जिनके रोल नम्बर वहां लग गये थे, एक भी परीक्षार्थी बैठने से वंचित नहीं रहा। फिर भी यदि आपके पास कोई इस प्रकार की शिकायत हो या सदन में मेरे पास कोई शिकायत आएगी कि बिना रोल नम्बर के कारण से या प्रवेश पत्र के कारण से वंचित रह गया तो उसकी व्यवस्था की जाएगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके इस प्रकार की कार्यवाही भी की जाएगी, नम्बर एक।

एक बात और उठी थी, उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। एक अख़बार में भी आज छपी है कि चिड़ावा में कोई परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। ऐसा नहीं है। मैं उसको बता देता हूं। कल दिनांक 7.3.2007 को विश्वविद्यालय के स्वयंपाठी छात्रों की बी.ए. प्रथम वर्ष की सामान्य हिन्दी की परीक्षा थी। गलती से प्रथम वर्ष बी.ए. पार्ट प्रथम का सामान्य हिन्दी के स्थान पर सामान्य अंग्रेजी का प्रश्नपत्र खुल गया। तत्काल प्राचार्य को मय रिकार्ड जयपुर बुलाया गया और तत्पश्चात् कुलपति महोदय से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि प्रथम वर्ष सामान्य अंग्रेजी की दिनांक 9.3.2007 को होने वाली परीक्षा में वर्तमान प्रश्नपत्र को निरस्त करते हुए दुबारा प्रश्नपत्र तैयार कर 9.3.2007 को ही परीक्षा केन्द्र पर पुनः परीक्षा होगी। सारे परीक्षा के जो पेपर थे, वे पहुंचा दिये गये हैं। गलती से जिस कालेज में खुल गया है, उस कालेज के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और इसका जो खर्चा आएगा, वह भी उसी कालेज से वसूल किया जाएगा। यह व्यवस्था भी कर दी गई है ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो। पेपर भी सारे चले गये हैं। और वह पेपर खुला भी नहीं था लेकिन एहतियात के तौर पर क्योंकि हिन्दी की बजाय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह कोड नम्बर गलत होने से काट दिया था और काटने के कारण से वह कर दिया गया। इसलिए बाहेतीजी, आप निश्चिंत रहें। स्वयंपाठी छात्रों में कोई भी छात्र प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा से वंचित नहीं रहा है, यह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, आपने कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है और फार्म नहीं पहुंचे हैं और उसके बाद भी आपने जो आश्वासन दिया, वह ठीक है लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ सामान्य बात नहीं है। यह देखिये, यह अखबार में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यह आप केवल अख़बार के आधार पर कह रहे हैं। मैं समाचार-पत्रों का बड़ा सम्मान करता हूं। (व्यवधान) व्यक्तिगत रूप से भी आप मुझे यह पूछ लेते तो मैं भी आपको स्पष्टीकरण कर देता। आपने ज्यों ही स्थगन प्रस्ताव लगाया, मैंने सबको बुलाया, सारी बात कर ली, एक-एक का विवरण ले लिया और मैं सदन में जो बोल रहा हूं, वह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इससे ज्यादा विस्तृत विवरण दिया भी नहीं जा सकता।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फुलेरा के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान

श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव रख रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फरवरी माह के अंतिम व मार्च माह के प्रथम सप्ताह में कई गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। मेरे क्षेत्र के मण्ढा भीमसिंह, भैंसलाना, भादवा गांव में हुई ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना व अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पशुधन की भी भारी हानि हुई है। इसके साथ मकानों, पेड़-पौधों का भी नुकसान हुआ है। इस

(श्री नवरतन राजोरिया)

ओलावृष्टि से उक्त गांवों के लगभग 700 परिवार प्रभावित हुए हैं। अतः नियम 295 के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय सहायता मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त गांवों में हुए नुकसान का आकलन कराया जाकर प्रभावितों को नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त मुआवजा दिलाया जाए। इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में सरकार के सहायता मानदण्डों के अनुसार जो राशि स्वीकृत की जाती है वह वास्तविक नुकसान के मुकाबले अत्यन्त कम रहती है। अतः इस सहायता राशि को भी बढ़ाये जाने के लिए मानदण्डों में परिवर्तन करने की कृपा करें। धन्यवाद।

निवाई के श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का सरकारीकरण

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को राज्याधीन करने के संबंध में।

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सन् 1944 से संचालित है जिसे राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है। वर्तमान में टौंक जिले का एकमात्र संस्कृत विद्यालय उपाध्याय स्तर का कार्यरत है। वर्ष 1993 में इस संस्था का पैनल निरीक्षण राज्याधीन करने बाबत किया गया जिसमें रायबहादुर सेठ सूरजमल शिवप्रसाद प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, पिड़ावा एवं विठ्ठल भाई आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, कोटा को वर्ष 1999-2000 में राज्याधीन कर लिया गया जब कि इस संस्था को राज्याधीन करने से वंचित रखा गया। पुनः 26.4.2003 को पैनल निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात् निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग ने भी संस्था को राज्याधीन करने के लिए दिनांक 6.12.2004 को अभिशंशा की परन्तु इस संस्था को बार-बार निरीक्षण कर राज्याधीन करने से वंचित किया गया।

यदि इस संस्था को राज्याधीन किया जाता है तो अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन मूल्यांकन अनुमानित मूल्य रुपये 14.70 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति एवं छात्र कोष 40 हजार रुपये, भविष्य निधि कोष 17,89,016 रुपये, एफ.डी.आर. 72,497 रुपये कुल सम्पत्ति 37 लाख 71

(श्री हीरालाल)

हजार 513 रुपये मात्र एवं प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ 2064 पुस्तकें, क्रीड़ास्थल एवं अन्य सम्पत्तियां हैं। यदि इस संस्था को राज्याधीन किया जावे तो प्रति माह मात्र 8004 रुपये का अधिभार आता है। वर्तमान में इस विद्यालय में गरीब, अनुसूचित जाति/जनजाति के 450 छात्र अध्ययनरत हैं। यदि संस्था को राज्याधीन नहीं किया गया तो एकमात्र जिले का संस्कृत उपाध्याय स्कूल आगामी सत्र 2007-08 से बंद हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस संस्था को राज्याधीन करने हेतु राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उक्त संस्था की परिसम्पत्तियों को देखते हुए तुरन्त राज्याधीन करने की कृपा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि संस्था द्वारा छात्रों से कोई मासिक फीस नहीं ली जाती है। संस्था भी इस संस्था को राज्याधीन करने हेतु प्रस्ताव दे चुकी है। संस्था के पास वर्तमान में अध्यापकों की संख्या घटकर 3 अध्यापक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं एक पीटीआई तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें विगत दो वर्षों से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। संस्था में कार्यरत स्टाफ भूखों मरने जैसी स्थिति में है। अतः मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एकमात्र संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को राज्याधीन कर गरीब, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के छात्रों को अग्रिम अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देंगे तथा कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को भूखों मरने से बचाएंगे।

चूरू की राजगढ़ तहसील के अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राजगढ़ (चूरू) तहसील में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का काश्तकारों को मुआवजा दिलवाने बाबत निवेदन है कि गत दिनों चने, सरसों एवं गेहूं की फसल पर अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो गया है। रामपुरा, भैंसली, खुडियांवास, नवां बेबड़, किरताण बीराज, बालाज, खैरू बड़ी, छोटी, बीसलाज मदाउ, गुलपुरा, लुटाणा, लूदी आदि गांवों में चने, गेहूं, सरसों की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, किसानों को भारी नुकसान हो गया है। कृपया नुकसान का मूल्यांकन

(श्री नन्दलाल पूनिया)

कर काश्तकारों को उचित मुआवजा अतिशीघ्र दिलाने की कृपा करें। नुकसान का मूल्यांकन करने में भी राजस्व अधिकारी भेदभाव करते हैं, नुकसान का सही मूल्यांकन करवाया जावे एवं मुआवजा दिलाया जावे।

महोदयजी, अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के मापदण्ड को भी संशोधित किया जावे। अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा लघु, सीमांत एवं बड़े काश्तकारों को भी दिया जावे। बड़े काश्तकारों को भी नुकसान हुआ है, उनको वंचित नहीं किया जावे, सभी को मुआवजा दिया जावे।

महोदयजी, फसल के हुए नुकसान के कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। अतः काश्तकारों के कृषि के कुओं के बिजली के बिल माफ किये जावें। साथ ही फसली ऋण एवं अन्य ऋण की वसूली स्थगित की जावे, सहायता की सीमा दो हैक्टेयर तक देने की है, वह हटाई जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री जीतराम।

मालपुरा नगरपालिका द्वारा आबंटित लीज का नवीनीकरण

श्री जीतराम (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान नगरपालिका मालपुरा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में दिनांक 23 मई, 1946 को नवीन भारत इण्डस्ट्रीज को 32 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व विभाग द्वारा आबंटित की गई थी। किन्तु इस भूमि को जिस उद्देश्य के लिए आबंटित किया गया था, गत 25-30 वर्षों से उस उपयोग में नहीं लिया जा रहा है और इसकी लीज अवधि भी वर्ष 1981 में समाप्त हो गयी थी। उसके उपरांत भी जिला कलक्टर, टौंक द्वारा नियमों की अवहेलना कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाते हुए आगामी 30 वर्षों के लिए उन्हीं दरों पर नवीनीकरण कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी समस्त भूमि नगरपालिका को हस्तांतरित होकर नगरपालिका के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि को भी शीघ्र नगरपालिका मालपुरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर इसकी नीलामी करवायी जाए और नीलामी से प्राप्त आय को मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

नागौर जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से नागौर जिले में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के बाबत निवेदन है कि नागौर जिले के मेड़ता, मूंडवा, खींवसर, नागौर, डीडवाना, जायल, डेगाना क्षेत्रों में गत दिनों अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों, जीरा, ईसबगोल, गेहूं की फसलें बिलकुल बर्बाद हो चुकी है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि फसल के हुए नुकसान का मूल्यांकन कर किसानों को मुआवजा दिलाया जावे। इस नुकसान के कारण बिजली के बिल भरने व ऋण भरने में कठिनाई आ रही है, अतः छह महीने के बिजली के बिल माफ किये जावें व बैंकों के ऋण की वसूली स्थगित की जावे। उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्षः श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर।

शहीद स्मारकों के निर्माण व्यय का भार

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान की सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों/वर्तमान सैनिकों, शहीदों के आश्रितों एवं युद्ध विधवाओं को समय-समय पर विभिन्न पैकेजों के माध्यम से दी गई राहत के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। इसी संदर्भ में अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न युद्ध/आतंकवादी गतिविधियों में हुए शहीदों के स्मारक उनके आश्रितों द्वारा पारिवारिक एवं सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है जिससे शहीद के परिवार पर एक बड़ी राशि का अनावश्यक व्यय भार पड़ता है। राज्य सरकार ने शहीद स्मारक निर्माण के लिए अलग से किसी योजना में निर्माण कराने का प्रावधान नहीं किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिस परिवार का एक मुखिया देश की सेवा करते हुए देश की आन, बान और शान के लिए मर मिटता है, ऐसे सैनिकों का शहीद स्मारक विधायक कोष

से निर्माण करवाये जाने का प्रावधान किया जावे ताकि शहीद के परिवार पर अनावश्यक व्यय भार न हो तथा आश्रितों की भावनाओं के अनुरूप शहीद का स्मारक भी तैयार हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): पाइन्ट आफ आर्डर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विधान सभा की सुरक्षा की बात है...

श्री उपाध्यक्ष: दो चार हो जाएं। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): एक पुलिसकर्मी शराब पीकर पत्रकार दीर्घा के बाहर पड़ा हुआ है और वह शराब पीकर बिलकुल युत है, बिलकुल लेटा हुआ पड़ा है...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आराम करने दो, उसको आराम करने दो (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): पूरी विधान सभा की सुरक्षा का सवाल है। गृह मंत्रीजी, शराब पीकर आपका पुलिसकर्मी इस तरह पत्रकार दीर्घा के बाहर पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: सुरक्षाकर्मी संभाल लेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यह सुरक्षा कर रहे हैं, यह हम देखकर आये हैं। हम खुद देखकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बाहर कर दिया उसको। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपने तो नहीं पिला दी उसको (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आवश्यक फोर्स लगा हुआ है पुलिस का (व्यवधान) पुलिस का पूरा सुरक्षा फोर्स लगा हुआ है। (व्यवधान) माननीय सदस्य (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

(माननीय उपाध्यक्ष ने हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कल्लाजी (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतना आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है पुलिस व्यवस्था का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ऐसी कोई बात हो तो आप माननीय मंत्रीजी के ध्यान में ला सकते हैं, चैम्बर में जाकर ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): किसी ने भी गलती है, क्योंकि विधान सभा में सारा अधिकार स्पीकर के पास रहता है, आदमी भले ही वो मेरे हो सकते हैं लेकिन कार्यवाही वे ही करेंगे। उसके बाद जब मेरे पास इसका विषय आएगा तो उस आधार पर मैं देख सकूंगा। पर मैं एक-एक के सामने खड़े रहकर उनको देखता रहूं, यह मेरी समझ में नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल माकूल सुरक्षा है, आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री दांताराम गुर्जर।

नीमकाथाना के ग्राम सेफरागुवार में एनीकट से उत्पन्न स्थिति

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत ग्राम सेफरागुवार में वर्षा से टूटे एनीकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 2005-06 में वर्षा से नीमकाथाना से सेफरागुवार सड़क (रास्ते) पर बना एनीकट टूट गया जिससे आवागमन के साधन बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं एवं आने-जाने का रास्ता भी बंद हो रहा है। वर्षा के दौरान सेफरागुवार से नीमकाथाना का सम्पर्क बिलकुल कट जाता है। इस बार वर्षा से पहले इस रास्ते का सुदृढ़ीकरण एवं एनीकट का निर्माण कराया जाना अति-आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इस कार्य को शीघ्र कराने के लिए आदेश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा। श्री मदन राठौड़।

सुमेरपुर के ग्राम नौवी के पास कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित पुल की मरम्मत

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री मदन राठौड़)

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम-295 के तहत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित पुल की मरम्मत के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नौवी के लिए सम्पर्क सड़क ''नौवी'' के पास ही नदी पर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पुल बनाया गया था। इस वर्ष आई बाढ़ में नदी के तेज बहाव के कारण वह पुल टूट चुका था जिससे ग्रामीणजनों को नौवी आने-जाने में भारी तकलीफ हो रही है। मान्यवर, यह भी सही है कि इस ग्राम नौवी से सम्पर्क हेतु केवल यही पुल एक मात्र माध्यम था, जो टूट चुका है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल उक्त पुल की मरम्मत कराने की स्वीकृति जारी करावें ताकि यह पुल पूर्ववत ऊंचा बनाया जा सके। हमें बताया गया कि चूंकि पुल कृषि विपणन बोर्ड ने ही बनाया था तो मरम्मत भी वही विभाग करेगा। अतः विभाग को शीघ्र स्वीकृति के निर्देश जारी करावें।

श्री उपाध्यक्षः श्री श्रवण कुमार।

सुजानगढ़ के पालोता ग्राम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नत

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया 295 के तहत श्रीमानजी निवेदन है कि राजस्थान में 54 वर्ष हो गये हैं विधान सभा का गठन हुए परंतु ऐसे बहुत से ग्राम हैं, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के छोर के गांवों में आज भी 1945 की जो स्कूलें थी वो आज भी उसी स्टेज पर हैं। आज गरीब व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता वो बड़ी महंगी स्कूलें हैं। गरीब व्यक्ति को केवल गांव की स्कूल में पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पालौता ग्राम में प्राथमिक स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल 1964 से क्रमोन्नत हुई थी, यह राजस्थान की गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। ग्राम पालौता में बहुत पुराना मिडिल स्कूल है। गांव की जनसंख्या 1700 से ऊपर है। गांव के लोगों में सालों से बहुत ही अपेक्षा है और बी.जे.पी. की बदली हुई सरकार द्वारा गरीब को रोटी, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा का गांव-गांव व गली-गली में प्रचार व प्रसार किया था कि हमारी सरकार का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी न ही कथनी और ना ही करनी है। केवल भाषण के अलावा आश्वासन बन कर रह गये। इसलिए

(श्री श्रवण कुमार)

श्रीमानजी पूर्व में तीन वर्ष को भुलाने का एक ही मार्ग है कि दो बजट आपके सामने हैं, उनमें कथनी और करनी का कोई अंतर मिटाएं और ग्राम पालौता, उरिका, अगवाणा जैसे पुरानी 1964 की जो स्कूलें हैं, जिसमें पंचायत हैडक्वाटर भी है, तीन हजार की जनसंख्या वाले गांव में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करें। कृपया आप इसी सत्र में स्कूलों को तत्काल क्रमोन्नत कर जनता का विश्वास आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। केवल आश्वासन देते हैं। जहां कहते हैं गरीब को गणेश मानते हैं, गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान देंगे, कुछ दिया नहीं स्कूलें वैसी की वैसी पड़ी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह लिखा हुआ है क्या? 295 में तो उपाध्यक्ष महोदय पढ़ ही सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी आपके सिर में दर्द नहीं है क्या? गरीब के प्रति दर्द है तो आप खड़े होकर कहो, क्रमोन्नत करवा देंगे, यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: यह साथ में जोड़ो मत। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पिड़ावा व सुनेल रूट की रोडवेज बस बन्द करने से उत्पन्न स्थिति

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा व सुनेल कोटा दो रोडवेज की बसें संचालित थीं लेकिन चीफ मैनेजर, कोटा डिपो ने उक्त दोनों बसें बिना किसी सूचना, बिना पर्याप्त कारण के बंद कर दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के दो प्रमुख कस्बे सुनेल और पिड़ावा हैं और मध्यप्रदेश-राजस्थान के मध्य सीमा से लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्रवासियों की अधिकांश रिश्तेदारियां मध्यप्रदेश हैं। मध्यप्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध हैं। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों उज्जैन, इंदौर आदि जगह जाने के लिए मात्र एक ही बस भवानी मंडी-इंदौर लगभग 20 वर्षों से संचालित थी, उसे अनार्थिक बताकर बंद कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सुनेल से कोटा बस भी 20 वर्षों से संचालित थी, उसे भी क्षेत्रवासियों की सुविधा को अनदेखा करते हुए बंद कर दिया गया। उक्त दोनों बसें कोटा डिपो की थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा पिड़ावा में बसों के अलावा आवागमन का रेल आदि कोई साधन उपलब्ध नहीं है।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

भवानी मंडी-इंदौर डाइरेक्ट बस बंद कर देने से इस क्षेत्रवासियों की औरतें, बच्चे आदि को तीन-तीन बसें बदलकर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है जो पर्याप्त असुविधा का परिचायक है। इसी तरह सुनेल से कोटा जाने वालों को भी 2-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। चीफ मैनेजर, कोटा द्वारा इन दोनों बसों को अनार्थिक बताकर बंद कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि बसें 20 वर्षों से संचालित हैं अच्छी इनकम दे रही हैं उसके बावजूद बसों को बंद कर दिया गया। यदि अनार्थिक भी है तो सरकार ने जनता की सुविधा के लिए ऐसे कितने उपक्रम चला रखे हैं जिनसे लाभ नहीं होता। अतः, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा परिवहन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चीफ मैनेजर, डिपो कोटा को आदेशित कर उक्त दोनों बसों को पूर्व की भांति संचालित कराये जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी।

फलासिया में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनी सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित निम्न सड़कें काफी टूट चुकी हैं:- मादड़ी से पीपलबारा, मादरी से मादला, फलासिया, उपल सिगरी बड़ली से गऊपीपला तक की सड़कें काफी टूटी हुई हैं जिसके कारण वहां पर चलने वाले वाहन व जनता को चलने में काफी असुविधा तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सड़कें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई थीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सड़कों का रखरखाव नहीं करता है। इस बारे में मैंने कई बार विभाग के अधिकारियों को भी निवेदन किया था परन्तु अभी तक इन सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि धन का अभाव है इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सड़कों के लिए राशि तत्काल उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता के आधार पर उक्त सड़कों का कार्य शुरू करवाया जाए जिससे जनता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री केसरदेव बाबर। ग्राम नेछवा में उप तहसील खोलने बाबत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लक्ष्मणगढ़ के नेछवा को तहसील मुख्यालय का दर्जा

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ तहसील मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय पर तहसील स्थित है। उस तहसील की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तहसील मुख्यालय से करीब सौ किलोमीटर तक गांव फैले हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ग्राम नेछवा जो कि एक बड़ा कस्बा भी है, वहां पर एक उप तहसील स्थापित हो। तहसील मुख्यालय से ग्राम ढहर का बास, रुलाणी, जैतपुरा काफी ऐसे गांव हैं जो इस कस्बे से करीब सौ किलोमीटर हैं और उनको तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए तीन-तीन बसें बदलनी पड़ती हैं। यदि कोई किसान सुबह चलता है तो शाम तक तो वो तहसील मुख्यालय में पहुंचता है, इसलिए वहां उसको रात को रुकना पड़ता है और वो जो भी कोई काम तहसील में करवाने के लिए आता है वो काम नहीं हो सकता। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इस क्षेत्र में पानी खराब है। पानी में अत्यधिक फ्लोराइड है, खारापन है इसलिए यहां के किसान अत्यधिक गरीब हैं क्योंकि एक ही फसल होती है। एक फसल होने से उनकी गरीबी ज्यादा है। इसलिए यदि तहसील मुख्यालय वहां हो जाता है तो उनको बहुत फायदा होगा। ग्राम नेछवा में जलदाय विभाग का कनिष्ठ अभियंता बैठता है, ग्राम नेछवा में अजमेर विद्युत वितरण निगम का कनिष्ठ अभियंता बैठता है, ग्राम नेछवा में टेलीफोन विभाग का कनिष्ठ अभियंता बैठता है, ग्राम नेछवा में थाना मुख्यालय भी है इसलिए मेरा अनुरोध है राजस्व मंत्री महोदय से कि मेरी बात को वज़न दें कि उप तहसील मुख्यालय नेछवा हो जाए। यदि मंत्री महोदय परिसीमन की बात बीच में लाएंगे तो मैं आपसे निवेदन यह भी करूंगा कि तहसील दांतारामगढ़ के अधीन ग्राम लोसल में उप तहसील तो नहीं है लेकिन उप तहसीलदार वहां पर बैठता है इसलिए आपसे यह भी निवेदन है कि उप तहसीलदार जो लक्ष्मणगढ़ में बैठता है, अगर उप तहसील खोलकर उप तहसीलदार वहां बैठा दिया जाए तो भी किसानों को राहत मिलेगी। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह। राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत ग्रामीण विद्यालय...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उप तहसील खोल दो।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कर देंगे वो । (व्यवधान) हां, वो कर लेना ध्यान में अच्छी बात है। तहसील संभव हो तो खोलेंगे ही। श्री देवीशंकर भूतड़ा।

ऋषभदेव स्थित ऋषभदेव मंदिर के प्रबंध व नियंत्रण के सम्बन्ध में आदिवासियों में भ्रम की स्थिति

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को पर्ची के माध्यम से उठाने जा रहा हूं वो विषय अत्यंत भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत ही श्रद्धा का विषय है यह विषय पिछले माह बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना है। श्री ऋषभदेव मंदिर ऋषभदेव गांव में स्थित है, ये मंदिर बहुत पुराना सैकड़ों वर्षों पुराना और जैन समाज और हमारे आदिवासी समाज के साथ-साथ मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक वर्ग की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक आस्था का केन्द्र है जहां सैकड़ों वर्षों से पूजा चली आ रही है लेकिन 1960 से उसके प्रबंध और नियंत्रण को लेकर विवाद बना हुआ था। समय-समय पर कोर्ट में केस भी चल रहे थे। जो ताजा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का 4 जनवरी को फैसला आने के बाद बना जब उस फैसले की क्रियान्विति में सरकार ने कार्यवाही शुरू की। उससे आदिवासी समाज के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी कि हमारे को हमारे इष्टदेव से दूर किया जा रहा है। क्या हमारे इष्टदेव के जो दर्शन होते हैं उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं, ऐसी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ऐसा लगा आदिवासियों को कि हमारे इस इष्टदेव से यह सरकार हमें दूर करने जा रही है और वहां पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने भी इस विवाद को और गहराया । उन्होंने वहां भ्रम की स्थिति पैदा की और इस वजह से यह विवाद हुआ। विवाद होने से वहां का वातावरण खराब हुआ। यह तो मैं जन-प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, उन जन-प्रतिनिधियों की सजगता, संवेदनशीलता के कारण वहां कोई बहुत बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ और वहां के लोगों को समझा-बुझाकर वहां की स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके लिए तो सदन के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को मैं आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ-साथ इस मसले की गंभीरता को समझते हुए माननीय गृह मंत्रीजी ने वहां पर जाकर स्थिति को संभाला और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी वहां जाकर और जो पड़ाव लगने वाला था उसको टालने की कोशिश की और स्थिति को ठीक किया। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाली अष्टमी को वहां बहुत बड़ा मेला भरने जा रहा है, मेले के समय, हो सकता है जैसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया उस कोर्ट के फैसले की पालना के लिए सरकार आगे आई तो वहां कुछ लोगों ने वहां पर भ्रम की स्थिति पैदा की, ऐसे ही बड़े अवसर पर कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो जाए। वहां कोई विकट स्थिति खड़ी नहीं हो जाए, इससे हमारे राजस्थानवासी, पूरे हिन्दुस्तानवासी और सर्वधर्म प्रेमी बंधु चिंतित हैं। इस संबंध में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वहां कौन-सी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है जिससे वहां आदिवासियों के मन में कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो और कोर्ट के आदेशों की भी पालना हो सके। इस तरीके की स्थिति स्पष्ट होकर उन समाज के लोगों को जो कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको विश्वास में लेकर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस संबंध में क्या पुख्ता व्यवस्था की है, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या कदम उठाने जा रही है। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीशचन्द्र कुमावत। (व्यवधान) अभी बीच में नहीं।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय काफी संवेदनशील है और माननीय ब्यावर से आने वाले विधायक ने सारी बातें कही हैं। वास्तव में यह मंदिर बहुत पुराना है और उसके प्रति सभी की आस्था है चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, आदिवासी हो, अन्य सभी का वहां आस्था का केन्द्र है सभी पूजा अर्चना करते हैं। समय-समय पर कोर्टों में निर्णय भी हुए हैं। पहले भी ऐसे निर्णय हुए हैं, 1962 में रिट संख्या 501/62 के अंतर्गत निर्णय हुआ है। 1975 में सृजनलाल बनाम राज्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आदेशित किया कि उक्त मंदिर में प्रबन्धन एवं नियंत्रण का अधिकार जैन समुदाय संविधान लागू होने से पूर्व ही खो चुका है जिसे वह संविधान लागू होने के पश्चात् प्राप्त नहीं कर सकता। संविधान लागू होने के पूर्व उक्त अधिकार मेवाड़ राज्य में निहित था जो राजस्थान राज्य बनने पर राज्य सरकार में निहित हो गया । लेकिन उसके

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

बाद फिर जैन समुदाय के लोग न्यायालय में गये, और विभिन्न प्रकार की याचिकाएं लगती रहीं। उस समय जब न्यायालयों में सही बात नहीं आती तो कई निर्णय इस प्रकार के हो जाते हैं। अभी जो निर्णय जनवरी में हुआ है उस निर्णय के बाद वहां पर स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि वहां भाटा जंग और किसी प्रकार का भ्रम पैदा हो गया, आदिवासी सोचने लगे कि इस मंदिर का अधिकार हमारे से छीना जा रहा है, इस प्रकार की भ्रांति वहां फैल गई । लेकिन वहां जन-प्रतिनिधियों ने जाकर, माननीय मंत्री महोदय ने जाकर, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जाकर सारी बात को समझाया और वहां पर समरसता कायम रहे, वहां पर झगड़ा फसाद न हो इस प्रकार की चेष्टा की। आज वहां पर अच्छा वातावरण है, पर सरकार को पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि यदि सरकार वहां पर पुख्ता व्यवस्था नहीं करेगी तो आने वाले समय में फिर इस प्रकार का वातावरण और एक अशांति वहां पर पैदा हो सकती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्टेटमैंट तो दे ही, आवश्यकता हो तो न्यायालय में जाकर इसको सुधार कराना चाहिये। जब सुप्रिम कोर्ट का निर्णय पहले किया हुआ है, उसके बाद फिर निर्णय हुए हैं, ये सारी बातें न्यायालय में ले जानी चाहिये और सारी बातें बताकर उसको ठीक कराना चाहिये। वहां पर शांति व्यवस्था ठीक प्रकार से रहे, वहां पर समरसता रहे, आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में अपना स्टेटमैंट भी दे और इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था भी करे ताकि आइंदा वहां पर झगड़ा न हो और वहां पर शांति कायम रहे यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सी.पी. जोशी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जिनको बात रखनी थी उन्होंने विषय वस्तु रख दी ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, राठौड साहब, आप तो खुद वहां पधारे थे । यह राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश तीन राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह आपके बस का रोग नहीं है, आप शांत रहिए। पर्ची क्या पर्चा दो तो ही कम है इसमें तो ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हम सभी सर्वधर्म समभाव के भाव से कोई बात करना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रिया में आपने पर्ची का प्रावधान कर रखा है । पर्ची के माध्यम से वही सदस्य विषय वस्तु को रखता है जिन्होंने पर्ची लगाई हुई है, उन्हीं को मौका मिलता है ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह तीन स्टेटों से जुड़ा हुआ मामला है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइंटेड सवाल निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बाद में कहना, मैंने पहले सीपी जोशीजी का नाम पुकार लिया है । माननीय श्री सीपी जोशी । अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे दी थी, इनकी पर्ची भी इसमें डाली हुई थी ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बात सुन लीजिए आप ।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुनेंगे बाद में ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): जोशीजी सम्पूर्ण घटना की जानकारी देंगे हमारा तो एक छोटा सा सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सवाल है, गृह मंत्रीजी थोड़ा क्लीयर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 जनवरी को आया और यह घटना 6 फरवरी की है, गृह मंत्रीजी यह बताएं कि 4 जनवरी और 6 फरवरी के बीच में एक महीने तक जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी धर्मावलंबी लोगों की कितनी बार बैठक बुलाई? यह इस सदन को अवगत कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सीपी जोशी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके संबंध में हमें चर्चा करनी चाहिये, इसमें इफ और बट नहीं लगा सकते कि सारी घटना को एंटिसिपेट करने में हम फेल रहे हैं । मैं कोई सरकार को दोष नहीं देता लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के आने के बाद इस तरह की घटना हो जाएगी, इसको एंटिसिपेट करने में सरकार और खास तौर से हम सब जो सामाजिक प्राणी हैं उन सबकी भी फेल्यिोर रही है । हम इस घटना को इस रूप में एंटिसिपेट नहीं कर सके । इसमें दो इश्यु महत्वपूर्ण हैं, एक सिंगल बैंच का जज मेंट हाइकोर्ट का, डबल बैंच का जजमैंट हाई कोर्ट की सिंगल बैंच के

(डा. सी. पी. जोशी)

जजमैंट के कंट्रावेशन में पार्टली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया, वह सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट अपहोल्ड किया सिंगल बैंच के जजमैंट को, डबल बैंच के जजमैंट को उन्होंने सही डिसाइड किया । स्टेट गवर्नमैंट ने एफीडेविट देकर यह कहा कि यह हिन्दू मंदिर है । कोर्ट ने यह माना कि यह हिन्दू मंदिर जो सरकार ने प्ली ली है, वह प्ली आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है । सिंगल बैंच के जजमैंट में, डबल बैंच के जजमैंट में श्वेताम्बर और दिगम्बर के लोग कोर्ट में गये। उस कंटेस्ट में उनहोंने यह कहा कि आज की डेट में स्टेट गवर्नमैंट में पब्लिश कर दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया उसमें लिख दिया गया कि यह कौन-कौन से ट्रस्ट हैं, हिन्दू मंदिर कौन-कौन से हैं, कौनसे मैनेज करते हैं। उसमें यह बात मेंशन कर दी गई। स्टेट गवर्नमैंट के द्वारा कि यह हिन्दू मंदिर है। यही स्टेट गवर्नमैंट का कोर्ट में प्ली रहता रहा बराबर । कोर्ट का जजमैंट स्टेट गवर्नमैंट के इस व्यू के पक्ष में नहीं गया । वह इस बात में साइलेंट रहे कि यह मंदिर श्वेताम्बर या दिगम्बर का है। यह फैसला करने का काम कोर्ट का नहीं है । कोर्ट भी इसमें साइलेंट रहा कि यह मंदिर श्वेताम्बर का है या दिगम्बर का है । इश्यू यह चलता रहा, राजस्थान विधान सभा ने जो कानून बनाया उस कानून के अंतर्गत ट्रस्ट बनना था, मैम्बर नामिनेट करने थे। मैम्बर नामिनेट करने में डिनोमिनेशन का जो वर्ड है उसके संबंध में चर्चाएं की गई। डिनोमिनेशन का मतलब कुछ लोगों ने क्लेम किया कि हमारा जो सम्प्रदाय है वही इसको रिप्रजेन्ट करता है चाहे वह श्वेताम्बर हो या दिगम्बर हो । जो प्रैक्टिस प्रिवेल है, जिसमें वैष्णव सम्प्रदाय के लोग भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनका यह कंटेस्ट है कि डिनोमिनेशन में हम भी इनक्लूड हैं । यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम जो ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उसमें डिनोमिनेशन के आधार पर श्वेताम्बर या दिगम्बर के अलावा वैष्णव और आदिवासी, खास तौर से आदिवासी भाइयों से जुड़ा हुआ है, क्या उन आदिवासी भाइयों को भी डिनोमिनेशन के आधार पर उस ट्रस्ट का मैम्बर बनाएं या नहीं बनाएं । कोर्ट के आर्डर की सरकार को कम्प्लाइंस करनी है । ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट बनाने के लिये नोटिफिकेशन करके आपको आदमी आइडेंटिफाई करना है । सरकार की यहां दुविधा है और सरकार दुविधा में रहेगी क्योंकि आस्था का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई फैसला कर नहीं सकता । हम भी तो भगवान राम के मंदिर पर यही बात कर रहे हैं, अयोध्या पर यही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे, हम भी तो कह रहे थे कि आस्था से फैसला

करवाएंगे। हमारा खुद का कमिटमेंट भी भगवान राम के मंदिर के संबंध में आस्था का है । तो यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम आस्था के आधार पर फैसला करना चाहते हैं या कोर्ट के आधार पर फैसला करना चाहते हैं। यहां सरकार की एक लिमिटेशन है, मेरी यह मान्यता है, निश्चित तौर पर मैं उस मैरिट में नहीं जाना चाहता।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): जोशीजी, आस्था का जो प्रश्न है वह क्यों है? क्योंकि वहां पर ऋषभ देवजी भगवान के शरीर पर जनेऊ है, उनके कान में कुंडल पहनने का स्थान है और उनकी जटाऊ है । यह जैन धर्म में नहीं होता, यह वैष्णव धर्म में होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए क्लीयर कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उनके प्रति आस्था रखता हूं । राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का आदिवासी इस बात के लिये भगवान ऋषभ देवजी के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जब पैदा होते हैं और मरने के बाद तक सारी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, मान लो, अगर कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई बलात्कारी है, वह जब तक केसरियाजी की कसम नहीं खा लेता उसको सही साबित नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, शुरू से उसके पीछे मेवाड़ गवर्नमैंट की क्या मान्यता थी और वहां वस्तु स्थिति क्या है, उसका मूल्यांकन करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है, माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे खुशी हुई, निर्णय करने वाली पार्टी के लोग ही मुझ से निर्णय करवा रहे हैं । मैं तो यह बात कह रहा हूं कि डिनोमिनेशन का जो संबंध है उस संबंध को सरकार को विवेकपूर्ण ढंग से फैसला करना पड़ेगा। न यह फैसला आस्था के आधार पर किया जा सकता है न कोर्ट के फैसले के आधार पर किया जा सकता है । इसका फैसला करने के संबंध में यदि सरकार ने छोटी सी गलती की, चूक की तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं इसको हमें समझने की आवश्यकता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो बड़ी गंभीरता से इसको देखते हैं । सरकार की अटर फेलीयोर है। कटारिया साहब का मैं सम्मान करता हूं, कटारिया साहब का स्टेटमैंट मैंने ई टीवी पर सुना है कि हम नियंत्रण करने में असफल रहे हैं। कलक्टर ने कहा कि नैक्स्ट डे से हम सेना लगा देंगे। जो इसकी ग्रेविटी है उसकी आपने कल्पना की, उसके लिये आपको साधुवाद। उस ग्रेविटी के मुकाबले में हम समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

समस्या का समाधान करने के संबंध में सबसे पहले वहां पर भाई-चारे की भावना को एस्टेब्लश करने के लिये दो काम करने की आवश्यकता है। नम्बर वन, जिन परिस्थितियों के कारण जिसका नुकसान हुआ है चाहे वह वैष्णव सम्प्रदाय के हो, चाहे जैन सम्प्रदाय के हों, आदिवासी सम्प्रदाय के हों उन लोगों को कम्पनसेशन दिया जाना चाहिये। सरकार फेल रही है, सरकार अपने इस कर्तव्य को निर्वहन करने में असफल रही है । इस वातावरण को सुधारने के लिये जिन लोगों का नुकसान हुआ है पहले हम उनको कम्पनसेशन दें। कटारियाजी मैं माफी चाहता हूं आपसे, जिन अदिवासी भाइयों पर सरकार ने बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रजेंस के, मैं यहां एप्रीशिएट कर रहा हूं एसपी को, बहुत बड़ा दंगा हो जाता, कानून की दृष्टि से जब वहां पर गोली चली थी।

(समय 14.00 बजे)

डीएम वहां मौजूद नहीं था, एसडीएम वहां पर मौजूद नहीं था। कानून की दृष्टि से गोली चलना टोटली इल्लीगल, इस सरकार के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप प्रोटेक्शन के नाम पर यदि आप जस्टिफाई करते हैं कि एसपी ने गोली चलाकर जनता को बचाया, साधुवाद। सरकार की फलीयोर से आप एन्टीसिपेट नहीं कर सके कि एसडीएम वहां पर मौजूद होना चाहिये था, कलक्टर मौजूद होना चाहिये था1 चाहे वह जोर्डन का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, चाहे दुनिया का रहा हो इस घटना के एंटिसिपेशन को, गोली चलाने की स्थिति बन जाए पुलिस हम लगा दें और वहां पर आपका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूट करने वाला आदमी कोई भी काम्पीटेंट आदमी नहीं था, इस तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिये। जब स्वीकार करते हैं तो आदिवासी भाइयों को आपने कम्पनसेशन दिया वह कम है। गलती हमारी है, हमारी गलती के कारण गोली चलाई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): दस आदमियों पर गोली चलाई। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये, दस आदमियों पर गोली चली, एक आदमी की मौत हुई है। दस-दस हजार रुपये दे दें, एक-एक लाख रूपया दे दें, उन लोगों ने गुनाह किया है ? आपका आदमी मौजूद नहीं, आप व्यवस्था नहीं कर सके, गोली लग जाए। घड़साना और रावला में आप 5-5 लाख रुपये दो, वहां का आदिवासी कमजोर है तो एक-एक लाख रुपये दो, यह आप दो तरह का कानून नहीं चला सकते। आपने यदि घडसाना,रावला में 5-5 लाख रुपये दिये हैं तो

(डा. सी. पी. जोशी)

इस आदिवासी को भी आपको 5-5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। कानून में देने पड़ेंगे, नियम में देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दस लाख रुपये दे, उसके लिए साधुवाद, लेकिन राजस्थान सरकार अपने इस कानून में फेल रही है। वहां गोली कैसे चल गई, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। इसलिए राजस्थान सरकार अपने इस कानून में, जिसमें एक लाख रुपये का कम्पनसेशन दिया है वह कानून ठीक नहीं है। वहां पर उन आदिवासियों को पांच लाख रुपये से ज्यादा मिलना चाहिये। जिस आदमी को दस हजार रुपये दिये उसको एक लाख रुपये देने चाहिये। जिन लोगों को वहां पर नुकसान हुआ है, किसी भी समाज का हो, जैन समाज का हो, वैष्णव समाज का हो, उन लोगों को भी सरकार को कम्पनसेशन देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी गलती से लोग इकट्ठे हुए, आपकी गलती से मजिस्ट्रेट नहीं था, गोली चली, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से बच नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हम इसको राजनीति के आधार पर नहीं करना चाहते लेकिन सरकार की फेल्योर की सज़ा जनता नहीं भुगतेगी । साथ में राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफेडेविट देना है, माननीय मंत्रीजी कलेक्टिव डिसीजन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप कलेक्टिव डिसीजन के आधार पर ही हाउस को एश्योर करिये, डिनोमेशन का मतलब वैष्णव भी है, डिनोमेशन का मतलब जैन भी हैं, डिनोमेशन का मतलब आदिवासी भी है। ट्रस्ट बनाएंगे, हम इस तरह का ट्रस्ट बनाएंगे, आप हाउस में इस तरह का एश्योरेंस दें कि इस एश्योरेंस के आधार पर हम कोर्ट में जाएंगे। तब तो हमारे साथ न्याय कर रहे हैं बाकी कहे कुछ और करें कुछ।

माननीय कटारियाजी, आप बड़े काम्पीटेंट है, आपकी क्या गिल्ट थी, आप लोगों से जाकर नहीं मिले?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, आप अपनी बात बहुत विस्तार से... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या गिल्ट थी, आप जाकर नहीं मिले? आप गिल्ट के आधार पर सरकार चलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह गम्भीर मामला है। लोकतंत्र में सरकार गोली चला दे बिना कानून के, बिना नियम के, बिना मजिस्ट्रेट के। आपको..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, समाप्त कीजिए आप अपनी बात को। प्लीज..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय कटारियाजी आपको धन्यवाद, राजस्थान सरकार को धन्यवाद, मेरी पार्टी के और आपकी पार्टी के विधायकों को धन्यवाद जिन्होंने शांति बनाई, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही है, उसका कम्पनसेशन जनता के ऊपर नहीं दिया जाना चाहिये। आपको आगे काम करना चाहिये..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तीन दिन मैं वहीं था। हकीकत क्या थी, माननीय रघुवीरजी बैठै हुए हैं, उन सबको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हकीकत है, रघुवीरजी बैठे हुए हैं, बता दें। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): स्थिति को गम्भीरता से लेकर हमने सबको बचाने के लिए काम किया, सरकार मौजूद थी। यह नहीं कह सकते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो मान जाऊंगा, गोली गोली से ही चली, मैं तो मान जाऊंगा। (व्यवधान) कटारियाजी मैं तो आपको भावना से नहीं कहना चाहता, आपको मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देना चाहिये था। (व्यवधान) तीन दिन बैठते तो यह नहीं होता।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): महावीर भी वहां पर मौजूद और कलक्टर भी वहां मौजूद था। (व्यवधान) दोनों वहां पर मौजूद थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको आदिवासियों के लिए... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ऐसी स्थिति में आदिवासियों को जितना लाभ मिले...(व्यवधान)

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): एसडीएम महावीर और कलक्टर दोनों मौके पर थे। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसलिए यह नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने बहुत किया। जो परिस्थिति मौके पर थी, परिस्थिति को सम्भालना बहुत जरूरी था। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): करते तो यह नहीं होता। (व्यवधान)

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): महावीर वहां पर उपस्थित थे।

श्री उपाध्यक्ष: इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ....

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): समाज के जन प्रतिनिधि जाने के बाद ही इसको समाप्त किया, यानि कि दोनों ही पार्टीज (व्यवधान) मैं इसमें नहीं आता लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया यह बात आ रही थी इसलिए कह रहा हूं। 8, 9, 10 तारीख को बैठकर वहां बात की (व्यवधान) मैं खुद बैठा हुआ था, 8, 9, 10 तारीख को कन्टीन्यू वहां बैठकर बात की है इसलिए कि मैंने अखबार में नहीं दिया, इसलिए कि अख़बारबाजी नहीं की, नहीं तो राजनीति में अखाड़ा और हो जाता। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जन-प्रतिनिधियों ने मिलकर, हमने किस तरीके से जनता में और उन भाइयों के बीच में जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात को शांत किया। अगर पूरे राजस्थान की फोर्स, सेना भी आ जाती तो कोई मानता नहीं, ऐसी स्थिति थी। उसको शांत किया है। इसलिए सरकार ने कुछ नहीं किया, यह बात नहीं है। सरकार ने बाद में भी क्या व्यवस्था की, यह भी..(व्यवधान) हां, विषय यह जरूर है कि जो विषय आप रख रहे हैं उस विषय में हम भी मानते हैं कि विषय में बहुत अच्छी बात है, उस बात को ध्यान में रखना चाहिये, हमको सुनना जरूरी है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं खुद बैठा हूं और मैंने गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्री को...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आदिवासियों की बात को बोलने दीजिए मंत्रीजी, पांच-पांच लाख रुपये दो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसा कानून बना दें, सरकार बता दे मुझे, जिस कानून के अन्तर्गत पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बिना मजिस्ट्रेट के गोली चला सकती है। आपने किया उसके लिए धन्यवाद,

(डा. सी. पी. जोशी)

मैंने कभी नहीं कहा, एसपी ने, मैं उसको एप्रीशिएट करता हूं, बट फोर पुलिस आपने काम (व्यवधान) आपको यह अधिकार नहीं मिलता है कि आप बिना अधिकार गोली चला दें। (व्यवधान)

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): मंत्री वहां बैठे हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष: अपनी सुरक्षा के लिए माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): महावीर एसडीएम और कलक्टर साहब दोनों जिस समय गोली चली उसके पहले वहां मौजूद थे। यह कहना बिलकुल गलत है कि वहां एसडीएम, कलक्टर नहीं था। वहां कलक्टर और एसडीएम दोनों मौजूद थे।(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय गृह मंत्रीजी खड़े होकर बोल दें।

श्री उपाध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): मैं वहां मौजूद था और अगले दिन (व्यवधान) सब आ चुके थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि वहां मजिस्ट्रेट मौजूद था और गोली चली, मैं रिजाइन कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कार्यपाल मजिस्ट्रेट वहां था और उसके आदेश से ही अश्रुगैस और लाठी चार्ज और गोली चली है, यह रिपोर्ट उन्होंने मुझे बनाकर दी है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश से अश्रु गैस छोड़ी सब कुछ छोड़ी। यहां तो पुलिस को आपको और मुझे बधाई देनी चाहिये कि इतने कम बल प्रयोग किया। पांच हजार के हुजूम को उन्होंने जिस ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश की। बाकी वहां तो कई लाशें बिछ जाती। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से, जिस ढंग से कम से कम बल प्रयोग से, यह जो डेथ हुई है यह तो दूसरी जगह दूसरे दिन जाकर के हुई है। जहां गैंगसा थे उन पर जो तोड़फोड़ हुई, उस जगह की वह डैथ है, बाकी तो सारे के सारे इंजर्ड हैं वहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): लेकिन कार्यपाल मजिस्ट्रेट वहां था उसके आदेश से हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा, कौन-कौन अधिकारी उस समय एसपी के साथ मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी, मेरी आदत नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपसे आशा नहीं करता कि आप यह बात कहेंगे। कि वहां पर केवल एक ट्रेनी, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, गोली पहले चली है, गोली के कारण बचे है उसके लिए साधुवाद, पर जो आदमी वहां मौजूद था काम्पीटेंट आदमी आर्डर देने के लिए, वह आदमी मौजूद नहीं था बाद में साइन हुए हैं। आप चाहें तो मैं टेप लाकर दे दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो कहना है कह दें, डिबेट काहे की चालू कर दी?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची के माध्यम से ऐसा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डिबेट ही खोल दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपका कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा हो चुकी है, आप स्थान ग्रहण करें।

आपको किसने परमीशन दी, नहीं बोल सकते। अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, आप क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): साहब बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: क्यों बोलने दें? हर कोई आदमी बोले? (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: फिर दूसरे भी खड़े हो जाएंगे। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप समय सीमित कर दें, अगर वह कहना चाहें। 2 मिनट में कह दें।

श्री उपाध्यक्ष: फिर हरिमोहनजी खड़े हो जाएंगे, यह क्या बात है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आदिवासियों का मामला है, भावनात्मक मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी भावना प्रकट कर दी थी। आप संक्षेप में कह दें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हमारा निवेदन सुन लें, चूंकि यह मामला एक बार उठ गया है। हमारा विधान सभा प्रश्न भी है। स्थगन भी लगाया है। पर्ची भी डालने की कोशिश की, किसी तरह से हम आ नहीं पाये, दुर्भाग्य से, और उनकी पर्ची लग गयी। यह बात उठ गयी। मैं दुबारा यह बात नहीं कह पाऊंगा, जो कहना चाहता हूं। इसलिये आप मेहरबानी करें, ठण्डे रहें, 2-3 मिनट में मेरी बात कह दूंगा। मैं कोई आग तो जला ही नहीं रहा हूं। आग जलाते तो उस वक्त जला देते, जो कि बुझ नहीं सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष: विवाद नहीं है इस बारे में कोई।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में ऋषभदेव में जो मामला हुआ, जो अप्रिय घटना कही जा सकती है, वह दुर्भाग्यपूर्ण भी थी, जो नहीं होना चाहिए था, हुई है। उन सबको हम सब मिलकर कैसे समाप्त करें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। इसमें सार्थक बात सब कह रहे हैं, कोई किसी से तर्क, राजनीति नहीं कर रहा है और न उस समय की।

4 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, उसकी जानकारी अखबारों के थ्रू वहां के आदिवासियों को मिली। उसमें यह कहा गया कि मंदिर की कमेटी बन रही है। उस मंदिर से आदिवासियों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ऋषभदेव को आदिवासी वहां का अमरनाथ मानता है, वेणेश्वर को वहां का आदिवासी गंगा मानता है और हजारों साल से उसको अपना इष्टदेव मान पूजा अर्चना करते हैं। उनके मन में

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

भ्रम पैदा हो गया कि अब यह मंदिर जैनियों के पास चला गया और हम उसमें दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब मामला 4 तारीख को शुरू हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: वह बातें सब आ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आप 5 मिनट मेरी बात सुन लें, क्या तकलीफ हो जाएगी

श्री उपाध्यक्ष: अब पूरी हिस्ट्री बतानी कोई आवश्यक नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 14.1.2007 को डोड खेलते हैं जिसके ढूंढ वगैरह होता है, नया बच्चा पैदा होता है तो उसके खेलते-खेलते जाते हैं। केसरियाजी में से नारियल देते हैं। तो उस दिन कुछ लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया था। इससे यह आभास हो गया था कि यहां के आदिवासियों के मन में कोई तकलीफ है। इसके बाद 17.1.2007 को हजारों की तादाद में ऋषभदेव के चारों तरफ के आदिवासी गये, शांतिपूर्वक गये उनका इंटेंशन भी यही था कि हम दर्शन करके वापस चले जाएंगे। कम पुलिस होने के कारण वहां किसी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस साथ-साथ चलती, करीब 7-10 हजार मंदिर गये, दर्शन किया और थोड़ा बहुत आक्रोश दिखा कर वे वापस चले गये। इसके बाद 23 जनवरी को साधु-संतों और जन-प्रतिनिधि जो भी थे, सब इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठा होकर मंदिर में पुनः गये, पुनः जाकर दर्शन किये हैं। दर्शन करके एक ज्ञापन तैयार किया। ज्ञापन वहां के असिस्टेंट कमिश्नर, देवस्थान को, मुख्य मंत्रीजी के नाम से दिया और उनको अल्टीमेटम दिया। असिस्टेंट कमिश्नर को अल्टीमेटम यह दिया कि 15 दिन में सरकार कोई स्थिति स्पष्ट कर दे। 15 दिन बाद हम पुनः पड़ाव डालेंगे।

अब वे 15 दिन, 7 फरवरी को पूरे हो रहे थे। काल किसने किया था महा-पड़ाव का, यह मैं तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, परन्तु यह था कि महा-पड़ाव है। अखबारों के जरिये खबर आयी, पम्पलेटों के जरिये पढ़ा, खबर आयी। उस दौरान डीवाई.एस.पी., थानेदार, सी.आई., इन्होंने जो भी प्रयास करना था, उन्होंने किया होगा। परन्तु सार्थक प्रयास होना चाहिए था बड़े लेवल से, वह नहीं हुआ। एक महीने तक नहीं हुआ। एक महीने से भी ऊपर समय हो गया, नहीं हुआ। इस बात को मानना चाहिए। अब 7 तारीख को जब कम संख्या में लोग, प्रयास यह भी किया था कि पड़ाव

नहीं है, अखबारों के थ्रू भी किया, पम्पलेट भी बंटे, सब कुछ किया, परन्तु फिर भी कुछ लोग आ ही गये। जहां गोली चली है 7 तारीख को, उसमें कोई हजारों की तादाद में नहीं थे लोग। हजार-पांच सौ लोग होंगे, मेरी जहां तक जानकारी है। और वह लोग आ रहे थे और रेजिस्ट कर रहे थे कि हम दर्शन करने जाएंगे। जाप्ता ज्यादा आ गया, इस जाप्ते ने कहा कि इधर नहीं आओगे और उधर से मुड़ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इधर ही जाएंगे। तो इस पेशापेशी में उनका मामला बढ़ गया। बढ़ गया, लोग आक्रोश में आ गये। पत्थरबाजी भी हो गयी, वहां आगजनी भी हो गयी और गोलियां भी चल गयीं। उस दिन 4 लोग इंजर्ड हुए। उनको एम.बी. हास्पिटल, उदयपुर भेजा। वहां एडमिट कर दिया। अब चूंकि मामला बढ़ गया था। चारों तरफ, आदिवासियों की परम्परा है, ढोल बजा। विशेष तरह का ढोल बजता है। जब ढोल बज जाता है तो बच्चा हो, बच्ची हो, लेडीज हो, आदमी हो, बुड्डा हो, जिसमें शक्ति हो, जिसके हाथ में जो हथियार आया, वह लेकर उस दिशा में दौड़ पड़ता है, जिधर ढोल बजा है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पर खतरा है, मुकाबला करें। चारों तरफ ढोल बज गया। 7 तारीख रात को एस.पी. का फोन आया कि आपको आना है तो सुबह 8 तारीख मैं भी गया, कटाराजी मंत्रीजी भी आ गये।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने ही बुलवाया था फोन करके।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपसे पहले ही फोन आ गया था। फिर अर्जुनजी, सलूम्बर एम.एल.ए. भी आ गये। नानालालजी, वहां के स्थानीय एम.एल.ए. थे ही थे। हम सबने मिलकर प्रयास किया। परन्तु 8 तारीख को हम गवरी में थे, उस समय ही तनातनी हो गयी थी। थोड़ी देर बार ही साइड में दूसरी दिशा में, बिलख में नहीं, दूसरी दिशा में कुछ लोग माइंसों की तरफ से आ रहे थे। वह जगह तो वैसे थी मंदिर से कोई डेढ़ किलोमीटर दूर, जहां रामलाल मरा है, वह दूसरी दिशा थी। वहां कोई मकान नहीं थे, रोड था। परन्तु किन परिस्थितियों में पुलिस ने गोली चलाई, मैं नहीं कह रहा हूं। परन्तु वह था डेढ़ किलोमीटर दूर। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि वह कहां जा रहा था, क्या चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सामान खरीदने भी गये थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया या इंजर्ड भी हो गये। दूसरे दिन गोली चली उसमें वह मारा गया और 7 और दूसरे घायल हुए। 11 जने घायल हुए, जिनके किसी के हाथ चला गया है, किसी के पांव चला गया है, गोली-बुलट आरपार

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

निकल गयी है, एक वह मर गया। 11 तो इंजर्ड और एक डैथ हो गयी। अब मेरा निवेदन यह है कि जो हो गया वह हो गया। हमने उनको कितना आश्वस्त किया है, यह सदन को किस तरह से बताएं, परन्तु हमने जो भी हमारी तरफ से कह सकते थे, हाथा-जोड़ी करके, जैसे भी, पूरी रात 8 तारीख को हम नहीं सोए हैं। जहां-जहां हम जा सकते थे, कामन गये। हमने लोगों से रिक्वैस्ट की और यह कहा कि मिलिट्री आ गयी है। अब मिलिट्री आ जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब मेहरबानी करो। आपकी जो भी मांगें हैं, मंदिर आपका रहेगा, पूजा-अर्चना आप करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। सब कुछ हमने सरकार के बिहाफ पर आश्वासन दिया। वे लोग अभी भी इस विश्वास में हैं कि सरकार हमारे लिये कुछ कर रही है। 12 तारीख को बहुत बड़ा मेला होगा, आठम का, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह के लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। वहां कोई पुलिस, मिलिट्री कोई काम करने वाला नहीं है। उसके पहले एक तो पूरा विश्वास दिलाना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे कहने के लिये तो बहुत है, परन्तु समय सीमित है, इसलिये मैं नहीं कह पा रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि 1997 में जो फैसला हुआ, उसमें जो लिस्ट हुए हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 में धारा 52, धारा 53, इसमें जो क्लाज है, 52 में तो आपके लिस्ट हुए हैं 2620 मंदिर। आज इस मंदिर की कमेटी बनती है तो 2620 मंदिरों की कमेटी बनेगी। उसमें कैलादेवी भी है तो महावीरजी भी हैं तो रणकपुर भी है, सारे जितने भी मंदिर हैं वे सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। धारा 53 में मेंडेटरी कर दिया है कि कमेटी बनानी ही बनानी है। अब सरकार रिव्यू पिटीशन में जाए, यह हमारा सुझाव भी है। आदिवासी भी यही कहते हैं। परन्तु रिव्यू पिटीशन स्वीकार हो, यह भी कोई गारण्टी नहीं है। परन्तु उनकी आस्था कायम रखने के लिये हमें तत्काल समाधान निकालना होगा। उसमें धारा 77(2) और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के तहत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार इस मंदिर को एज्यूम करके जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी उसको कायम रखे और अभी यह संदेश भेजे कि सरकार अभी विचार कर रही है। सरकार को अपील में भी जाना चाहिए और सरकार के खर्चे से जाना चाहिए। आदिवासियों को भी उसमें पार्टी बनाना चाहिए। पार्टी बनाकर पक्षकार बनाना चाहिए। पूर्व में जितने भी फैसले हुए हैं, सब एकतरफा हुए हैं। जैन समाज के ही पक्षकार थे चाहे श्वेताम्बर थे, चाहे वे दूसरे थे, कुछ लोग दूसरे भी हुए हैं परन्तु उन्होंने आज तक

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

आदिवासियों को किसी भी तरह से पक्षकार भी नहीं बनाया है। उनको यह भी पता नहीं लगा कि केस भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम आज इतने बड़े हो गये, पढ़े-लिखे भी हैं, सब कुछ हैं परन्तु हमको भी यह पता नहीं था कि 73 में क्या फैसला हुआ। 60 में क्या फैसला हुआ, 62 में क्या फैसला हुआ। हम ही नहीं जानते अभी, अनपढ़ लोग तो छोड़ो। आज आदिवासी के घर में कोई भैंस भी ब्याहती है तो वहां को दूध पहले केसरियाजी, ऋषभदेव पहुंचाएगा, फिर वह खाएगा। फसल पैदा होती है तो वहां का अंश मंदिर में ले जाएगा, चढ़ाएगा तब वह खाएगा। यही नहीं, आज महिलाएं व्रत करके मंदिर में जाकर दर्शन करती हैं तब पानी पीती हैं, इतनी बड़ी आस्था है।

श्री उपाध्यक्षः आस्था है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उस मंदिर के अण्डर में 19 दूसरे मंदिर हैं, जिसमें हिन्दू देवी-देवता भी हैं। दूल्हा की प्रतिमा भी है, दूल्हा की पत्नी की प्रतिमा भी है। भगवान ऋषभदेव की माता की तस्वीर भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आपकी भावना पूरी आ चुकी है। ... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मेरा निवेदन सुन लीजिए, दो मिनट। समझ गया, परन्तु इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि मंदिर की इतनी बड़ी प्रापर्टी है, सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जमीन है, जिसमें माइंस भी हैं। महाराष्ट्र में भी जमीन है। आदिवासी का प्रोपर्टी से कोई लेना-देना नहीं है, उसकी आस्था का मामला है और इस आस्था को कायम रखने के लिए उनको विश्वास में लेना जरूरी है। हजारों साल से जो भाइचारा बना आ रहा है वहां के व्यापारियों और आदिवासियों में, एक दूसरे का, वह बना रहे, कायम रहे। उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार कोई पहल करे, क्योंकि हमने हमारी जिम्मेदारी, हमारा धर्म निभा दिया। अब सरकार उस शांति को कायम करने में कितनी अग्रणी रहती है वह हम अपेक्षा करेंगे। हमारी तरफ से जितना सहयोग होगा, निश्चित तौर पर हम करेंगे। परन्तु यह बात मैं सत्य भी कह रहा हूं कि इसमें कुछ जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को भी खतम करना चाहिए। मुआवजा तो आपने 1 लाख कहकर, चलो 5 लाख आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिये या कुछ भी दिया है। परन्तु घड़साना में तो आपने इस सरकार की तरफ से पांच लाख शो किया और वहां यहां पर एक लाख, यह ठीक नहीं है। हम तो और भी, आप 5 करो, हमको

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

यह नहीं था, परन्तु अखबारों में भी यह देने की आवश्यकता नहीं थी कि 1 लाख सरकार की तरफ से और 2 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चंदा, यह गलत है, यह राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। हम साक्षी हैं उस 8 तारीख और 9 तारीख के, जहां एक संगठन विशेष के दो लोग हमें मिले। हमें मिले। पता नहीं मुझे किस पार्टी का व्यक्ति समझकर उन्होंने कहा कि हम फलाने-फलाने हैं। कहां से हो आये। बिलग गये, गड़ावत गये, बरिमा गये, मसारूगोबरी गये। कब आये, भाई? तीन दिन हो गये तो क्यों घूम रहे थे वे लोग? इसलिए इन लोगों पर नजर रखने की आवश्यकता है। मैंने एडिशनल एस.पी. को कहा कि ये दो लोग जा रहे हैं, इन पर नजर रखिये। पर एडिशनल एस.पी. तो नींद में सो गया, पता नहीं। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो हवा दे रहे हैं। राजनीतिक हवा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत विस्तृत रूप से आपने कह दिया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उन पर नजर रखने की आवश्यकता है, किसी भी पार्टी का हो, यह संवेदनशील मामला है। आदिवासी स्वामी भक्त होता है। अपने स्वामी के कारण चाहे अपने सगे भाई को भी गोली मारनी हो, मार देगा, परन्तु स्वामी की रक्षा करेगा। स्वामी भक्त है। इतिहास साक्षी है चाहे मानगढ़ हो, चाहे भुला-बलोरिया हो, चाहे कहीं भी हो, वहां आदिवासियों पर और किसी ने गोली नहीं चलायी, आदिवासियों ने ही चलायी और वह क्यों, क्योंकि हुक्म था मालिक का। इतने स्वामी भक्त है। राज़ी हो जाए तो वह राज दे देता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): और बिफर जाए तो बाघ बन जाता है। बाघ बन जाता है इसका मतलब? बाघ कितना खतरनाक होता है, आप जानते हो। इसलिए कहते हैं कि आदिवासी और सांप से कभी दुश्मनी नहीं लेनी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसमें पहल करे और पूरी सक्रियता दिखाते हुए इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करें ताकि आस्था बनी रहे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ने कह दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट मुझे सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अभी इस मुद्दे पर। आप दूसरे तरीके से उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं उठा नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं तो बहुत-से लोग तैयार हो जाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो केवल दो मिनट में, अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी भावना कह दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से कुछ निवेदन करना चाहूंगा, मुझे कृपया अनुमति प्रदान करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनको सुनने के बाद। पहले सुनने के बाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुन लिया न। आज तक पर्ची के माध्यम से किसी विषय पर इतने लोगों ने विचार प्रकट नहीं किये होंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सैंसिटिव मुद्दा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जितने लोगों ने आज इस विषय पर विचार प्रकट किये हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत गम्भीर विषय था। अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह जो विषय है यह ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह पर्ची नहीं पर्चा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आदिवासियों के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र के धर्मावलम्बियों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहुत सैंसेटिव मामला है। आदिवासियों की, नान आदिवासियों की भावनाओं से यह जुड़ा हुआ है इसलिए आप इसको चिट मत मानो। चिट तो एक बहाना है। चिट तो एक बहाना है बोलने का। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। मुझे दो मिनट दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वर्ना तो बोलने ही नहीं देते आप लोग। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां- हां, बोलो, बोलो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, यह तो इसमें साधन बनाना चाहिए चिट को।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दो, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिये, आप सम्भालकर चलो, हमें तो आपका फायदा है, आपका काम बनेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कैसे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और नहीं सम्भालेंगे तो आपका यहां बिखराव होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सीधे ही कह दो न, साहब ... (व्यवधान) आप हमारी धरोहर हो, आपको सम्भाल कर चलना इनका कर्तव्य नहीं, हमारा कर्तव्य है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार का कर्तव्य है। सत्ता पक्ष का कर्तव्य है कि आप सम्भालकर चलो, एक तरफा मत चलाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप जैसी सम्पदा, राजस्थान की सम्पदा, इसको सम्भालकर क्यों नहीं रखेंगे हम? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आपने बहुत डांटा है, पहले राठौड़ी की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने कभी नहीं डांटा। (व्यवधान) यह आरोप लगा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले राठौड़ी की है इनके पूर्वजों ने ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कभी नहीं की राठौड़ी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब चौधरी साहब राठौड़ी करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमें आप सम्भालकर चलो, इसमें आपका फायदा है।

श्री उपाध्यक्ष: फायदा है, ठीक है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और सम्भालकर नहीं चलेंगे तो आपको ही नुकसान है। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वे भी ऐसा ही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुवीर सिंहजी मीणा ने यहां पर कुछ अपने विचार व्यक्त किये। यह बिलकुल पुख्ता बात उन्होंने कही कि केसरियाजी का मंदिर जो है वह जैनियों के अलावा आदिवासियों की भी आस्था का केन्द्र है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जैनियों की संख्या तो आस-पास बहुत थोड़ी है वहां पर। आदिवासी बहुत ज्यादा हैं। यह बात सही है कि सारे देश के जैन वहां पर आते हैं। सारे देश के जैन वहां पर आते हैं और यह मेरी भावना है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इस समस्या का निदान आपको निकालना चाहिए। अब इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए। मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता, डिटेल में सारी बात यहां पर हो चुकी है। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और किसी न किसी रूप में इस मंदिर की जो कमेटी बने, कुछ भी बने, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं माने तो सरकार के दो प्रतिनिधि नोमिनेट हों और आदिवासियों को उसके ऊपर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मेरा यह बिलकुल निश्चित मानना है। मैं इस बात को कहता हूं कि उनका प्रतिनिधित्व रहे। जो मन में एक भावना कर गयी है आज चालीस साल के करीब केसरियाजी जाने का जब-जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं जाता हूं। हमसे ज्यादा तो वे आते हैं। वे गरीबी के कारण भी कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई रोटी चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, अनाज चढ़ा रहा है, हम लोग थोड़े पैसे वाले हैं तो हम केसर से भगवान की सेवा पूजा करते हैं वहां पर। यह आप क्योंकि वहां फिर शांति नहीं रहेगी, यह निश्चित है कटारियाजी, वहां शांति नहीं रहने वाली इसलिए उनके समाधान के लिए, जैसा यह कह रहे हैं कि 12 तारीख को बहुत बड़ा मेला है, तरह-तरह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के लोग हैं, किसी ने फुर्री छोड़ दी वहां पर तो ? सबसे बड़ी गलती तो जब इतना बड़ा निर्णय हुआ था, अख़बारों के माध्यम से, आपका स्टाफ था, आपका रेवेन्यू स्टाफ था, पंचायत समिति का स्टाफ था, गांव-गांव प्रचार करा देते कि भाई, कोई रोक नहीं है आपके जाने पर। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिये, अब यह उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, अब मैं बहस करूं कि आपने नहीं कराया अगर करा दिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। आप कह रहे हैं कराया कराया, अगर आप करा देते तो यह नौबत ही नहीं आती। यह नौबत इसलिए आयी है कि उनके मन में यह धारणा घर कर गयी कि हमारे वहां जाने पर, हमारे ऊपर रोक लगा दी जाएगी। जो कि अंततोगत्वा गलत थी धारणा लेकिन एक वहम बैठ जाए मन के अन्दर तो उसको निकालने का काम तो सरकार था वहां पर। सरकार अपना सारा स्टाफ लगाकर, आपका इतना बड़ा स्टाफ है, सारे विभाग आपके पास है, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आपके पास है, पुलिस के कर्मचारी भी हैं, रेवेन्यू वाले हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वहां घूमते, चलो हमारे संग चलो, किसी की रोक नहीं है। तो यह अप्रिय घटना की नौबत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वहां पर नहीं आती। किसी न किसी रूप में आदिवासियों का मंदिर के अन्दर जो कमेटी गठित होने जा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं माने तो सरकार के दो प्रतिनिधि, तीन प्रतिनिधि के रूप में उनका मनोनयन करके उन लोगों की भागीदारी रहनी चाहिए। आज यहां जैन और आदिवासियों का ही सवाल नहीं है। वहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं। वहां पर जैन और आदिवासियों का ही प्रश्न नहीं है। वहां पर सनातनी भी आते हैं। मैं खुद गया हूं। पूजा करते हैं वहां जिसकी श्रद्धा है वह ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मंदिर की पूजा कौन करता है? मंदिर की पूजा कौन करता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, मंदिर की पूजा पंडित करते हैं। मंदिर की पूजा पंडित करते हैं। (व्यवधान) देखिये, हर मंदिर की अलग-अलग परम्परा है, तिवाड़ीजी। कहीं पुजारी करते हैं, कहीं उसी वर्ग के लोग करते हैं। जो परम्परा सदियों से चली आ रही है वह चली आ रही है। हां, यह सही कह रहे हैं तिवाड़ीजी, कि वहां सेवा-पूजा मेन पूजा ब्राह्मण ही करते हैं। हमें कहां एतराज है। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): खाटूश्यामजी के मंदिर में कौन पूजा करता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पूजा ब्राह्मण करता है और प्रशाद ठाकुर खाते हैं खाटूश्यामजी के मंदिर में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूजा भी ठाकुर करते हैं और प्रशाद भी ठाकुर खाते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): श्रीनाथजी का प्रशाद भी ठाकुर खा रहे हैं, पूजा भले ही आप करो। (व्यवधान)..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): खैर, देखिये, कटारियाजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उस जिले के हैं और अन्ततोगत्वा, कहीं भगवान नहीं करे कुछ गड़बड़ हुई तो सारी तकलीफ आपकी होने वाली है। आप परेशान ज्यादा रहोगे। इन राठौड़ साहब का कुछ नहीं, यह तो आग लगाकर दूर खड़े रहते हैं, जैसी इनकी आदत है। आपकी सारी जिम्मेदारी अधिक बनेगी और आप वरिष्ठ मंत्री हैं। हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और जो मेला हो रहा है उसके पूर्व आप कोई ऐसे कदम उठाएं जिससे जो दुःखद घटनाएं हुई हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह ठीक कह रहे हैं। आप अलग क्यों नीति अपना रहे हैं ? जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिये कभी आपने सोचा, इनको क्या दोगे आप? क्योंकि वह थोड़े हैं, कोई कहने वाला नहीं हैं। जो एक आदिवासी मरा है उसको एक लाख, कहीं आप तीन लाख देते हैं, कहीं आप चार लाख देते हो, कहीं कुछ देते हो। आप एक नीति तो बनाओ । जहां जिस प्रकार का प्रैशर बना, आप उस किस्म की रकम की घोषणा कर देते हैं। कहीं आप नौकरी दे देते हैं, कहीं आप नौकरी नहीं देते। यह डिफरेंट यार्डस्टिक मत करिये, अन्यथा लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। या यह सरकार प्रैशर से ही दबती है क्या ? प्रैशर को कामयाब करने के लिये एक हिंसा में दूसरी हिंसा होगी, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा मत करो। गृह मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के खातिर हमारे आदिवासियों में भ्रम

(श्री नानालाल अहारी)

पैदा हुआ। आदिवासी इस मंदिर में केवल आस्था रखता है, मंदिर से कुछ ले नहीं जाता है। सारी बातें वैसे रघुवीरजी ने बता दी हैं। जब अपने किसी नये काम को आदिवासी चालू करता है, अगर कोई फल-फ्रूट भी हो तो वह पहले मंदिर में चढ़ाएगा। कुए का पानी हो तो मंदिर में चढ़ाएगा। केवल उनकी आस्था का सवाल है। इस बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार या तो रिव्यू पीटिशन में जाए और नहीं तो जो भी कमेटी बने, उस कमेटी में सर्वधर्म, सभी धर्म के व्यक्तियों को लिया जाए ताकि आज जो स्थिति है, वह स्थिति बाद में नहीं रहे, यही मेरा निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो भावना सदन के सभी माननीय सदस्यों की है, मेरी भावना भी उसी के साथ समाहित है। कहीं तो समझने की गलती या लोगों ने उसका दुरूपयोग कर डाला और उसका ठीक समय पर निदान नहीं कर पाये जिसके कारण से यह सारी घटना हुई है। फैसले के बाद यह स्वाभाविक मन में आया कि यह जैन मंदिर हो गया, क्योंकि फैसले में बात यह आई कि 73 का जो फैसला था उसको अपहोल्ड करते हुए इसको जैन मंदिर माना, हिन्दू मंदिर नहीं माना। फैसला इतना था। लेकिन उनके दिमाग में यह गलतफहमी थी, इसको निकालने का प्रयास किया तो सही, लेकिन कन्वींस नहीं कर पाये। मीटिंग भी की, ऐसा नहीं है। 16 तारीख को मीटिंग की लगभग छह-सात बार। उन सबको साथ बिठाने की कोशिश की। जहां यह बैठते थे वहां बराबर कन्विंस होकर उठते थे। लेकिन बाद में इसके पीछे कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने इसको तूल देने की कोशिश की। वास्तव में जैसे उन्होंने कहा, आदिवासी यहां से कुछ नहीं ले जाता, बल्कि जो कुछ उसकी जेब में दो-चार पैसे हैं वह वहां देकर जाता है। आज दिन तक वहां से कभी कुछ लेकर नहीं गया। उसकी आस्था का सवाल है और हमसे ज्यादा कट्टर आस्था है उनकी। शादी-ब्याह में, मरण में, मौत में वह सैकड़ों की तादाद में आते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। जो कुछ भी उनका होता है उसको कर वह चले जाते हैं। सामान्यत: जैन मंदिर ही एक ऐसा मंदिर होता है जिसमें किसी जात-बिरादरी को, यह यहीं नहीं, हिन्दुस्तान में आप कहीं चले जाएं, कोई भी व्यक्ति दर्शन, पूजा-सेवा, प्रच्छान्न, जो भी चाहे कर सकता है, कोई रोक-टोक नहीं थी। लेकिन यहां समझाने में, प्रशासन को जितनी मुस्तैदी से प्रयास करना चाहिये, वहां उसकी भूल हुई और उसके कारण से यह घटना घटी है। हाल वही हुआ जो खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहा कि वहां का आदिवासी दो बातों से संतुष्ट होगा या तो रिव्यू पीटिशन के आधार पर उसको उसका मैम्बर बनाकर जब कभी भी कोर्ट से फैसला हो तो उसको भी सुना जाए, एक तो यह हो। दूसरा यह कि अपने यहां का देवस्थान का जो एक्ट है उसमें परिवर्तन करके कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, जिसमें इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाये। यह कोई व्यक्तिगत प्रापर्टी नहीं है । यह उस मंदिर की प्रापर्टी है। आज दिन तक कोई भी जैनी पैसा खर्च करता तो है लेकिन वहां से उठाकर कभी किसी मंदिर में ले जाने की उसकी कभी मंशा नहीं रही है। आज दिन तक कभी सवाल ही नहीं चाहे नाकोड़ा चले जाओ।

रहा सवाल इसमें गोली चलाने का, वहां भंवर सिंह राठौड़, ए.डी.एम. जो थे उदयपुर शहर के, वह उस समय वहां मौजूद थे। मैं, सी.पी. साहब, आपको कोई भी चीज गलत कहकर अपने आपको बचाने का प्रयास नहीं करूंगा। पुलिस और सारे जन-प्रतिनिधियों को जब मैं वहां गया तो मैंने तो धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने रात भर प्रयास किया जिसके कारण अमन-चैन और शांति स्थापित हो सकी। वहां एस.पी. की बहादुरी के कारण से कम से कम घाटा होकर स्थिति कंट्रोल में हो गयी। वास्तव में सच में मैं चाहता हूं और सारा सदन भी यही चाहता है कि किसी तरह से इस समस्या का स्थाई समाधान निकले। वह इससे कोई प्रापर्टी नहीं मांगते हैं और न कोई यह कहते हैं कि चढ़ावा हमको दे दो। यह आदिवासियों की कहीं मांग नहीं है। उसका जो दर्शन का अधिकार प्रारम्भ से, मैं सोचता हूं जैनियों ने पूजना बाद में शुरू किया होगा जिस समय यह मूर्ति प्रकट हुई थी पगलियाजी की, उस समय से लेकर उन लोगों में, इस काला बाबा की आस्था थी। उन्होंने ही लाकर इसकी स्थापना की। सेवा-पूजा कौन करता है, यह विवाद कहीं पर नहीं है। विवाद को खड़ा करने वाले कुछ तत्व हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये और जैसा सी.पी. साहब ने कहा जिनका भी नुकसान हुआ है उनको कम्पनसेट करना चाहिये और उसके लिये विचार जरूर होना चाहिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक तो मुआवजा देने में जो भेदभाव किया, इसको आप ठीक करेंगे। किसानों को आपने पाँच लाख रुपये का मुआवजा दिया, उनको सिर्फ एक लाख रुपये का मुआवजा दिया। (व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कृपा करके जिस चीज को बड़ी आसानी से सबसे मिलकर शांत किया, उसको एक नया तूल देंगे तो दो-तीन

लाख रुपये का कोई अर्थ नहीं है। मैं सोचता हूं, जिस विषय को सब लोगों ने मिलकर जिस ढंग से रखा, कृपा करके उसको शांत होने दें। अगर कुछ हुआ तो उसमें किस तरह से किया जा सकता है, यह देखेंगे। लेकिन इसको विवाद का विषय बनाकर न रखें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक आपने रावला-घड़साना में एक आदमी को नौकरी दी जो मरे, इनको नौकरी नहीं दी। यह आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? इसको तो कम से कम ठीक करो। और जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आपने गोली चलाई तो इसकी न्यायिक जांच करवा लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कह दिया न, भंवर सिंह यहां था ए.डी.एम. उदयपुर, उसके आदेश से गोली चली है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उन्होंने चुनौती दी है, इसकी न्यायिक जांच करवा लें। न्यायिक जांच करवा लें, पता लग जाएगा। (व्यवधान) पता लग जाएगा न्यायिक जांच करवाने पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां पर दो मजिस्ट्रेट मौजूद थे। (व्यवधान) मौजूद थे वहां पर ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आप विषय को उलझाकर ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिनका प्रापर्टी का नुकसान हुआ है उनको आपने कोई मुआवजा नहीं दिया है। उनको आप क्या देने जा रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर जगह अशांति फैलाते हैं प्रतिपक्ष वाले। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वहां बीकानेर में बैठकर समस्या का हल नहीं हो सकता है। (व्यवधान) वहां समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ? यह सब लोगों ने मिलकर, यहां तक कि पार्टी से ऊपर उठकर किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं, माननीय गृह मंत्रीजी, वहां जाकर आया हूं, प्रापर्टी का नुकसान भी बहुत हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वहां का ट्रेंड आप नहीं समझते हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कल्ला साहब, आग मत लगाओ, समझाइश हो जाएगी। सकारात्मक रूख रखो, ये रोटियां मत सेको। हो जाएगा, ईश्वर कृपा से समझौता हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। आग मत लगाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमारे 50 लोग इंजर्ड होने के बाद भी सोयला में एक छोटी-सी घटना से धड़ाधड़ ठोके गये। पुलिस ने 50 लोग इंजर्ड होने के बाद भी केवल बल का प्रयोग कम से कम कैसे हो सकता है और वह भी पैरों में कैसे हो सकता है, इस बात की कोशिश की, जिसके कारण उस भीड़ में भी पहले दिन के हादसे में कोई व्यक्ति मरा नहीं है। लगी है, यह बात सही है। मैं सोचता हूं आप इसको उधेड़े जाओगे तो समस्या को और उलझाओगे। यह बहुत टिपिकल समस्या है। इसको हल करने के रास्ते पर बढ़ो। मन यह रखें कि उसकी आस्था का केन्द्र है, उसकी आस्था है, उसमें किसी प्रकार की कोई खलल नहीं आनी चाहिये और जो कुछ भी किया जा सकता है उसके बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब, दो मिनट। आज सदन के अंदर इस चिट के द्वारा जो बात उठायी गयी है उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से उस पर चर्चा हुई है। वह एक ऐसा वातावरण बना है पक्ष और विपक्ष का, इसको इस तरह से मत खींचो। आज हम सबके लिये शुभ दिन है। सदन की नेता, आपकी नेता, मुख्य मंत्रीजी का जन्मदिन है और उस पर यह चर्चा हो रही है। आप इस आदिवासियों के मामले को, ऋषभदेवजी वाले मामले को औरों की तरह से मत सलटाओ, आप इसको अलग ढंग से ...

श्री उपाध्यक्ष: इसीलिए शांत हो रही है चर्चा। चर्चा बड़ी शांतिपूर्ण हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, इसको आप शांतिपूर्वक सलटाओ और यहां आस्तीन ऊपर मत चढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं चढ़ाएंगे। किसी ने ही नहीं चढ़ायी है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, होम मिनिस्टर साहब चढ़ा रहे हैं। आस्तीन ऊपर मत चढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे मुद्दे पर आज इतनी शांति है कि इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस चिट के द्वारा इतना शांतिपूर्वक वातावरण बना है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है सब की तरफ से। इधर से किसी ने जो बात कही, आप उनकी बात ही मान लो। चलो हमारी मत मानो, आप अपने आदिवासी लोगों की बात मानो, हमारी बात रहने दो। हमारी बात रहने दो, हमारी बी.डी. कल्ला साहब ने उठा दी बात, इनकी बात छोड़ दो, आप उनकी बात मान लो। यह जो एक आदमी मरा है और 11 आदमी घायल हुए हैं, यह मामूली बात नहीं है, साहब, एक आदमी का मरना ओर 11 आदमियों का घायल होना। यह तो सौभाग्य है, आप तो कह रहे हो बुद्धिमानी, बुद्धिमानी काहे की है? वह तो अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं, कोई नहीं मरा, बच गये। आप समझाइश की बात कर रहे हो, वहां कौन समझा रहा था? वहां तो समझा कोई नहीं रहा था, गोलियां चल रही थी, लोग धड़ाधड़ पड़ रहे थे, मर रहे थे, एक मरा और 11 घायल हो गये। तो आप इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुधारो।

श्री उपाध्यक्ष: वो ही किया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक आदिवासी मरा है और 11 घायल हुए हैं, वह आप ...(व्यवधान) इसके साथ में जोड़ो इस घटना को। यह धार्मिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है। सब धर्मों का है, सनातन का है, जैनियों का है, सब का है, तो इसको आप उससे जोड़ो मत। एक भक्त जो मरा है, 11 भक्त जो घायल हुए हैं उनकी तरफ से, इसको रिव्यू करो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जैसा खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसको रिव्यू करो तो उसको रिव्यू कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: हो रहा है, हो रहा है, करेंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि केसरियाजी जो ऋषभदेवजी के हैं, वो जन-जन के आस्था के केन्द्र हैं। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सदन में आज पर्ची के माध्यम से जो यह मामला उठा, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सब ने दलीय सीमा से बाहर जाकर कहा है किस तरह शांति हो, किस तरह वहां के उद्वेलित आदिवासियों के मन में यह भाव जागे कि जन-जन के आस्था के केन्द्र, जिनके साथ जनम से लेकर मरण तक उनका रिश्ता रहता है वहां उनकी पूजा-अर्चना में किसी तरह की बाधा नहीं, यह संदेश किस तरह पहुंचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सारा प्रकरण आया और जो विवाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खड़ा हुआ, यह विवाद खड़ा हुआ 4 जनवरी, 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 की जो एकल पीठ का निर्णय था, उसको बहाल किया और इसके साथ-साथ यह भी कह दिया कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर राजस्थन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 36 के तहत सहायक आयुक्त को सरकार निर्देश प्रदान करे कि मन्दिर श्वेताम्बर का है या दिगम्बर का है, उसके लिए सक्षम आपत्तियां ले और उनका निराकरण भी करे।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और उसमें समय की सीमा और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बारे में गृह मंत्रीजी ने बड़े विस्तृत रूप से बताया। इसमें कोई शक नहीं कि जब यह फैसला हुआ और फैसले के बाद ज्यों ही यह विज्ञप्ति जारी हुई 29.01.1997 को, कतिपय लोगों ने उस विज्ञप्ति के माध्यम से यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि अब इसमें आदिवासी पूजा-अर्चना के लिए जा नहीं पाएगा। जो कि सर्वथा गलत थी। इसमें भी कोई शक नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष: न्यूज पेपर्स में सब बातें आ गयीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई शक नहीं कि प्रशासन ने नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जन प्रतिनिधियों के, इनके साथ बैठ कर एक बार, दो बार नहीं, एक दर्जन से ज्यादा बार समझाइश करने की कोशिश की। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो सारी स्थिति पैदा हो गयी, इसके बाद निश्चित तौर पर अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानते हैं, क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में इसको माना कि यह जैन मन्दिर है और फिर जनवरी, 2004 के अन्दर उन्होंने जिस फैसले को बहाल किया, मैं उस फैसले की दो, तीन बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 59 की धारा 52 के अन्तर्गत जो चैप्टर दस है, उसके अन्तर्गत आने वाले लोक न्यासों की सूची 6 महीने में प्रकाशित करो, यह 1997 का फैसला है। और तीन महीने के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 36 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त को निर्देश जारी करें कि वो जांच रिपोर्ट, आपत्तियां लेकर प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन करे।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा 36 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा 36 यह कहती है कि धारा 53 की उप धारा पाँच के अन्तर्गत हित रखने वाले व्यक्तियों की इच्छाएं मालूम करने के लिए राज्य सरकार सहायक आयुक्त को प्रबन्ध समिति के गठन के लिए सुझाव मांगते हुए ऐसी रीति से, जिसे उपयुक्त समझे, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देगी और उसमें इन्होंने कहा है कि सहायक आयुक्त इस प्रकार के प्राप्त हुए सुझावों को अपनी टिप्पणियों सहित आयुक्त, देवस्थान के मार्फत राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जब यह सूचना प्रकाशित हुई, 3642 आपत्तियां आयी हैं। इन सारी आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद उसका निस्तारण करें, और महीने हमें दिये हैं चार, यह संभव नहीं है। इसके साथ जब उच्चतम न्यायालय के फैसले ने इसे जैन मन्दिर बना दिया तो इस जैन मन्दिर की बात को लेकर अगर समिति का गठन होगा तो भी वे दूसरे लोग इसमें हैं, जो अपनी आस्था रखते हैं उनके हितों की सुरक्षा पर भी एक अनजाने, जाने में नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनजाने में एक सवाल खड़ा हो जाएगा क्योंकि यह मन्दिर राज्य सरकार के आत्मनिर्भर श्रेणी का राज्य मन्दिर है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन में जाएगी। रिव्यू पिटीशन के साथ-साथ राज्य सरकार ने जो पहले एफीडेविट दिया है कि यह मन्दिर सब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दूसरे लोगों को लिए, सब के लिए समान आस्था का केन्द्र रहेगा, उसी आधार पर चूंकि आदिवासी प्रतिनिधि अभी मुख्य मंत्रीजी से मिले थे। उस समय भी यह बात उठी थी कि हम अपनी बात को विभिन्न न्यायालयों में कह नहीं सके। यह जो रिव्यू पिटीशन जाएगी उस रिव्यू पिटीशन के माध्मय से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना करेंगे कि आपके इन निर्णय की पालना हम इन-इन कारणों से नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार आदिवासी और आदिवासियों के साथ-साथ हर लोग, जो किसी भी धर्म और सम्प्रदाय में विश्वास रखते हों, जो किसी भी पद्धति से पूजा और अर्चना अपने देवताओं की करना चाहते हैं, उनके सब के हितों की रक्षा करते हुए कोई तरह का काम करेंगे जिससे सर्व धर्म, सब लोग जाकर अपनी पूजा-अर्चना कर सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा विशेष तौर पर सभी माननीय सदस्यों से कि इस बार जब यह मामला हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का जिस तरह का इतिहास है, अपनी बात के लिए मर-मिटने का इतिहास है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस तरह की शिक्षा की कमी उनमें है और जिस तरह ढोल बजा कर वो करो और मरो पर आ जाते हैं, बहुत बड़ी समझाइश की आवश्यकता थी, उस समझाइश के अन्दर सब लोगों ने सहयोग दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार निश्चित समय में रिव्यू पिटीशन में जाकर पुनः यह प्रार्थना करेगी सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने जो फैसला दिया है 04.01.2007 को, उसकी पालना में अड़चनें आ रही हैं और हम दोबारा इसमें रिव्यू पिटीशन में जाएंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र. सं. 169 से 186)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। डा. सी.पी. जोशी, सभापति, जन लेखा समिति, 2006-2007 समिति के 18 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2006-2007 के निम्नांकित 18 प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं :-

1. जन लेखा समिति, 2001-2002 के 104वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 169वां प्रतिवेदन ।
2. जन लेखा समिति, 2005-2006 के 117वें, 136वें एवं 137वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 170वां प्रतिवेदन ।
3. जन लेखा समिति, 2003-2004 के 197वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 171वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

4. जन लेखा समिति, 2004-2005 के 29वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 172वां प्रतिवेदन ।

5. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 का पैरा संख्या 4.18 वर्ष 2003-2004 का पैरा संख्या 4.2.11 तथा वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या 4.2.7 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 173वां प्रतिवेदन ।

6. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-2003 पैरा संख्या 1.9.5 गृह, वन, राजकीय उपक्रम एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वर्ष 2002-2003 पैरा संख्या 3.6 स्वायत्त शासन एवं गृह विभाग तथा वर्ष 2003-2004 पैरा संख्या 5.1 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 174वां प्रतिवेदन ।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 का पैरा संख्या 4.10 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 175वां प्रतिवेदन ।

8. जन लेखा समिति, 2004-2005 (12वीं विधान सभा) के 36वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 176वां प्रतिवेदन ।

9. जन लेखा समिति, 2002-2003 के 137वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 177वां प्रतिवेदन ।

10. जन लेखा समिति, 2004-2005 के 31वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 178वां प्रतिवेदन ।

11. जन लेखा समिति, 2001-2002 के 111वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 179वां प्रतिवेदन ।

12. जन लेखा समिति, 2005-2006 के 130वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 180वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

13. जन लेखा समिति, 2003-2004 के 196वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 181वां प्रतिवेदन ।
14. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट समाज कल्याण विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 का पैरा संख्या 3.7 एवं वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या 4.4.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 182वां प्रतिवेदन ।
15. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 का पैरा संख्या 3.4 गृह विभाग, वर्ष 2002-2003 का पैरा संख्या 4.6.5 वित्त, देवस्थान, समाज कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा एवं कृषि विभाग तथा वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या 4.1.3 कार्मिक विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 183वां प्रतिवेदन ।
16. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 का पैरा संख्या 6.4, वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या 4.2.5 मेडिकल शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 184वां प्रतिवेदन ।
17. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 4.14, चिकित्सा, वित्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 का पैरा संख्या 4.6.7, कृषि विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 का पैरा संख्या 3.3, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 का पैरा संख्या 4.1.2 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या 4.3.1 से संबंधित मामलों पर समिति का 185वां प्रतिवेदन ।
18. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 का अनुच्छेद संख्या 1.7.2, 2.7 एवं 4.2.5 तथा सहकारिता विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का अनुच्छेद संख्या 5.1 से संबंधित मामलों पर समिति का 186वां प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं :-

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नवलगढ़, भगेरा एवं सौंथली को क्रमोन्नत करने हेतु

(1) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नवलगढ़, भगेरा एवं सौंथली को क्रमोन्नत करने बाबत्,

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरोल एवं कसेरू को क्रमोन्नत करने हेतु

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरोल एवं कसेरू को क्रमोन्नत करने बाबत्, एवं

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहल्ला रेगरान (नवलगढ़) एवं बाय को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहल्ला रेगरान (नवलगढ़) एवं बाय को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत।

श्री उपाध्यक्षः श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुमेरपुर में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करवाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद औषधालय, पदराड़ा (गोगुन्दा) जिला उदयपुर के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जहां हमारी मुख्य मंत्री का आज जन्म दिन है, कल पूरी दुनिया में महिला दिवस है ...

अनेक माननीय सदस्य: आज ही है।

श्री अमराराम (धोद): आज ही कह रहा हूं। आज महिला दिवस है और जहां राजस्थान की सरकार ने एक ऐसे ...(व्यवधान).

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह कह रहे हैं भाभीजी को पूछ कर आएं, मैंने कहा भाभीजी हैं भी कि नहीं।

श्री अमराराम (धोद): है नहीं, कर लेंगे। उसी के लिए कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): भाभीजी नै महिला दिवस को कोई बेरो ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लिज हर्ले और अरूण नायर जिन्होंने तीन-तीन, चार-चार शादियां कर लीं, इन सामन्ती परम्पराओं में ....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनका क्या तुक है, यहां इस सदन का टाइम व्यय हो रहा है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) इसलिए दुःखी हैं।

श्री अमराराम (धोद): मेरी नहीं हुई आप करा देना। राठौड़ साहब आप करा देना। एक तो करा देना मेरी हुई नहीं इसलिए । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाह रहा हूं सरकार जो बड़े संस्कारों की बात करती है, हमारे गृह मंत्रीजी बड़े संस्कारवान लोग हैं...

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन इसमें क्या है?

श्री अमराराम (धोद): पाइंट आफ इन्फार्मेशन यह है, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: सबको पता है।

श्री अमराराम (धोद): सरकार ने इन लोगों को जिन्होंने तीन-तीन शादियां कर लीं, बच्चे गोद में ले रखे हैं, तीन-तीन, चार-चार शादियां कर लीं, उनको थ्री टायर सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान की पुलिस ने, गृह मंत्री ने उपलब्ध कराई है। मंत्री तो पिट रहे हैं उनकी सुरक्षा नहीं है लेकिन ऐसे लोग जो हिन्दुस्तान की संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको थ्री टायर दी है। क्या उनसे सरकार ने पैसा वसूल किया है इस सुरक्षा के लिए?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं करते तो आप एतराज करते कि साहब....

श्री अमराराम (धोद): नहीं, एतराज कर रहा हूं न राजस्थान की जनता के पैसे की पुलिस और जनता की सुरक्षा के लिए लगी हुई है होनी चाहिए, उसका उपयोग थ्री टायर ऐसे लोगों को लगाकर आज जिस तरह से सामन्तशाही को प्रोत्साहन करने का सरकार कर रही है, निश्चित रूप से जो भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, हमारी संस्कृति को पलीता लगाने का जो इस सरकार ने काम किया है। उसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए और सुरक्षा में जो भी खर्चा हुआ है वह उनसे वसूल किया जाना चाहिए, मेरा यह निवेदन है ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल 170 भेड़ें मर गईं। कैसे मरीं, महामारी से मरीं या किस कारण से मरीं? चरवाहे जो मारवाड़ क्षेत्र से भेड़ें लेकर आते हैं, अपने पशुओं को भेड़ें चराते हुए ले जा रहे थे, मालपुरा गांव के पास 170 भेड़ें एक साथ मर गई हैं । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जिनकी भेड़ें मरी हैं उन किसानों को, गरीबों को मदद क्या सरकार करेगी? किस प्रकार से वह भेड़ें मरीं, कहीं महामारी तो नहीं है जिससे और पशुओं को नुकसान हो सके? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी पी जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, दी इंडियन पार्टनरशिप राजस्थान अमेंडमेंट बिल, 2007 में माननीय मंत्री महोदय ने अलग-अलग सैक्शन के इन्फार्मेशन लेने के चार्जेज को एनहांस किया है और स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में जो लिखा है मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान

(डा. सी. पी. जोशी)

आकर्षित करना चाहता हूं, "With a view to rationalize the rates of fees, certain amendments are proposed to be made in the first Schedule appended to the Indian Partnership Act, 1932 in its application to the State of Rajasthan as the expenditure incurred..." Once again I am repeating. "...as the expenditure incurred on providing services have considerably increased and it is necessary to meet such increased expenses being incurred by the State Government." मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई आधार बनाया जिस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं? जो सर्विस हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे,

(समय 14.54 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

जिन सर्विसेज के चार्जेज आपने बता रखे हैं 100 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज एण्ड 6 रुपीज, उसमें किन आधार पर कोई आपने एक आधार इजाद किया है, यह पता लगाया है कि सर्विस प्रोवाइड करने में हमारी इतनी कास्ट आती है? If it's linked with the cost of the services you are rendering तब तो समझ में आता है। आज 1932 के एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, पाँच साल बाद फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा and you never thought it कि यह जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैं यदि आई टी से सूचना लूं, आपसे I have to pay less. Why should? pay more? आपने यह जो अमाउंट प्रैस्क्राइब किया है, यह सोचकर प्रैस्क्राइब किया है कि हिन्दुस्तान में ई-गवर्नेंस आएगी नहीं और ई-गवर्नेंस आएगी नहीं तो प्रिंट मीडिया से कागज लेकर हमको सूचना देनी पड़ेगी। भारत सरकार इतना बड़ा पैसा खर्च कर रही है, राजस्थान सरकार भी क्रेडिट ले रही है कि हम ई-गवर्नेंस करेंगे, ई-गवर्नेंस करने के बाद when I have a right to have this information by PC or service provider जो आपके पास है, उस समय यह कास्ट मंहगी पड़ेगी, यह ज्यादा पडेगी तो by putting this provision you are depriving those people who want to use these services. आप जैसा प्रोग्रेसिव मिनिस्टर रिट्रोग्रे जो स्टैप लेना चाहता है, यह मैं समझता हूं राजस्थान के इण्डस्ट्री मिनिस्टर के लिए मेरे मन में कल्पना नहीं थी। उलटा होता, आप इसकी जगह दो प्रोवीजन करते । नम्बर एक प्रोविजन यह कि जो ई सर्विसेज नहीं लेगा उस ई-सर्विसेज नहीं लेने वाले के लिए यह कास्ट होगी और जो ई-सर्विसेज में सूचना लेगा उसके लिए यह कास्ट होगी। तो मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा होता। इंटरनैट, ब्राड बैंड, ब्राडबैंड में इन्सेन्टिव मिल रहा है, घर बैठे डाउनलोड करके सूचना ले सकते हैं। यह

(डा. सी. पी. जोशी)

मेन्डेटरी है, यह सूचना आपको ई-सर्विसेज में लेनी है। जब यह सब सरकारें राजस्थान सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, इक्कीसवीं सदीं में हम बात कर रहे हैं तो सत्रहवीं सदी का यह संशोधन लाने की मुझे आपसे मंत्रीजी आशा नहीं थी। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रस्ताव में रेशनलिटी हो सकती है I don't deny it, बट साइमलटेनियसली यह जो आपने अधिकार लिया है It shows the government is ignorant. It shows the Minister, who is knowledgeable person, is not aware about how the future will reveal. इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान की नहीं हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके एक गुडविल जैस्चर बताएं असेम्बली में कि यह गलती हुई है । गलती हुई है तो इसको ठीक करने का तरीका यही है कि आप इस अमेंडमेंट को, यह सेण्ट्रल एक्ट है इस सेण्ट्रल एक्ट में छूट दी राजस्थान को तो दूसरी स्टेट से आपका क्या अन्तर है, If you are also following other states. झारखंड वाला वही करे, छत्तीसगढ़ वाला वही करे, मध्यप्रदेश वाला वही करे, दिल्ली वाला वही करे और राजस्थान वाला करे तो यह तो one more feather in the cap आपकी कैप में नहीं है, You add one more feather in the cap and say look, here is an Industry Minister who is a progressive and he knows everything. तब तो मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। अन्यथा मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो आपने प्रस्ताव रखा है, अनसाइन्टिफिक है, अनरीजनेबल है, कोई साउंड बेसिस नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव है और आगे आने वाली सरकार की ई-गवर्नेंस को डिस्करेज करने का सिंग्नल देने का आप यह काम कर रहे हैं । मेहरबानी करके यह न करें, इसलिए इस बिल को आप जनमत के लिए प्रसारित करें।

श्री सभापतिः माननीय श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, यह अभी जो राजस्थान अमेंडमेंट के ऊपर यह मैक्सिमम फी की जो शिड्यूल है, उस सम्बन्ध में यह बताया गया कि किस रेशनल एप्रोच से बनाई गई है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो ओरिजनल एक्ट है उसकी शिड्यूल-1 के स्टेटमैंट अन्डर सैक्शन-58 में 3 रुपीज थी, स्टेटमैंट अन्डर सैक्शन-60 में 1 रुपीज थी, स्टेटमैंट अन्डर सैक्शन 61 में 1 रुपीज थी, इंटीमेशन अन्डर सैक्शन 63 में 1 रुपीज थी,

(श्री जोगाराम पटेल)

एप्लीकेशन अन्डर सैक्शन 64 में 1 रुपीज थी। इस तरह से यह थी ओरिजिनल शिड्यूल 1 रुपीज थी। थ्री रुपीज एक में था स्टेट में अन्डर सैक्शन 58 में, बाकी सभी में वन रुपीज था। धीरे-धीरे 95 में जब अमेंडमेंट हुआ, 18 अक्टूबर 1996 में जब अमेंडमेंट हुआ तो यह जो थ्री रुपीज थी उसकी जगह 100 रुपीज और जो वन रुपीज थी उसकी जगह 30 रुपीज हुआ और अब 1996 के बाद, करीब दस साल बाद यह जो प्रपोज किया गया है 100 की जगह 300 और 30 की जगह 100, यह रेशनल एप्रोच नहीं हुआ है। जो जिन सरकमटान्सेज में, जिस एटमोस्फियर में जिस प्राइस इण्डेक्स में और जिन सर्विसेज में इसकी आवश्यकता महसूस की गयी, इसीलिए यह प्रपोज किया गया है 300-100-100 इसलिए इतना तो मैं समझ पाया हूं कि यह जो प्रपोज की गई है यह रेशनल एप्रोच में है, आज का जो वातावरण है उसके अनुसार है, आज की जो प्राइस इण्डेक्स है उसके अनुसार है और जो सर्विसेज दी जा रही हैं चाहे रजिस्ट्रेशन की हों चाहे और सर्विसेज हों, उन सर्विसेज के अनुसार भी है।

मैंने जनमत जानने का अपना प्रस्ताव दिया है जिसको मैं विथड्रा करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। साथ ही साथ यह निवेदन भी करूंगा कि जो मैक्सिमम फी अन्डर सैक्शन-71 सब क्लाज(1) में प्रपोज की गयी है, वह मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में, मेरे मत के अनुसार सही है और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने जनमत जानने का जो अपना प्रस्ताव दिया है उसको मैं विथड्रा करना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक साथ करवा देंगे। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

(समय 15.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, भारतीय भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2007

चर्चा के लिये आज सदन में पेश हुआ है। विधेयक को लाये जाने के कारणों और उद्देश्यों में कारण बताया गया है कि राज्य सरकार का उपगत व्यय बढ़ा है और इसकी पूर्ति करने के लिये इस विधेयक को लाया जाना अत्यन्त आवश्यक था। वैसे तो, माननीय सभापति महोदय, यह युक्तियुक्त और तर्कसंगत बात है। अभी आदरणीय जोशीजी जब इस बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने यह भावना प्रकट की कि ई-गवर्नेंस का जमाना है और सूचना के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अधिकार के तहत कानूनी रूप से हम आम आदमी को सुलभ अधिकार प्रदत्त करना चाहते हैं, चाहे सामान्य प्रार्थना पत्र पर सरकार के काम काज की किसी भी सूचना को संकलित करना चाहे। अब हम एक कदम उससे आगे बढ़ गये कि वह कमरे में बैठकर न केवल सरकार के बल्कि आज कल तो मैं कहता हूं कि न्यायपालिका के सारे फैसले भी वैबसाइट पर आने लगे हैं। ऐसा सूचना तंत्र जब हम विकसित कर रहे हैं, सरकार के काम काज की सारी गतिविधियों का निस्तारण वैबसाइट पर डाल रहे हैं कि सरकार के काम काज में पारदर्शिता रहे। केवल पारदर्शिता नहीं रहे सरकार के काम काज में पारदर्शिता राजस्थान की जनता को नजर भी आए और उसको मिलने वाले मौलिक अधिकार के बाद यह महसूस हो कि मैंने जिस सरकार को चुनकर भेजा है उस सरकार के काम काज में इतनी पारदर्शिता है। मैं उसके किसी भी दस्तावेज को, किसी भी फैसले को, किसी भी निर्णय को वैबसाइट खोलकर चैक कर सकता हूं और अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड करके उसकी प्रति प्राप्त कर सकता हूं। यह सारा विचार पूरे देश में सूचना के अधिकार के तहत आम आदमी को उपलब्ध कराये जाने का विचार चल रहा है और इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों पर अगर हम विचार करते हैं तो मैं समझता हूं, इस बिल को लाये जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि व्यक्तिगत सूचना के आधार पर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को प्राप्त करना चाहता है, सामान्यतः इसका सम्बन्ध व्यापार और उद्योग से जुडे हुए लोगों से है, इसलिये हमारे मन में यह कल्पना कि इस फीस का बढ़ाने का भार कोई आम जन पर पड़ेगा मैं समझता हूं, तथ्यों से परे भी हो सकता है। इसलिये सरकार ने जो विचार करके फीस को बढ़ाया है, मैं सरकार की मंशा समझते हुए उसके युक्तियुक्त तर्क का समर्थन करते हुए मेरे द्वारा जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापतिः माननीय श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापतिजी, भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 फीस की दरों को युक्तिसंगत करने की दृष्टि से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 राजस्थान राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं क्योंकि सेवाएं प्रदान करने में उपगत व्यय बहुत बढ़ गया और इस वजह से राज्य सरकार द्वारा उपगत किये जाने वाले ऐसे बढ़े हुए व्यय की पूर्ति करना

(श्री भागीरथ चौधरी)

आवश्यक है। इसे आज जो हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है, उस दृष्टि से देखा जाए। दूसरा, यह जो व्यय बढ़ा है यह कोई आम किसान या मजदूर पर इसका कोई भार बढ़ने वाला नहीं है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के ऊपर ही ज्यादा इसका भार बढ़ने की संभावना है, इस दृष्टि से देखें तो यह जो युक्तिसंगत व्यय बढ़ाया गया है, इससे मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैंने जो जनमत जानने के लिये प्रस्तावित किया था उसको वापस लेता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्रीमती अनिता भदेल। (अनुपस्थित) माननीय श्री नवरतन राजोरिया। (अनुपस्थित) माननीय हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय,... (व्यवधान) आप तो यही चाहते हैं कि मैं अनुपस्थित सदन से ही हो जाऊं।

भागीदारी अधिनियम के शिड्यूल में परिवर्तन करने का माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो यह बिल पेश किया है, सबसे पहले तो मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि आज की तारीख में जब से इनकम टैक्स एक्ट में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद धीरे-धीरे पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप फार्म्स बनना लगातार कम होती जा रही हैं। यह कैलकुलेट आपने किया होगा कि जो फीस आपने बढ़ायी है इससे पूरे साल में आपको कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी। मैं यह कहता हूं कि इससे जो भी रेवेन्यू जनरेशन आपको होगा वह इतना इनसिग्नीफिकेंट होगा कि इससे न तो राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर पड़ने वाला है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, यह उस स्थिति में है जब राजस्थान सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के बाद राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति सबसे सुदृढ़ बतायी जा रही है आज की तारीख में। उस सुदृढ़ता के बावजूद आप इस प्रकार के छोटे-छोटे संशोधन करके पचास हजार, दस लाख, पाँच लाख के लिये आज महिला दिवस पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी के जन्म दिवस पर यह उपहार देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद नहीं थी। आज भी आप, आज के दिन आपको कोई न कोई उपहार देना चाहिये था। उसके बावजूद आप टैक्स लगा कर माननीय मुख्यमंत्रीजी के जन्म दिन पर भी हमको खुशी नहीं मनाने दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से आप सुदृढ़ हैं, फाइनेंशियली बहुत

(श्री हरिमोहन शर्मा)

साउंड हैं, हिन्दुस्तान में आपका गिनती में एक-दो जगह नाम है, तो यह मामूली-से पैसों के लिये परिवर्तन करना और युग में जो परिवर्तन आ रहा है, ई मेल का आ रहा है, कोई फैक्स से भेज रहा है, कोई किससे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, इनफार्मेशन ले रहा है, उसमें इन प्रोफार्मा के आधार पर कोई कास्ट आपकी बढ़ी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं के अनुरूप आप इस सारे प्रकरण में जनमत जानने के लिये इस बिल को भेजेंगे।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित) माननीय बृजकिशोर शर्मा। (अनुपस्थित) डा. श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 के संशोधन में जो राज्य सरकार ने फीस में वृद्धि की है, मेरा इस बारे में यह कहना है कि जब हम सब ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं उस समय इस प्रकार के प्रस्ताव बिलकुल बेमाने हैं। दूसरी बात, जब कल बजट आने वाला है तो बजट से पहले चाहे छोटी ही आपने वृद्धि की हो लेकिन बजट को बाई पास करके ऐसा प्रस्ताव रखना, यह चोरी छिपे रेवेन्यू बढ़ाना है जो कतई उचित नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसमें कोई विशेष धन प्राप्त होने वाला नहीं है उसके बाद क्यों हम अनावश्यक रूप से राजस्थान की जनता पर भार डालें? एक तरफ तो आप बहुत बड़ी बात करते हो कि हम बहुत सक्षम हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सम्पन्न हैं और हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि टैक्स फ्री बजट होगा आप यह जो लगा रहे हैं यह क्या है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें माननीय मंत्रीजी बहुत गंभीरता से और सदाशयता से काम लें और इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित करें ताकि इस पर सही निर्णय हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इसके बारे में मैं अपने विचार रख रहा हूं। यह अधिनियम 1932 में बना, भारत सरकार का यह एक्ट है। इसमें अनुसूची प्रथम में धारा 73 (ए)

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

के अंतर्गत राज्यों को जो फीस लेने का अधिकार दिया गया है उसमें माननीय उद्योग मंत्रीजी अब परिवर्तन ला रहे हैं। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पब्लिक फाइनेंस का कोई भी विशेषज्ञ चाहे डा. वी.के.आर.वी. राव हों, चाहे प्रो. गाडगिल हों, प्रो. कीन्स हों अथवा आपके प्रो. अजेला हों, सब लोगों ने यह कहा है कि टैक्स वह लगना चाहिए जो उसका भार सहन कर सके और टैक्स रेशनेल वह कहलाएगा जिसका भार सौ प्रतिशत से अधिक नहीं हो। लेकिन यहां तो तीन गुने, पाँच गुने आपने फीस बढ़ा दी और फीस बढ़ाने में यह भी ध्यान नहीं रखा कि राजस्थान में सूचना के अधिकार में एक पेज का दस रुपये लेते हैं और इसमें उन्होंने पन्द्रह रुपये प्रपोज किया है। सौ शब्दों के एक कागज को लेने में राजस्थान में ही आपस में विसंगतियां हैं। किस तरीके से आप सूचना के अधिकार का एक पेज दस रुपये में देने जा रहे हैं और आपने पंद्रह रुपये इसमें फीस लगा दी?

सभापति महोदय, हमने तो यह सुना था कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। एक तरफ तो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को याद होगा, हम इस सदन में बैठे हुए थे, कृषि उपज मंडी के मामले को लेकर यहां कुछ व्यापारी आये थे और उन पर सचिवालय पर लाठी चार्ज किया गया तो कम से कम छः ट्रक वहां से जूते भरकर पुलिस उठाकर ले गयी थी। अब यह राजस्थान गवर्नमेंट भार डाल रही है छोटे-छोटे व्यापारियों पर। मैं समझता हूं इस तरह व्यापारियों का मोह भंग होगा कि यह सरकार हमारे ऊपर किस प्रकार भार डाल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, कोर्ट फीस जिस समय बढ़ायी गयी थी, उस समय पूरे राजस्थान में आंदोलन हुआ था और वकीलों ने, न्यायालयों में काम करने वाले लोगों ने इस बात के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था कि इस पर पुर्नविचार किया जाये। मैं आपको कुछ प्रावधान जो इन्होंने किये हैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दस्तावेज या कार्य जिनके विषय में फीस संदेय है, धारा 58 के अधीन पहले सौ रुपये लिया जाता था, अब यह तीन सौ रुपये यानि तीन गुने वृद्वि की है। धारा 60 के अधीन पहले तीस रुपये लिया जाता था अब सौ रुपये किया गया है। यह लगभग तीन गुने से ज्यादा है। धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना यह पहले तीस रुपये

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वसूल किया जाता था अब सौ रुपये वसूल किया जायेगा। धारा 62, 63 और 64 में भी पहले तीस-तीस रुपये लिया जाता था अब सौ-सौ रुपये लिया जाएगा। धारा 66 की उप धारा एक के अधीन फर्म के रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण पहले बीस रुपये में होता था, अब रजिस्ट्रेशन की एक जिल्द के निरीक्षण का सौ रुपये यानि पाँच गुने वृद्धि की गयी है। उसके बाद धारा 66 की उप धारा (2) के अधीन संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण, यह भी पाँच गुने वृद्धि की गयी है। फर्मो के रजिस्टर की प्रतियां प्राप्त करने का प्रति सौ शब्द पहले छः रुपये लिया जाता था, उसकी जगह अब पंद्रह रुपये यानि ढाई गुना वृद्धि की गयी है।

सभापति महोदय, आपने कारण यह बताया है बिल को लाने का कि इसका उपगत व्यय बढ़ गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि उपगत व्यय आपका कितना है और आपको रेवेन्यू इससे कितना प्राप्त होगा? यह सदन को आप बताएं कि आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया था प्रति दस्तावेज? या प्रति प्रज्ञापना का आपका उपगत व्यय कितना है और अब आपको कितना फायदा होगा? इस बिल के लाने के बाद राजस्थान की जनता से आप कितना फायदा लेंगे? मेरे से पूर्व वक्ता जो पुष्कर से आने वाले हैं वह ठीक कह रहे थे कि बजट से ठीक पूर्व चोर दरवाजे से सरकार इस प्रकार से बिल लाकर जनता के ऊपर करों का भार बढ़ा रही है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता के लिए हितकर नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पड़ोसी राज्यों में इन धाराओं के अंतर्गत क्या-क्या कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में इस अनुसूची के अंतर्गत जो फीस ली जा रही है उससे ज्यादा यह फीस है। इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे व्यापारी हड़ताल पर जाएंगे। इनडायरेक्टली जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जबसे यह सरकार आयी है इस सरकार ने बिक्री कर के भार में वृद्धि की, रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाया इस रूप में कि आये दिन कलेक्ट्रेट के द्वारा जमीनों की कीमतें बढ़ा-बढ़ाकर रजिस्ट्रेशन का शुल्क करीब-करीब तीन गुने से लेकर पांच गुने बढ़ा दिया गया।

(समय 15.15 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पैट्रोल, डीजल पर सैस लगाकर, केरोसीन पर उपभोक्ता समिति का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

टैक्स लगाकर, गैस के ऊपर टैक्स लगाकर और पैट्रोल में कम से कम 24 रुपये और डीजल पर 20 रुपये, इतना प्रतिशत टैक्स लगाकर महंगाई का भार बढ़ाया है। अब यह भागीदार, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर। पाँच लाख, सात लाख, दस लाख के ऊपर एक तरह से वे अपना कोई रजिस्ट्रेशन रखते नहीं, कोई काम करते नहीं, उनको उसमें कोई छूट नहीं की है। बड़ी-बड़ी कंपनियों, बड़े भागीदार, बड़े पार्टनर को सबको एक कर रहे हैं। तो आपको इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, जो फीस स्ट्रक्चर आपने दिया है वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। इसको आपको पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आप यह बताएं, सदन को कन्विंस करें कि जो फीस वर्तमान में आप सौ रुपये ले रहे हैं या तीस-तीस रुपये ले रहे हैं, यह आपके उपगत व्यय से कितनी कम है? यह जब तक आप नहीं बताएं तब तक आपको कोई राइट नहीं है कि आप केवल अपना एक्सपेंडिचर बताकर यह कह दें। आपने जो फीस बढ़ायी है इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और तब तक इस बिल को जनमत जानने के लिए एक माह के लिए परिचालित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री जुबेर खान । (अनुपस्थित) श्री मदन राठौड़ । (अनुपस्थित) श्री संयम लोढ़ा । (अनुपस्थित) डा. एन.एस. गुर्जर ।(अनुपस्थित) प्रभारी मंत्री।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य..

श्री अध्यक्ष: वह विथड्रा तो कर लें पहले ...(व्यवधान) जिन लोगों ने अपने प्रस्ताव नहीं रखे, वह तो विथड्रा करने की इजाजत लें न।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): वह कर ली ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह हैं ही नहीं शायद अभी जिन्होंने रखा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): सब कहकर गये हैं कि विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, कह दिया है तो ठीक है। क्या सदन की अनुमति मांग ली थी?

एक माननीय सदस्य : हां, मांग ली थी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चेयर के द्वारा अनुमति नहीं, उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा था, चेयर की तरफ से सदन की सम्मति नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष: मैं यही तो पूछना चाह रही हूं कि मांगी थी क्या। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि आधार और ये रेट्स दोनों आपके ही साथी मंत्री ने तय की थीं। चूंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर के आधार पर, 73 का सर्कुलर हैं। उसके आधार पर इन्फार्मेशन की आवश्यकता थी, वह आप समय पर प्राप्त नहीं कर पाये। प्रश्न अमाउंट का नहीं है, रेशोलाइजेशन भी अगर नहीं हो, आज तो चौराहे पर खड़े भिखारी को अगर एक रुपये का सिक्का देते हैं तो वह कह देता है कि यह क्या कर रहे हैं। तो क्या आप एक रुपये में या तीन रुपये में लेना चाहेंगे, इसका अमाउंट इज नेग्लिजिबल। प्रश्न यह है कि 1932 के बाद अमेंड हुआ और 1996 के बाद में अब दुबारा अमेंड हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र भेजा, जून में परमिशन मिल गयी। परमिशन मिलने के बाद में हमने इसका प्रस्ताव किया, विधान सभा सत्र के बीच में इसको पुटअप किया है। माननीय सदस्य, पूर्व उद्योग मंत्री अभी नहीं विराज रहे हैं, वर्ना तो शायद उनको याद होगा कि कब रखा था। संविधान के आर्टिकल 254(2) में एसेंट महामहिम राष्ट्रपति महोदय की आवश्यक होती है। 3 अगस्त, 1972 के होम मिनिस्टरी के सर्कुलर के आधार पर पहले एन ओ सी प्राप्त किया गया, प्राप्त करने के बाद केबिनेट में इसको ले गए। शायद आप केबिनेट में उस समय ले जाते तो आपको पूरी जानकारी होती।

Amount, I still say, is immaterial. बैकडोर से राशि इकट्ठा करने का है तो पहले भी 3 लाख से अधिक की राशि इसमें एकत्रित नहीं होती थी, तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आज अगर 5 लाख या 7 लाख हो जाएगी तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन युक्तिसंगत यह बने।

राइट टू इन्फार्मेशन के तहत अभी कह रहे थे कि पाँच रुपए का डिफरेंस है, उससे कम होने पर कोई ज्यादा प्रिफरेबल लॉ रहेगा। यह एक छोटा अमाउण्ट है और सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो उस पर्टीकूलर पार्टनरशिप एक्ट की धाराओं के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, हरेक जनता पर लागू नहीं है और पार्टनरशिप के आधार पर कोई इन्फार्मेशनल डाक्यूमेंट अगर कोई लेना चाहेगा क्योंकि मुकदमे काफी रहते हैं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, काफी कागज मंगवाते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा-सा बढ़ाया है तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः अभी पारित कैसे करेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने जो प्रस्ताव रखे हैं उसके विरोध में आप बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, इन्होंने यह नहीं बताया कि उपगत व्यय कितना आएगा? इन्होंने तीन-तीन गुना, तीन-तीन सौ रुपए फीस के बढ़ाए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें खर्चा कितना आएगा? इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जिस उपगत व्यय का इन्होंने जिक्र किया है, जिसके कारण यह फीस बढ़ा रहे हैं, वह बता दें। इसमें आपने धारावाइज जो उपगत व्यय बताया है वह हम जानना चाहते हैं कि वह कितना-कितना आएगा वह बता दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है वह एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज में लिख देते तो डिस्कशन ही नहीं होता। एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज में तो आप दूसरा लिख रहे हैं और जस्टीफाई दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि सेण्ट्रल एक्ट है, उसमें यह करना था, तो एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज का पार्ट ही हो जाना चाहिए था।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): है न पार्ट।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज का पार्ट नहीं है यह जो आपने एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज बताए हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट राजस्थान...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं, जो आपने कहा कि इसमें भारत सरकार का 1973 का सर्कुलर है, सर्कुलर का महामहिम को करना है तो यह मेण्डेटरी है, इससे इसकी कोस्ट बढ़ रही है, घट रही है, यह आर्ग्यूमेंट तो वैलिड है ही नहीं। फिर आपने स्वयं ने फर्मा दिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): पहले भी संशोधन हुए हैं उसमें कभी नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के लिए किए हैं उनको रिजेक्ट किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बताओ न, उपगत व्यय क्या है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: पारित नहीं विचारार्थ लिया जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): विचारार्थ तो पहले ही ले लिया न।

श्री अध्यक्ष: कर दिया था क्या? कब किया? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): पहले ले लिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

अब आप पारित के लिए बोलिए।

विधेयक का पारण

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं? तो बोलिए फिर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा था, इन्होंने एक कारण बताया है कि इस बिल को इसलिए लेकर आए हैं कि हमारा उपगत व्यय बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने धारावाइज तीन-तीन, पाँच-पाँच गुना राशि बढ़ाई है उसमें आपका उपगत व्यय क्या-क्या था? जो यह इन्होंने अलग-अलग दे रखा है, इसमें कितना-कितना बढ़ा है? आप दो का बता दें, धारा 58 के कथन पहले 100 रुपए फीस लेते थे अब क्या उपगत व्यय तीन सौ रुपए हो गए जो ये तीन सौ रुपए वसूल कर रहे हैं। इसी तरह से धारा 66 की उप धारा एक के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण, यह पहले 20 रुपए थी, अब इन्होंने 100 रुपए कर दी यह पाँच गुना किया तो क्या इनका पाँच गुना व्यय बढ़ गया क्या? इसका जस्टिफिकेशन तो दें। यदि इनकी तैयारी नहीं है तो वैसी बात कहें। नहीं तो कम से कम यह तो बताएं कि आपका उपगत व्यय क्या था, आपको कितनी इनकम होगी, जो नई फीस आप बढ़ा रहे हैं उससे एक साल में आपको कितनी आय होगी? यह कैलकुलेशन नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों का दुर्भाग्य है कि यहां सरकार के जो लोग हैं वे तैयारी के साथ नहीं आते और उनको यह मालूम ही नहीं है कि उनको कितनी इनकम होगी और कितना उपगत व्यय होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): तैयारी का ठेका तो एक ही व्यक्ति ने ले रखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ढ़ाई लाख से अब साढ़े नौ लाख रुपए खर्चा हो रहा है जबकि रेवेन्यू इससे हमको रिसीव हो रही है वह सिर्फ तीन लाख हो रही है। इससे जितना भी खर्चा हो रहा है उससे यह पूर्ति होगी, इस अनुमान के साथ यह विधेयक लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने के लिए, श्री सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कालोनाइजेशन अमेण्डमेंट बिल, 2007, एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज एण्ड रीजनिंग। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि कॉलोनाइजेशन का एक्ट हमने 1954 में बनाया, आज के दिन उसकी सार्थकता है? यदि सार्थकता है तो हम क्यों अमेण्डमेंट करना चाहते हैं? जो एम्पावरमेंट कलक्टर को दे रखा है, उस एम्पावरमेंट को हम एस डी एम को नहीं देकर तहसीलदार और उसके नीचे के लेवल के आदमी को देना चाहते हैं। तहसीलदार यदि वे चीजें डिसपजेज करेगा किसी आदमी को तो उसकी अपील कहां होगी? उसकी कलक्टर के पास अपील होगी। पहले कलेक्टर डिसपजेज करता था तो उसकी अपील कमिश्नर के पास होती थी। आप उस प्रोसेस को लम्बा करना चाहते हैं। तहसीलदार को अधिकार देना चाहते हैं, तहसीलदार और उसके समकक्ष आदमी कालोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 में अनअथोराइज आक्यूपेशन आफ लैण्ड और री एण्ट्री का अधिकार

(डा. सी. पी. जोशी)

कलक्टर का था, उस कलक्टर के अधिकार को आप तहसीलदार को और उसके नीचे के लेवल के आदमी को देना चाहते हैं, इसका मतलब उस किसान की और ज्यादा तकलीफ बढ़ाना चाहते हैं। पहले कलक्टर की अपील ऊपर होती थी, अब तहसीलदार की अपील कलेक्टर के पास होगी और कलक्टर की अपील फिर कमिश्नर के पास होगी, नम्बर एक।

नम्बर दो, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि सैक्शन 25 में "jurisdiction of Civil Court barred as regards matters arising under the Act." सिविल कोर्ट से डिबार कर रखा है कलक्टर के ऑर्डर को। अब आप तहसीलदार के ऑर्डर को और उसके नीचे के लेवल के ऑर्डर को सिविल कोर्ट से डिबार करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किस तरह के कालोनाइजेशन एक्ट के सम्बन्ध में हम चर्चा करना चाहते हैं? या तो कॉलोनाइजेशन एक्ट को हम बिलकुल खतम कर दें और जो टिनेंसी एक्ट हमारा है उस टिनेंसी एक्ट को लागू रखा जाए, तो टिनेंसी एक्ट में जो प्रोविजन है वे प्रोविजन कालोनाइजेशन एक्ट में भी हो जाएंगे। अन्यथा हमने दोहरी व्यवस्था कर रखी है। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कालोनाइजेशन एक्ट के नाम पर हमने कुछ पावर दे रखे हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में टिनेंसी एक्ट के अंतर्गत दूसरे पावर दे रखे हैं। मैं समझता हूं, 1954 के कोलोनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत सोच-समझकर कलक्टर को एम्पावर किया गया था कि कोलोनाइजेशन एक्ट के अंदर सैटलमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट की प्राब्लम क्या होगी, पानी लगेगा या नहीं लगेगा, और तरह की प्राब्लम है, उसमें कलक्टर लेवल का आदमी निर्णय करेगा तो उसकी अपील के संबंध में चर्चा होने की स्थिति नहीं बनेगी।

नम्बर दो, सबसे डेंजरस, the word I am using is dangerous, today is 2007, 2007 के अंदर सैक्शन 7(4) के अंदर "Issue of statement of conditions of tenancy", आप बताओ, अध्यक्ष महोदय, टिनेंसी किसको अधिकार होता है? जब आदमी किसी लॉफुल पजेशन के यहां पर किरायेदार जाए। पहले किसी प्रापर्टी का कोई आदमी मालिक होना चाहिए। टिनेंसी का बेसिक प्रिमिसेज यह है। आप इस टिनेंसी के बेसिक प्रिमिसेज को ही खतम करना चाहते हैं। आप यह कह रहे हैं, आपका प्रोविजन यह था – "No person shall be deemed to be a tenant or to have any right or title in the land allotted to him until such a written order has been passed and he has taken possession of the land .." *Possession of the land* is the crux of the problem. बिना पजेशन आफ

(डा. सी. पी. जोशी)

लेण्ड के आप टिनेंसी को कैसे अधिकृत करना चाहते हैं? आप यह अमैण्डमेंट करना चाहते हैं कि पजेशन आफ लैण्ड की आवश्यकता नहीं है। यदि अलॉटमेंट हो गया, मर गया तो उसको मानकर टिनेंसी दे देंगे और कब तक दे देंगे। मैं, मंत्रीजी, जानना चाहता हूं और आप पर आरोप लगाना चाहता हूं, आप यह बताएं कि आपने यह कट आफ डेट 8 अगस्त, 1975 क्यों लगायी? What is so sacrosanct about it? इसमें लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में, and I will read it – "Section 7(4) of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 provides for allotment of land but there is no provision to deal with contingency where the allottee dies after issuance of written order but before taking possession of land. In such a situation it is proposed to provide by inserting a new proviso that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land, .." टिनेंसी के राइट को बदल रहे हैं आप। ''... his spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs dependent on him may take possession of the allotted land.'' अध्यक्ष महोदय, सुनिए आप। ''This proviso is proposed to be inserted with effect from 8th August, 1975." Why? 2007 हो गया। इसका मतलब 8 अगस्त, 1975 एक सैक्रोसेंक्ट डेट है। इमरजेंसी किस तारीख को लगी? यह 8 अगस्त, 1975 क्या लगा रहे हैं? 8 अगस्त, 1975 में इस तरह के लोग जिनकी जमीन को अलॉटमेंट करवा दिया, पजेशन नहीं लिया, 25 साल तक जो लाइन में बैठे हुए हैं, उन लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए यह गैर-कानूनी काम यह सरकार कर रही है। खड़े होकर बता दें। जो सरकार अपने आपको ट्रांसपेरेंट सरकार कहती है, जो सरकार कहती है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं वह सरकार कानून बनाकर गैर-कानूनी काम करना चाहती है। 1975 में जिन लोगों के टिनेंसी राइट नहीं बने वे 2007 में इस कानून के अंतर्गत उसके मालिक बन जाएंगे। What is the cost of the land? उस समय अलॉटमेंट होता है, कोलोनाइजेशन में लैण्ड की कोस्ट क्या थी? 25 साल के बाद आप उस लेण्ड की कोस्ट वह वसूल करना चाहते हैं जो उस समय की लैण्ड थी? आज पानी लग गया है, लैण्ड की किस्म बदल गई है तो आज पर मुरब्बा लैण्ड की कास्ट कितनी हो गई है? करोड़ों रुपये का, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, जवाब हो तो देना, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, आज मेरे पास डेटा नहीं है, मैं सूचना के अधिकार में डेटा लाकर बताऊंगा, किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं, कितने करोड़ का फायदा देना चाहते हैं। Why have you put this date of 8th August, 1975? This is the biggest crux of the problem. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं

(डा. सी. पी. जोशी)

कि यह सरकार इस तरह के अमैण्डमेंट लाकर, कोई भी कानून 12 साल में तो एडवर्स पजेशन हो जाता है, मैं तो ज्यादा कानून का पढ़ा-लिखा नहीं हूं, कोई आदमी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 12 साल में तो उसका एडवर्स पजेशन हो जाता है। 27 साल बाद आप एडवर्स पजेशन देना चाहते हैं क्या? 27 साल तक वह आदमी नहीं रहा, मर गया हो, उसके बच्चे हैं उनको भी 75 के बाद अलॉटमेंट हो गया, पजेशन नहीं लिया तो उनको मालिकाना हक देने के लिए यह कानून ला रहे हैं। यह कानून गैर-कानूनी कानून है। यह कानून बहुमत के आधार पर राजस्थान में गलत काम को लीगलाइज करने का काम है। यह कानून राजस्थान के एक्सचैकर में करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का कानून है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय खड़े होकर बताएं कि कानून लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और यदि आवश्यकता पड़ी तो 8 अगस्त, 1975 की डेट लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? 25 साल में आपकी सरकारें भी आयी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार 77 में भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 93 में भी रही है, अब कैसे पता पड़ा राजेन्द्रजी राठौड़ को कि इनके फोरफादर ने कोई जमीन ले ली है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं नहीं कहता आपने ली होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब कैसे पता लगा 27 साल में कि हमारे फोरफादर ने जमीन का अलॉटमेंट करवा लिया? अध्यक्ष महोदय, आप बताएं, मुझे क्या कालूलालजी गुर्जर पंचायती राज मंत्री हैं, क्या मालूम नहीं है पुराने सरपंच पुराने पट्टे देकर गांव में झगड़े करवा रहे हैं? 25 साल का पुराना रिटायरमेंट का आदमी कोलोनाइजेशन का पट्टा दे देगा कि पट्टा मैंने 25 बीघा जमीन का दिया। उस पट्टे के आधार पर जाकर क्लेम कर देगा तो आप उस क्लेम को कैसे डिसओन करोगे? आपके पास रिकार्ड है, 8 अगस्त, 1975 के बाद कौन-कौन कोलोनाइजेशन में काम करने वाले थे, किस-किस ने पट्टा अलॉटमेंट किया, पट्टे का रिकार्ड आपके पास है उस पट्टे के आधार पर कोई दूसरा आदमी आकर क्लेम करेगा कि यह मेरा पट्टा है, इसमें लिखा हुआ है, मैं उस वक्त कब्जा नहीं ले सका, अब मुझे कब्जा दिलाया जाए। तो राजस्थान के रेवेन्यू का भी लास होगा। लैण्ड की किस्म बदल गई, राजस्थान की गरीब जनता का पैसा, साउथ राजस्थन की गरीब जनता का पैसा, राजस्थान कैनाल के पानी को उस आदमी को पहुंचाने के लिए खर्च किया, उस पैसे से राजस्थान की आमदनी नहीं हो और उसको मुफ्त में बांटने का काम हम करें। यह सरकार कानून बनाकर चैरिटी करना चाहती है तो मैं

(डा. सी. पी. जोशी)

समझता हूं कि कटारिया साहब को भी समझने की आवश्यकता है कि हम किन मुद्दों पर मुख्य मंत्री से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दे ये हैं जिन मुद्दों के बारे में सैटलमेंट करके विधान सभा में पास करके खड़ा करना चाहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, विधान सभा का बिल पास है। विधान सभा की छाप लगाकर इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि या तो केबिनेट ने ध्यान नहीं दिया..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरा ध्यान दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूरा ध्यान दिया है तो, राजेन्द्रजी राठौड़, आप भी खड़े होकर जवाब दे दें कि 8 अगस्त, 1975 की सैक्रोसेंक्ट डेट क्यों बनायी हमने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रीजी आपको जवाब देकर पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। पूर्णतः संतुष्ट करेंगे कि 8 अगस्त, 1975 की तारीख क्यों डाली गई।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत खुशी होगा 8 अगस्त, 1975 की डेट का मतलब यह है कि राजेन्द्रजी राठौड़, जो पहले मंत्री रहे भैरोंसिंहजी की सरकार में तब उनको ध्यान नहीं आया था। 77 में सरकार बनी तब ध्यान नहीं आया था, 93 में सरकार बनी तब ध्यान नहीं आया था। भैरोंसिंह जी की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा कोलोनाइजेशन के एमएलए थे उनका ध्यान नहीं आया, आज ध्यान में आया हमारे को। क्योंकि भैरोंसिंह जी शेखावत गांव से गरीब से उठे हुए जमीन के आदमी थे, उन्हें मालूम था कि लैण्ड का क्या मतलब होता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, विनम्रता से इस प्रश्न की गंभीरता को सोचें। मैं आप सबकी आत्मा को जगाना चाहता हूं, यदि आपकी आत्मा अभी भी जगी नहीं है तो यह राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ऐसे खोटे कानून बनाकर आप कुछ लोगों को फायदा देना चाहते हैं, करोड़ों रुपये का फायदा देना चाहते हैं और राजस्थान के एक्सचैकर के पैसे को खतम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, ऐसे कानून को पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सलैक्ट कमेटी में लाएं, सूचना दें, हमें बताएं कि इसमें स्टेट का कोई लास नहीं है। हम प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, पर आप बताएं ही नहीं और आप 8 अगस्त की डेट ले आएं, आप फैसला करें। मुझे बताएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टिनेंसी के राइट को कैसे बदलेंगे?

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या बिना पजेशन के टिनेंसी हो सकती है? आप बेसिक प्रिमाइस को यदि इस एक्ट में टिनेंसी की धारा बदल देंगे तो हजारों, लाखों लोग जो मकान में किरायेदार हैं, वे लिटिगेशन करेंगे कि राजस्थान सरकार टिनेंसी का मतलब समझती है कि जाकर बैठ जाओ। फिर किसको डिसपोजन करोगे आप। फिर जो आदमी अनआथोराइज्ड मकान बनाकर झोंपड़ी में रह रहे हैं उनको किस आधार पर करोगे? वे भी तो टिनेंट हो गये हैं। पट्टा नहीं दिया होगा नगरपालिका ने, जेडीए ने पट्टा नहीं दिया होगा, मैं तो बैठा हुआ हूं। जो टिनेंट है उसको कैसे मना करोगे? यह एक पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे आप टिनेंसी के राइट को नये ढंग से डिफाइन करने का। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कोलोनाइजेशन एक्ट में संशोधन नहीं है, यह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 का प्ली लेकर तहसीलदार के पावर को छीन रहे हो। एक तहसीलदार एक जगह पर कोलोनाइजेशन की जमीन के अंदर तो टिनेंसी का अधिकार अलग मानेगा और जो दूसरे तहसीलदार हैं वे टिनेंसी का मामला अलग मानेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे तो कोई नियम नहीं बनेगा कि एक राजस्थान में दो तरह की टिनेंसी की डेफिनिशन होगी। तहसीलदार एक ही होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): कोलोनाइजेशन एरिया घोषित होने के बाद में it is an act of survey and tehsil, revenue tehsil ….

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय नरपतसिंहजी राजवी साहब, टिनेंसी को डिफाइन कर दीजिए आप, मैं बैठ जाऊंगा। Without taking possession, can you have a tenant? Can you have the right of tenancy? Allotment is something else. I have an allotment but without taking possession, I cannot. Nobody can have it. So the basic premise of tenancy right is, जिस आदमी को लैण्ड आपने अलॉट की है उसको यदि अलॉटमेंट लगाया तो उसको पजेशन का लैटर ले लाना पड़ेगा। बिना पजेशन के टिनेंसी का राइट नहीं होता है। आप उसको इस सैक्शन में अमैण्डमेंट करके बदलना चाहते हैं। अलॉटमेंट लैटर तो हमारे पास भी पडा हुआ है राज करने का, हम भी डेढ़ साल बाद राज करेंगे। राज करने देंगे हमें? हमें अलॉटमेंट जनता दे रही है डूंगरपुर के चुनाव के बाद कि डेढ़ साल बाद राज में आ रहे हो तो हमें राज करने दोगे क्या? काहे को सरकार में बैठे हो आप? यदि आपको टिनेंसी राइट नहीं करके यह करना है तो फिर सरकार क्या काम कर रही है? हम भी टिनेंट हैं, अगली बार राज में आ रहे हैं, उन्हें देने की जरूरत नहीं है। टिनेंसी के पीछे प्रिमाइस यही है कि

(डा. सी. पी. जोशी)

आपको पजेशन लेना मस्ट है. This is the *prima facie* cardinal principle of tenancy. So I wish, इन चीजों के संबंध में विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। 8 अगस्त, 1975 का, अध्यक्ष महोदय, आपसे कहा और मैं आज भी मानने वाला हूं कि राजस्थान की जनता को यदि टेक्स का पैसा बचाना है तो कोलोनाइजेशन एक्ट को बिलकुल समाप्त कर देने की आवश्यकता है। जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। फिर कोलोनाइजेशन का कंसेप्ट ही खतम हो गया। पानी नहीं है आपके पास, पानी का झगड़ा हो रहा है, आने वाले पाँच साल में राजस्थान कैनाल में आप इर्रिगेशन करना छोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं कर सकते। आप सैकण्ड फेज की बातें कर रहे हैं, लड़ाई लड़वा रहे हैं, अगले पांच साल में राजस्थान कैनाल में 70 टू 80 परसेंट ओनली ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स होंगी ...(व्यवधान) भारी बरसात होगी तो कवास का सा काम कर देंगे, पर बाई एण्ड लार्ज, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की हम कल्पना कर रहे हैं, वह राजस्थान कैनाल में भी यह स्थिति बनने वाली नहीं है। यह मेरा हम्बल सब्मिशन है, अध्यक्ष महोदय । आपके अध्यक्ष रहते हुए बहुमत के आधार पर यदि खोटा कानून पास होगा तो इस काले कानून के लिए हमको गवर्नर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने का काम बचा है। नहीं तो कोर्ट बचा है, उस कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट नहीं बचे तो डेढ़ साल बाद जनता की कोर्ट में बताएंगे कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के नाम पर ऐसा कानून बना रही है, कुछ लोगों को करोड़ों रुपये का फायदा उठाकर इस तरह के नियम कानून बना रही है। इसलिए मेरा, माननीय, आपसे निवेदन है कि ....

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जानकारी नहीं दें। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलो आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप उनका अंकित नहीं करें। एक गंगानगर के कोलोनाइजेशन इलाके से जन प्रतिनिधि जीतकर आया

(डा. सी. पी. जोशी)

है, वह यदि कोई बात करे तो उसमें ध्यान देना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनको न कहें, लेकिन वह भी वहां इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या को समझा है उन्होंने और यदि ऐसा महसूस करते हैं कि तहसीलदार के ट्रांसफर को लेकर कलेक्टर को हम कुछ नहीं कह सकते, यह तहसीलदार लगाकर करा लेंगे, यदि यह मंशा है, अध्यक्ष महोदय, तो और ज्यादा खतरा है। यह अमेंडमेंट का और खतरा है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी कर इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजें, जनमत जानने के लिए प्रसारित करें।

श्री अध्यक्ष: आपने तो अपना जो अमेंडमेंट दिया है जनमत के लिए दिया है, कमेटी के लिए देना था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह जानते हुए कि बहुमत इनका है, मुझे यही कहना है, यह जनमत के बाद विथड्रा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये मेरे साथी जो बोल रहे हैं, ये बी.जे.पी. से जीतकर आये हैं, वह माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: देते तो सही।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही हमारा अधिकार, अध्यक्ष महोदय, जनमत जानकर आपसे रिक्वैस्ट करें, आप अपनी पावर का उपयोग करें, नियम को रिलैक्स करिए, सलैक्ट कमेटी को भेजिए, आप पर छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको देना चाहिए था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पर अब आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं टू रिलैक्स द रूल, और आपके पास पावर है, आप तो बहुत काम्पीटेंट स्पीकर हैं, आप अपनी पावर को यूज करके इस राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करने का काम करें। यह जब तक नहीं हो, जनमत जानने के लिए प्रसारित करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कहना है मुझे।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट अमैंडमेंट बिल, 2007 में दो छोटी-सी टैक्निकल बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। यह प्रोविजो जो जोड़ा जा रहा है इस सैक्शन में और जो ओरिजिनल इसका एक्ट है उसको थोड़ा-सा ध्यान से देखें तो शायद बात क्लीयर हो जाएगी। ओरिजिनल जो एक्ट है – "No person shall be deemed to

(श्री जोगाराम पटेल)

be a tenant ..." टीनेंट राजस्थान टिनेंसी एक्ट के सैक्शन 5 सब-क्लाज 24 में डिफाइंड है – "No person shall be deemed to be a tenant or to have any right or title in the land allotted to him until such a written order has been passed and he has taken possession of the land with the permission of the Collector .." अलाटमेंट होने के बाद एक कंडीशन और लगाई गई है ओरिजिनल एक्ट में – "... land allotted to him until such a written order has been passed and he has taken possession of the land .." There must be a written order and then he has taken the possession. " .... with the permission of the Collector, and after possession has been so taken, the grant shall be held subject to the conditions declared applicable thereto." उसके बाद वह जो अलाटमेंट है उसको ग्रांट कहते हैं, वह ग्रांट मानी जाएगी। अब जो प्रोविजो अमैंडमेंट है जिसमें प्रोविजो जोड़ा जा रहा है, वह प्रोविजो बनाया गया है – "Provided that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land, his spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs dependent on him may take possession of the allotted land." तो, साहब, जो-जो स्पाउस है वह तो लीगल हेयर है, अगर यह अमैंडमेंट स्वीकार होता है तो इसमें एक आएगा कि क्या स्पाउस अगर है तो दूसरे हेयर्स है उनको राइट नहीं मिलेगा, चाहे वह वाइफ है, चाहे वह पति हो, चाहे वह बेटा है या बेटी है या उसका कोई और एलआर है। अगर आपको स्पाउस और लीगस हेयर्स को अलग करना है तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा अदरवाइज यह इनकंसिस्टेंसी रह जाएगी "...spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs" तो मेरा निवेदन पहला सिर्फ यह था कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज एक स्पाउस और लीगल हेयर्स में डिस्प्यूट होने की पोसिबिलिटी है क्योंकि "spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs..." बेटा होगा उसको नहीं मिलेगा, बेटी होगी उसको नहीं मिलेगी, पत्नी होगी तो वह बेटे को नहीं मिलेगा या बेटी को नहीं मिलेगा, पति होगा तो सिर्फ पत्नी ही लेगी, बेटा या बेटी नहीं लेगी और पति होगा तो बेटे और बेटी को नहीं मिलेगा तो एक तो इस ओर ध्यान देना चाहिए था।

दूसरा यह प्रोविजन अगर रिइंस्टेट हो गया तो राजस्थान टिनेंसी एक्ट के सैक्शन 63 सब-क्लाज 4 की इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। यह बताया गया है कि अगर 12 साल तक किसी जमीन पर आपका पजेशन नहीं है तो आपके जो राइट हैं वे एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। यहां जो असर्टेन किया जा रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट 8 अगस्त, 75 है, 8 अगस्त, 75 से टिल टुडे तक पजेशन

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं है तो उसका सो-काल्ड जो भी राइट है, जो राइट प्रपोल्ड अमैंडमेंट के द्वारा देने का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह तो पहले ही खतम हो गया राजस्थान टिनेंसी एक्ट के जो जनरल प्रोविजन हैं वे यह कहते हैं, अगर आपका 12 साल तक पजेशन नहीं रहा तो राइट एक्सटिंग्यूश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तो वह प्रोविजन पढ़ा जाएगा या यह प्रोविजन पढ़ा जाएगा ? इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा मेरा निवेदन यह है, यहां वर्ड किया है लीगल हेयर्स और एलआर और तीसरा क्या है स्पाउस। तो अगर इनको डिस्टिंग्विश करने की मंशा है, एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में यह नहीं है कि अगर पति और पत्नी जीवित हैं तो बेटे और बेटी को क्यों नहीं दिया जा रहा है, वह राइट बेटे और बेटी को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अगर बेटे और बेटी को देने का मन है या प्रोविजन बनाने का इरादा है तो इसमें यह वर्ड लीगल हेयर्स और स्पाउस के बीच में और क्यों लगाया गया है ? "….spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs…" पति-पत्नी जीवित नहीं है तो बेटे और बेटी को, यह मेरा निवेदन है कि इसको क्लीयर किया जाए। तीसरा राजस्थान टिनेंसी एक्ट में .....

श्री अध्यक्ष: बेटे बेटी को देकर बूढे को मारेंगे, बूढी को मारेंगे यों ही।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या ?

श्री अध्यक्ष: उनको जिंदा रहते हुए बेटे बेटी को देकर उनको यों ही मारोगे क्या गरीबों को?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तो यह करने की जरूरत ही नहीं है फिर।

श्री अध्यक्ष: वह बेटे बेटी को नहीं, उनके जीते-जी तो उनको ही दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह इस तरह का संशोधन उन गरीब लोगों के लिए है, मंत्रीजी बताएंगे तो पता लगेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो राजस्थान टिनेंसी एक्ट में प्रोविजन है, सैक्शन 40 एण्ड 41 में, उसको ओवरराइड करके यह प्रोविजन किया जाएगा। अपने मन में अगर यह है कि वहां एलआरस जनरल एक्ट्स जैसे हिन्दू सक्सेशन जो एक्ट है, जो अमैंडमेंट पार्लियामेंट में किया गया है, हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बेटे बेटी को बराबर ही हक रहेगा, और पिता की सम्पति में उसको बराबर-बराबर हक का रहेगा तो वह जो जनरल एक्ट है जो सेंट्रल एक्ट है हिन्दू सक्सेशन एक्ट, उसको ओवरराइड यह एक्ट करेगा। जैसी

(श्री जोगाराम पटेल)

भी स्थिति है, यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। पर यह ओवरराइड कर ही नहीं सकता, यह अल्ट्रावायरस एक्ट होगा। अगर यह मंशा है कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट में जो राइट दिये गये, बेटी को, उस एक्ट को ओवरराइड करवाने का तो यह अल्ट्रावायरस एक्ट बनेगा क्योंकि वह जनरल एक्ट है उससे ऊपर कोई दूसरा एक्ट नहीं बन सकता। वह सैक्शन वैसे भी क्लीयर था, सैक्शन 8 और 9 हिन्दू सक्सेशन एक्ट एण्ड शिड्यूल फर्स्ट, पर उसके बाद भी अमैंडमेंट करके 2002 में भी सेंट्रल एक्ट यह बना दिया गया है कि नहीं, कोई पति और पत्नी हो, पुत्री को भाई के बराबर, पति को पिता के बराबर, एक स्त्री को दूसरे समकक्ष जो जेंडर है उसके बराबर हक मिलेगा, उस हक को आप खतम नहीं कर सकते। यह एक्ट अगर यह कहे कि उसकी पत्नी है उस पिता की पुत्री को हक नहीं मिलेगा या मान लो पति है तो उसकी पुत्री को हक नहीं मिलेगा तो यह मेरा विनम्र निवेदन है, जैसी मेरी जानकारी है, यह जो प्रोविजन होगा वह अल्ट्रावायरस होगा क्योंकि हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अगेंस्ट में होगा। हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अगेंस्ट में कोई भी प्रोविजन होगा वह सुपरसीड हिन्दू सक्सेशन एक्ट को नहीं कर सकता।

लास्ट में, मेरा निवेदन यह है कि कोलोनाइजेशन का जो कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट से कोलोनाइजेशन एक्ट लाया गया था अब उसकी कितनी प्रासंगिकता रह गई है, उसकी कितनी आवश्यकता रह गई है, यह विचारणीय बिन्दु है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यह लागू किया गया, जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया और जिस भावना से इसको इम्प्लीमेंट करना था वह कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, वह तो इससे ही शो हो रहा है कि 1975 से लेकर अब 2007 तक उनको पजेशन नहीं दिया गया। उन व्यक्तियों को अब पजेशन दिलवाने का, उनका कोई हक होगा वह अलग विषय हो सकता है। पर उन व्यक्तियों को अब 32 साल बाद पजेशन दिलवाने की कार्यवाही होगी जिन व्यक्तियों का हक पता है या नहीं है। इस दरमियान, इस 32 साल की अवधि के दरमियान कितने स्पाउस का, एल. आर्स. का कितना परिवर्तन हो गया होगा। अगर कोई किसी की स्पाउस थी, उस समय तो वह थी, हमारे यहां नाता प्रथा और री-मैरिज की प्रथा है, अगर उसने कहा कि मैं उस वक्त फलां की पत्नी थी, आज वह और किसी की पत्नी हो सकती है। यह हमारी हिन्दू संस्कृति में, हमारी संस्कृति में री-मैरिज का, नाता प्रथा का है। उस वक्त उसकी पत्नी थी, आपस में कुछ डाइवोर्स हो गया या और कुछ हो गया या

(श्री जोगाराम पटेल)

हिन्दू डाइवोर्स एक्ट के अनुसार डाइवोर्स नहीं हुआ पर अलग-अलग रहना शुरू हो गये और आज जो होगा वह कहेगा कि मैं उसकी पत्नी हूं उसकी डैथ हो गई तो क्या, मेरा हिन्दू डाइवोर्स एक्ट के अनुसार डाइवोर्स नहीं हुआ है इसलिए मैं उसकी पत्नी हूं और मुझे हक मिलना चाहिए। तो इन सारी बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। इन सारी बातों को कंसीडर करने की आवश्यकता तो है, मेरा तो इतना ही निवेदन है। साथ-साथ मैं निवेदन कर रहा था कि जिस कंसेप्ट में अब कोलोनाइजेशन की प्रासंगिकता रह गई है उसको देखने की आवश्यकता है। इतना निवेदन करने के बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा जो जनमत जानने का अपना प्रस्ताव है उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007, जिसका मूल अधिनियम 1954 में पारित हुआ है, इसमें संशोधन के लिए मूल अधिनियम की धारा 27...

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अधिनियम सं. 27 की धारा 2 का संशोधन, धारा 7, धारा 22 और धारा 25 का संशोधन लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मूल की धारा 7 में कितनी बड़ी विसंगति कोलोनाइजेशन एक्ट बनाते समय रह गई, 1954 के लगभग 53 साल बाद आज यह विसंगति ध्यान में आ रही है। इसमें लिखा है- किसी व्यक्ति को तब तक उसे आबंटित भूमि में कोई भी अधिकार या हक रखने वाला या काश्तकार नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा लिखित आदेश, आपने भूमि उसको आबंटित कर दी लेकिन भूमि आबंटित करने के बाद भी जो एक्ट में विसंगति है, आपने कोलोनाइजेशन एक्ट डिक्लेयर किया होगा, कोलोनाइजेशन एरिया में आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र मांगे होंगे और आबंटन की शर्तों की पूर्ति करने के लिए कुछ फीस संदाय करने का भी कुछ प्रोविजन आपने उसमें रखा होगा या जो प्रायोरिटी आपने तय की होगी उस आधार पर राजस्थान में आपने लोगों को भूमि का आबंटन कर दिया, लेकिन आबंटन करने के बाद भी उसके सामने उसके पैर में एक जंजीर खड़ी कर दी कि तब तक वह उस भूमि का मालिक नहीं माना जाएगा, आथेंटिक आबंटी नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लिखित नहीं दिया जाए और वह कलक्टर की अनुज्ञा से भूमि का कब्जा नहीं ले ले। इस प्रकार कब्जा ले लेने के पश्चात् दी गई भूमि, उस पर लागू घोषित की गई शर्तों के अध्यधीन धारण की जाएगी। यह जो कंडीशन उसमें डाल दी, अध्यक्ष महोदय, आप भी गांव आते हो, राजस्थान का गरीब किसान, कोलोनाइजेशन एरिया में तो एक विशेष प्रबन्ध, राजस्थान में पूरे में उपनिवेशन एरिया लागू नहीं है, कानून पूरे राजस्थान में हो सकता है लेकिन कोलोनाइजेशन एरिया राजस्थान के एक निश्चित हिस्से में है, पूरे राजस्थान में नहीं है। हो सकता है कि उसके नियम, कानून को सारे लोग जान लें, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि भू-राजस्व अधिनियम में किसी व्यक्ति को जमीन अलॉट होती है, अलॉटमेंट के साथ जब उसका कब्जा और गैर खातेदारी दर्ज होती है, गांव का किसान समझ लेता है कि मैं जमीन का मालिक हो गया और मुझे अब इससे आगे कहीं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार राजस्थान के पटवारी जो उसमें गैर खातेदारी के बाद फसल दर्ज नहीं करते, जब लगातार गैर खातेदारी के बाद दो, तीन, चार, पांच साल बाद उसके खाते में पिचौदा के अन्दर फसल दर्ज नहीं की जाती तो उस पर 14 (4) की कार्यवाही करके उसकी अनभिज्ञता के कारण उसके गैर खातेदारी अधिकार से भी वंचित करने की कोशिश की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कानून ला रहे हैं, बहुत अच्छी भावना से संशोधन ला रहे हैं, मैं आज इस मंच पर सदन में कहना चाहता हूं कि अच्छा होता कि इसके साथ-साथ आप राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में यह संशोधन लाने का प्रयास करते कि एक बार जिस व्यक्ति को भू-राजस्व अधिनियम के तहत जमीन आबंटित हो गई और गैर खातेदारी का अधिकार मिल गया, बिना किसी शर्तों की पूर्ति के साथ तीन साल के अन्दर-अन्दर उसको खातेदारी अधिकार मिलेगा। उसकी भी कंडीशन हटाते तो राजस्थान के हजारों लोगों के साथ न्याय होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड मंगाकर पूछ लीजिये, राजस्थान का गरीब आदमी जो साक्षर नहीं है, कानून की परिभाषा नहीं जानता, पटवारी को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं लेकिन उसको गैर खातेदारी की जमीन तो आबंटित कर दी, उसके घर का पटवारी पता नहीं जानता, उसकी पटवारी तक एप्रोच नहीं है, उसके खाते में फसल पिचौदा में इंद्राज नहीं होने के कारण आज राजस्थान के ऐसे गरीब हजारों किसानों को 14 (4) का मुकदमा झेलना पड़ रहा है। उसको तब पता लगता है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कि जब उसके घर पर नोटिस जाता है। कलक्टर की अदालत का नोटिस आया कि यह जो आपको जमीन का आबंटन दिया गया है इसको खारिज कर रहे हैं, इसको निरस्त किया जा रहा है। तब वह उस पट्टे को लेकर वकीलों के पास भागता है, राजनेताओं के पास भागता है कि मेरे तो यह जमीन अलॉट हो गई, पट्टा हो गया। उसको राजस्व नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए मेरा आज आपसे विनम्र आग्रह है कि इस राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम के साथ-साथ धारा गैर खातेदारी अधिनियम जो भू-राजस्व अधिनियम है, उसमें भी संशोधन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तब हम राजस्थान के किसान के साथ न्याय कर पाएंगे। कोलोनाइजेशन एरिया राजस्थान के सीमित क्षेत्र में घोषित एरिया है लेकिन भू राजस्व अधिनियम पूरे राजस्थान पर समान रूप से लागू होता है और राजस्थान को एक-एक किसान इसके नियमों से प्रभावित होता है, उस पर ये सारे नियम एप्लाई होते हैं। इसलिए न्याय की भावना के साथ मैं आज इस बिल के पास होने के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार विचार करे और गंभीरता से उसमें संशोधन का बिल इसी सत्र में लेकर आए कि एक बार जिस राजस्थान के किसान को भूमि का आबंटन हो गया, गैर खातेदारी का अधिकार मिल गया, स्वाभाविक प्रक्रिया से बिना किसी कानूनी अड़चनों के उस व्यक्ति को खातेदारी का अधिकार भी दिया जाएगा। तब तो हम यह गंभीरता से विचार कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम न्याय की भावना से कोई बिल ला रहे हैं और यह निश्चित रूप से इसमें प्रावधान है, इससे मेरी कोई आपत्ति नहीं है। यह जो कलेक्टर का प्रिविलेज था कि वह आदेश देगा तो ही कब्जा माना जाएगा, अब इसमें संशोधन कर दिया, संशोधन करके जोड़ दिया कि जिसको एक बार आबंटन का लैटर जारी हो गया है, चाहे कलक्टर ने कब्जे की परमिशन दी हो या नहीं दी हो, विधिक उत्तराधिकारी, पति-पत्नी जीवित हैं तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से बात कही है वह भी एक विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, पर इस कानून को तय करते समय, बनाते समय भूमि का कब्जा लेने के पूर्व आबंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति, और यदि पत्नी या पति जीवित नहीं हो तो इसमें जोड़ा जाना चाहिए था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो उसके स्वाभाविक वारिस हैं, जो ऑटोमेटिक वारिस हैं उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके स्वाभाविक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वारिस हैं उनके नहीं होने की स्थिति में जो विधिक वारिस हैं उसका प्रावधान किया जाना चाहिए था।

निश्चित रूप से यह एक्ट लाने की मंशा ठीक है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्ट लाये जाने के उद्देश्य और कारणों में जो वर्णन किया गया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें वर्णन किया गया है कि धारा 7 (4) में भूमि के आबंटन का उपबंध है किन्तु उसमें ऐसी किसी आकस्मिकता से निपटने का कोई उपबंध नहीं है। बात ठीक है, समझ में आती है। जहां आबंटिती की लिखित आदेश जारी किये जाने के पश्चात् किन्तु भूमि का कब्जा लेने के पूर्व मृत्यु हो जाए तो उसके विधिक अधिकारी को कैसे सौंपा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे पढ़िये, आश्रित उसके विधिक वारिस आबंटित भूमि का कब्जा ले सकेंगे। यह परन्तुक 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने जोड़ दिया कि 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी माना जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप कहते हैं कि जब से ये रूल बने हैं, कानून बना है तब से इसको प्रभावी माना जाएगा। 8 अगस्त, 1975 के पहले कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को भूमि आबंटित हुई, क्या उसके उत्तराधिकारी को न्याय नहीं मिलेगा? हमने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया और अगर 8 अगस्त, 1975 की सीमा तय कर दी,

(समय 16.00 बजे)

तो हमको इसमें उल्लेख के कारणों में लिखना होता कि हमारे सामने, राजस्थान की सरकार के सामने 8 अगस्त, 1975 के बाद में कुछ प्रकरण विचार के लिए आये, जिनकी संख्या हजारों में है, इसलिए राजस्थान की सरकार 8 अगस्त, 1975 की तारीख को आधार मानते हुए इस कानून को लाने की बात सदन के सामने रख रही है। बिना किसी आधार के 8 अगस्त, 1975, यह बात समझ में नहीं आई। 8 अगस्त, 1975 को आधार बनाने के बाद, जिस रोज हमने कोलोनाइजेशन एक्ट पारित किया, जिस रोज हमने कोलोनाइजेशन एरिया राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के भू-भाग को घोषित किया और जिस रोज कोलोनाइजेशन एरिया घोषित करने के बाद हमने आबंटन की विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की, उस तारीख को आधार मानकर हम लाते तो फिर हमें यह लगता कि हम सारे लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से, एक भी व्यक्ति राजस्थान का जो इस पुराने एक्ट की मंशा से पीड़ित था, कलक्टर की शक्तियों की जंजीर उसके पैरों में पड़ी हुई थी, उसके प्रभाव से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उन्मुक्त करने के लिए, राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम एक एक्ट लाते। अच्छा होता, 8 अगस्त, 1975 की जगह जब कोलोनाइजेशन एक्ट में आबंटन की विधिक प्रक्रिया हुई तब से यह एक्ट प्रभावी होता, यह भाषा लिखी जाती तो राजस्थान के तमाम किसानों के साथ न्याय होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो दूसरे सामान्य प्रकृति के संशोधन हैं, कलेक्टर की शक्तियां तहसीलदार को दिया जाना, भू-राजस्व अधिनियम में 91 की जो कार्यवाही है, वह तहसीलदार के पास शक्तियां हैं। इसका तो मैं स्वागत करता हूं। कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 और राजस्व एक्ट की 91 धारा, समान धारा है, उसमें कलक्टर के पास एप्रोच करने में, उसके पास मुकदमे के ट्रायलों में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाने में कई प्रकार की विसंगतियां उसके साथ खड़ी होती हैं। अगर उसके 91 के मुकदमों का निस्तारण, जुडिशियल निस्तारण होता है, प्रशासन के रेवेन्यु कोर्ट्स में जुडीशियली निस्तारण के लिए उसको अगर तहसील में ही कोई प्रिविलेज मिलता। यह उसके प्रिविलेज में बढ़ोतरी हुई है कि वह तहसीलदार के पास जाएगा जो आसान होगा। तहसीलदार अगर उसके अगेंस्ट कोई बात करता है तो उसको प्रिविलेज है कि वह कलक्टर के पास जाएगा। प्रिविलेज उसका बढ़ाया जाना है, यह स्वागत योग्य कदम है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करते हुए कि 8 अगस्त, 1975 के परन्तुक की जगह "कोलोनाइजेशन एक्ट की जब से विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है", यह शब्द जोड़ते हुए और इस एक्ट के साथ-साथ गैर खातेदारी राजस्थान के तमाम प्रकरणों को खातेदारी में कन्वर्ट करने की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ एक बिल लाने की मंशा सरकार जाहिर करे, इस पर अपनी बात कहते हुए मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वैरी गुड। बोल भी लिये और वापस भी ले लिया। श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित है, मेरे हिसाब से वह बिलकुल ठीक, उचित है। कारण कि

(श्री भागीरथ चौधरी)

उपनिवेशन क्षेत्र के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तहसील द्वारा की जाती है तथा उपनिवेशन क्षेत्र को अंततः राजस्व विभाग को सौंपा जाता है तो उस क्षेत्र में कार्यवाही तहसील द्वारा ही की जाना उचित है इसलिए इसमें एकरूपता रहेगी। एस.डी.एम. को वैसे भी समय कम मिलता है। इसके अलावा अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी द्वारा की जाती है जो सीधे तौर पर तहसीलदार के ही नियंत्रण में होता है। तहसीलदार की अपील भी ए.डी.एम., कलक्टर के यहां होती है जबकि एस.डी.एम. की अपील आर.ए.ए. के यहां होती है जिसमें निर्णय होने में समय लगता है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 7 (4) में भूमि का आबंटन करना जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यहां आबंटन के लिखित आदेश जारी किये जाने के पश्चात् किन्तु भूमि का कब्जा लेने से पूर्व मृत्यु हो जाना, ऐसी स्थिति में एक नया परन्तुक अतः स्थापित करके यह उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि 91 की कार्यवाही के लिए वैसे तहसीलदार को ही उसका अधिकार दिया गया है। क्योंकि काफी ग्रामीण नागरिक और जो स्थानीय लोग तहसीलदार के सम्पर्क में रहते हैं, उस हिसाब से यह जो तहसीलदार को अधिकार दिया जाता है, यह आम जनता के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा।

दूसरा, तहसील मुख्यालय पर न्याय सहज उपलब्धता से मिल सकेगा, क्योंकि कलक्टर के जाना हर आम आदमी के लिए, नागरिक के लिए, ग्रामीण के लिए ज्यादा उपलब्धता, नहीं रह पाता है। मेरे हिसाब से तहसीलदार के पास जाकर उनको सही न्याय मिल सकेगा। तो राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 2007 जो अभी पेश किया गया है, यह आम ग्रामीण और जनता के लिए ठीक है क्योंकि इसमें 91 में जो तहसीलदार को दिये गये अधिकार हैं, यह आम जनता के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं जनमत जानने हेतु परिचालन के लिए दिये गये प्रस्ताव को मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल! (अनुपस्थित) श्री नवरतन राजोरिया! (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो हाजिर हूं। काम तो आप ऐसे ही करेंगे और उसमें भी नहीं बोलने देंगे ज्यादा। अभी तो एक्साइज है, आप इंतजार करो।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं अध्यक्षजी के सामने एक बात कर लेता। अध्यक्षजी का आदेश था। एक मिनट, आप बैठ जाते तो मैं अध्यक्षजी के सामने बात कर लेता। आप कहो तो मैं बता देता हूं। दो मिनट आप रूक जाएं तो। आपके निर्देश की जरूरत होगी उसमें।

अध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय सदस्यों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बैकलाग के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था, उस समय मैंने कहा था कि मैं सारी जानकारी करके आपको बता दूंगा। जो वास्तविक स्थिति है, वह यह है कि कुल 23 पद विज्ञापित किये गये हैं। उनमें सामान्य के नौ हैं और अनुसूचित जाति के पाँच हैं, अनुसूचित जनजाति के चार हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के पाँच हैं, यह विज्ञापित किया गया है! बैकलाग की स्थिति यह है कि केमिस्ट्री में एस.सी. में तीन बैकलाग है, एस.टी. में दो बैकलाग है। मैथेमेटिक्स में एक एस.सी. का है, एक एस.टी. का है। फार्मेसी में एक एस.सी. का है। यह बैकलाग है। तीन प्रकार की शिकायतें आई हैं। सामान्य वर्ग के लोगों ने शिकायत की है कि ये जो पद हैं उनमें से एस.सी. एस.टी. का बैकलाग भरने के कारण से हमारे पद कम हो गये हैं इसलिए इसको रोका जाए। दूसरी शिकायत आई है, जो टैम्परेरी रूप से काम करने वाले लोग हैं, वे कह रहे हैं कि हम लोगों का इसमें अधिकार खतम हो रहा है इसलिए रोका जाए और तीसरी शिकायत सदन में अभी यह की गई है। तो 12 तारीख को इन्टरव्यू है, आप कहें तो मैं इसको रोककर सारे कागजों का फैसला कर दूं। जो सारी स्थिति है, वह मैंने सदन के सामने रख दी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हो सकता है, आपको पूरी सूचना नहीं दी गयी हो। हो सकता है, मंत्रीजी को पूरी सूचना नहीं दी हो। मैं सही-सही निवेदन करूंगा। वहां पर जो लोग प्रोफेसर और....

श्री अध्यक्ष: इनके पास गलत सूचना थोड़े ही आई होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रोक देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): रोक लो, आप रोक दो। पूरी स्थिति से अवगत हो जाओ, उसके बाद कराओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गई न बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं इसको रोक देता हूं। आदेश जारी कर देता हूं सरकार की तरफ से कि रोक दिया जाए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सारी पत्रावली मंगाकर देख लेता हूं और एस.सी. एस.टी. का बैकलाग भरने की पूरी कार्यवाही करके, जो बाकी लोग भी, तीन अगर वे आये हैं तो उनको भी संतुष्ट करके हम इस कार्यवाही को पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

(समय 16.08 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

विधेयक पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपोइंटमेंट होंगे तो धन्यवाद देंगे, अभी तो स्टे ही हुआ है। (व्यवधान) स्टे पर थोड़े ही होता है, अपाइंटमेंट होंगे तब धन्यवाद होगा। (व्यवधान) अभी भी देना पड़ेगा तो घनश्यामजी को देना पड़ेगा, आपका परपज नहीं होगा उसमें। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोलोनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, 2007 जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यहां पर प्रस्तावित किया है, इस सम्बन्ध में अनेक सभी साथियों ने, विधान सभा के विद्वान सदस्यों ने और सम्माननीय जोगारामजी ने, सी. पी. जोशीजी ने और सभी साथियों ने अपने विचार रखे...

एक माननीय सदस्य: गुंजल साहब का नाम नहीं लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके संसदीय सचिव नाराज हो जाएंगे इसलिए नहीं लिया। इसमें जो दो महत्वपूर्ण प्रावधान करने आप जा रहे हैं, एक तो रिट्रोस्टोपेक्टिव इफैक्ट 8 अगस्त, 1975 से, जो परिभाषा आपने की है और जिसका विश्लेषण माननीय सदस्यों ने किया है, यह सही है कि जो आपने परिभाषा की है यह कानूनी दृष्टिकोण से कितने ही लोगों के हक होते हुए भी हक नहीं देने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं "Provided that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land, his spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs dependent on him .." अगर कोई मेजर हो गया, डिपेंडेड ऑन हिम का मतलब तो यह है कि अगर कोई नाबालिग है और वह उन पर डिपेंडेट है तो उसी सूरत में वह लागू होगा। हिन्दू एक्ट तहत जो उसका राइट बनता है, उसकी डैथ के बाद जो भी सक्सेसर्स हैं, उनके जो लीगल राइट बनते हैं उस लीगल राइट को आप इस एक्ट में संशोधन से न तो परिवर्तित कर सकते और न उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए सभी सदस्यों की भावनाओं के हिसाब से यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। पहले भी सदन में जब हम बिल पर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विचार करते थे तो कितने ही ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण उत्पन्न होते थे जिन पर कई कानूनी पेचीदगियां आ गई थीं और आपने और हमने उसको नहीं माना था, नहीं मानने के बाद ऐसे बिल माननीय महामहिम राष्ट्रपतिजी से हमारे पास रिटर्न होकर आये थे। तो मेरा एक तो विनम्र अनुरोध है कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना कर गम्भीरता से इसको या तो सलैक्ट कमेटी में करें या आप स्वयं इसको और अपनी केबिनेट में या किसी भी दूसरे दृष्टिकोण से आज इसको पास नहीं करवा कर इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करके करें।

साथ ही, जो आपने कलक्टर को पावर दी थी उसकी जगह पर आप तहसीलदार को करना चाहते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कलक्टर को अकार्डिंग टू एक्ट अपनी पावर डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है? क्या एडीएम डेफिनेशंस में कलक्टर्स के फंक्शस नहीं कर सकता? या कलेक्टर इस इविक्शन के और इसके जो पावर हैं कोलोनाइजेशन एक्ट के, वह किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता? अगर वह ट्रांसफर कर सकता है, अगर पावर डेलीगेट कर सकता है तो तहसीलदार को पावर देने के बजाय, आप चाहें एडीएम को दें, लेकिन स्तर एक ऐसा रखें इन महत्वपूर्ण बातों में कि कलक्टर की इच्छा के अनुसार ही पावर डेलीगेशन हो। सीधा आप तहसीलदार को दे देंगे, तहसीलदार को देने के बाद जिस प्रकार राजस्व विभाग की अधिकांश स्थानों पर सभी लोग शिकायतें करते हैं वैसा ही होगा। उस परिप्रेक्ष्य में मेरा निवेदन करना है कि संशोधन के बजाय आप इसको यथावत रखें, और जो पावर कलेक्टर के पास है उसी को अधिकार दें। वह अपने पावर डेलीगेट अगर एक आफिसर कम पड़ता है या दो आफिसर कम पड़ते हैं तो इन प्राब्लम्स से निबटने में तीन एसडीओ की या किसी भी आरएएस अधिकार को करे तहसीलदार के बजाय जो आप सीधा प्रावधान ला रहे हैं, हमको यह प्रावधान भी इस दृष्टिकोण से लाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में जो समस्याएं आपने इस बिल में रखी हैं इसके मुकाबले में कई पुरानी समस्याएं भी अपने सामने हैं। 2047 और 48 में बूंदी जिले में लीजदार थे जो आपने कमाण्ड एरिया में दिये थे, उस समय की जो रेट थी उस रेट के आधार पर आपने उनको लीजदार बना दिया। करीब 4182 बीघा जमीन है 474 किसानों की और इसी प्रकार नैनवां में 22 किसानों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की 318 बीघा जमीन है। इतने वर्षों पहले उनको लीजदार बनाया था और लीजदार बनाने के बाद जो उस समय रेट थी वह उन्होंने दी थी। आज उन्हें लीजदारी के स्थान पर आप खातेदारी अधिकार देने के लिए वर्तमान रेट उनसे मांग रहे हैं, क्या यह वाजिब है? यह वाजिब नहीं है। इतने वर्षों पहले लीजदार के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया, आप उनसे वर्तमान रेट ले रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं भी आपसे की जा रही हैं कि उनको उस समय की जो अलाटमेंट की रेट थी उसका इंटरेस्ट जोड़ लें, आज तक का आप इंटरेस्ट जोड़ लें। आप आज की रेट लगाकर उसका इंटरेस्ट जोड़ कर लीजदार को अगर खातेदारी अधिकार देंगे तो न वह आज लेंगे और न वह कल लेंगे। कितनी ऐसी राजस्व की समस्याएं और हैं। बूंदी जिले में विशेष रूप से हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं जिनमें करीब 8138 बीघा जमीन जो खालदरड़ा, खालडा में है, उसके लिए कलेक्टर ने आपको सिफारिश कर दी, उसके लिए विधान सभा में आपने आश्वासन दे दिया, उसके लिए एसडीओ ने अपनी रिपोर्ट भेज दी, उसके लिए बार-बार आपसे मिल भी गये, लेकिन उन लोगों को हम अलाटमेंट नहीं कर सकते। वर्षों से काबिज हैं, किस्म परिवर्तन का एक साधारण-सा मामला है। उन पत्रावलियों को इतने समय तक इधर से उधर भेजते रहते हैं। आपको इस विश्वास के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्व मंत्री बनाया है कि आप किसान हैं, किसान की बात को समझेंगे, किसान की समस्या को समझेंगे, लेकिन एक पत्र मिलता है कि मैं इस मामले को दिखवा रहा हूं। ऐसे दस पत्र मेरे पास आ गये, मामला यथावत जहां का तहां है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मैंने जो भावनाएं इस बिल के मामले में अभी रखी हैं उसके हिसाब से इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापतिः माननीय श्री डा. चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित)। माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा (अनुपस्थित) । माननीय डा. श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)ः माननीय सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 जो सरकार ने रखा है, उसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो इसके अंदर जो रिट्रोस्पेक्टिव शब्द काम में लिया गया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यह करप्शन का फ्लड गेट बन जाए। यह बात देखने की है इसलिए इसमें ओवरराइडर भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ जो कलक्टर की पावर थी वह आप तहसीलदार को दे रहे हैं आप कल्पना

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

करिये, सरकार या कलक्टर या तहसीलदार? कहीं तो आप सिमिलेरिटी रखते इसके अंदर। जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य आपको बता रहे थे, कलेक्टर स्वयं सक्षम है अपनी पावर एंडोर्स करने के लिए। मेरा आपसे इसमें यह निवेदन है कि इतना बड़ा रेवेन्यू का यह मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है, और आज जिस तरह जमीन के दाम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इसको अपन इतने हल्केपन से नहीं लें और इस पर पूरी गम्भीरता के साथ काम करें। मैं किसी की मंशा पर शंका नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आखिर हम सब इन्सान हैं, हम इसको जितना जनरलाइज कर रहे हैं और जितना इसको हम लो लेवल पर ले जा रहे हैं, यह देखने की बात है कि ऐसा नहीं हो कि इस एक्ट की आड़ के अंदर कहीं लोग इसका दूसरा लाभ ले लेवें। साथ ही साथ आपको यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति 1975 में नहीं ले सका पजेशन, उसकी वजह क्या है, जो उसको आप पजेशन देंगे। इसमें यह भी आया था, स्पाउस, लीगल हेयर जो उस पर डिपेंडेड हो। डिपेंडेड नहीं हो और शादी हो गई, मान लो एक लड़की उसके है और शादी हो गई, उसका आप क्या करोगे? यह बात इसमें देखने की है। कुल मिलाकर किसान को लाभ हो इस मंशा से यदि यह बिल लाना चाहते हैं तो इस, बिल के अंदर और राइडर की आवश्यकता है, और बनाने की आवश्यकता है। और विचार की आवश्यकता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इस प्रस्ताव पर अपनी बातें तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले तो 1954 के अधिनियम की धारा 7(4) में सरकार परिवर्तन करना चाहती है और रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट (भूतलक्षी प्रभाव) से चेंज करना चाहती है, मैं जानना चाहूंगा कि यह किस ज्योतिषी ने आपको तिथि बताई है? आपने कौन सी कट-ऑफ-डेट क्या आधार पर तय की? उसको आप अपना प्रत्युत्तर दें तब बताएं कि ऐसे कितने मामले हैं, कि लोगों को जमीन अलाट हो गई उसके बाद उन्होंने पजेशन नहीं लिया, 32 वर्ष हो गये हैं? सभापति महोदय, मेरे योग्य साथियों ने ठीक कहा कि राजस्थान टिनेन्सी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एक्ट की धारा 40 और 41 में बारह साल तक जो कब्जा नहीं लेता है उसका कब्जा स्वत: ही समाप्त हो जाता है, तो उसकी स्प्रिट के बिलुकल खिलाफ है। उसके बाद, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिया है ऐसे अन्य कई उदाहरण हैं, हमारे यहां ऐसी कई जातियां हैं जिनमें दो-दो, तीन-तीन, चार-चार ब्याह कर लेते हैं उसमें उसकी कौन सी पत्नी, किसका अधिकार होगा, यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ही तय करता है कि उसका लीगल हेयर कौन है और उसमें जिस तरीके से बेटों को, बेटियों को, सब को समान आधार पर उसका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार आपका कोई एक तहसीलदार तय नहीं कर सकता। इन्होंने कलक्टर के पावर तहसीलदार को दे दिये, क्या तहसीलदार उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय रेवेन्यू और कोलोनाइजेशन मिनिस्टर से उत्तराधिकार हमेशा सिविल कोर्ट तय करता है और वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत करता है। या कोई माइनोरिटिज का व्यक्ति है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में लॉ की स्पिरिट के खिलाफ अपने यहां संशोधन आप लेकर आये हैं इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किस कीमत पर उनको उस जमीन का पजेशन देगी? उसकी कीमत क्या होगी? 1975 में जो जमीन अलाट की गई उसकी कीमत 16 हजार, 17 हजार प्रति मुरब्बा थी। आपकी जो कीमत है वह आप स्वयं देख लेंगे। आज जमीन की किस्म के अनुसार कहीं दो लाख रूपए, कहीं ढाई लाख में जमीन दे रहे हैं, जमीनों को नीलाम कर रहे हैं। आज वहां व्यावसायिक कीमत जमीन के नीचे में पाँच लाख रुपए ऊपर में 25 लाख रुपए हो गई है। पहले जमीन टीबों की तरह थी, आज वो सरसब जमीन हो गई है। ऐसी सूरत में उसकी कीमत आप क्या लगाएंगे? कीमत के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें भ्रष्टाचार का ओपन विण्डो सिस्टम शुरू करेंगे। यह निश्च‍ित रूप से राजस्थान के इतिहास में बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि राज्य सरकार ने कलक्टर्स के पावर्स को छीन कर तहसीलदार को ये पावर दे दिये। कलक्टर आप जानते हैं कि निश्च‍ित रूप से आई.ए.एस. होता है, ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, दबाव में आता नहीं है और तहसीलदार निश्च‍ित रूप से दबाव में आ जाएगा, सरकार जैसा चाहेगी वैस करा लेगी। इससे भू-माफियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना उत्तर दें

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

तो यह बताएं कि ऐसे कितने मामले हैं 32 साल में जो आपके पास पैंडिंग थे और जिसके कारण आप यह एक्ट लेकर आये हैं? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार किन-किन लोगों को लाभ देना चाहती है? राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन-91 में तहसीलदारों को कुछ पावर दिये गये हैं अतिक्रमण हटाने के, उस अतिक्रमण में चरागाह में किसी ने कमरा बना लिया, किसी ने कोई ट्रेसपास करा लिया। लघु और सीमान्त कृषकों से संबंधित मामले हैं जिनमें तहसीलदार अतिक्रमण हटाता है... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): एक सैकिण्ड, मेरा उपनिवेशन विभाग है जैसलमेर में, मैं दु:ख के साथ बात कहना चाहूंगा कि आज जिस परिवार को जमीन अलाटमेंट हुई, जिस परिवार को पता कटा, उस परिवार के सदस्य की मौत हो गई। पीछे से उसका लड़का है, उसकी पत्नी है, आप क्या कह रहे हो? सैकड़ों तादाद में बीकानेर के मामले पैंडिंग पड़े हुए हैं। इस ढंग से संशोधन नहीं लेकर आया तो उस परिवार के बच्चे बैठे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्रीजी बैठे हैं सक्षम हैं जवाब देने में। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सैकड़ों परिवार मैंने जैसलमेर, ... (व्यवधान) आपसे यह उम्मीद करते हैं कि काश्तकारों की समस्या, जिस समस्या का आप विरोध कर रहे हो, इस कानून में हजारों की तादाद में ऐसे काश्तकार हैं जिनको फायदा मिल सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब देंगे, अपने आप में सक्षम हैं। मंत्रीजी जवाब देंगे, आप बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको पता नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि यह जो एक्ट आप लेकर आये हो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की जो स्पिरिट है उसके विपरीत लाये हो। उसके द्वारा तय कराओ कि लीगल वारिस कौन है। आपको पता तो है नहीं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तहसीलदार को आप कलक्टर जितना पावर दे रहे हो और पावर है उत्तराधिकारी नियुक्त करने का, आप समझदार हैं, उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार कलक्टर्स को भी नहीं है, यह सिविल कोर्ट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को है। आप तहसीलदार को इतना बड़ा अधिकार दे रहे हो जो सिविल कोर्ट के पास में है, वह अधिकार देना, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इसके अलावा सैक्शन-22 का एक संशोधन सभापति महोदय, कर रहे हैं, उसमें जैसा मैंने आपको बताया, सामान्य किस्म के अतिक्रमण को हटाने का अधिकार तहसीलदार को होता है लेकिन कोलोनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत आप जानते हैं कि जमीन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे बात नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जमीन बेशकीमती है, जो 25-25 लाख रुपए के मुरब्बों हैं उन मुरब्बों को तहसीलदार उत्तराधिकार किसी को भी दे देगा और उसको उस मुरब्बे का मालिक बना देगा। इसमें एक बात और है अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया, कि एक व्यक्ति पिछले 30 साल से एक मुरब्बे पर काबिज है, एक तहसीलदार इस धारा 22 के अंतर्गत संशोधन हो जाएगा तो उस अतिक्रमी को तत्काल वहां से हटा देगा जबकि अभी उसको कोई राइट नहीं था। सभापति महोदय इसमें तहसीलदार को इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया है कि वह 25-30 साल से जो काबिज व्यक्ति है उस व्यक्ति को वहां से डिस-पजेशन कर देगा। यह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। उसके बाद धारा 25 में जो संशोधन किया गया है, उसमें तो सिविल कोर्ट के अधिकार बिल्कुल छीन लिए गए हैं। सिविल कोर्ट में जो मामले तय होने हैं, वह तहसीलदार तय करेगा। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, जो काम कानून और व्यवस्था करने का है वह काम ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर नहीं सकता। एक मैं आपको रेवेन्यू कोर्ट के ऐसे अनेक मामले बताना चाहता हूं, 30 साल तक जहां मामले के ईश्यूज फ्रेम नहीं हुए, तय नहीं हुए उसमें डिसीजन कहां से होगा? 30-30 साल तक रेवेन्यू कोर्टस में ईश्यूज फ्रेम नहीं होते हैं वहां आप डिसीजन की क्या उम्मीद रख सकते हो? फिर ये 30 साल, 32 साल लगा देंगे उसको तय करने में, ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह कहना है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, उनको कानून और व्यवस्था बनाने दें। ये मामले तो सिविल कोर्टस में दिए जाने चाहिए। आप सिविल कोर्टस में ये मामले लेकर आते तो मैं इसका समर्थन करता, लेकिन आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छीन रहे हैं और साथ-साथ आप इस सारे मामले को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में नहीं बोलें। माननीय सदस्य आप बीच में नहीं बोले। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपने स्थान से बोलें। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मेरा स्थान तो यही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर का अधिकार है जो तहसीलदार को मिल रहा है, उसके बिना नियमों में सरलीकरण होगा? नियमों में सरलीकरण होंगे उससे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, विरोध के नाम पर आपको विरोध करना है तो बात अलग है, कितना बड़ा आराम होगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो सैद्धान्तिक बात कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अच्छा कर रहे हैं, कलेक्टर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विरोध नहीं करना है, जिस काम को कलक्टर करते थे, कलक्टर की अपील डिवीजनल कमिश्नर को होती थी, आज वो सारा काम तहसीलदार को दिया जा रहा है। इसका मैं निश्चित रूप से विरोध करता हूं। इसके अलावा मैं खासतौर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोलोनाइजेशन एरिया की अनेक समस्याएं हैं, आपने भूमिहीन किसानों को कितनी जमीन दी? आज भूमिहीन किसान जो जमीन लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपने क्या कानून बनाये? उनके हितों की आपने क्या बात की? इसके अलावा मेरे लूणकरणसर का जो कोलोनाइजेशन का एरिया है उसमें जैतपुर आता है, जैतपुर में कोई कॉलोनी नहीं है, आपने डि-कोलोनाइजेशन अभी तक उसका क्यों नहीं किया? इसके अलावा जो लोग बरसों से काबिज हैं, जो 25-30 सालों से खेती कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं? जिन्होंने जमीन को सुधारा है, जिन्होंने जमीन को ठीक किया है, उसके बारे में कम से कम आपको कानून बनाना चाहिए और उनको खातेदारी अधिकार देने चाहिए। इसके बारे में आपने कोई इस एक्ट में प्रावधान या संशोधन नहीं किया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एक तो तहसीलदार को कलक्टर बना दिया, इसका मैं विरोध करता हूं, कलक्टर के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। दूसरा, सिविल कोर्ट्स को जो इन्होंने डिमार्क किया है, इसको डिमार्क नहीं करना चाहिए। और तीसरा यह कि यह एक्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की स्पिरिट के खिलाफ है। राजस्थन टिनेंसी एक्ट की धारा 40 और 41 की स्पिरिट के विरूद्ध है। इसलिए इसको एक महीने के जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह कंपीटेंट नहीं है क्या? एक चीज के लिए राजस्थान का जो तहसीलदार है वो कंपीटेंट नहीं है, अगर सारे तहसीलदार इन-कंपीटेंट हैं तो उनसे दूसरे जो रेवेन्यू पावर्स उनको दे रखे हैं वेभी वापस लिए जाए (व्यवधान) नहीं, आप शहरी एरिया से आते हैं, गांव के आदमी को एक कलक्टर के यहां चक्कर लगाने से सुबह से शाम हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, एक सैकिण्ड, मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह थर्ड रीडिंग में बोल सकते हैं, आपको नियम पढ़कर आने चाहिए। आप थर्ड रीडिंग में बोल सकते हैं, थर्ड रीडिंग। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पारित हो उस समय बोल लेना। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): एक सैकिण्ड, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है क्या इनकी जानकारी में नहीं है, इनके समझने की चीज नहीं है, वो यह कह सकते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि क्या जिस वारिस ...(व्यवधान) ।

श्री सभापति: आप जब बिल पारित हो उस समय बोल लेना, उस समय आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप विराजें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): मेरा निवेदन है कि वारिस जिसको जमीन का अलाटमेंट हुआ ..।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर, आप किस नियम से इनको बुलवा रहे हैं? इनका कोई अमैंडमेंट नहीं है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उसका कोई वारिस खतम हो गया आप उसको जमीन दिलाना नहीं चाहते हो क्या?

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं बार-बार कि जब ये बिल पारित होगा उस समय बोलने का अवसर दे दिया जाएगा, तो आप क्यों व्यर्थ में समय जाया कर रहे हैं? माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 में मेरी ओर से में जो मैंने तीन माह के लिए इसको परिचालित करने का संशोधन दिया था, उसी क्रम में मैं अपनी बात को पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जैसा कि इस संशोधन विधेयक में जो संशोधन यहां पर पेश किये गये हैं जिनको लागू कराये जाने की मंशा माननीय मंत्री महोदय की है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबंध के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग अधिनियम की धारा 91 के अधीन तहसीलदार द्वारा किया जाता है, उनको परिवर्तित करके अधिनियम, 1956 की धारा 22 के उपबंधों के अधीन कलक्टर अप्राधिकृत अतिक्रमण के संबंध में की गयी कार्यवाही के लिए सशक्त जो था, उसका सशक्तीरण हम एक तहसीलदार के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तहसीलदार को उसके लिए हम अधिकृत करना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि तहसीलदार को हमने पूर्व में जो शक्तियां दी हुई हैं उनके अन्तर्गत वो पहले से कार्य करता आ रहा है। कलक्टर जिन शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा था, कलक्टर एक ऐसा अधिकारी है, न्याय की आस लेकर के एक व्यक्ति उसके पास जाता है और बिना किसी प्रभाव के कलक्टर कार्य करे, एक ऐसी आम बात सामने आती है। जबकि तहसीलदार स्थानीय स्तर के अधिकारी होते हैं, वो कई और प्रभावों में भी आ सकते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी सदस्यों का इस संशोधन के प्रति अपना एक सुझाव है कि इस पर पहले ध्यान दिया जाए। इसके साथ-साथ ...।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कलक्टर तहसीलदार में ज्यादा अन्तर नहीं रहा अब।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आज की परिस्थितियां तो कुछ ऐसा बता रही हैं, आपकी बात कुछ-कुछ ठीक लग रही है।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आप अगर विरोध करने के लिए बोलें तो बात अलग है। विरोध करने के लिए बोल रहे हैं आप।

श्री सभापति: शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ...(व्यवधान) इनके राज में हर तहसील में एसडीओ बना दिया ।

श्री सभापति: आप विराज जाएं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, ऐसा लिखित आदेश पारित किये जाने के पश्चात् किन्तु आबंटित भूमि का कब्जा लेने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति अगर जीवित नहीं हो तो उस पर आश्रित आबंटित भूमि का कब्जा ले सकेगा, ये जो संशोधन किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह उन तकलीफों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन पेश किया जा रहा है, मैं इस बात को मानता हूं। माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि जिस भावना के साथ में इसको लागू किया जा रहा है, विशुद्धतः उस भावना के ऊपर खरा उतरते हुए यह बात वहां पर साबित हो। चूंकि इस बात के साथ कुछ और बातें भी दिमाग में लायी जा रही हैं, आशा करता हूं कि उस पीड़ित पक्ष को वास्तव में न्याय देने के अन्दर आपका यह प्रयास कारगर साबित होगा। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसा क्षेत्र जो पूर्व में उपनिवेशन क्षेत्र था, आज वो राजस्व में होने के उपरांत भी कुछ क्षेत्र उपनिवेशन के नाम पर बकाया रह गया है और उसकी पीड़ा वहां का आम जन भोग रहा है, उसमें संशोधन किये जाने की भी नितांत आवश्यकता थी। एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्व तहसील लूणकरणसर जो पूर्व में उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर हुआ करती थी, उसका कुछ भाग आज भी उपनिवेशन के नियमों के अन्तर्गत आता है। लगभग आठ गांव आज भी उपनिवेशन के नियमों से प्रभावित हो कर वहां का आम काश्तकार अपनी जमीन पर पूरा हक प्राप्त नहीं करने के कारण पीड़ित है। आपने जो संशोधन इसके अन्दर पेश किया है माननीय मंत्री महोदय, और आप जो धारा-22 का हवाला देते हैं। भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग तथा पुनः प्रवेश, इसमें वो सारे काश्तकार आते हैं। निश्चित रूप से तहसीलदार जब अधिकृत हो जाता है तो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मैं पुन: उस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि एक स्थानीय अधिकारी होने के नाते उसकी कार्यशैली कलक्टर के बनिस्बत ज्यादा विवादास्पद होगी और वो स्थानीय व्यक्ति सीधा उससे प्रभावित होकर ज्यादा प्रताड़ित होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन को लागू करने से पहले ऐसे क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करके उन काश्तकारों को सीधा अपना हक देंगे तो निश्च‍ित रूप से वो इस समस्या से बाहर हो जाएंगे।

इसके साथ- साथ वो क्षेत्र जो पूर्व में उपनिवेशन रहा और उपनिवेशन क्षेत्र रहते हुए आपने कुछ वहां पर व्यवस्था लागू की, उन व्यवस्थाओं का सही लाभ आम जनता नहीं ले पायी। उदाहरण के रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान तहसील खाजूवाला उपनिवेशन क्षेत्र है चक 8 केजेडीबी में फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आबादी भूमि के नाम पर 506 बीघा भूमि आरक्षित की गयी, लेकिन समय के चक्र के साथ वो भूमि न जाने कहां गायब हो गयी। इस बात की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसा क्षेत्र जो तहसील बीकानेर का क्षेत्र है। आज वर्तमान में राजस्व तहसील का भाग है। सैटल्ड एरिया है, उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने के पीछे आपकी मंशा यह रही है कि उस क्षेत्र को सेटल्ड करने के लिए आप उसको उपनिवेशन में लाते हैं । ऐसे सैटल एरिया को आज आप उपनिवेशन में लेकर आएंगे तो पुन: वहां के काश्तकार को रीअलाटमेंट की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप उसको भी सीधा राजस्व में ही रखते हुए उस आदमी को अपना हक दें, उसको इर्रिगेटेड एरिया मानते हुए कॉलोनी एरिया में न लेकर आयें, तो वास्तव में आप जिस सोच के साथ में काम करना चाह रहे हैं, किसान को राहत देना चाह रहे हैं, उसके अन्दर आप सफल होंगे। अदरवाइज ये जो नियम अभी हम पेश कर रहे हैं, कुछ लाभ होगा, कुछ नुकसान होगा, एक अधकचरी-सी व्यवस्था सामने आएगी। मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन इसमें मैंने पेश किया है कि इस आपके पेश अधिनियम को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, मैं अपनी इस बात को यहां पर पुन: आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, इसमें केवल एक थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि कलेक्टर की जगह तहसीलदार को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उसकी जगह पर एसडीओ को अधिकार दिये जाएं तो वो थोड़ा इसकी

(श्री मदन राठौड़)

मंशा को ठीक कर पाएगा। सभापति महोदय, इसमें एक बात यह भी आयी है कि कई भवन बने हुए हैं, उनको भी तोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है, ऐसे 91 के अधिकार तो तहसीलदार को हैं लेकिन किसी ने निर्माण कर दिया, कोई पेड़-पौधे खड़े हैं, कई वर्षों से कब्जा है उसका निर्णय करने से पहले थोड़ा विवेक से फैसला करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं सोचता हूं कि तहसीलदार से अधिक विवेकशील एसडीओ हो सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि आसानी से इसका निस्तारण हो जाय वैसे भी 91 का निस्तारण तहसीलदार करता है, तो इस दृष्टि से यह समीचीन भी लगता है। इसलिए मैंने जो निवेदन किया है मैं उसको वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। (अनुपस्थित),

डा. एन.एन. गुर्जर (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जो बिल आज सदन में विचारार्थ लिया गया था, उसमें करीबन 9 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। तरह-तरह की शंकाएं-आशंकाएं जो इस बिल को लाने की भावना में हैं, उनके विपरीत उनकी काफी जायज थीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को जिन्होंने कुछ सकारात्मक सुझाव भी दिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमि आबंटन के लिए 8.8.1975 को एक नियम बनाया था और उस परिप्रेक्ष्य में इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता थी। उसी के आधार को लेकर सीपी साहब ने कहा यह बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा, पारदर्शिता खतम हो जाएगी, भू-माफियाओं को जमीन दे दी जाएगी और न जाने क्या क्या कहा । बहुत ही विद्वान सदस्य हैं, और इस सदन में जब सी.पी साहब बोलते हैं हालांकि मैं 1977 से इस विधान सभा में हूं परन्तु जब सी.पी साहब बोलते हैं, तो हमें

(श्री रामनारायण डूडी)

काफी चीजों का ज्ञान होता है । ज्ञान प्रदर्शित करने का अपना-अपना तरीका होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, सी.पी साहब आपको कोई शंका वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है । राजस्थान की जमीन किसी भू माफिया को बिना कानून कायदे के नहीं दी जाएगी । हमारे सामने जो दिक्कत आई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1975 के नियमों की हमें यहां आवश्यकता किस लिए पड़ी, अधिकांशतः: सरकार आपकी रही थी आप उसको महसूस करते । मगर आपने कभी इस बात को महसूस नहीं किया । अलाटमेंट के लिये व्यक्तियों ने एप्लीकेशनें दीं और उन व्यक्तियों ने भी दी जो हमारे पूर्व सैनिक है और सीमा पर इस देश की रक्षा कर रहे थे। 1984 से आपने उनको अलाट नहीं किया। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि इन तीन सालों में हमारे एक भी सैनिक की एप्लीकेशन आज की तारीख में पैंडिंग नहीं है । मैं उन आंकडों में नहीं जाना चाहता हूं मगर तीन साल में सैनिक भाइयों को हमने वहां जमीन उपलब्ध कराने के अलाटमेंट लैटर निकाले। बहुत लंबा समय था, अलाटमेंट लैटर निकालने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है लीगल, कम्प्लीट सर्टिफिकेट होने के बाद ही अलाट किया जाता है । मगर अलाटमेंट के बाद यदि कोई भाई या कोई आबंटी या आवेदक, उस खेत की दीवार तक पहुंचते-पहुंचते उसका दम निकल गया हो, और कब्जा लेने में केवल हाथ बैंत की छेती रह जाती है मैं मारवाडी में कहना चाहूंगा, तो क्या हम उनको वंचित कर दें? मेरे सामने पहली समस्या उन सैनिक भाइयों की थी, अलाटमेंट लैटर जिनके पास पहुंच गया लेकिन कब्जा लेने के बीच उनकी मृत्यु हो गई । इसलिए हम यह अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे कि उनके पति-पत्नी को, अभी कह रहे थे किस को देंगे, विधिक वारिस को देंगे । विधिक वारिस में भी सम्माननीय बी.डी कल्लाजी बहुत गंभीरता से बोल रहे थे कि सिविल कोर्ट उनका टाइटल देगा तो सिविल कोर्ट और उनका जो लीगल वारिस है उन्हीं को दी जाएगी । बिना लीगल वारिस के तो जमीन दी नहीं जाएगी। उन्हीं को कब्जा दिया जाएगा ।

यह बात मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा था कि इस बिल को हम सभी ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है, हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों के सामने आया था। मैं इस विधान सभा के सदन के मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि तहसीलदार शब्द को जोड़ने का जहां तक सवाल है, यह बात सही है कि कोलोनाइजेशन में धारा 22 के तहत 1954 में जो शक्तियां दी गई थीं, वे

(श्री रामनारायण डूडी)

कलक्टर को दी गई थीं और 1954 में उसमें तहसीलदार शब्द नहीं था । केवल इस तहसीलदार शब्द को जोडने के लिये यह संशोधन लाया गया और धारा 2 में जो तहसीलदार शब्द परिभाषित नहीं था, उसको परिभाषित करने के लिये यह जोड़ा गया । वर्तमान में जिस प्रकार भू-राजस्व में धारा 91 है वैसे ही कोलोनाइजेशन में अतिक्रमी वगैरह धारा 22 का उपयोग करते हैं, वह शक्तियां कलक्टर के पास थीं । हमने कोई लंबा-चौडा नहीं किया है, कलेक्टर के पास वह शक्तियां थी तो आप जानते हैं कि ठेठ कलेक्टर से लगाकर अभी आप कह रहे थे, माननीय सदस्य हरिमोहन जी या किसी ने यह कहा था कि तहसीलदार को डेलीगेट कर देते थे तो एक्चुअल काम किसने किया? तहसीलदार कर रहा है आन बिहाफं आफ कलक्टर तहसीलदार को परिभाषित करके जैसी, 91 की कार्यवाही तहसीलदार करता है वैसी की वैसी कोलोनाइजेशन क्षेत्र में कलेक्टर नहीं करके तहसीलदार कर दे, वह शब्द इसमें था नहीं इसलिए इसको जोडने का रखा गया है । उसकी अपील वाली जो बात है, अभी आप कह रहे थे इसमें सिविल कोर्ट से बाहर रखना चाहते हो । 1954 में भी कलेक्टर की जो शक्तियां थीं वे सिविल कोर्ट से बाहर थीं क्योंकि रेवेन्यू में इसका एक निहित प्रोसिजर है । यदि ये सारी समस्याएं वगैरह पैदा होती हैं तो R.A.A. है, रेवेन्यु बोर्ड है, इससे नीचे कलेक्टर है, एडिशनल है, कमिश्नर है, जो भी नियम में परिभाषित है उसके अंतर्गत उनकी अपीलें वगैरह की जाती हैं । उस बात को लेकर धारा 22 की शक्तियां तहसीलदार को दे रहे हैं, वह भी जैसे कलेक्टर सिविल कोर्ट में अपील का मामला है उसमें नहीं जाकर तहसीलदार में हो जाए। उसकी अपील हमारे रेवेन्यू से संबंधित अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय तक जा सके, यह मामला भी इसमें लाया गया है । इसलिए मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि जो धारा 25 है उसमें हमने संशोधन कर केवल तहसीलदार शब्द को जोड़ा है । मैं समझता हूं कि कोई लंबा-चौडा इसमें इश्यू है नहीं। कोई शंका, आशंका है सरकार पर कि काला दिवस बन जाएगा, काला कानून हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है । केवल उन व्यक्तियों को जो कब्जा लेने से बच गये कब्जा लेने के लिए उन लोगों की, बहुत ही कम संख्या है। कल्लाजी, ऐसा कोई मामला नहीं है। न ही हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, मगर जब मेरे सामने विधवाएं जिनके पतियों ने, सीमाओं पर लड़ाई की, उनको हमने राजस्थान नहर पर जमीन देने का वादा किया और कई सालों के बाद वह जमीन लेने में असफल रहे, उनकी मृत्यु हो गई इस दरमिनार जिनके पास अलाटमेंट का

(श्री रामनारायण डूडी)

लैटर चला गया था (व्यवधान) कल्लाजी, मुझे कोई इस बात की आवश्यकता नहीं थी, यदि यह पीड़ा 84 से लगाते, आपके 2003 से पहले उन विधवाओं का सारा मामला या हमारे सैनिक भाइयों का आप निपटा देते तो मुझे यह बात कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आज इस सदन के अंदर न यह बिल लाने की। मगर आपने नहीं किया और। काश्तकार का दुःख काश्तकार समझता है।

आप अभी कह रहे थे गैर खातेदारी, खातेदारी और लीज वगैरह-वगैरह, मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी एरिया के अंदर आपने 56 साल के अंदर अलाटमेंट नहीं दिया, जमीन के कब्जे नहीं दिये, हमने दिये हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी के आदेश पर आदिवासियों को जमीन का मालिक हमने बनाया । हमने हजारों काश्तकारों को लिटिगेशन जिनके छोटे-छोटे मामले के अंदर कोलोनाइजेशन और दूसरी जगह पर पड़े थे उनको हमने जमीन का मालिक बनाया। यह बात आप देख रहे हैं। मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा, मगर जिस संशय का वातावरण ,बहुत ही छोटी सोच को लेकर आप इस बात को ले रहे हैं, हकीकत के अंदर वैसा है नहीं। हकीकत तो उन लोगों को पता है जो इससे महरूम रह गये हैं, उन लोगों के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बांझ को पता ही नहीं प्रसव पीड़ा क्या होती है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, एक मिनिट, मैं यह जानना चाहता हूं, ऐसे कितने मामले हैं जो 1975 से लेकर अब तक पैंडिग हैं, नम्बर एक? दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: विचारार्थ लिया जाए उसमें बोल देना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस संशोधन के नहीं आने पर भी जो लीगल वारिस होता था उसको जमीन स्थानान्तरण होती थी, उसको कब्जा मिलता था, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार, खण्ड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्वि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची के पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं क्लाज 4 में यह प्रस्ताव करता हूं कि "In clause 4, for the existing word "Collector" wherever occurring, the word "S.D.M." shall be substituted." इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे यहां कलक्टर, एसडीएम और तहसीलदार यह थ्री टियर सिस्टम है जिला प्रशासन में। इसमें मान लीजिए कि यह अधिकार कलक्टर का छीनकर तहसीलदार को देना चाहते हैं तो कम से कम एसडीएम को तो लेवें। उसका आई क्यू कम्पेरेटेवली और अनुभव के मामले में वह ठीक है, उसके साथ-साथ उसको लॉ का भी ज्ञान है, वह उत्तराधिकार अधिनियम और कई कानूनों के बारे में जानता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, दूसरी बात, तहसीलदार के पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम है।

(समय 16.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसके पास पशु-गणना, जनगणना, सर्व शिक्षा अभियान, पता नहीं क्या-क्या काम उसको दे रखे हैं। तहसीलदार के पास कम से कम 70-71 प्रकार के काम दिये हुए हैं। उसके बाद उत्तरदायित्व तय करना, अतिक्रमण हटाना, कोलोनाइजेशन के अतिक्रमण हटाना, ये इतने अधिक काम हो जाएंगे वह अपनी डयूटी पूरी नहीं कर पाएंगा। आजकल कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने में भी तहसीलदार का उपयोग लिया जा रहा है, इसलिए एसडीएम लेवल के अधिकारी को उसकी जगह जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो कल्लाजी ने अपने संशोधन के अंदर कहा कि इसमें एसडीएम को जोड़ा जाए। यह कह रहे हैं कि तहसीलदार पर बहुत ज्यादा भार होगा। तहसीलदार से हटाकर एस.डी.एम. को कर दिया जाए, मैं इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि हमने एकरूपता देने के लिए और कोलोनाइजेशन की रेवेन्यू से समानता रखते हुए तहसीलदार को इसमें पावर्स दिये हैं। एस.डी.एम. के पास, आप जानते हैं, आज एक तो पूरे राजस्थान के अंदर ला एंड आर्डर का काम है। दूसरा, उनके पास पेंडिग लिटिगेशन के मामले और बहुत हैं। अभी वे नहीं निपटा पाते है,उस हिसाब से हम पूरे राजस्थान को दृष्टिगत रखें। कल्ला साहब थोड़े-से आंकड़े ले लेते तो ठीक रहता। आज लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इन कारणों पर भी चले जाते तो ठीक रहता। ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि उत्तराधिकारी का, और इसी तरह का हमारे पूर्ववर्ती कानूनों के अंदर अभी तक लै कूना आ रहा है मैं उनकी स्टडी करा रहा हूं, उन सारी बातों को भी देख रहा हूं। समय आने पर वह भी याद करेंगे। मगर उस बात को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम को हमने नहीं जोड़ा ताकि उनके सामने विचारार्थ जितने मामले हैं वे उनका निपटारा करें। ला एंड आर्डर एरिया के अंदर उसके मामले करें। अलाटमेंट कमेटी का वह मैम्बर होता है, सलाहकार समिति के सामने वह जाए। इस

(श्री रामनारायण डूडी)

प्रकार ढ़ेर सारे जो काम हैं उन कामों को करने के लिए हमने इनको नहीं रखकर और एकरूपता लाने के लिए तहसीलदार को यह किया है। इसमें अगर किसी प्रकार का और कोई मामला हो तो कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 4 में जो संशोधन डा0 बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकार)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकार)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्लाज 5 में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं "In clause 5 for the existing expression "Collector is empowered" shall be substituted by the expression "Collector or S.D.M." and the existing expression "State Government or Collector" substituted by expression "State Government or Collector or S.D.M."."

(समय 17.00 बजे)

यह, उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन मैंने इसलिये पेश किया है, जैसा मैंने चौथे खण्ड में संशोधन प्रस्तुत किया था, कि कोलोनाइजेशन एक्ट जब से बना है, 1954 से लेकर अब तक हमने कलेक्टर को ये शक्तियां दी थीं। यह सरकार तो एस.डी.एम. को और न कलेक्टर को, उसके बाद सीधे तहसीलदार को दे रही है। जो पहले से ही अपने कार्य-भार से दबा हुआ है। इसमें सरकार की यह मंशा लगती है, सैक्शन 22 के अन्तर्गत आज कोलोनाइजेशन के एरिये में बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले हुए हैं लेकिन वे कम से कम 25-25, 30-30 साल से खेती कर रहे हैं। आप इसको 8 अगस्त, 1975 से लागू कर रहे हैं। इसमें जो लोग बरसों से काबिज हैं उन लोगों को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में, जैसे तहसीलदार को पावर दे रखे हैं, उसके बारे में उस अतिक्रमी को जिसने जमीन को सुधारा है, जिसने जमीन को संवारा है उस व्यक्ति को वहां से हटा देंगे। जो तहसीलदार को और आपकी सरकार को खुश कर देगा, उसको वहां पर बैठा रहने देगा। यह जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार का विण्डो खोला है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिये कहता हूं कि कम से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कम एक सक्षम अधिकारी को यह अधिकार दीजिये ताकि वह सुनवाई करके मैरिट के आधार पर फैसला कर सके। जिसको कानून का ज्ञान हो, जिसको परफैक्ट नॉलेज हो और जो कम से कम नियम, कायदे-कानून के अनुसार अपना काम कर सके। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बता रहा था आपको, रेवेन्यू कोर्टस में पहले से ही इतने मामले चल रहे हैं कि 30-30 वर्षों तक विवाद्यक तय नहीं होते हैं। आप तो स्वयं एक बहुत अच्छे बैरिस्टर रहे हुए हैं, आपको अनुभव है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तहसीलदार ने उत्तराधिकार के मामलों में कोई निर्णय दिये हैं? उनको कई एक्ट पढ़ने पढेंगे। जो काम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हो रहे थे, उसके लिये भी अलग से एक्ट लाने की जरुरत क्या थी? उसके लिये अलग से तहसीलदार को शक्तियां देने की जरुरत क्या थी? शक्ति देनी है तो किसी सक्षम अधिकारी को दें जो नियम और कानून-कायदों को जाने। (व्यवधान) आप बोल लेना बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माफ करना, कल्लाजी, आप पढ़कर आया करें। भाग 4 में जो अमैण्डमेंट लाये हैं, उसमें तो इन्होंने जरुर 8 अगस्त का जिक्र किया है, सैक्शन 22 में और 25 में बात ही नहीं की। आप सी.पी. जोशी साहब के साथ बैठा करो थोड़ा। यूं भाषण के नाम पर भाषण टेक रहे हैं। (व्यवधान) इस सैक्शन 7 (4) के अलावा कोई भी रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो तो बता दो मेरे को। आपने पढ़ा नहीं, कागज आगे आ गया, भाषण देना शुरू कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने सुना नहीं। आप पूरा सुनते नहीं हो। सदन में पूरा रहते नहीं हो। मैं यह कह रहा हूं कि जो पावर आप तहसीलदार को दे रहे हो, वह पावर आपको कम से कम एस.डी.एम. को देना चाहिए, इस पर बोल रहा हूं मैं। आप कहां उठाकर लेकर आये हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने खुद कोट किया है कि आप इसको लागू कर रहे हो 1975 से। आप अधिकार दे रहे हैं 1975 से।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसलिये कह रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, जो धारा 22 में आप संशोधन कर रहे हो, उसमें वह पुराने कब्जों को तोड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसमें रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट कहीं नहीं है। आप पढ़ लो। सी.पी. साहब, करैक्ट कर दो आप इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप क्या, किसी को बुलाकर बात कर लो। (व्यवधान) नहीं, नहीं, सी.पी. साहब और आप दोनों मिलकर करैक्ट कर दो, मैं करैक्ट हो जाऊंगा। लेकिन जो भी पजेशन है उसको तहसीलदार तोड़ेगा। आपने पूरा पढ़ा नहीं है एक्ट को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरा पढ़ लिया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बता दीजिये। धारा 22 में आप क्या करने जा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने पढ़ लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तहसीलदार को यह अधिकार दे रहे हो कि वह पजेशन तोड़ेगा। अब पजेशन उसका 35 वर्ष पुराना है, आप क्या बात करते हो, 32 वर्ष नहीं, जब से कोलोनाइजेशन एक्ट बना है और जब से जमीन अलाट हुई है तब से लेकर अब तक किसी ने भी कोई कब्जा लिया है, उसको यह तहसीलदार तोड़ देगा। आप क्या बात करते हो। आपको यह मालूम ही नहीं है। आप खुद पढ़ाई करके आया करो। धूल में लट्ठ मत मारा करो।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): राठौड़ साहब, कल्लाजी की पीड़ा जानो आप। बीकानेर में कोई न कोई जगह कब्जा किया हुआ है, तोड़ना मत, वह यह कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे तो सात पीढ़ी में कोई कब्जा नहीं है और अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि कल्लाजी काश्तकार नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, नहीं, हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से काश्तकार नहीं हूं लेकिन मेरी सात पीढ़ी की जमीनें हैं, मेरे चाचा और ताऊओं की ढाई सौ से तीन सौ वर्ष पुरानी बीकानेर में हैं। इसलिये, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे पता है कि किस-किस का कब्जा है। (व्यवधान) मेरा कोई कब्जा हो तो मैं चैलेंज करता हूं, आप 24 घण्टे में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहते हैं न, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिये जिसका कांच का मकान है, वह पत्थर के मकान की तरफ झांकने की कोशिश नहीं करे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बगैर पत्थर और कांच के मकान बनते ही नहीं हैं। बिना कांच और पत्थर के मकान बनते ही नहीं हैं। दोनों का आपस में तालमेल हो, तभी सुन्दरता बनती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई न कोई रहस्य है। आपके बारे में कोई टिप्पणी की गयी और सी. पी. जोशी साहब की चुप्पी, आज तक यह चुप रहते नहीं हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मकान तो देखे हैं और आजकल तो शीशे लगते ही ज्यादा हैं। यह मेरे को पता नहीं है, वह क्या काम के लिये लगते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): महावीरजी, आपकी कुश्ती किस-किस से हो रही है, सारा जगत जानता है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जिस मकान में संगमरमर नहीं लगता उसमें अमन-चैन और सुख-शांति भी नहीं रहती, कल्ला साहब। यह वास्तु-शास्त्र में लिखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कुश्ती करो, वह ठीक है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आजकल आपको तो ओ. पी. महेन्द्रा ही चैलेंज कर रहे हैं। और हमको खुशी है कि यह हमारे डिवीजन के हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ओ.पी. महेन्द्रा हमारे मित्र हैं। आपके डिवीजन के हैं, हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं और आपको पछाड़ देंगे ये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा है। हमको हमारे छोटे भाई से यदि कोई बात होगी तो हमको खुशी होगी। लेकिन आप परास्त नहीं होने का चैलेंज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीरजी, आपको यह पता है, ओ.पी. महेन्द्राजी ने राजनीतिक शिक्षा बी.डी. कल्ला साहब से ली है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह हमारी पार्टी की ट्रेनिंग लिये हुए लोग हैं। आप ध्यान रखना, इनफिल्ट्रेटर्स हैं आपकी पार्टी में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है, आपको पता नहीं है। यह पुर्जा आप में घुस आया जो उसके बाद तोड़-ताड़कर मशीन को वापस आ गया। (व्यवधान) हमारा पुर्जा कहीं फिट नहीं होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सेवादल के ट्रेण्ड आदमी हैं, पता कर लेना आप। आप जैसे आर.एस.एस. से ट्रेण्ड हैं न, वैसे सेवादल के ट्रेण्ड आदमी हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके संसदीय मंत्री एक तो काबू आ नहीं रहे हैं पूरे बी.जे.पी. के, ये दूसरे और बनने जा रहे हैं, इनको भुगत लेना।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं आर.एस.एस. का भी ट्रेण्ड हूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): इसमें क्या बुराई की बात है, आजादी के बाद तो आपकी पार्टी थी, पुर्जा इधर से निकल-निकलकर मजबूत कर लिया हमने तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, पता है आपको?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, यह पता नहीं है। बहुत अच्छा, मेरे में वृद्धि हो गयी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो आ गया तो कुछ समय के लिये, वह तोड़ लेंगे ये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): डेढ़-साल में आपके सारे पुर्जे इधर आ जाएंगे, सम्भाल कर रखना इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): साल डेढ़-साल बाद तो क्या होगा, 120 की जगह एक डण्डा हट जाएगा और 20 रह जाएंगे। आप चिन्ता मत करो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह तो आप जानते हो, आपको पता है इसलिये आपको चिन्ता हो रही है। छोटे अधिकारियों को अगर अधिकार देंगे तो जनता के काम हो जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, इसकी चिन्ता है आपको। आप वही ब्रिटिश राज चाहते हो, कलक्टर से नीचे कोई पावर नहीं दो। दूसरे अधिकारियों के ऊपर आपका भरोसा नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपकी पार्टी जुगाड़ी पार्टी है क्या? जुगाड़ी सामान ला-लाकर जुगाड़ तैयार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सिंचाई मंत्रीजी, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, आपने कहा कि इधर के लोग उधर आ जाएंगे तो डेढ़ साल बाद आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब, एक मिनट, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, एक मिनट में कम्पलीट कर रहा हूं। हां, बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था। ...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह इधर के उधर आ जाएंगे, उधर के इधर आ जाएंगे तो बीच वाले कहां जाएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कल्ला साहब, जो बारानी जमीनें हैं वहां पर तहसीलदार की पावर है 91 के अन्तर्गत कि वह ट्रेस-पासर का कब्जा हटा लेगा। वह के वही पावर कोलोनाइजेशन एक्ट में भी दे रहे हैं। इसमें कोई लम्बी-चौड़ी विवाद की बात तो है नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, कम्प्लीट कर लूं। उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में सैक्शन 91 में तहसीलदारों को छोटे-छोटे, सीमान्त और लघु कृषकों के मामले या चरागाह के बारे में जो अतिक्रमण है उसके मामले में अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, अतिक्रमण में है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन जब से यह एक्ट बना है, 1954 से लेकर अब तक, ये अधिकार कलेक्टर्स को दिये हुए थे। परन्तु कोलोनाइजेशन में जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं और इसके लिये सक्षम अधिकारियों को ये पावर्स दिये गये थे। मेरा यह तर्क है कि तहसीलदारों के पास पहले से, ज्यादा काम हैं। उन कार्यों के बाद इनके पास उत्तराधिकार भी वह तय करेंगे वह अतिक्रमण भी हटाएंगे। यह अधिक काम देकर मैं समझता हूं उसको ओवरबर्डन किया जा रहा है। इसलिये यह काम कम से कम एस.डी.एम. लेवल के अधिकारियों को दे दें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वह लॉ का जानकार होगा। आज सारे के सारे एक्ट्स को पढ़कर उनको फैसला देना पड़ेगा। इसलिये एस.डी.एम. का संशोधन आपको स्वीकार करना चाहिए। इसमें यह नहीं करना चाहिए कि प्रतिपक्ष की तरफ से यह संशोधन आ गया है। बिलकुल आप कलक्टर से सीधे तहसीलदार को जो पावर दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से मैं ठीक नहीं मानता हूं। इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार के पास हर कोई गरीब चला जाएगा, काम करवा लेगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-

(श्री रामनारायण डूडी)

बार कल्ला साहब एस.डी.एम, तहसीलदार, तहसीलदार को और एस.डी.एम. को पावर वाली बात कह रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कल्ला साहब, यह जब से धारा-22 वाला मामला है, 1971 और 87 के अन्दर भी पावर कलेक्टर ने डेलिगेट किया हुआ है तहसीलदार को। केवल वह शब्द डेलिगेट को हटाकर तहसीलदार को अपनी शक्तियां देनी हैं, कहां आप अपने प्रपंच में पड़ रहे हो? (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पावर का डेलिगेशन है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसलिए यह जो मतलब धारा-22 का और तहसीलदार के पास मतलब जो भी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अभी भी तहसीलदार ही कर रहे हैं। अभी भी तहसीलदार ही कर रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 91 रेवेन्यू के अन्दर तहसीलदार कर रहा है। आने वाले वक्त के अन्दर जितने भी कोलोनाइजेशन क्षेत्र है, कोलोनाइजेशन का काम खतम होने के बाद में अंततोगत्वा रेवेन्यू डिपार्टमैंट में आने का है, एकरूपता लाने के लिए। कलेक्टर की अपील सीधी जाती है आर.ए.ए. में, आर.ए.ए. से रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड से हाई कोर्ट, जो भी दरवाजे खुले हैं। इसके बाद प्रार्थी है, आवेदक है या प्रभावित व्यक्ति है, उसकी कलक्टर के पास अपील का एक दरवाजा खुलेगा यह बहुत बड़ा हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं। और आप कहां की बात करना चाहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यह कोई मामला नहीं होने का। आप तो निश्चिंत रहिये। राजस्थान कोलोनाइजेशन के अन्दर जो आप घोड़ी मारकर बैठे थे न, मतलब किसी की सुनवाई नहीं हुई। न तो एम.एफ.एफ.आर. वालों की सुनवाई हुई। अभी वीरेन्द्रजी कह रहे थे, कितने साल पूरे, फील्ड फायरिंग के अन्दर अपने जमीन दी, आप उनको कब्जा नहीं दिला सके, आप री-सेटलमेंट नहीं कर सकें। मैं उनको ... (व्यवधान) निश्चिंत तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने उन सारों को ... (व्यवधान) हम उन सारे केसेज को लेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो किसान को जिनकी जमीन अधिग्रहित की है, उनको भूमिहीन मानकर जमीन नहीं दे रहे हो, हमने पलाना बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में जब जमीन अधिग्रहित की थी तो उनको भूमिहीन मानकर कोलोनाइजेशन एरिया में जमीन अलॉट की थी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आज मैं कहने की स्थिति में हूं कि जो आज बीसों साल से बैठे थे, जिनकी चाहे जमीन फील्ड फायरिंग के अन्दर चली गयी थी, वे रोते-रोते घूम रहे थे, आपके दरवाजे पर, आपने उनकी कभी सुध नहीं ली और हमने उस कार्य को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर करके उनको जमीन दी है और दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप लोग नहीं दे रहे हो आज। आप केवल मात्र बड़े-बड़े इजारेदार, नम्बरदार, ठेकेदारों के काम करते हो। पूंजीपतियों के काम करते हो। आपकी सरकार पूंजीपतियों का काम करती है। हमने काश्तकारों का, किसानों का हमेशा ध्यान रखा है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह वास्तविकता है जो मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह आप सरासर असत्य बोल रहे हैं, माननीय। इस सरकार में ही गरीबों का काम हो रहा है। आपकी सरकार में केवल गिनेचुने लोगों के फायदे की योजनाएं बनती थीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसीलिए 10 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होता है उनकी फीस आपने कम कर रखी है और गरीब किसान और आम आदमी की रजिस्ट्रेशन की कीमत, जमीन की कीमत बढ़ा रखी है। आपकी नीतियां गरीब, किसान और गांव विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी सरकार के कार्यकाल को देखिये। (व्यवधान) आप उधर आते ही भूल जाते हो कि आपने क्या कार्य किया है। (व्यवधान) आज गांव-गांव में सब गरीबों का काम हो रहा है इस सरकार के अन्दर। आपके कार्यकाल के कुछ देखो तो सही, कुछ किया है क्या पाँच साल में? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अब गरीब की चिन्ता करने वाले और छोटे-से बिल के थ्रू अपनी भावना लाने वाले ... (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): अब यह सरकार जो अमैंडमेंट ला रही है, कांग्रेस के सदस्य को दर्द क्यों है?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने काश्तकारों पर 18 परसेंट ... (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): उनको तकलीफ क्यों हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 18 परसेंट ब्याज, 6 परसेंट शास्ति और उन लोगों को बेदखली के दरवाजों पर आपने खड़ा कर दिया था। मैंने आते ही उस पूरे मामले को देखा और देखने के बाद मैंने कहा कि यह जजिया कर मतलब 24 परसेंट ब्याज इस हिन्दुस्तान की धरती पर कोई भी नहीं लेता है। मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीब काश्तकारों से उस ब्याज की उगाही की थी। मैंने वह ब्याज, 6 परसेंट शास्ति ब्याज को खतम किया और 18 परसेंट ब्याज को नीचे लाकर 12 परसेंट पर हमने रखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ब्याज की दर 8 परसेंट है अभी। 8 परसेंट अभी है। अभी भी 4 परसेंट ज्यादा ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं कर रहा हूं। आप तो 18 पर बैठे थे। क्या बात कर रहे हो? उनके उपरान्त जितने भी उनके ब्याज पर लगे हुए थे उस ब्याज को हमने माफ किया। 28 करोड़ रुपये ब्याज के मामले माफ इस राजस्थान कोलोनाजेशन एक्ट के अन्दर हमने किये हैं। उन लोगों की जमीनें टर्म्स एण्ड कंडिशन के आधार पर, जिनकी एक किश्त बाकी रह गयी थी, उनको बेदखल कर रहे थे। उनका पजेशन नहीं हटा रहे थे, ये सारी बातें की हैं। आप क्या बात करते हो? छोटी-सी बात के लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपने किया कुछ नहीं है और बातें बड़ी-बड़ी बना रहे हो। मुझे मालूम है। अब एक कोई गंगानगर से आने वाले महानुभाव कह रहे थे कि जिन लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। डूडी साहब।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जिन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है, ऐसा है, अभी इनको प्रभारी मंत्री बनाया गंगानगर का।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, छोड़ो अब इस बात को।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी नहीं था मगर हमने कोलोनाइजेशन के अन्दर स्पेशल एक महीने तक अभियान चलाकर जिन लोगों के खातेदारी हक देने थे, कुछ ड्यूज के आधार पर नहीं दिये जा रहे थे, वह हमने हजारों की संख्या के अन्दर खातेदारी हक दिये हैं। और उस वक्त में भी तीन दिन तक कंटिन्यू ठेठ रावला मण्डी, जहां आप कह

(श्री रामनारायण डूडी)

रहे हो वह आन्दोलन चल रहा है, मैं उन लोगों के बीच में गया हूं। आन्दोलन का कारण यदि किसी के समझ में नहीं आता है तो वह आप हैं। मुझे मालूम है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आशंकाएं पैदा करके अब आप प्रभारी बने तो आप गये और कुछ घोटाला करना चाहते हो। कल्लाजी, किस को कह रहे हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, आप भावात्मक मत हो, आप तो मुद्दे की बात करो। भावात्मक मत हो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मुद्दे की बात। मेरी जो आत्मा के अन्दर है वही बात मैं कह रहा हूं और किसी प्रकार की बात को मैं छिपा नहीं रहा हूं। गरीब लोगों को जो आवश्यक है, जो मतलब एनटाइटल्ड हैं और चूक गये, रह गये, उनको मैं हक दिलवाना चाहता हूं। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनका संशोधन रिजेक्ट किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बता दो आप कि 8 अगस्त, 1975 से इसको लागू करो और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या भी बता दो और उसमें यह भी कह दो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी यह बोलेंगे। अभी बोलेंगे। विचार पर बोलेंगे अभी। फिर जवाब देना है अभी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलेंगे अभी। विचार पर बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कैसे बोलेंगे इस अमेंडमेंट पर? कैसे बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बिना अमेंडमेंट ... (व्यवधान) थर्ड रीडिंग में बोल लेना ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन डाक्टर बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री रामनारायण डूडी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सब बातें अच्छे ढंग से रखीं। पर हमारी कुछ शंकाएं हैं, उनका भी आप उत्तर दें।

सैक्शन-12, आप सेक्शन देख लीजिए, कोलोनाइजेशन एक्ट का सैक्शन-12, एक्सचेंज की पावर देता है। आप सैक्शन-7 में परमिशन ले रहे हैं कि उन लोगों को टिनेंसी राइट मिल जाएगा और टीनेंसी राइट मिलने के बाद सैक्शन-12 में एक्सचेंज के अधिकार मिल जाएंगे। एक्सचेंज के अधिकार में आपका कानून क्या कहता है, वह मैं पढ़ना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "Subject to any order that he may receive from the State Government, the Collector may allow any tenant to extend the whole or any part of the tenancy for other land in colony and the land should be taken in exchange in the absence of any special condition to the contrary to be recorded in writing by the Collector, it deems to be held on the condition and subject to the obligation on which the land was given, the exchange was held."

सैक्शन-7 के अन्दर वे लोग, जिन लोगों को टीनेंसी आप अमेंडमेंट करके दे रहे हैं, उन लोगों को सैक्शन-12 का अधिकार मिल जाएगा अपनी लैण्ड एक्सचेंज करने का। क्या मंत्री महोदय इससे मना करते हैं? मैं समझता हूं कि हम आधी बात कर रहे हैं। सैक्शन, इसका मतलब क्या है? पहले आप

(डा. सी. पी. जोशी)

इसकी डेफिनिशन भी देख लें। राठौड़ साहब, मैं चाहता हूं, पता नहीं हमने अमैंडमेंट क्यों नहीं किया, आपके एक्ट की डेफिनिशन में टिनेंट की डेफिनिशन दे रखी है – "Tenant means any person holding land in colony and includes his predecessors, successors and successors interest ..."

इस एक्ट की परिभाषा में परिवर्तन क्यों नहीं किया? आपको यदि इस एक्ट में परिवर्तन करना था तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उस टिनेंट की परिभाषा को आपने परिवर्तन नहीं किया और सैक्शन-7 के अन्दर आकर आप यह परिवर्तन करना चाहते हैं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर की डेफिनिशन में लिख रखा है "Collector means the Collector of the District and includes any Officer appointed by the State Government to perform all or any of the functions and exercise all or any of the powers of the Collector under this Act" यह आलरेडी प्रोविजन उस एक्ट के अंदर डेफिनिशन में लिख रखा है कि कलक्टर किसी को पावर डेलीगेट कर सकता है। तहसीलदार को करो, किसी को करो, यह तो आलरेडी इसके अंदर पावर लिखी हुई है। आप सैक्शन 22 में ..(व्यवधान) जरूरत क्या पड़ रही है, Why do you define it? सैक्शन 22 और 25 के अंदर आलरेडी डेफिनिशन के अंदर कलक्टर काम्पीटेंट है तो सैक्शन 22 और 25 के अंदर आपको अमैंडमेंट लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आलरेडी उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं नहीं समझता कि टीनेन्ट की परिभाषा को बदले हुए आप एक्ट के इस अमैंडमेंट से उस मूल डेफिनिशन को बदल पाएंगे । मैं समझता हूं कि पहले आवश्यकता थी, इस परिभाषा में भी आपने जो अमैंडमेंट किया, वह अमैंडमेंट भी लाना चाहिये था।

नम्बर दो, मैं फिर कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भू-माफिया नहीं कहा है। मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं । जिस समय 1975 में किसी आदमी को जमीन अलाट हुई उस समय की जो प्रिवेलिंग प्राइस थी, उस प्रिवेलिंग प्राइस में आज राजस्थान कैनाल का पानी लग गया, दस मुरब्बा, बीस मुरब्बा, पच्चीस मुरब्बा, आज उस लैण्ड की कास्ट वह नहीं है जो लैण्ड की कास्ट 75 में थी। उस लैण्ड को यह कहकर कि 75 में आपको अलाटमेंट हो गयी, इसलिए अब आपके पत्नी है कि नहीं, पिता है कि नहीं, आपके पास यदि कागज हैं और आप सक्सेसर हैं तो जाकर उसका मालिक बन सकते हैं । अब मालिक बनने पर एक बाप के चार बेटे हैं । चारों बेटे जाकर माथाफोड़ी

(डा. सी. पी. जोशी)

करेंगे। चारों बेटों के लिये तहसीलदार फैसला करेगा। अब मैं समझता हूं कि हम पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं। कोलोनाइजेशन एक्ट का जो काम था, उस कोलोनाइजेशन के अधिकार को हम तहसीलदार को दे रहे हैं, यह कौनसा एक्ट है ? सक्सेशन के लिये कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में लिटिगेशन करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। यह पेंडोरा बाक्स खोलकर जो अमैंडमेंट कर रहे हैं उसे सैक्शन 7 के अन्तर्गत असर्टेन कौन करेगा कि एक बाप के चार बेटे हैं, चार बेटों में पहले का कितना अधिकार है, दूसरे का कितना है, उसकी पत्नी का कितना अधिकार है? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी नीयत कितनी ही अच्छी हो, पर, इूडी साहब, शाश्वत आप मंत्री नहीं रहेंगे, मंत्री रहेंगे ये कानून बनाने के बाद लागू करने वाले। आपके हटने के बाद सैक्शन 7 में मुझे जमीन मिल गयी 75 के बाद, आज उस जमीन के बाद आपका जो सैक्शन 12 है, वह तो एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है। जब सैक्शन 12 में अलाउ करता है तो मैं किसी भी कलेक्टर के पास जाकर मौके की जमीन ले लूंगा। मौके की जमीन ले लूंगा, एक्सचेंज में राइट बनता है। आपने मालिकाना हक दे दिया, फिर एक्सचेंज का अधिकार भी दे दिया। आज तो डिप्राइव करिये, ऐसे लोगों को यदि आपने एक बार बेनीफिट दे दिया तो फिर एक्सचेंज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह भी अधिकार इसमें है। मैं समझता हूं कि आप जितनी गली खोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कितनी ही अच्छी इंटेंशन हो, मुझे जवाब दें माननीय मंत्रीजी, 75 के अलाटमेंट के बाद कलक्टर को यह जानकारी थी कि यदि उसका अलाटमेंट नहीं हुआ तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ ? यह तो रिकार्ड होना चाहिये आपके पास कि 75 में इन लोगों को अलाटमेंट हुआ, पजेशन नहीं किया। पजेशन नहीं लेने वाले कौन-कौन लोग हैं, उनकी जानकारी कलक्टर को होनी चाहिये कि इन लोगों के पास जमीन नहीं है। यदि वह जमीन वहां पर नहीं थी तो आप काबिज कैसे थे? और काबिज थे तो ट्रेसपास के रूप में उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? मैं समझता हूं कि with all good intention we are preaching in this House. इस हाउस में बड़ी अच्छी बात कहकर हम अपनी भावना से कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप जो यह गली खोल रहे हो, इस गली से 75 में यदि किसी काश्तकार ने, माननीय मंत्री महोदय, मुझे यह बतायें कि आजादी के बाद मेवाड़ के अंदर और वैस्टर्न राजस्थान के अंदर लैण्ड होल्डिंग

(डा. सी. पी. जोशी)

के अलग-अलग कान्सैप्ट थे कि किस आदमी के कितनी लैण्ड होल्डिंग थी, मेवाड़ के महाराणा के पास कितनी जमीन थी। सीलिंग एक्ट लागू हुआ, सीलिंग एक्ट लागू होने में वैस्टर्न राजस्थान में ज्यादा जमीन रखने के बाद भी सीलिंग लागू नहीं होती थी क्योंकि वहां पानी नहीं था। अब वहां पर पानी पहुंच गया, उस जमीन की किस्म आपने बदली नहीं । उस आदमी को जागीरदार बना दिया आपने और फिर जागीरदार बनाकर खेती की जमीन देना चाहते हो। मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता थी, उस लैण्ड के अलाटी की जमीन किस्म बदलते आप और किस्म बदलने के बाद उसका अलाटमेंट करते। तब भी न्याय करते । मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, यदि एक काश्तकार को 75 में जमीन आपने अलाटमेंट की, उस समय सीलिंग एक्ट लागू था, उससे ज्यादा जमीन मिली उसको। फिर आपने पानी पहुंचा दिया, उस जमीन को पैसा देकर उस आदमी को जागीरदार बनाना चाहते हो। फिर आप कह रहे हो, हम तो भू-माफिया को नहीं कर रहे हैं। भू-माफिया नहीं, वह लैण्ड के अलाटमेंट के नाम पर, सैनिक की पत्नी के नाम पर, सैनिक के परिवार के नाम पर आप एक ऐसी योजना करना चाहते हो जिसे आने वाले समय में, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप जो कर रहे हो, उसका भुगतान तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन मेहरबानी करके इस पवित्र सदन में ऐसी बात मत कहिये, जिन बातों को कहकर आप लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन जो आज हो गयी है, उसको लोगों को इल्लीगली देने का रास्ता कर रहे हो।

अब मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी, आप से कि सैक्शन 12 आज भी रिलेवेंट है। सैक्शन 12 में ऐसे आदमी को हम एक्सचेंज करने का अधिकार नहीं देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, हाउसिंग बोर्ड की जमीन में यह नियम बना हुआ था कि हाउसिंग बोर्ड में यदि किसी की जमीन लेंगे तो वहीं जमीन देंगे, लेकिन उसी हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को जमीन कहां थी और जमीन कहां दी, यह भी नहीं खोलना चाहता हूं मैं, यह भी राजस्थान में खुला हुआ है कि जमीन थी एक्स जगह पर और जमीन दी वाई जगह पर। यदि वाई जगह पर जमीन देकर काम चलता रहा तो कोलोनाइजेशन में आज भी मौके की जमीन खाली पड़ी हुई है। उस मौके की जमीन को एक्सचेंज करवाकर आदमी ज्यादा हैसियत वाला बन जाएगा। यह सैक्शन 12 का जो प्रोविजन है, उसके अन्तर्गत खुलेगा। आप खड़े होकर मना कर दो कि सैक्शन 12 इसमें लागू नहीं होगा। आई विश, आपका सेक्रेटरी

(डा. सी. पी. जोशी)

आपको जो ब्रीफ करता है, यह अमैंडमेंट 7 में करने के बाद एक्सचेंज का उसका अधिकार रूकता है कि नहीं ? अधिकार रूकता नहीं है। The moment it becomes entitle for tenancy. वह एक्सचेंज करने का अधिकार कलक्टर के पास है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आप फिर खड़े होकर कहेंगे, राजेन्द्रजी खड़े होंगे, कि आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। हम तो आरोप लगा रहे हैं। जितना प्रसाद आप बांट रहे हो, उसमें कम पड़ रहा है तो शक्कर और मिला देना, बूरा मिला देना, मिठाई अलग कर देना। लेकिन राजस्थान की जनता के लिये ऐसा पेंडोरो बाक्स मत खोलो कि लोग आप पर उँगली उठावें और कह सकें कि हमने राजस्थान में ध्यान नहीं रखा। with all this humble request once again I repeat it कि आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी हो सरमन देने के लिये, पर इसके पीछे नीयत ठीक नहीं है। इस नीयत को आप लागू नहीं करोगे, आपका तहसीलदार करेगा। तहसीलदार जब इस तरह से फैसला करेगा तो सक्सेशन के फैसले में आगे जाकर तकलीफ आएगी और एक्सचेंज करने का लैण्ड का जो प्रोविजन है, उसके बाद प्रभावशाली लोग बैटर जगह पर लैण्ड को एक्सचेंज कराकर अपनी ज्यादा हालत सुधारेंगे। यह एक पेंडोरो बाक्स आप खोलना चाहते हो, यह मैं कहना चाहता हूं।

1983 में अमैंडमेंट हुआ, मैं 1983 में एम एल ए बनकर आया था । 1980 के बाद जिन लोगों के पास लैण्ड थी, उन्होंने लैण्ड बैंक को सरेण्डर कर दी ..(व्यवधान) 1983 में उन जमीनों को तो रैगुलराइज किया था तब 75 का ..(व्यवधान) किया था। मैं समझता हूं, ये सब चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, तगारामजी तो मन में जो आया कह दें, लेकिन मेरी कांशस कहती है कि राजस्थान में टिनेंसी एक्ट का जो प्रोविजन कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को ज्यादा मदद देंगे, जो सस्ती जमीन लेकर वहां बैठ गये। वहां आज पानी लग गया इसलिए पानी लगने वाले लोग इस तरह का फायदा उठाना चाहते हैं । इसमें किसान का भला कम होगा, कुछ लोगों का भला ज्यादा होगा। राजेन्द्रजी राठौड़ और सी. पी. जोशी जैसे आदमी अपनी जमीन को मौके पर एक्सचेंज कराएंगे, कमर्शियल यूज करेंगे और लोग उँगली उठायेंगे कि जमीन वहां से एक्सचेंज की। मेहरबानी करके ऐसे नियम और कानून नहीं बनाओ जिसमें गली खुली रहे। गली खोलकर चोरी का माल चला जावे कि सड़क तो हमने बना दी, गली में चोर गया, हमें ध्यान नहीं। कम से कम इन गलियों को रोकने का काम करो। मेरी अभी भी मान्यता है

(डा. सी. पी. जोशी)

कि बिना डेफिनिशन के परिवर्तन किये हुए आप इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। लीगली कितना सांउड होगा, आप करें, कोर्ट में जाएंगे, फिर अपने आप फैसला होगा। हमें कहां तकलीफ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान) मेरे बाद में बुलवा देना इनको। (व्यवधान) हां, इनको बोलने दें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अभी जो संशोधन आ रहा है, और किसान की पीड़ा हम ज्यादा जानते हैं, आप कम जानते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। आप जो दलीलें दे रहे हो वे दलीलें घुमा-फिराकर भ्रमित करने की, लम्बी-चौड़ी बात करके घुमाकर अपनी सफाई को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, बाकी आप हमारे लिये नहीं लड़ रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, यह जो राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 लाया जा रहा है, यह राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 40 और 41 की स्पिरिट के विरूद्ध है। इनको यदि यह संशोधन लाना था तो इसमें उपबन्ध करना चाहिये था । आप तो विधि विशेषज्ञ हैं टिनेंसी एक्ट के ..(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : सैक्शन 64 है, 40-41 तो सक्सेसर है, 64 बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): टिनेंसी एक्ट में जो प्रावधान किये हुए हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे, इसलिये उसकी स्पिरिट में है।

दूसरा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो लीगर हेयर हुआ उसको तय करने के लिये इन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की स्पिरिट को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है । मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा "Provided that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land, his spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs dependent on him may take possession of the allotted land." इसका मतलब यह हुआ कि जो उत्तराधिकारी हैं उसके पति यदि गुजर गया तो पत्नी को मिलेगा और पत्नी के नाम से जमीन थी तो पति के नाम, बाकी के उत्तराधिकारी कहां जाएंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वो दोनों ही मर जाएंगे तो dependant on whom? किस पर डिपेन्डेंट होगा वह?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल, यही मैं कह रहा हूं इसलिए इसमें यह प्रावधान रखना चाहिए था, जिसको भी यह अधिकार दें उसको हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लीगल जो वारिस हैं, विधिक वारिस हैं उनको यह जमीन दी जाएगी। ऐसा अमैंडमेंट किये बगैर यह एक्ट हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के विपरीत है। इसी प्रकार से टिनेंसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में ...(व्यवधान) 40, 41 और 64 के भी विपरीत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि आप विचलित हो रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महावीरजी, आपके दो या तीन लड़के हैं, आपके वो उत्तराधिकारी हैं तो यह नहीं हो सकता डिपेन्डेंट जो माईनर है उसको तो मिलेगा और दो को नहीं मिलेगा। यह कैसा कानून हो सकता है? हो ही नहीं सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बिना उत्तराधिकारी तय हुए हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बाद में कोर्ट से नीचा देखना पड़ेगा। हम तो आगाह कर रहे हैं आपको। पहले भी कई बार आप मात खा चुके। अपनी जिद के कारण कई बार मात खा चुके।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खामख्वाह बहस कर रहे हैं। यह आम गरीब और किसान के हित में हैयह देख रहे हैं कि तहसीलदार के पास आम गरीब किसान चला जाएगा और उसको फायदा मिल जाएगा इसलिए यह व्यवधान डाल रहे हैं जबरदस्ती।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन्सान को तो इशारा काफी होता है। एक बार की मात कम होती है क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लीगल हेयर के साथ में आश्रित भी होना चाहिए। (व्यवधान) यह देखिये, लीगल हेयर के साथ ही डिपेन्डेंट भी होना चाहिए। (व्यवधान) वह थोड़े ही डिपेन्डेंट है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आम गरीब और किसान के हित में है ...(व्यवधान) इनको तहसीलदार पर भरोसा नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं। यह देख रहे हैं कि आम किसान और मजदूर चला जाएगा उनके पास ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी सरकार हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ा रही है। देख लेना आप। आप लीगली एग्जामिन करा लो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी, ऐसा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विचलित हो रहे हो। आप विचलित इसलिए हो रहे हो कि पूरा राजस्थान जानता है कि आप एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून विज्ञ हैं, अब जिस तरह की लचर दलीलें दे रहे हैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह महसूस कर रहा हूं और मुझे पीड़ा इस बात की है कि आप उस आसन पर बैठे हैं, वहां से कुछ फर्मा तो सकते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलना तो है ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर चूंकि आप खुद कानून विज्ञ हो इसलिए आपको यों लग रहा है कि क्या हो रहा है राजस्थान की विधान सभा में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप कानून विज्ञ हैं, इसकी व्याख्या कर दें, हम को स्वीकार है (व्यवधान) आप तो नहीं हो न कानून विज्ञ जो इसकी व्याख्या कर रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो केवल मात्र व्यवधान संसदीय मंत्री बन गये हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं दावे से कहता हूं कि जो परिभाषा है इसमें आपको नीचे देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब, इसकी मंशा यह है कि जमीन का पजेशन लेने के लिए his legal heirs dependant on him may take possession of the allotment land.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): Dependant on whom? जब स्पाउस की डैथ हो जाएगी तो किस पर डिपेन्डेंट है?

श्री उपाध्यक्ष: Anybody who has been mentioned, possession can be taken by him. उसके जो लीगल हेयर्स के राइट हैं सक्सेशन के, वो खतम नहीं होंगे इससे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इसको पढ़ो तो सही न. Dependant on whom? स्पाउस की डैथ हो गयी और डिपेन्डेंट को मिलेगा तो दूसरे लड़के क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: It is only for taking possession of the land. Not that rights have been decided.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यहां पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अथवा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत जो लीगल हेयर हैं, उनका प्रोविजन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसके राइट को काटने वाले आप कौन हैं? मान लो, मोमडन है और मोमडन का जो राइट है वो उसी को तो मिलेगा न? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किस नियम के अन्तर्गत, किस एक्ट के अन्तर्गत उसका लीगल हेयर क्या होगा? (व्यवधान) इसलिए यह एक्ट बिलकुल गलत बन रहा है और एक्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ बन रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काश्तकार को एक अपील का अधिकार दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो सैक्शन 22 इन्होंने जोड़ा है वो तो वास्तव में पेंडोरो बाक्स खोल दिया है। कोई भी व्यक्ति वर्षों से जिस जमीन पर काबिज है, काश्तकारी कर रहा है, कभी भी तहसीसलदार इनका जायेगा, इनका इशारा होगा, जाकर उसको वहां से हटा देगा और इसका वारिस ...(व्यवधान) कानून और व्यवस्था की स्थिति ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हम से नहीं, आप तो जोगारामजी को एक जगह बैठा कर उनकी सलाह पर कर दो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसे विधि विशेषज्ञ जो कई कानून के विपरीत यह कानून बना रहे हैं, ऐसे कानून को पारित नहीं करवाना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे मौका दें। (व्यवधान) इनको बैठाओ।

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनको बोलने दो। पहले हेमारामजी को।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): दो मिनट मुझे बोलने दो, दो मिनट। आप तो बहुत बोले हो, थोड़ा मेरे को बोलने दो। आप बहुत विधि विशेषज्ञ हो, दो मिनट बोलने दो। फिर कल्लाजी उठ गये, मेरे को तो मौका ही नहीं मिलता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हेमारामजी, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है, मैं एक थोड़ा ही निवेदन करूं, – ''Provided that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land, ..'' इसमें आगे लिखा है, ''... his spouse or in case the spouse is not alive his legal heirs dependant on him...'' Dependant on him, यह हटा दें. ''... his spouse or in case the spouse is not alive ...'' यह भी जरूरत नहीं है। अलोटेड लैंड, यह जो लिखा है न, साहब। '' .. taking possession of the allotted land to his or her legal heirs ..'' लीगल हैयर्स कर दो, लीगल में मुस्लिम लॉ, हिन्दू लॉ दोनों लागू हो जाएंगे। (व्यवधान) नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लीगल हेयर्स, डिपेन्डेंट की भी जरूरत नहीं है. The words 'dependant on him' ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने सही कहा, आपने सही कहा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक मिनट, आप सुन लें। आप करोगे कुछ नहीं, सुनना है हमें तो। डिपेन्डेंट आन हिम जरूरत नहीं है क्योंकि डिपेन्डेंट का मतलब यह होता है, फिर इसका मतलब लड़की का तो हक गया। सीधी-सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: हक नहीं, पजेशन का है सिर्फ। राइट्स इसमें तय नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): डिपेन्डेंट आन हिम क्या, लीगल हैयर्स कौन होंगे?

श्री उपाध्यक्ष: सब एक साथ आकर तो पजेशन लेंगे नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): फिर legal heirs, dependant on him ये दोनों बातों की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यस, करैक्ट, करैक्ट।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक ही बहुत है The only word "legal heirs" is sufficient and "legal heirs" is who is defined in the Hindu Succession Act and Muslim Law.

श्री उपाध्यक्ष: For the time being who has been living with him, depending on at that particular time.

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मत मानो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी कर लो, हम तो राज्यपाल को जाकर ज्ञापन देंगे कि कानूनी पोजिशन यह है और जैसे आपके पहले बिलों की दुर्गति हुई वैसे ही इसकी होगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ध्यान में लाना चाहता हूं His word is "his" 'हर', मान लो कोई महिला है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): या तो अलाटी करो इसको। इनकी जगह अलाटी करा लीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक मिनट। "his legal heirs" Why not "her legal heirs" "his/her legal heirs" डिपेन्डेंट ओन हिम, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। आप देख लें, कोई इसमें जिद की बात नहीं है। (व्यवधान)... "Provided that where the allottee dies after such written order has been passed but before taking possession of the allotted land his or her legal heirs…."

श्री उपाध्यक्ष: "depending on him."

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): No. No. "….may take possession of the allotted land."

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके पास तो लॉ सैक्रेटरी हैं, लॉ सैक्रेटरी से ही सलाह ले लो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): No need to add the words "depending on him" Only "his legal heirs may take possession of the land." यह इतना ही है। अनावश्यक, बिना मतलब का कन्फ्यूजन हो रहा है इससे। ये बीच वाले जो कहा, अनावश्यक वर्ड जो इसमें जोड़े हैं न, यह हटा दें। (व्यवधान) नहीं, आप मत करें, मैंने तो अपने विचार रखे हैं। विचार तो रख ही सकता हूं न।

श्री उपाध्यक्ष: आपके विचार हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप अगर उचित समझें तो करें। मैं तो यह कहता हूं कि "his or her legal heirs may take possession of the allotted land." बस, इतना ही काफी है, बाकी आप देखें। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन है। हेमारामजी, मेरा एक निवेदन है, हमारे भी जिले का मामला है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तो एक मिनट मेरे को कह लेने दो, फिर कह देना न।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): कह दें, आप कह दें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मेरे को तो कहने दो, फिर मैं बाद में और खड़ा होऊंगा क्या।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): हां, कह दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक बिल ओर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन यह कर रहा था, लीगल हेयर्स को यह अलॉट करने की बात आयी, इफ एन आर्डर के बाद में बीच में खतम हो जाता है, बात सही है, यह एक समस्या इनके सामने आयी। यह समस्या जब इनके सामने आयी तो इन्होंने विचार किया और विचार करके यह कानून लाये तो यह कोई गलत कानून नहीं है। यह मेरी अपनी राय है। यह उन लोगों को मदद देने के लिए, वास्तव में बेचारों को आदेश तो मिल गया, कब्जा नहीं मिला, इसलिए वो घूम रहे हैं, इधर-उधर डोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक जरूरी जानकारी, हेमारामजी, एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दें, इनको फिनिश करने दो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मतलब मैं बैठ जाऊं बीच में? आप फिर बोल देना।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हेमारामजी।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): हेमारामजी, आप इस बात को स्वीकार नहीं करते क्या किसान के लिए तो एक पटवारी भी बहुत होता है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हो।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): आप फिर क्यों एस.डी.एम. तक ले जा रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): कौन कह रहा है एस.डी.ओ. का? एस.डी.ओ. का कह कौन रहा है, आप कह रहे हो। मैंने तो नहीं कहा।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): मैं वो ही कह रहा हूं कि तहसीलदार जो फैसला करेगा वो आप यह कैसे समझ रहे हैं कि हर आदमी करवा लेगा?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तहसीलदार एस.डी.ओ. से अलग बात है इसलिए आप शांति से बैठ जाइये और आप बाद में अपनी बात कहियेगा।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): जुबेर खानजी, हमारी भी बात समझें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): प्रदेश का कानून बनाते हैं, यह विधान सभा कानून बनाने की...(व्यवधान) कोई भी पहलू ऐसा नहीं है...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): विधान सभा में कौन से कानून बनाये ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): आप इस कानून में क्यों अडंगे अड़ा रहे हैं ...(व्यवधान) किसान के लिए तो तहसीलदार ...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनो आप, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह तहसीलदार को दे रहे हो, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है।

इस कानून के बारे में मैंने तो सिर्फ लीगल बात बताई है। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी के ध्यान में आया है इसलिए मंत्रीजी यह प्रोवीजो लाये। मैं इनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। नहर पर जिन्होंने विशेष आबंटन के जरिए मुरब्बों का अलॉटमेंट करवाया उस समय उनको जमीन से भी पता लगा नहीं, अब जमीन से पता नहीं लग सकता खाली आप जाकर जमीन ही देखो कि इसमें पानी लगेगा नहर का कि नहीं लगेगा। नहर से फिर खालों से उसके मुरब्बे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और मुरब्बा उसने अलॉट करवा लिया उसके बाद में अब उसके मुरब्बे में पानी नहीं लग रहा है। तो उस मुरब्बे में जब पानी नहीं लग रहा है तो उसका तबादला क्यों नहीं हो सकता जबकि आपके पास दूसरे मुरब्बे अवेलेबल हैं?

श्री उपाध्यक्ष: वह इश्यु अभी नहीं है अपने सामने ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं। पारित हो रहा है तो पारित में भी सुझाव तो इस कोलोनाइजेशन से संबंधित दे ही सकता हूं। मेरा यह सुझाव है कि जिन्होंने विशेष आबंटन के तहत मुरब्बों के

(श्री हेमाराम चौधरी)

पैसे जमा करवा दिए और उनको मुरब्बों में पानी नहीं मिल रहा है, वे बर्बाद नहीं हुए क्या? आपके पास दूसरे मुरब्बे अवेलेबल हैं तो उनका तबादला करने में आपको क्या दिक्कत है (व्यवधान) आप बात तो सुनो, उपाध्यक्ष महोदय। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन लो। आप सुन लो, करना कुछ मत, सिर्फ सुनना ही है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कहो, कहो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मुझे पता है करोगे तो कुछ नहीं, पर सुनने में क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, कहिए।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): आप क्या कह रहे हो, क्या सुन लें? पच्चीस बार एक ही बात को कह रहे हो, क्या सुनें? क्या बात कर रहे हो, क्या कानून पास, ज्यादा कानून लगाते हो, कुछ पता तो है नहीं, बिना ही काम के बोल रहे हो, इतनी देर हो गयी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके यहां नहर नहीं है, इन्हीं को बोलने दीजिए।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): एक बात को बार-बार कहने का अधिकार नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको अधिकार नहीं होगा यह। कानून के ऊपर हर माननीय सदस्य को अधिकार है अपनी बात कहने का (व्यवधान) लैट हिम स्पीक। क्यों नहीं बोलने देते हो इनको? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): कानून तो है पर एक चीज को पचास बार क्यों कहो? दो बार कह दो, तीन बार कह दो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सदन मुख्य मंत्री की झूठी तारीफ करने के लिए नहीं है, कानून बनाने के लिए है और यह कानून बन रहा है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: बोल रहे हैं, बोलें।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): एक बात को बार-बार क्यों कहना चाहते हो? कह दिया, अब क्या काम है? आप ही बोल सकते हो क्या, कोई दूसरा भी तो मैम्बर होगा। क्या आपको ही आता है क्या बोलना सारा? (व्यवधान) कोई दूसरा भी तो है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेदारी है कि माननीय सदस्य के हाथ में फ्लोर है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): एक बात को बीस बार रिपीट कर रहे हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि यहीं हैं क्या विद्वान सारे? एक बात को बीस बार रिपीट कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): हमारे कान पक गये हैं सुन-सुन के ...(व्यवधान) एक बात को बीस बार रिपीट कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों ने विशेष आबंटन के जरिए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): जुबेर खानजी यह सदन आपका खरीदा हुआ नहीं है ...(व्यवधान) यह सदन कोई आपका खरीदा हुआ नहीं है कि बार-बार आप ही बोलते रहो और हमें ज्ञान देते रहो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस आर्डर में लाइये।

श्री उपाध्यक्ष: नोखा से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): एक बात को बीस बार रिपीट कर रहे हैं विद्वान बने हुए ...(व्यवधान) हमारा निवेदन है, कोई भी माननीय सदस्य बोले, हम आदर करते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम बीच में टोका टोकी नहीं करते हैं, इतने सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं और बीच के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): हम जानते हैं आप कितने सीनियर हैं और कितना आप जूनियरों को संभालते हैं। (व्यवधान) हम कभी कभार बोलते हैं तो शेर की तरह चढ़ जाते हो ऊपर। (व्यवधान) आप ही जानते हो क्या बोलना सारे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): कोई मैम्बर नया खड़ा होगा, आप बार—बार रिपीट करते रहेंगे एक बात को। आप एक बात को गम्भीरता से एक बार कह दीजिए, बात खतम।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह काम आसन का है कि माननीय सदस्य को रिपीट करना है, किसी माननीय सदस्य का नहीं है। ...(व्यवधान) आसन से आप व्यवस्था दीजिए।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): आप आसन को कितना मानते हैं हमें समझाने की जरुरत नहीं है। ...(व्यवधान) हम भी इधर बैठे-बैठे सुनते हैं आपको।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बार-बार एक ही बात का रिपीटिशन कर रहे हैं। या तो यह तैयारी करके नहीं आए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): आप लोग सदन को कितना समझते हैं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बार-बार एक मिनट हर बार यह क्या हो गया?

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों की कृषि की बात करते हैं और 1992 के अन्दर ...(व्यवधान) प्रति मुरब्बे की कीमत 21,875 थी जबकि कांग्रेस सरकार ने 21,875 की कीमत के बजाए चार लाख रुपए की थी, ये किसान हित की बात करते हैं ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप पास करवाइये। सार्थक बात कहें तो हम भी सुनने को तैयार हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं है। ...(व्यवधान) आप तो, उपाध्यक्ष महोदय, पास करवाइये। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): यह जो कानून है तगारामजी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारे लिए तो तहसीलदार ही बहुत है, क्यों आप एस डी एम पर डालना चाहते हैं। किसान को तहसीलदार ही बहुत चक्कर निकलवाता है, क्यों इसको आड़ा-टेढ़ा कर रहे हैं? क्यों इसमें टाइम जाया कर रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य बोले, एक बार अपनी बात महत्वपूर्ण तरीके से कह दे। क्या सदन या आसन, हम लोग कोई गूंगे बहरे थोड़े ही हैं कि एक बात को आप बीस बार रिपीट करो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप बोलना चाहेंगे तो मौका देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, जिन लोगों ने मुरब्बे खरीद लिए उनके मुरब्बों में पानी नहीं लग रहा है। खरीदे उस समय तो उन्होंने पानी लगाकर देखा नहीं, अलाट करवा लिया, पैसे दे दिए उसके। उसके बाद वह गये काश्त करने तो वहां देखा, वहां पानी लगा नहीं मुरब्बे में। अब उन मुरब्बों का वे क्या करें? मैं यह चाहता हूं, उन मुरब्बों के बदले आपके पास में दूसरे मुरब्बे हैं जिसमें पानी लग सकता है तो उसमें एक्सचैंज तबादले के लिए मैं कह रहा हूं, तबादले के लिए प्रावधान करें। तबादले के लिए आपके प्रावधान हैं, कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। कलक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है वह कतई नहीं कर रही है। उसमें क्या है कि सी ए डी ...

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सदस्य, उस सुझाव को अब इसमें कहां फिट किया जा रहा है? इतने वर्ष जो इन्होंने राज किया है उस समय वे मुरब्बे याद नहीं आए थे जो तबादला नहीं किया है? ...(व्यवधान) आज आपको याद आया है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैंने जब हमारी सरकार थी बाड़मेर में धरना दिया जब इनके साथ बैठा था। जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदसय हैं, किसानों की चिन्ता इन्हीं को है मेरे को नहीं, मैं भी इनके साथ था। हमारी सरकार थी फिर भी मैं किसानों के लिए इनके साथ था ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपको किसानों की चिन्ता नहीं है यह मैंने नहीं कहा, आप आज जो सुझाव दे रहे हैं वह इसमें सम्मिलित होने वाला नहीं है ...(व्यवधान) आगे आप कोई भी अवतरण देकर कहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन का समय जा चुका।

श्री उपाध्यक्ष: वह बोलने की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रवर समिति का जा चुका, थर्ड रीडिंग है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सुझाव तो थर्ड रीडिंग में ही आएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): थर्ड रीडिंग का स्कोप बहुत

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लिमिटेड है ...(व्यवधान) इसलिए सबकी चिन्ता यह है कि आपकी विद्वता का सबको फायदा हो। लेकिन आपकी विद्वता का फायदा हो और सब सुनना चाहते हैं जब तो किसी को एतराज ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यह समझ रहे हैं तो सदन के मूड को हमको भी समझना चाहिए उसके स्कोप को भी समझना चाहिए कि अब जब आपने कोई अमैंडमेंट नहीं दिया ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ठीक है, सरकार का मूड नहीं है तो ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकार का सब मूड है पर उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है और तृतीय वाचन में हम अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। अब आप उसको ठोके जा रहे हो इसलिए सदन उखड़ रहा है। तो मैं ...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): महावीरजी, क्या ठोके जा रहे हैं, मैंने एक बात कही, किसान के मुरब्बे में पानी नहीं लग रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां पर सब समझदार हैं, सब बहुत विद्वान हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इस समय आप जैसलमेर जाइये अगर पानी लगता होता तो वह काश्तकार अपना मुरब्बा ऐसे ही छोड़ता। उसके मुरब्बे में आज तक पानी नहीं लगा हुआ है, सारा मुरब्बा खाली पड़ा हुआ है ...(व्यवधान) तबादला करने में कहां आपत्ति है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक बात को पन्द्रह बार क्यों कहते हो ...(व्यवधान) एक बात आपने कही, एक बार में समझ में आ गयी। पन्द्रह बार वह टेप आपका वहीं चल रहा है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इनके मुरब्बे में पानी लगा है, नहीं लगा है पानी वाला मुरब्बा था, दूसरी जगह दिया जाए यह कोई मुद्दा है? कोई अमैंडमेंट है? ...(व्यवधान) और यह व्यवस्था भी दें कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। मर्जी आए जो ठोके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी काफी सदन में यह बात आई कि लीगली उनको कैसे आप मृत्यु उपरांत कब्जा देंगे? क्या राइट्स होगे उनके पास? हिन्दू लॉ के अन्दर वारिस वंशावली बनी हुई है, यह आप सब लोग जानते हो। कोई दिक्कत नहीं। ठेठ नीचे जो आज पैदा हुआ

(श्री रामनारायण डूडी)

है उसके अन्दर उनका भी हिस्सा है। जब दूसरी बात हुई है, यह तो है, इसमें एक आबंटी है। जिन्होंने कोलोनाइजेशन के अन्दर आवेदन किया और उनको अलाटमेंट हुआ, वह आबंटी की परिभाषा में आता है। आबंटी की परिभाषा में आता है तो या तो पति-पत्नी या उनका बेटा या लीगल जो पात्रता रखता है यह सारे सर्टिफिकेट लाएगा तो उनको कब्जा दिया जाएगा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आपने बिलकुल सही बात कही है। जहां तक हेमराजजी की बात का मामला है, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। बात सही है, जमीन पूरे राजस्थान के अन्दर कालोनाइजेशन के अन्दर समान रूप से नहीं होने से कहीं टीले हैं, कहीं और है, कहीं वाटर कोर्सेज वगैरह बने नहीं। उस बीच के अन्दर कुछ बातें ऐसी हो गयीं जिससे कि जो मुरब्बा है, जो जमीन है वह कल्टीवेटेड नहीं है। मगर उसमें एक्सचेंज का प्रावधान अभी कहा कि आप इसको दोगे, विनिमय करा लोगे। यह जब राइट देंगे तो उनकी जमीन, जहां आज उनको अलाटमेंट दिया है और वह जाएगा अलाटी, वहां देखेगा और कब्जा लेगा। हमने तो चकबंदी के आधार पर उनको अलाट किया है, हो सकता है वहां टीले हों और 70 परसेंट वाटर कोर्सेज, तो एक्सचेंज का प्रावधान जो नियमों में है, यह तो उनके राइट्स को अपन खतम कर नहीं सकते। ये अलाटी हैं। और वह तहसीलदार को है नहीं। वह पावर तो एज इट इज कलक्टर में निहित है, और कमेटी बनी हुई है। नीचे से रिपोर्ट आएगी कि यह काबिल काश्त है या नहीं है। सारे इस तरह से आते-आते परिपक्व स्तर पर यह पहुंच जाए कि पानी नहीं लग रहा है उसी सूरत के अन्दर उनको एक्सचेंज किया जायेगा। अदरवाइज एक्सचेंज किया नहीं जाएगा। किसने किया ? आपने किया क्या ? हजारों विनिमय के केसेज पड़े हैं। हजारों लोगों को आपने वहां जमीन दे दी जहां फोरेस्ट था और वहां जाकर उनका कब्जा दिलवा दिया। आज भी उनकी आंख में आंसू आ रहे हैं। मैंने उन्हें इकजाई, जितने भी इस प्रकार के, अभी जो चिन्ता जता रहे थे गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, उनको सारों को मंगाया है। वह सारी रिपोर्ट है हमारे पास। इससे संबंधित यह नहीं है, आज के अमेंडमेंट से संबंधित नहीं है। मगर हमारी यह चिन्ता है कि उन लोगों के पानी नहीं लग रहा है और उनके आबंटन के पैसे आ गये, यदि वह फिजीकली काश्त करने योग्य नहीं है तो उनके एक्सचेंज के बारे में भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। और कर रहे हैं इसमें कमेटी बनी हुई है, और बहुत पारदर्शिता के साथ विनिमय का भी प्रावधान है और वह

(श्री रामनारायण डूडी)

कलक्टर की अध्यक्षता में है कमेटी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007, श्री वीरेन्द्र मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधान) विधेयक, 2007

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को आंशिक रूप में धन्यवाद देता हूं कि कुछ प्रोविजन जो वह लाये हैं वे स्टेट के हित में हैं। निश्चित तौर पर स्पूरियस लिकर नहीं मिले, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो। पिछले समय में राजस्थान में स्पूरियस लिकर के कारण डैथ हुई। नियम और कानून के अन्तर्गत हम जितना कम्पनसेशन कर सकते हैं, नहीं कर सके। इन सबको ठीक करने के लिये आपने जो उसमें प्रोविजन किये हैं, उन प्रोविजन के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे दो-तीन चीजों को जरूर कहना है आपको।

एक तो स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट पढ़ लें। "It has been noticed that the Rental Predominant System or the Exclusive Privilege Amount System of sale of liquor leads to a large number of problems like development of liquor mafia, cartelization for obtaining contracts at less than fair value, adoption of foul means to maximize profit etc. In view of this, the State Government adopted Tax Predominant System of sale of liquor (IMFL and Beer) in the State of Rajasthan for the year 2006-07. The need for improved enforcement for successful…"

(डा. सी. पी. जोशी)

I am not going in it. जो इसमें कह रहे हैं आपने रेंटल प्रीडोमीनेंट सिस्टम जो लागू था उसकी जो बुराइयां बतायी हैं, उसमें एक बुराई बताई आपने कि लिकर माफिया पनपे। आपने यह भी बताया कि कार्टेलाइजेशन होता है ठेका लेने के लिये। आपने यह बताया कि इसमें ''adoption of foul means to maximize profit etc.'' गलत तरीके से लाभ उठाने का भी काम होता है। मुझे बहुत खुशी होती यदि इन्हीं उद्देश्य के लिये यह जो नया सिस्टम आपने एडोप्ट किया है जिसमें आपने कहा कि अब यह टैक्स प्री डोमीनेंटिव सिस्टम है। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स प्री डोमीनेंटिव सिस्टम, शायद मैं समझता हूं हमें समझने की आवश्यकता है कि हमने व्यवस्था की क्या है ? एक बड़ा शराब बनाने वाला आदमी राजस्थान की स्टेट ब्रेवरीज को दारू सप्लाई करेगा। सप्लाई करेगा क्रेडिट पर। मैं चाहूंगा, आप मुझे करैक्ट कर दें। वह दारू सप्लाई करेगा क्रेडिट में ब्रेवरीज को। उसको सर्टेन पीरियड के अन्तर्गत नीचे जो हमारे वेंडर हैं उनको देना है। यदि उस समय तक वह दारू नहीं बिकेगी तो उसको दारू का डैमरेज देना पड़ेगा जितनी उसके पेटे पड़ी हुई है। यह सिस्टम आपने एडोप्ट किया। बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि पहले छोटे-छोटे आदमी थे, कार्टेल बना रहे थे, बहुत दहशत बन गयी थी, माफिया हो गये थे, आपको डरा रहे थे, पालिटिक्स में इनफ्लुएंस कर रहे थे। उनको रोका, बहुत अच्छी बात है। पर अब वे राजस्थान के छोटे-छोटे आदमी जो बड़े बन रहे थे जो चार इंच से दस इंच के बने थे, उनको काट कर दो इंच कर दिया गया है और बारह इंच का आदमी ऊपर से ले आया गया है। क्या मैं यह गलत कह रहा हूं ? आज हिन्दुस्तान में दारू का मैन्यूफैक्चर करने वाले, आई एम एफ एल की दारू बनाने वाले किस हैसियत के आदमी हैं, क्या हम नहीं जानते हैं ? क्या उनकी हैसियत है ? उनके पास प्लेन नहीं हैं? किस तरह से वे पार्टियों में आते हैं ? अभी भी आकर गये हैं, एक सेण्ट्रल मिनिस्टर की पार्टी में आकर गये हैं। आज राजस्थान में यह समझने की आवश्यकता है। आज आप जिस खुशी से, जिस प्रसन्नता से यह कह रहे हैं कि हमने कार्टेल और लिकर माफिया को खतम किया है मैं उपाध्यक्ष महोदय, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्ति खतम हो गये, पैसे का रोल बढ़ गया है। पैसे का रोल बढ़ गया है। यह आपको आज अच्छा लग रहा है। डेढ़ साल बाद आप भी यहां से बैठकर सरकार का विरोध करोगे कि यह कांग्रेस इस स्कीम को लागू है, हटा दो। उपाध्यक्ष महोदय, किस लेवल की दारू आ रही है ? किस क्वालिटी

(डा. सी. पी. जोशी)

की दारू आ रही है ? दारू जो सप्लाई कर रहा है उसकी आर एण्ड डी करवायी है आपने ? क्या जो दारू सप्लाई कर रहा है वह ब्रांड लगाकर वही दारू दे रहा है जिस दारू को आपने किया है। आपको यदि यह स्कीम लागू करनी है तो आपको आर एण्ड डी लागू करनी चाहिये। आर एण्ड डी लागू करके फैसला करना चाहिये कि जो दारू की ब्रांड आ रही है वह जेन्युइन ब्रांड है कि नहीं है। यदि एक बड़ा लिकर वाला सब छोटे-छोटे दारू के प्रोडक्शन करने वाले आदमियों को अपने ब्रांड की दारू बनाकर बेचे और उसकी क्वालिटी मेन्टेन नहीं हो तो कंजूमर जिसको दारू की सप्लाई वह कर रहा है, उसकी गारण्टी कौन लेगा ? स्टेट गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का रोल कर रही है कि बड़े आदमियों को दो सौ करोड़, चार सौ करोड़ और पन्द्रह करोड़ का धंधा करना है तो राजस्थान में आइये और पन्द्रह करोड़ से ऊपर का धंधा करिये, हम आपके लिये यह-यह व्यवस्था करेंगे। उस व्यवस्था को करने का प्रोविजन भी इस एक्ट में लाए हैं, उसकी मुझे तकलीफ है।

मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये आप जो कानून ला रहे हैं और उस कानून को लागू करने के लिये 32 करोड़ रुपये खर्च करके एनफोर्समेंट एजेंसी बनाना चाहते हैं। 32 करोड़ रुपये खर्च करके एनफोर्समेंट एजेंसी, किसके लिये? आपकी ब्रेवरीज, कारपोरेशन में जो दारू सप्लाई कर रहा है उसके अलावा राजस्थान में और जगह दारू सप्लाई नहीं होनी चाहिये, उसको रोकने के लिये हमे एजेंसी बनानी है। हमें डायरेक्टर बनाना है पुलिस का आदमी। उसकी तनख्वाह है 32 करोड़ रुपये। क्यों ? 32 करोड़ रुपये का हम जो स्टेट एक्सचैकर पर का भार लगा रहे हैं वह उसके ऊपर पास-ऑन नहीं कर सकते थे कि जो दारू सप्लाई कर रहा है उससे हम वसूल करेंगे ? स्टेट की पुअर जनता के ऊपर 32 करोड़ रुपये का हम खर्चा इसलिये लागू कर रहे हैं कि वह जो ब्रेवरीज में, कारपोरेशन में दारू सप्लाई कर रहा है उसके अलावा कोई दारू राजस्थान में सप्लाई नहीं होनी चाहिये। उस ब्रांड की नहीं होनी चाहिये। हॉलमार्क की नहीं होनी चाहिये। उसके ढक्कन की नहीं होनी चाहिये। क्या-क्या प्रोविजन हमने किये हैं। मैं समझता हूं, मंत्रीजी, यह समझने की आवश्यकता है। इस एक्साइज पालिसी के अन्तर्गत जहां आपने अच्छा काम किया है, बड़े प्रेम से आपने यह काम भी आज लागू कर दिया कि दिया कि

(18.00 बजे)

उस वैंडर के यहां दूसरे ब्रांड की दारू मिलेगी, बिना ढक्कन की मिलेगी, बिना होलोग्राम के मिलेगी तो उसको अब यह सज़ा मिलेगी। पांच लीटर पर इतनी

(डा. सी. पी. जोशी)

मिलेगी, पचास लीटर पर इतनी मिलेगी। तो क्या जो आदमी राजस्थान में दारू सप्लाई कर रहा है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट काम करेगा? स्टेट 32 करोड़ रूपया खर्च करेगा। यह एश्योर करेगा कि उसके अलावा दूसरे की दारू नहीं बिकनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान की कभी नहीं रही है। यह सही है कि एक जमाने में राजस्थान से ज्यादा बाहर जाती थी। आज जितने केसेज बने हैं उन केसेज में आप उठाकर देख लीजिए, पिछले 6 महीने में जो केसेज आये हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैरियर पकड़े हैं, बाकी कोई नहीं पकड़ाया है The word I am using, 'Transporter carrier.' एक नाम आया था कि एक बड़ा आदमी है, इतने ट्रकों का करवा रहा है। आज की डेट में कैरियर के नाम पर गरीब आदमी, अनएम्प्लायड आदमी जो पेट भरना चाहता है वह आदमी फंस रहा है। दारू दूसरे स्टेट्स से यहां आ रही है- मध्य प्रदेश से आ रही है, पंजाब से आ रही है और किसी जगह से आ रही है, उन दारू के जो कैरियर हैं उनको पकड़कर हम एश्योर करना चाहते हैं कि राजस्थान में ब्रेवरीज कॉरपोरेशन की दारू ठीक ढंग से बिके। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी यह नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी यह होनी चाहिए थी कि रेवेन्यू बढ़ रही है, आपने कार्टेल को तोड़ा है, स्फुरियस की जगह क्वालिटी की दारू मिले, यह एश्योर करते तो समझ में आता। अब आपकी नीयत क्या है, मैं बोलूंगा तो नाराज होंगे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़। कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहता। आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, पहले डी-सेन्ट्रलाइज व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटे-छोटे गांवों में जाता था, काम करता था, चंदा इक्ट्ठा करके पार्टी मजबूत करता था। अब कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, अब चंदा इक्ट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सब व्यवस्थाएं अच्छी कर लीं, तुम तो दौड़ते रहो, बाकी सब व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। बहुत अच्छा काम है, अच्छा लगता है। आज अच्छा लगता है। कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में यदि पैसे से लोग जीतते होते तो बिड़ला जीत जाता। लोकतंत्र में पैसे से जीत पाते तो डूंगरपुर में आप नहीं हारते। सब व्यवस्थाएं आपने ठीक ढंग से कीं, महाराष्ट्र पैटर्न में पैसा बढ़ाया। सारे मंत्री लग गये, कटाराजी जैसे निष्ठावान आदमी वहां के इंचार्ज थे। फिर क्या स्थिति बन गयी कि आप डूंगरपुर में नहीं जीत सके? आपको समझने की आवश्यकता है कि ये व्यवस्थाएं लंबे समय तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगी, लोकतंत्र को कमजोर करेंगी। यह बात सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यदि

(डा. सी. पी. जोशी)

हमने यह नहीं समझा तो मैं समझता हूं कि इस एक्ट के अंदर जो हम प्रोविजन कर रहे हैं वह आज आपको अच्छा लग रहा होगा पर स्टेट की रेवेन्यु के सम्बम्ध में भी माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, आप मुझे यह बता दें कि जो लॉस्ट आपका सोकाल्ड कार्टेल सिस्टम, मुझे नहीं कहना है कि यह अनुभव कौन-कौन मंत्रियों का है, बहुत-से मंत्रियों को भी अनुभव है कि कार्टेल क्या है। लेकिन मुझे बता दें कि उसके बाद कितना पैसा बढ़ गया? 200 करोड़ रुपया बढ़ गया, 400 करोड़ रुपया बढ़ गया? मान्यवर, आपकी रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। आपने रेवेन्यू की जगह पर उपभोक्ताओं को लिमिटेड ब्रांड की दारू पिलाने का काम कर दिया है। आपको हैल्दी कंपीटिशन करना चाहिए। आपकी स्कीम अच्छी है, I propose it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2004 में 1163 करोड़ रुपया रेवेन्यू थी जो अब 1521 करोड़ रुपये हो गयी, इतना फायदा हुआ है रेवेन्यू में।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय राठौड़ साहब, मुझसे कहलवा रहे हैं, पर पेटी एक्साइज डयूटी 176 है हरियाणा में एक हजार पर, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं। रेवेन्यू क्या इससे बढ़ी है कि लोग ज्यादा दारू पी रहे हैं? इससे रेवेन्यू बढ़ गयी है आपकी। आपने रेवेन्यू बढ़ाने के जो मीन्स अडाप्ट किये Don't compel me to say but I want to say very categorically. आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छी स्कीम बनायी है, लेकिन इसमें एक काम करना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो हैल्दी कांपिटीशन करवाते ग्लोबल लेवल पर। जितने मैन्यूफैक्चर हैं हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर के, वे आते राजस्थान में और कहते कि यह जो स्कीम आपकी राजस्थान में है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम अपना माल बेचें, माल बिके तो पैसा लेंगे। Why this exclusive right to a particular manufacturer? Why not to the other manufacturers who are manufacturing the beer and IMFL? Who stopped you? यदि आपकी इंटेंसन ठीक है तो मेहरबानी करके इस सिस्टम के अंतर्गत आप ग्लोबल टेंडर निकलवाएं। उसके बाद जो भी ग्लोबल मैन्यूफैक्चरर है वह आए, माल दे, माल बिके, पैसा ले जाए, सबके लिए खुला हुआ है। You don't want to do it. You want to do it; Public Private Partnership. व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। बहुत लम्बे समय तक ट्रांसपेरेंसी को हम छिपा नहीं सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। ट्रांसपरेंसी सामने आज नहीं आएगी तो कल

(डा. सी. पी. जोशी)

आएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, मैं उन लोगों में से हूं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने यह नियम बनाया, उसके लिए धन्यवाद। कार्टेल को तोड़ना था, जो कार्टेल हमने खड़ा किया था वह भूत इतना बड़ा बन गया था कि हमको खाने लग गया। हमको खाने लग गया था तो उसको टेम करना जरूरी था। टेम करना इसलिए जरूरी है कि राजनीति में कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप को एस्टेबलिश करता है और मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी लीडरशिप एस्टेबलिश की है। लोगों को आईना दिखा दिया कि तुम्हारे बिना भी सरकार चल सकती है। धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी को, अच्छा काम किया है। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं।

(18.07 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, जो नियम बनाये हैं, उनके लिए भी कह देता हूं कि इन नियमों का कितना दुरूपयोग होगा। मैं चाहता हूं कि उन नियमों को भी आप ध्यान देकर सुनें। जैसा मैंने कहा, आपने वैंडर पर जो गलत दारू बना रहे हैं, उन पर जो क्लाज लगाया है, ढाई साल का, चार साल का, दस साल का, धन्यवाद। कोई तकलीफ नहीं है। आपने अच्छा काम किया है। लेकिन आपने इसमें जो व्यवस्थाएं दी हैं उसमें आप देखिये। आपने एक तो काम यह किया है कि टैक्स बोर्ड को, रेवेन्यू बोर्ड का कम्प्लशन था, वह तो आपका अमैंडमेंट बिलकुल ठीक है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर आपने अमैंडमेंट किया, सैक्शन 54 8 प्रोविजन जिसमें आपने 6 महीने की सज़ा मिनिमम की है, धन्यवाद। पहले आपका यह प्रोविजन नहीं था। सज़ा दस दिन की हो सकती थी, बीस दिन की हो सकती थी, आपने मिनिमम प्रोविजन 6 महीने की सज़ा का किया, बहुत अच्छा काम किया, कम से कम 6 महीने की सज़ा आदमी को मिलेगी। फाइन का प्रोविजन भी आपने किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। फिर आपने सैक्शन Penalty for adulteration resulting in death". उसका एक नहीं, आगे है। पुरोहित साहब, काम नहीं पड़ा, हम लोगों का काम पड़ेगा, सैक्शन 2 आपके लिए ही है। ''Whoever omits to take reasonable precautions to prevent the mixing of any noxious substance," "Whoever omits" यह कोई गलत काम करेगा कि दारू मिलाने का काम कौन कर रहा है तो वैंडर को ही इसमें रेस्पोंसिबल रखा है। नम्बर एक में वैंडर को रेस्पोंसेबल रखा है Whoever mixes or permits to be mixed", यह तो आपने रखा वन में। Who-

(डा. सी. पी. जोशी)

ever omits to take" नये दारू का ठेकेदार और आप कह दें कि इस आदमी की गलती से स्पूरियस हो गया तो वह जिम्मेदारी से मैं बच जाऊंगा, Why this clause 2? Why this clause 2 is to give? Let it to do that fellow. उस आदमी को आपने जगह दी है जो कांट्रेक्टर है, जिसकी वजह से दारू स्पूरियस होगी, वह कहता है कि मैंने नहीं कहा है, यह तो इस आदमी के कहने से इसमें मिक्स हो गयी है, इसलिए यह आदमी रेस्पोंसिबल है, यह क्लाज की गली आपने निकाल दी। नम्बर दो ''whoever omits to take" मैं चाहूंगा कि इसको आप देखें। दैन थर्ड very dangerous. "Whoever possesses any liquor" सबसे इंट्रेस्टिंग बात देखिये, मुझे आज की डेट में मदनजी दिलावर से स्कोर सैटल करना है फिक्टिशियस में तो मैं कहूंगा कि इनके पास है यह बोतल जिसमें मिली हुई है। आपने यह कहा है, यह क्लॉज है, ''whoever" थर्ड क्लॉज के सैक्शन 9 Insertion of new sections 54B, 54C and 54D, Rajasthan Act No. II of 1950. के तीसरे क्लॉज में आपने लिखा ''Whoever possesses any liquor or intoxicating drug in which any substance referred to in sub-section (1) is mixed." अब यह हूएवर का फैसला कौन करेगा? वह जो स्पूरियस दारू बेचने वाला है और जो आदमी पकड़ने जाने वाला है। यह रामलाल नहीं मोहन लाल था, इसने यह काम किया है। यह भी आपने अधिकार दे दिया कि मोहन लाल को बैठाना हो तो मोहन लाल का भी क्लॉज कर दिया। आप एक क्लॉज रखते, आपने एक क्लॉज रखा, दो क्लॉज रखा, तीसरा क्लॉज रखा। इसमें किसी को सैटल करना है तो जो छोटा दारू बेचने वाला आदमी है उसको कह देंगे कि यह बोतल तो यह लाकर बेच रहा था। मेरी दुकान की दारू नहीं है। मेरी शॉप की नहीं, यह शॉप की लाइसेंस तीसरे आदमी की है। यह क्लॉज भी इसमें रखा है। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

दैन आप देखिये 54 डी ''Penalty for criminal conspiracy." पेज 9 Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable under this Act shall be punished in the same manner as if he had committed such offence." सच ओफेंस को क्या कहा आपने? ''Explanation:- For the purposes of this section the expression "criminal conspiracy" shall have the same meaning as is in section 120A of the Indian penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860)" इंडियन पैनल कोड के इस सैक्शन के अंतर्गत पुलिस जिस तरह से लोगों को हरेस कर रही है पिछले पचास साल में, इसलिए हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें इस पुलिस एक्ट में परिवर्तन करना है। आपने

(डा. सी. पी. जोशी)

यह क्लॉज रखा दिया क्रिमिनल कांस्पिरेंसी, मैं जुबेर साहब के साथ बैठकर यह काम कर रहा था, जुबेर इनवाल्व है। 102 बी को कौन डिफाइन करेगा? पचास साल से हिन्दुस्तान का गरीब आदमी जिसको पुलिस हरेस करना चाहती है किसी भी कांस्पिरेंसी में, 102 बी के अंदर क्रिमिनल केस बनाए तो हाई कोर्ट तक जमानत नहीं होती है। 102बी का क्लॉज आपने इसमें रखा है, जिसको भी आप चाहें उसको बंद करने की व्यवस्था कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आगे आपने सैक्शन 10 में यह लिखा है कि इतने बल्क पर लीटर स्पिरिट होगी तो इतना पैसा लगाएंगे। मुझे वैल्यू मालूम नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है और क्या काम है। लेकिन आपने इसको लीटर के साथ लिंक कर दिया है कमर्शियल को। मैं नहीं समझता कि आपका उद्देश्य रेवेन्यू जनरेट करना है क्योंकि आपने प्रोविजन रखा है। आप एक्साइज में जमा करेंगे तो शायद आपका उद्देश्य एक्साइज में जमा करने का भी है। आपने प्रोविजन रखा है, दो लाख, ढाई लाख, तीन लाख, चार लाख। आप यह भी कह सकें कि हमने नियम बनाया और इससे रेवेन्यू भी जनरेट की है इसमें, बहुत अच्छा काम नहीं किया। 32 करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च कर रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट करने का क्लॉज भी लिंक कर दिया इतने बल्क लीटर का मिलेगा तो इतना पैसा हम चार्ज करेंगे। मैं नहीं समझता इसकी उपयोगिता क्या हो पाएगी

"12. Insertion of section 58A, Rajasthan Act No. II of 1950." "58A. Penalty for adulteration, etc. by licensed vendor or manufacturer. Whoever being the holder of a license for the sale or manufacture of any intoxicant under the Act, or a person in the employment of such holder. अध्यक्ष महोदय, वह गरीब आदमी जिसको हजार रुपए देते हैं, दो हजार रुपए देते हैं, पांच सौ रुपए देते हैं वह जो वेंडर के रूप में काम करेगा, वह सब इनकी इस कैटेगरी में आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक साल बाद मुझे खुशी होगी कि सदन को आप यह बताएं कि वेंडर के नाम पर आपने किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। एक भी आदमी जो इस ट्रेड में इन्वाल्व है, वह नहीं फंसेगा, वह जो गरीब आदमी है, हजार रुपए में, दो हजार रुपए में वहां नौकरी कर रहा है उस आदमी को फंसाने की पूरी व्यवस्था इसमें कर दी है। उसमें मिक्स है, "mixes or permits to be mixed" मतलब आपकी दुकान पर कोई आदमी आकर डाल रहा है, मैं कह सकता हूं कि लाइसेंस तो मेरे पास है, पर इस एक्स आदमी ने आकर मेरी दुकान पर मिलाकर यह सामान बेचा तो भी जिम्मेदार मैं। मैं

(डा. सी. पी. जोशी)

समझता हूं कि यह क्लॉज किसके लिए रखा है? यह क्लॉज रखा है ब्रेवरीज कारपोरेशन की दारू को यदि वह आदमी उस दुकान पर नहीं बेच रहा है, दूसरी बोतल बेच रहा है, दूसरे ढक्कन की बोतल बेच रहा है, दूसरे होलोग्राम की बोतल बेच रहा है, फलाने ढक्कन की बेच रहा है उसके लिए क्लॉज रखा है आपने। तो, अध्यक्ष महोदय, जो ब्रेवरीज कारपोरेशन के आदमी का काम हम पैसा लेकर कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। तेरा माल नीचे लेवल पर इस बोतल का बिका कि नहीं बिका इसकी चौकीदारी हम करेंगे। मतलब हम जो मैन्यूफैक्चरर है दारू का उस दारू वाले की चौकीदारी करने का काम 32 करोड़ रुपए खर्च करके, तेरी बोतल अमुक गांव की अमुक वेंडर की दुकान पर बिक रही है या नहीं बिक रही है, इस पर कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हमने पेज 10 में जितने भी क्लॉज एड किए हैं, they cater to the needs of that particular manufacturer who is supplying liquor to the Rajasthan Breweries.

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बहुत लम्बा अनुभव है दारू का आपको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत लम्बा अनुभव है। राज करने का अनुभव है। हम राज भी करेंगे इसलिए अनुभव रखते हैं। ऐसा नहीं है अनुभव नहीं है। राज हिलाने के लिए आए हैं, राज की आरती करने के लिए नहीं आए हैं। बताने के लिए आए हैं राजस्थान की पांच करोड़ की जनसंख्या को कि यहां आपके ऐसे मंत्री बैठे हैं जो वह बिल पास करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। यह बताने का धर्म है कि किस तरह का बिल आप पास कर रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं कि इसके कंसीक्वेंसेज क्या होंगे। जब इसका इम्प्लीकेशन होगा, आपके कार्यकर्ता के नाम पर आदमी पकड़े जाएंगे तब पता पड़ेगा कि इसकी क्या व्यवस्था हुई है। आज अच्छा लग रहा है, इसका इम्प्लीकेशन होगा तब पता चलेगा कि यह राज ब्रेवरीज कारपोरेशन का, 32 करोड़ रुपए में सलाम लगाने वाले अफसर बी जे पी के नहीं है, वे आई पी एस, आर ए एस, आर पी एस ऑफिसर हैं, यह आपको भी सलाम लगाएंगे, दूसरों को भी। तो काम वही करो जो आपको भी सलाम लगाता रहे, अफसर को भी लगाता रहे, बाद में भी लगाता रहे। ऐसा नहीं हो कि बाद में लगाने वाला नहीं मिले आपको।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, I will not take

much time. मुझे पता है कि हमारे एक मंत्री की भतीजी की शादी में जाना है। सब तैयारी में है, कोट सिलवा रखे हैं, कोट पहन रखे हैं, मुझे पता है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन वहां जाकर भी यही काम करना है जो हम यहां बहस कर रहे हैं तो क्या वह बहस यहीं कर लें, बात तो वही की वही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं खाली यह कहना चाहता हूं कि यह जो हम एक्ट लाए हैं, इस एक्ट के कुछ क्लॉज निश्चित रूप से ठीक हैं। अध्यक्ष महोदय, एक क्लॉज बहुत इण्टरेस्टिंग है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर किसी की प्रोपर्टी सीज करे, दारू को सीज करे तो कोर्ट उसमें इण्टरफियर नहीं कर पाएगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी सूची है और दारू का तो एक्सपिरियरेंस है कि कई नकली दारू पी-पी कर मर गये राजस्थान में तो यह जो प्रीकॉशन कर रहे हैं कि स्टैण्डर्ड की मिले, तो इसमें भी आपको आपत्ति है क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे आपत्ति खाली आठ बजे की है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप कहो तो खुला कर दें कि जो जी आए दारू पीए और मर ले।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी 8 नहीं बजे हैं, 8 बजे तक की आपत्ति है। 8 बजे तक कोई तकलीफ नहीं है, 8 बजे बाद आप बंद कर देना। मेरी 8 बजे तक की आपत्ति है, 8 बजे बाद की नहीं है, 8 बजे बाद बिलकुल नहीं बोलूंगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप केवल शंका ही शंका कर रहे हैं। आपके कार्यकाल के अंदर शराब की गाडियां घूमा करती थीं, अवैध दारू ले जाती थीं, लोग पी-पी कर मर जाते थे, उसकी आपको चिंता नहीं है। दुकानों की संख्या घटा दी, लोगों को रोजगार दे दिया कि जिसको चाहिए फार्म भर कर ले लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह मंत्रीजी कोई काबिल नहीं हैं क्या? वह बोलें न मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान के हर गांव और ढाणी में एप्रिसिएशन मिल रहा है। केवल जो माफिया था, जिनकी गैंग थी और कल जो बड़े-बड़े ठेकेदार यू पी से और आगे से आते थे, उनकी वजह से यह सारी आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही है। बाकी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे

(श्री सांवर लाल)

राजस्थान की जनता इसको एप्रिशिएट कर रही है। पहली बार सही चीज और सही तरीके से मिल रही है। किसी तरह का नकली माल नहीं मिल रहा है, इस पर रोक हो गई है, बैलेंसिंग हो गई है। इतनी बड़ी लम्बी लिस्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो काफी टाइम से चल रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिन-जिन को सर्टिफिकेट लेना है वह सब बोल लें। दिलावर साहब भी देख रहे हैं, घनश्यामजी भी देख रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए सब बोल लेना। और दो-चार जिनको खड़े होना है सब बोल लें, जिनको बोलना है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इनको अंतिम वक्ता मान लिया जाए। कालूलालजी को अंतिम वक्ता मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: एक 'मधुशाला' लिखकर तो बच्चन अमर हो गये। आखिर बोलेंगे तो बोलने दो उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सांवरलालजी जाट तो इस बारे में बोलें तो मेरी बात समझ में आती है, आप इसमें इतनी गहरी रुचि क्यों ले रही हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं घनश्यामजी तिवाड़ी की मदद करना चाहता हूं, नहीं लें तो मैं क्या करूं, मेरे कर्म फूटे। काहे को राजनाथसिंहजी के पास जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसी को सपोर्ट कर लें तो बात खतम होती है। मैं तो वही बात कह रहा हूं जो महावीरजी जैन साहब के साथ बैठकर कर रहे हैं। जो चर्चा महावीरजी जैन साहब के साथ बैठकर कर रहे हैं, वही बात तो मैं कह रहा हूं, मैं नई बात थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): घनश्याम तिवाड़ीजी का तो पता नहीं है। ...(व्यवधान) आपकी जानकारी में नहीं है, कई छुपे रूस्तम हैं इस हाउस के अंदर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मुझे पता नहीं था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जावे तो भी कोई साफ नहीं होती। 8 बजे तक और किसी को खड़ा होना है तो और खड़े हो जाएं, चिंता न करे, अभी तो 8 बजे तक का स्कोप है, 8 बजे तक जिस-जिस को भी खड़ा होना है, वह सब खड़े हो जाएं। उससे मेरा कहने का जो तथ्य है वह बदलेगा नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा

काम किया है। मैंने पहले भी धन्यवाद दिया है, जो अच्छा काम किया उसके लिए धन्यवाद। जो काम है, सांवरलालजी, दारू की दुकान पर उसकी बोतल बिके, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सरकार का है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राज का काम यह नहीं है कि उस दारू की दुकान पर उसका माल बिके। यह काम राज का नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): गलत माल नहीं बिके राजस्थान में, लोगों का नुकसान नहीं हो, स्टैण्डर्ड का माल मिले, यह राज की जिम्मेदारी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल ठीक है। इसीलिए उस बोतल के ढक्कन, होलोग्राम देखने का काम राज का है?

श्री जुबेर खान: आप बड़ी मछलियों को पकड़ो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लोगों को अच्छी पिलाएं, ब्राण्डेड पिलाएं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छी पिलानी है तो कम्पीटिशन करो, दस मैन्यूफैक्चरर से लेकर आओ, एक मैन्यूफैक्चरर से क्यों ले रहे हो? अच्छे ब्राण्ड का फैसला आप करेंगे? जो चीजें नहीं हों उनमें न बोलना ज्यादा अच्छा है। जिनमें साहस नहीं होता वह नहीं बोलें बातें। देखो, एक और भी हैं, मुझे पता नहीं, इनका भी नम्बर उसमें है, मुझे जानकारी नहीं थी, एक-दो-तीन-चार, बोलो न आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अच्छे बुरे का आपको क्या अनुभव है, आप तो लेते नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं लेता हूं, क्या तकलीफ है? मैं लेता हूं, नहीं लेता हूं इससे इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं तो जानकारी के लिए निवेदन कर रहा था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं लेता हूं नहीं लेता हूं इससे मेरे इन तथ्यों का क्या सम्बन्ध है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सी पी जोशी साहब, शराब खराब ही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दारू का धंधा नहीं करता, जब करूंगा तो डरूंगा। यह मैं दारू के धंधे की बात कर रहा हूं, पीने की बात नहीं कर रहा। पीने की बात दूसरी है। दारू के धंधे में आपको जो खुशी हो रही है, कार्यकर्ता जो एक लाख रुपए, दो लाख रुपए में पार्टी चलाता है, उसके गले में फंदा पड़ा है उसके लिए बोल रहा हूं। आज अच्छा लग रहा है आपको, एक-डेढ़ साल बाद आपको पता पड़ेगा कि जो कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता और कितनी सत्यता नहीं है। इस खेल में अभी नए खिलाड़ी हो, 50 सालों से यही काम कर रहा हूं, तकलीफ है क्या कोई? तकलीफ है क्या? ... (व्यवधान) इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बनाया है पार्टली ठीक है। मैंने कहा पार्टली, अध्यक्ष महोदय, जो पार्टली प्रोविजन किया है वह कानून जनता के हित में नहीं है। केवल मात्र ब्रेवरीज कारपोरेशन के प्रोडक्ट को बेचने के लिए राज्य सरकार के स्टेट एक्सचैकर से 32 करोड़ रुपए का खर्च कर अफसर नियुक्त कर रहे हैं, यह एश्योर करने के लिए कि वह प्रोडक्ट बिके, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा होता कि हमारा जो एक्साइज डिपार्टमेण्ट है, उस पर हम विश्वास करते। अध्यक्ष महोदय, हमने तो उनके ऊपर भी अविश्वास किया है। उनके ऊपर भी यह लगा दिया कि उनको तीन महीने की सज़ा मिलेगी, यह भी इसमें क्लॉज डाल रखा है। तो वह आदमी ब्रेवरीज कारपोरेशन के प्रोडक्ट को बेचने के लिए अभी होशियार नहीं है उस आदमी को ऐसा जिम्मेदार बना दिया कि तू विभाग का आदमी है तू भी अंदर फिट हो सकता है तीन महीने के लिए, यह प्रोविजन इसमें किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे वर्स्ट पार्ट यह है कि वह डी ई ओ वह फैसला करेगा जिसे सीज करके, डिस्पोज करके कोर्ट में नहीं जा सकता। That discretionary power vests with the D.E.O. इतना बड़ा ट्रक दारू का पकड़ ले, बेचना है तो कहीं नहीं जाना है, उसी को बैठकर फैसला करना है, कैसा फैसला नहीं करना है, यह भी इसमें प्रोविजन रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है कि आज महिला दिवस है, अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में, महिलाओं को मजबूत करने के लिए दारू बिके, अगर मजबूती और चाहिए तो दारू मिले, इसकी व्यवस्था सांवरलालजी कर रहे हैं। हमारे मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शुद्ध दारू मिलनी चाहिए, अच्छी दारू मिलनी चाहिए, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। साधुवाद ! 8 तो अभी बजे नहीं हैं, 8 बजे बाद बैठ कर बात कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो कानून बना है इस कानून में स्टेट के रेवेन्यू का फायदा हो सकता है,

(डा. सी. पी. जोशी)

लेकिन हम नए तरह का कार्टेल पैदा कर रहे हैं, वह कार्टेल आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए खतरा है, कुछ लोगों का कार्टेल बनाकर सरकार के सामने चुनौती खड़ी की होगी, नेताओं के सामने चुनौती खड़ी की होगी लेकिन यह जो कार्टेल खड़ा कर रहे हैं वह कार्टेल पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह समय बताएगा, यह बात मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें, फिर सदन के बीच आए तब मैं समझता हूं कि आपकी मंशा ठीक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय निश्चित कर दें। 20 लोग जनमत जानने हेतु परिचालित करने के उसमें हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप अपने वालों को तो मना कर दें। आप तो पास करवा रहे हो, अपनी पार्टी के लोगों को तो कह दें कि इसका विरोध नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समय निश्चित कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक बात आपने कही कि आज महिला दिवस है, अंगूर की बेटी कहा है दारू को, इसलिए उसका बिल आया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत गलत दिन चुना है आपने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आदरणीय सी पी जोशी साहब ने इसके हाफ पार्ट को कहा कि बहुत अच्छा है। कुछ रिमेनिंग पार्ट के सम्बन्ध में कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर इसके बैकग्राउंट में जाएं तो, जैसा कि मैंने कहा, एक जमाने में एक ऐसा कार्टेल बन गया था कि सरकार को चुनौती दे रहे थे। राजस्थान में इतनी बड़ी रेड पार्टियां बन गई थीं, इतने बड़े-बड़े ग्रुप बन गये थे और वे सभी बहुत बड़े माफिया हो गये थे, राजस्थान में शराब माफिया के नाम पर पुकारे जाते थे। शराब माफिया के पास एक रेड पार्टी हुआ करती थी जो किसी भी वक्त जाकर कहीं भी झगड़ा कर सकती थी, किसी को चुनौती दे सकती थी। कई तरह के आरोप उन पर लगे, सज़ा भी उनको हुई, मृत्यु दण्ड तक क्योंकि कई मर्डर भी हुए। उस दौरान जब यह लगा कि अगर अब

(श्री जोगाराम पटेल)

इनको नहीं रोका गया तो राजस्थान में एक ऐसा माफिया ग्रुप पैदा हो जाएगा जो सरकार हो, आमजन हो या कोई भी व्यक्ति, संस्था हो, उनके लिए भारी चुनौती हो जाएगी। इसी का संक्षिप्त वर्णन स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में किया गया है जिसको मैं नहीं पढ़ूंगा, न पढ़ना चाहता था। उसी के आधार पर यह पालिसी लायी गई, यह एक्ट लाया गया। जो अनुभव हुए दो साल के दौरान, उन अनुभवों के आधार पर जो जरूरी-जरूरी अमैंण्डमेंट एक्साइज एक्ट में जरूरी थे, वे सभी किये गये हैं।

मैं उन अमैण्डमेंट में जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार का धर्म है, चाहे किसी भी राजनैतिक पार्टी की सरकार हो उसका यह धर्म है कि जो भी व्यक्ति इसे पीने का आदी है उसको बढ़िया-बढ़िया किस्म की वस्तु मिले, उससे उसके शरीर पर कम से कम नुकसान हो और उससे जो रेवेन्यू मिलने वाला है उसमें कोई कमी न हो। अदरवाइज, आपको याद है, कई तरह की दुखांतिकाएं अखबारों में साया होती थीं कि दारू पीने से इतने मर गये, शराब पीने से इतने मर गये। उसको ध्यान में रखते हुए यह पालिसी आयी है उसमें अमैण्डमेंट किया गया। कम सप्लाई में अधिक रेवेन्यू की आप जांच करेंगे, गहनता से देखेंगे तो विभिन्न आबकारी पदार्थों, चाहे वो किसी किस्म की देशी मदिरा हो, भारत निर्मित विदेशी मदिरा हो, चाहे वो बीयर हो, उसकी सप्लाई कम की गई, उसकी क्वालिटी बढ़िया बनायी गयी और उससे रेवेन्यू अधिक ली गई। जैसे आप देखें, 2001-02 में देशी मदिरा 855 बल्क लाख लीटर सप्लाई की गई, 2002-03 में 906 हो गई, 2003-04 में 982 हो गई और 2004-05 में घटकर 747 हो गई और 2005-06 में 733 हो गई और जून, 2007 तक 191 हो गई। तो देशी मदिरा की सप्लाई बल्क लीटर में कम हुई, पर उसका रेवेन्यू अभी बताऊंगा, उसका रेवेन्यू कम सप्लाई होने के बावजूद भी बढ़ता गया।

इसी तरह भारत निर्मित मदिरा आप लेंगे, 2001-02 में 355 लाख बल्क लीटर, 2002-03 में 448.37 बल्क लाख लीटर, 2003-04 में 547.74 बल्क लाख लीटर कि घटकर 2004-05 में 531 और 2005-06 में 234.6 बल्क लाख लीटर माल ही सप्लाई हुआ। फिर भी इसकी कास्ट बढ़ी। और जून, 2007 तक यह 64.33 बल्क लाख लीटर ही सप्लाई हुआ।

इसी तरह बीयर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसमें भी आप लेंगे तो

(श्री जोगाराम पटेल)

उसकी सप्लाई है 307.68 2001-02 में थी, वो बढ़कर 2002-03 में 414 हो गयी। 2003-04 में 442.68 बल्क लाख लीटर हो गयी, परंतु उसके बाद घटकर 438.25 हो गयी, 2005-06 में 497.88 हो गयी और अभी जून, 2007 में 230.6 बल्क लाख लीटर हो गयी। इतनी सप्लाई कम होने के बावजूद भी जो रेवेन्यू आ रहा है क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है रेवेन्यू का, नॉन टेक्स रेवेन्यू आ रहा है, किसी पर इसका टेक्स नहीं लग रहा है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू का है वह ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो। आप देखेंगे 1997-98 से नहीं लें 2000-2001 से लें तो 1100 करोड़ पर ही अटक गया था, 1100 करोड़ के बाहर नहीं जा रहा था। 2003-04 में 1163.15 करोड़ था वो 2004-05 में 1276 करोड़ हो गया, 2005-06 में 1521.51 करोड़ हो गया और 2006-07 में करीब 1570 करोड़ के आसपास रेवेन्यू होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1570 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, जो विभिन्न किस्म की मदिरा है वह कम सप्लाई हो रही है, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो रही है, तो यह सबसे पहला अचीवमेंट इस पालिसी का है, राजस्थान में इतना अचीवमेंट इस पालिसी के मार्फत हुआ। मैं दूसरा निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप जनमत जानने के लिए क्यों परिचालित करवा रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह भी बताऊंगा, आगे वह भी बताऊंगा।

दूसरा अचीवमेंट जो इस पालिसी का है वह सैल्फ एम्प्लायमेंट का है। करीब 2500 से 3000 व्यक्ति इस पालिसी के तहत अपने स्वयं का धंधा अपने स्थान पर अपने उसी लोकल एरिया में कर रहे हैं, इज्जत के साथ कर रहे हैं। तो सैल्फ एम्प्लायमेंट क्रीएट करने का जो आधार था वो भी इसी पालिसी के तहत हुआ और करीब 2500 से 3000 व्यक्ति इस धंधे में लग गये।

सबसे बड़ी बात हुई, हमें ऐसा अनुभव तो नहीं है इसकी कीमत कितनी है और कितने बल्क में मिलता है, पर हम सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे कि यह पर्टीकुलर टाइम की शराब है वो साधारणतः इतने रुपये में मिलती है और बल्क में इतने में मिलती है। फिर वे माफिया होते थे, वे बाहर से सप्लाई करते थे, फिर इसका मैन्यूफैक्चर करते थे। मेरे क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा

(श्री जोगाराम पटेल)

मैन्यूफैक्चर पूर्ववर्ती सरकार के दौरान था, दो-तीन सालों में कम से कम 200 से 300 भट्टियां पकड़ी गयीं। कम से कम 200-300 लोग थे जो ऐसा धंधा करते थे वे इससे बाहर हुए। इस वजह से 50 रुपये की बोतल 70-80-90 रुपये में बिकती थी, जबकि यह पालिसी आने के बाद इसका भाव निश्च‍ित हुआ। जो एक्सप्लायटेशन कंजूमर्स का हो रहा था वह रुका, बढिया किस्म का ब्रांड मिलने लगा और हर तरह का ब्रांड मिलने लगा। ...(व्यवधान) दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो मिनिस्टर इन चार्ज का भाषण दे रहे हैं। आप तो जनमत की बात करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, दुकानों की जो स्थिति थी, घटिया किस्म की, थर्ड क्लास की दुकान लगती थी। आज एक व्यापार की दृष्टि से ढंग से उसका सामान रखा जा रहा है, यह भी एक अचीवमेंट है। जो एकाधिकार माफिया ग्रुप का बन गया था, कार्टेल बनाकर जो ठेका लेते थे, याद है, अखबारों में पढ़ा था कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कई बार कोशिश की गई, लेकिन ठेके नहीं उठे। एक पर्टीकुलर अमाउंट से ज्यादा ठेका नहीं गया, सरकार परेशान हो गई। मजबूरी में पूर्ववर्ती सरकार को घुटने टेककर उनकी मर्जी के आधार पर ठेका देना पडा। लेकिन इस पालिसी के आने के बाद उनका कार्टेल टूटा, उनका जो अपने तरीके का गैंग बन गया था वह टूटा और अब रेवेन्यू ज्यादा आने लगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पालिसी आयी उससे इतना बढ़िया अचीवमेंट हुआ। एक-दो स्टेट का तो मेरे ध्यान में नहीं, इसके अलावा इंडिया में सबसे बढ़िया पालिसी है जिससे किसी को नुकसान नहीं, रेवेन्यू अधिक, एम्प्लायमेंट मिल रहा है और इज्जत के साथ कोई व्यक्ति अपना धंधा करता है, वह अपनी दुकान लेकर बैठा है।

जहां तक पनिशमेंट का प्रश्न है इस अमैण्डमेंट के जरिये जो आफेंस था, आफेंस की ग्रेविटी कम थी, ग्रेविटी का तात्पर्य यह है, अगर किसी आफेंस में बहुत कम सज़ा है तो आदमी उसको बार-बार रिपीट करता है और रिपीट करता है तो वह फिर हैबिचुअल आफेंडर हो जाता है, लेकिन इस आफेंस की ग्रेविटी बढ़ायी गयी है जिसमें मिनिमम सेंटेंस किया गया है। मिनिमम सेंटेंस का तात्पर्य यह है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट उससे कम उसमें सज़ा नहीं दे सकता, उतनी सज़ा तो उसको देनी ही पड़ेगी। कोई 50 बल्क लीटर से

(श्री जोगाराम पटेल)

ज्यादा का आफेंस करता है तो उसका अलग प्रोविजन बना दिया, 50 लीटर से कम है तो उसका अलग बना दिया और उसमें भी सिक्स मन्थ मिनिमम सेंटेंस कर दिया। साथ ही साथ जो पैनेल्टी इम्पोज होती है, जिसको फाइन बोलते हैं, वह भी मिनिमम कर दी जिससे एक तरह का मैसेज पब्लिक में जाएगा कि इस आफेंस को करने में अंदर जाने की पूरी-पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, जो ऐसा लिकर पैदा करता है या ऐसी शराब बनाता है जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान होने की संभावना है, जिसके लिए पूर्व माननीय सदस्य ने बताया और ऐसी शराब बनाता है तो उसको डैथ पेनेल्टी तक मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता था। ये सारे सेंटेंस के प्रोविजन बनाये गये हैं और ये सेंटेंस के प्रोविजन इसीलिए बनाये गये हैं ताकि वे लोग जो ऐसा गलत धंधा करते हैं, जो मिलावटी शराब बनाते हैं जिससे शरीर का नुकसान होने की आशंका है, व्यक्तियों के मरने की संभावना रहती है और उसको हाई पैनल्टी की सज़ा मिले। प्रोविजन में यह माना जाएगा, उसके मन में एक डर रहेगा कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष: आप जनमत पर तो आइए। आपका जनमत जानने का है, उस पर तो आए नहीं आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ताकि मिनिस्टर इंचार्ज भी बोल सकें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट, मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उसको बता रहे हैं सब।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह है।

श्री अध्यक्ष: आप तो जनमत पर आ जाइए अब।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा जो मैं अंतिम निवेदन कर रहा था वह यह है, मैंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का जो अपना प्रस्ताव किया था, मैंने विस्तृत रूप से पढ़ा तो यह पाया कि सरकार ने ये प्रोविजन जो पैनल्टी के बनाये हैं लिकर मिक्सिंग हो रही थी या जो शराब माफिया बना रहे थे इससे समाज में भी एक भय और डर पैदा हुआ था वह समाप्त हो गया है और एक राम राज्य का वातावरण राजस्थान में पैदा हुआ है। जब मैंने इसको पढ़ा और जब मैंने यह पाया कि राम राज्य का वातावरण है तो अब इसको

(श्री जोगाराम पटेल)

जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का अपना प्रस्ताव दिया है उसको मैं विथड्रा करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, श्री प्रहलाद गुंजल।

मेरी आपसे अपील है कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांक्रीट बात करूंगा, विषय से बाहर नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: जी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक भूमिका नहीं बांधना चाहता, यह जो बिल लाया जा रहा है, यह बिल एक अनुभव के आधार पर लाया जा रहा है। सरकार तीन साल पहले आई और आने के बाद विधान सभा का ऐसा कोई सत्र नहीं होता होगा जिसमें यह बात कहीं न कहीं चर्चा में नहीं आती थी कि शराब माफिया समानान्तर सरकार चला रहे हैं। शराब माफिया समानान्तर सरकार लोकतंत्र में नहीं चला पाएं, इसलिए नीति में परिवर्तन किया और पृथक-पृथक दुकानों का अनुज्ञा पत्र जारी करके उस व्यवस्था को समाप्त किया। सब ने इसका स्वागत किया और उसके बाद भी जो अनुभव सामने आया ...(व्यवधान) एक मिनट, मैं आपसे कृपा चाहूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कह रहे हैं कि यह जो बनाया गया है उसकी सीडी वगैरह सब मैंने तैयार करके ...

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कोई बात नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये शराब विरोधी लोग हैं, वहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। ...(व्यवधान) वे आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं निवेदन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से करना चाहता हूं, यह बात ठीक है कि सरकार अनुभव के आधार पर यह बिल ला रही है-दो साल में जो शराब तस्करी के रास्ते थे उनको कैसे रोका जाए, कौन-कौन लोग शराब तस्करी कर सकते थे, शराब तस्करी के तरीके क्या-क्या हो सकते थे और किन-किन लोगों को इसमें शामिल करने के लिए उपबंध जो तय करने थे वे इसमें तय किये गये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 54 के बाद धारा 54 (ख) और धारा 54 (ग), दो धाराएं जोड़ी गई हैं, आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अपराध की प्रवृत्ति और सज़ा की गंभीरता का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे सदस्यों ने अपने संशोधन सुझाव देते समय यह बात कही है कि आप सज़ा का दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, धारा 3, धारा 9 और 9 (क) संशोधित प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों में ठीक हैं और धारा 10 जिसमें आप जांच चौकी स्थापित कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बहुत खुशी की बात यह है कि आपने ये जांच चौकी स्थापित करके ब्लैक पर नियंत्रण करने के लिए महामहिम के अभिभाषण में शायद स्टाफ बढ़ाने के लिए 32 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी उल्लेख किया है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इससे एक कदम आगे आएंगे, खण्ड संख्या 6, खण्ड संख्या 6 में आपने उल्लेख किया, 1950 के राजस्थान अधिनियम संख्या 2 की धारा 48 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 48 के परन्तुक में विद्यमान खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा-जोड़ा जाएगा। चौथा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 162 के उपबंधों के अधीन उपबंध, इस अधिनियम के अधीन किये गये अन्वेषणों पर लागू नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, स्वयं पर आप यह बर्डन डालना चाहते हैं कि आप निर्दोष हो, यह साबित करो। यहां तक तो ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय । लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में आया होगा कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत में संगठित अपराधों पर भी नियंत्रण करने के लिए कानून बना, चाहे वह एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे महाराष्ट्र का मोकोका एक्ट हो, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार ने टाडा जैसा एक्ट बनाया, सीआरपीसी में जो 161 में बयान लिये जाते हैं, 162 में उन्हें अवखण्डित करने के उसके राइट को करटेल नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। आपने कर दिया प्रूफ आफ बर्डन कि आप निर्दोष हो, यह साबित करो, इसमें आपको 162 का प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप सो रहे हैं, सरकार सो रही है? 162 के उसके प्रिविलेज को अवखण्डित करने के राइट को, सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जाएगा और आपके कानून की बात को स्वीकार कर लिया जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्ट्रिक्चर भी पास हो सकता है। जब मोकोका जैसे,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एनडीपीएस जैसे, टाडा जैसे गम्भीर एक्ट में भी 161 सीआरपीसी के बयान को अवखण्डित करने के प्रावधान हैं, उसका विशेषाधिकार है तो इस एक्ट में भी इस प्रकार की व्याख्या करना, मैं समझता हूं अपराधियों के लिए, नियंत्रण करने के लिए तो ठीक है, उसकी मंशा और भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए ठीक है लेकिन कानूनी रूप से कितना उपयुक्त होगा, यह एक गम्भीर विचार का विषय है।

इससे आगे मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गम्भीरता से देखेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको। आपने लिखा है, सैक्शन 7 की धारा 49 के कतिपय उपबंधों को उपान्तरण के रूप में लागू करेंगे। आप देखेंगे, इस अधिनियम की धारा 54 के परन्तुक के अधीन 54 ख में कोई अपराध होगा, 54 घ में कोई अपराध होगा या 54 क के परन्तुक के अधीन कोई अपराध, 56 के अधीन कोई अपराध होगा, व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा घ के स्पष्टीकरण में इस धारा के प्रयोजना के अधीन आपराधिक षडयंत्र का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता 1860, 1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 120 क में होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, आप एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन बंद कर दो। शराब की तस्करी करने वाला व्यक्ति तस्करी करता है भाग जाता है, कब्जे में नहीं आता, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, उसको रोकने के लिए आप 438 के प्रोविजन को करटेल कर दो, उसके अधिकार को खतम कर दो। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 120 बी का दुरुपयोग हो गया तो क्या इज्जतदार आदमी अदालत में एंटीसिपेटरी किसी मंशा के विरुद्ध नहीं जा सकता? ठीक है, आप न जाने दें, लेकिन इसके आगे आप आ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं, 448 में आप छोड़ दीजिए, अब आप 439 पर आ जाइए। ...(व्यवधान) हां, 438, आप 439 पर आ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया है, धारा 3 की उप धारा 3 में संहिता के अन्तर्निदिष्ट किसी भी बात के होने पर इस अधिनियम की धारा 54 के परन्तुक के अधीन या धारा 54 ख, 54 ग या 56 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, इसको ध्यान से पढ़ें, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो तो, जमानत या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि (क)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ऐसे छोड़े जाने के आवेदन पर लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर न दिया जाए। सामान्य प्रक्रिया है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज जब (ख) को देखेंगे, यह कंट्राडिक्टरी है। 438 आपने दरवाजा बंद कर दिया और 439 का जो दरवाजा बंद करने का जो तरीका निकाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, (ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चार्ज से पहले जमानत की स्टेज पर न्यायालय को यह विश्वास हो जाएगा कि अपराध का दोषी नहीं है तो क्या चार्ज फ्रेम होगा? क्या उस पर सुनवाई होगी? चार्ज फ्रेम होने के पहले यदि न्यायालय अन्वीक्षण के पहले बेल की स्टेज पर इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएगा कि निर्दोष है तो फिर क्या होगा आपके चालान का? आपका चालान कैसे होगा? आपकी एफ आई आर कैसे? आप जिस मुकदमे में उसको सज़ा दिलाना चाहते हैं उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। न प्रोसीक्यूशन को गवाह की जरूरत है। न्यायालय के सेटिस्फैक्शन के बाद आपने गिरफ्तार किया, गवाह बनाये, सूची बनाई, सब धरी रह जाएगी, न्यायालय संतुष्ट हो गये। इसलिए आप 439 के प्रिविलेज को कर्टेल करने की मंशा के बजाय, न्यायालय की सीमाओं को तय करने के बजाय यह तय करें कि अपराध की प्रकृति की गम्भीरता को देखते हुए 439 में न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर जमानत का अधिकार होगा। यह बात मेंशन करो। 438, 439 दोनों बंद और फिर 439 में जो ब्रेकेज आप लगा रहे हैं वो ब्रेकेज किस प्रकार के लग रहे हैं? न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि यह दोषी नहीं है उसको जमानत की स्टेज पर। चालान पेश करते ही तर्क-वितर्क के आधार पर न्यायालय संतुष्ट होगा तो प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही तो चलेगी नहीं। इसलिए एक गंभीर विसंगति इस एक्ट में है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे आपका ध्यान चाहता हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों का आप एक बार मुलाहिजा फर्माएंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं, इसमें प्रस्तावित जुर्माने, अपराध की गम्भीरता और राजस्व की हानि के आनुपातिक हैं इसलिए इस प्रभाव का उपबंध किये जाने का प्रस्ताव है कि अधिनियम के अधीन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वसूल किया गया जुर्माना विभाग के राजस्व में जमा होगा। क्यों होगा? जिससे अपमिश्रित लिकर के पीड़ित व्यक्तियों की पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति की जा सके। यानि आप जो जुर्माना वसूल कर रहे हैं, जो जुमाने के आपने प्रावधान बनाये वो राजकीय खजाने में जमा होकर प्रभावित व्यक्ति को मिले, कोई तकलीफ नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा मेरे आग्रह पर 54 (ग) को पढ़ेंगे- 'प्रतिकर का संदाय करने के लिए आदेश'। अब 54 (ग) में क्या लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, न्यायालय धारा 54ख के अधीन आने वाले यानि 54ख में जो अपराध कर दिया, आने वाले मामले में निर्णय पारित करते समय यदि उसका समाधान हो जाता है कि 'किसी भी स्थान पर विक्रीत लिकर या मादक औषधि के उपभोग से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो या उनको गम्भीर उपहति या निःशक्तता या अन्य क्षति हुई हो', कोई बात नहीं, इसके आगे आप पढ़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, 'क्षति हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसी लिकर या मादक औषधि विक्रय की है, चाहे उसे धारा 54ख के अधीन के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है या नहीं, चाहे वह दोषी है या नहीं है', दोनों बातों को आप देखना, अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार की विसंगति आप इस कानून में क्रीएट कर रहे हैं? 'दोषसिद्ध ठहराया जाता है या नहीं, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनको गम्भीर उपहति या निःशक्तता हुई है, प्रतिकर के रूप में इतनी रकम संदत्त करने का आदेश कर सकेगा जितनी वह न्यायसंगत समझे।' किस आधार पर? जिस आदमी को न्यायालय दोष मुक्त कर दे। एक ही एक्ट में आप प्रोविजन कर रहे हैं कि दोष मुक्त करने के बाद भी उसको जुर्माना देने के लिए बाध्य कर सकता है। न्यायालय में दोष मुक्त आदमी जुर्माना किस आधार पर देगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी दोष मुक्त ठहरा दिया गया क्या उसको जुर्माना देने के लिए आपने जो कानून में चार लाइन लिख दी इस आधार पर अदालत फैसला कर दे और इस आधार पर विधि रूप से आप उसको बाध्य कर देंगे? विधिक रूप से उसको जंजीर डाल देंगे? आपने कोई अपराध नहीं किया, एक तरफ तो अदालत यह फैसला दे रही है और दूसरी तरफ आप कानून में लिबर्टी दे रहे हो कि आप जाते-जाते किसी की गर्दन पकड़ में नहीं आए तो पूंछ तो पकड़ कर रख लीजिये।

श्री अध्यक्षः प्लीज, अब कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बहुत कंक्रीट बात कर रहा हूं, मैं विषय के बाहर नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्षः बात तो कह रहे हैं आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हां, मैं यही कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम उसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते तो फिर आप क्यों यह प्रावधान डाल रहे हो? आगे आपने लिख दिया कि दोष मुक्त कर दिया लेकिन अदालत ने उस पर जुर्माना कर दिया। आप लिख रहे हैं उप-धारा में कि उप-धारा (1) के अधीन किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, परंतु ऐसी कोई अपील तब तक नहीं हो सकेगी जब तक उप-धारा (1) के अधीन संदत्त किये जाने के लिए आदिष्ट रकम उस न्यायालय में जमा नहीं कर दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाह रहा हूं, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे, कौन पकड़ा जाता है, चौकीदार पकड़ा जाता है, ड्राइवर पकड़ा जाता है, जुर्माना हो गया, कहां से जमा कराएगा अपील में जाने से पहले एक लाख रुपया? आपने सीमाएं तय कर दीं 5-5 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इस लिबर्टी को समाप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हुआ उसके बावजूद भी आपने आश्रित पर जुर्माने के नाम पर उस पर दण्ड कर दिया। और दोष मुक्त व्यक्ति ने यह कहा कि मैं जुर्माना नहीं देता तो कानून में क्या आपने प्रावधान किये? क्या आप सिविल प्रक्रिया के तहत उससे वसूली करेंगे? क्या भू-राजस्व अधिनियम के तहत कलक्टर की शक्ति के तहत उससे वसूली करेंगे? कोई प्रोविजन कानून में नहीं है। अपराधी व्यक्ति, अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। आपने किसी पीड़ित व्यक्ति के मृतक के आश्रित के नाम पर जुर्माना कर दिया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्रापर्टी नहीं है, कोई दौलत नहीं है, उसने कह दिया कि मैं आपको जुर्माना नहीं देता तो कानून ऐसा बनाने का मतलब क्या है जिसको वसूल करने की निर्धारित प्रक्रिया इसमें नहीं हो? न तो सिविल कोर्ट का प्रोसीजर अडाप्ट करने की बात आपने कही, न ही आपने रेवेन्यू कोर्ट का इसमें प्रोसीजर अडाप्ट करने की बात

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कही है। ये जो गम्भीर विसंगतियां लेकर कानून आ रहा है, मैं यह कह रहा हूं कि इस कानून को जितना फ्रेमिंग किया गया है इससे तो अच्छा होता कि नया आबकारी अधिनियम बहुत व्यवस्थित तरीके से फ्रेम किया जाता। उसको लेकर आते, सारे सदस्यों के संशोधन, सुझाव के बाद उसको पारित करते, तो फिर हमारी मंशा के अनुरूप हम राजस्थान में एक नया कानून स्थापित कर पाते। लेकिन मैं जानता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह लाने के पीछे मंशा ठीक है पर मंशा ठीक इम्प्लीमेंट हो, नीचे इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो। यह बात कहते हुए मेरे द्वारा जनमत जानने के दिये गये प्रस्ताव को वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी। (एबसेंट), श्रीमती अनिता भदेल। (एबसेंट), श्री नवरतन राजोरिया। (एबसेंट), श्री कालीचरण सर्राफ। (एबसेंट) श्री हरिमोहन शर्मा। रखना चाहते हैं जनमत? रखिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सारा जो मसला है उसका चारित्रिक निर्माण से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष: किस निर्माण से?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चरित्र निर्माण से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: चरित्र निर्माण से सम्बन्धित है इसलिए जनमत जानने के लिए कर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसलिए ज्यादा बोलना पड़ेगा। जनमत जब बताएगा कि क्या सही है, गलत है।

श्री अध्यक्ष: हां, समझ गई बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल्पना की जा रही थी और यह आम जनता को विश्वास दिलाया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान, चरित्रवान, सिद्धांतवादी लोगों की सरकार जनता बनाएगी तो ये राजस्थान के चरित्र निर्माण को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्शों की बात करने वाले, इस देश में चरित्र निर्माण और हिन्दू संस्कृति की बात करने वाले, नया राष्ट्र निर्माण

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करने की सोच रखने वाले और इस राजस्थान को चारित्रिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले, इस तीन साल में चरित्र में गिरावट का अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व और मौजूदा सरकार है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप भी संघ की शाखा में गये हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शाखा में गये हैं। शाखा में जाने वाले सुदर्शनजी हैं आपके आर.एस.एस. के।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य, यह अभी जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, इसमें आप...

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसलिए इसमें विषयान्तर नहीं करें, विषय से भटके नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूं कि विषय से भटके नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप आग लगाने वाले हो, मत लगाओ।

श्री अध्यक्ष: वह चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, बिराजिये आप। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तीन साल के शासन में जो राजस्थान के चरित्र में गिरावट आई है उसकी जिम्मेदार यह मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मौजूदा नेतृत्व है। आज सरकारी कार्यालयों में जाकर देख लो, एक्साइज की बात करने वालों, आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी शराब पीकर नाचते नजर आते हैं। पुष्कर के पवित्र स्थान पर जाकर आप देख लो, किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के द्वारा नंगा नृत्य किया गया है। आप रामबाग पैलेस होटल में जाकर देख लो, रामनामी के दुपट्टे पहनने वालों ने किस प्रकार से शराब को परोसा है। शराब से आमद भले ही आपको हो जाए, आप कीर्तिमान स्थापित कर लो लेकिन शराब की आमद में कीर्तिमान स्थापित करने वालों, आपने चरित्र में गिरावट का भी कीर्तिमान स्थापित किया है, इस बात से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने तो 1977 में शराब को बन्द किया था, आपकी सरकार ने क्यों चालू किया, हरिमोहनजी, इसका भी जवाब दे दो?

श्री अध्यक्ष: Don't disturb him. आप कृपया व्यवधान नहीं डालें। मंत्रीगण, मैं आपसे चाहूंगी कि आप व्यवधान नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जिम्मेदार आदमी ऐसा काम कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की आवाज बोल रहा हूं, आधे से अधिक उस पक्ष में बैठे रहने वाले चरित्र की बात करके मेरी बात के प्रबल समर्थक हैं। उस समर्थन को देखते हुए ही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि पैसा कमाने में शराब की नीति को प्रमुखता मत दो। मैं मानता हूं कि यह नीति बन्द नहीं हो सकती या कोई एक्साइज का काम बन्द हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से तीन सालों में खुले आम गली-गली में, गांव-गांव में शराब की दुकानें आपने खोली हैं, महाराजा वाइन्स और महारानी वाइन्स के नाम से, आप जयपुर के एम.आई. रोड पर चले जाओ, गांव की गली-गली में चले जाओ, जगह-जगह पर आपने शराब की दुकानें खोलकर, चरित्र की बात करने वाले नेतृत्व के समय में चरित्र की गिरावट पूरे राजस्थान में आई है, उसकी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): 1977 के अन्दर भैरोंसिंहजी की सरकार ने बन्द किया था, 1980 के अन्दर आपने आते ही चालू किया, चरित्र निर्माण तो आप कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप इससे क्यों परेशान होते हो? आप आते हो और कभी नीचा और कभी ऊपर, ऐसे करते हो। नहीं, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। आप बोलें, बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अपनी शराब की नीति को बदला सरकार बदलने के बाद, आपने छोटे-छोटे जो लोग ठेकेदार थे, उनके स्थान पर सीधा बड़ी-बड़ी कम्पनियों को, अपनी पसन्द की शराब बनाने वाली कम्पनियों को यहां आमंत्रित कर अपने ढंग से, कानून की आड़ लेते हुए, गैर-कानूनी रूप से उनसे चुनावों के लिए पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपने इस राजस्थान में बाहर की कम्पनियों को बुलवाया। आपने अपनी नीति के अन्तर्गत उन लोगों जो प्रश्रय दिया है, जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में पैदा करके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये बिल पर बोलें, अपने विचार रखें, वह बात समझ में आती है पर बोलते-बोलते यह कह रहे हैं कि आपने कम्पनियों को बुला लिया, पैसा लेने के लिए बुला लिया।

श्री अध्यक्ष: वह चुनावों की बात थोड़े ही बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शराब कम्पनियों के लिए कह रहा हूं। शराब की कम्पनियों के लिए कह रहा हूं, और कम्पनियों के लिए नहीं कह रहा हूं। और कम्पनियां तो आईं नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने आसन से व्यवस्था दे रखी है, अध्यक्ष महोदय। अगर यह बात है तो दूसरे लोगों के भी जबान है। सदन में अपनी बात कहें, समझ में आती है। विषय के साथ अपनी बात कहें, समझ में आती है। बिना किसी आधार के आपने कहा कि कम्पनियों को बुला लिया चंदा लेने के लिए। कोई आरोप लगाए तो तथ्यों के साथ लगाए न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह से बहस चल रही है, शांति से चल रही है, फिर आप माननीय सदस्य से कहें कि तथ्यों पर बोलें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चाहते हैं कि वह आपकी गाथा गाएं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, गाथा नहीं गाएं। कोई आरोप लगाएं तो तथ्यों के साथ लगाएं। कोई नोटिस देकर लगाएं। किस बात पर आरोप लगा रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आरोप लगाया? क्या आरोप लगाया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने कहा कि आपने बड़ी-बड़ी कम्पनियों को चंदा लेने के लिए बुलाया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चुनावों के लिए चंदा नहीं लेते हो क्या? कौन नहीं लेता है? चुनावों के लिए चंदा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं लेते हो क्या? सब लेते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कम्पनियों के साथ किस तरह आरोप लगा दिया? आपने किस तरह आरोप लगा दिया? किस आधार पर आरोप लगा दिया? कैसी बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी जो पंजाब में चुनाव हुए, इसमें भी योगदान गया राजस्थान के नेताओं का।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया है चंदा, हम चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, कभी हम चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनावों में चंदा आप लोग लेते हैं, हमने आज तक चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़ा। अपने घर के पैसों से चुनाव लड़ते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बोलने की माननीय सदस्य को स्वतंत्रता है पर आपको जिस विषय पर बोलने का मौका मिला, उस पर तो आप बोले नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके नेता नहीं लेते क्या, सिंचाई मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हम प्रतिपक्ष के साथियों को बताना चाहते हैं कि हम चुनाव में चंदा नहीं लेते हैं। यह परिपाटी तो कांग्रेस की है चंदा लेने की चुनावों में। आज तक एक रुपया चंदा नहीं लिया चुनाव में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नैतिकता के उठान के साथ यह चंदा कहां से आ गया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): जब आप कहां गये थे? राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी ने शराब बंद की थी, आपने आते ही शराब चालू की और सबसे ज्यादा शराब आप लोग पीते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आबकारी संशोधन विधेयक पर बोले नहीं, संशोधन पर बोले नहीं। एक भी संशोधन पर बोले हों तो बता दो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन पर आपने एक शब्द नहीं बोला और नैतिकता के बारे में भाषण दे रहे हो। राजस्थान में शराब का दौर चालू करने वाले आप हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो हवाला कांड भी कर लेते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने जिस तरह से गुंडे पाल रखे थे, रेड पार्टियां पाल रखी थीं, थर्ड क्लास शराब बिकवाई थी, उन सब को बंद करके दुकानों की संख्या घटाई, इसमें आपको आपत्ति हो रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दुकानों की संख्या बढ़ाई आपके राज में या घटाई? (व्यवधान) पिछले तीन साल के अन्दर दुकानें गली-गली में बढ़ीं, आपके राज में बढ़ीं। शराब की दुकानें खोलीं गली-गली में, आपके राज में राजस्थान में शराब का दौर चला। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप गलतबयानी कर रहे हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये प्लास्टिक की थैलियों में देते थे, आज अगर बोतल में मिलती है तो इनको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान) शराब के माफिया गिरोह के इशारे पर इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। आप तो शराब के माफिया गिरोह के इशारे पर इस बिल का विरोध कर रहे हो। आप शराब माफिया गिरोह के इशारे पर आलोचना कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने आंकड़े देखे नहीं क्या? शराब की खपत में कमी हुई है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको बताया। आप जो भी बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोलने की आपकी आदत पड़ गई है क्या? (व्यवधान) बेसिर-पैर के किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? जो कुछ आपने कह दिया, क्या वह सही है? तीन साल में अगर जहरीली शराब से या नकली शराब से कोई नहीं मरा तो इसमें भी तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान नहीं डालें, माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपनी नीति के सम्बन्ध में अगर कोई समझदार आदमी होता और कोई सोच वाला होता...

श्री अध्यक्ष: ये हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य के पीछे है, आप इनका मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल लेकर आओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई समझदार होता, नैतिकता की बात करने वाले होते, नीति की बात करने वाले होते तो आपको डूंगरपुर के चुनाव से सबक लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, ये शराब माफिया के इशारे पर बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये शराब माफिया के इशारे पर बोल रहे

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

हैं क्योंकि वे इनको भारी चंदा देते हैं और हर चौराहे पर रेड पार्टियां और गुंडे, अनसोशल एलीमेंट बदमाशी करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर विराजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप अपने स्थान पर बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी इस गलत नीति के कारण जनता का जवाब है कि आप आंखों पर पट्टी बांध करके, अगर अब भी नहीं समझो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण कर लें। आप बीच में नहीं बोलें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अभी-अभी आपके माननीय सदस्य जो मेड़ता से जीतकर आये हैं, वे मोबाइल कान पर लगाकर बात करते हुए सदन से निकलकर गये हैं। आप उनको नियमों की जानकारी दीजिये। यह बहुत गलत बात है। यहां पर सदन में मोबाइल लेकर आने की अनुमति नहीं है तो वे कैसे लेकर बैठे हैं और कैसे बात करते-करते, किस प्रकार से यहां से उठकर चले गये? यह नियमों की अवहेलना और सदन का अपमान है। उन्हें वापस बुलवाइये और क्षमा मंगवाइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह तो उनको जानकारी नहीं थी। मुझे दु:ख है कि आपको इतनी वेदना हुई है इससे। आइंदा कोई इस तरह से रिपीट नहीं होगा और सबको ताकीद करा देंगे कि कोई मोबाइल लेकर अन्दर नहीं बैठे।

श्री अध्यक्ष: वह तो मोबाइल से बात करते हुए, बाकायदा यहां से उठकर गये हैं। बात करते हुए गये हैं। हद हो गई। यहां से उठकर गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत गलत है, बहुत आपत्तिजनक है। इनको भी रोकिये। (व्यवधान)

(समय : 19.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री रामनारायण चौधरी: इनको भी रोकिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां से उठकर गये हैं बात करते हुए, मैंने बाई चांस देख लिया।

श्री रामनारायण चौधरी: घर-घर में दुकानें खोल दीं, मंदिरों के पास खोल दीं, स्कूलों के पास खोल दीं, जहां भी जनमानस जाता है, स्कूलों में जाता है, अस्पतालों में जाता है, वहां दारू की दुकान पर से गुजरना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: इनको इजाजत है, चाहे जब।

श्री रामनारायण चौधरी: इसमें क्या आरोप हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने नसीहत देने के लिए कहा प्रतिपक्ष के नेता को कि आपके माननीय सदस्य मोबाइल पर इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह पार्क में घूम रहे हों और इन्होंने भाषण ही चालू कर दिया। आपने अनुमति दी हो तो बताओ। या उनका भाषण खतम हो गया? फिर इनको बैठाओ। या हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण खतम हो गया तो उनको बैठाओ। आप बोलो, सर।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं, आप जैसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको बैठाओ, साहब। दोनों में एक तो बुलाओ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके कहने से ही बैठा देंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जैसे अनेक संसदीय मंत्रियों से...

श्री अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हैं, आप तो बैठ जाओ। आपके नेता खड़े हैं, आप तो बैठें। हां, नेता खड़े हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों, तो खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य काले कोट वाले, यह कितने वरिष्ठ हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह ठीक पकड़ा आपने।

श्री रामनारायण चौधरी: आप मुझे बताइये, कितने वरिष्ठ हैं, इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती, बीच में टोक रहे हैं। माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कितने अनुभवी हैं, इनको बीच में बोलते हुए शर्म महसूस नहीं होती। तो आप क्यों टोकते हो। घर-घर में दुकानें खोल दीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं-नहीं, मैं टोकता नहीं। मैंने तो इसलिए कहा था...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: गली-गली में दुकानें खोल दीं, स्कूलों के पास खोल दीं...

श्री अध्यक्ष: आप फिर खड़े हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : अस्पतालों के पास खोल दीं, यही तो बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? यह सारे देश का चरित्र निर्माण जो कि आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

भ्रष्ट कर दिया है पूरे राजस्थान में। इसमें बुराई क्या कर दी? अब आप सुनना नहीं चाहते हो। आप सब के एक क्या है पता नहीं, वह नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्यों उठ-उठ भाग रहे हो आप लोग, क्यों उठते हो, सुन लो।

श्री सुरेन्द्र गोयल : इसलिए उठते हैं कि बिना करेक्टर वाले आदमी करेक्टर वाले आदमी को सर्टिफिकेट देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष के कहने पर मुझे एक शेर याद आ गया।

ए खुदा जैसी जिंदगी तूने दी मुझे वह जी मैंने।

तूने लिखा था मुकद्दर में पी, तो पी मैंने।

मैं न पीता तो लिखा तेरा गलत हो जाता।

अब तू ही बता क्या खता की मैंने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय स्पीकर साहब, यहां तो स्थिति है कि हालात हमारे प्रांत की खराब है यारों, हर तीसरी दुकान पर शराब है यारों। इसकी स्थिति को कौन निबटेगा? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहे गये शेर से हम नाइत्तफाकी नहीं रखते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आमदनी बढ़ाने के लिए पिलाना पड़ेगा। आमदनी बढ़ाने के लिए पिलानी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: बाग़ को उजाड़ने में एक उल्लू ही काफी है, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम ए गुलिस्तां क्या होगा।

श्री अध्यक्ष: वाह साहब, वाह।

श्री राजेन्द्र राठौड़: वह किधर बैठा है? वह उधर बैठा है। उधर बैठा है। वह पीछे बैठा, वह बैठा, वह बैठा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह नहीं कह पाये ठीक से। वह कह नहीं पाये, बर्बाद ए गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यह है पहली लाइन।

श्री हरिमोहन शर्मा: हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा।

श्री अध्यक्ष: हां, लास्ट लाइन तो बोल दी ठीक इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, यह सदन में उल्लू कहां से आ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गया? अगर मुकद्दर की बात करें तो समझ में आता है, मुकद्दर से इस जगह पर हैं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: उल्लू हिण्डौली से आया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यहां उल्लू कहां से आ गया यह?

डा. बुलाकीदास कल्ला: ऐसा है, शराब पीने के बाद उल्लू बन जाता है आदमी।

एक माननीय सदस्य: बीकानेर और हिण्डौली से। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अब आपको क्या जवाब दें, अब जनता चुन दे तो उल्लू भी आते हैं और आप जैसे भले आदमी भी आते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अब आप संशोधन पर बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा: हां।

श्री अध्यक्ष: आप तो जनमत पर बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा: हां, जनमत पर बोल रहा हूं। ये सारी परिस्थितियां जनमत की ओर ही तो जा रही हैं। मैं दो-तीन बात और निवेदन करना चाहता हूं।

अभी रामगंजमण्डी से आने वाले विधायक ने जो बात कही है उसको आप गम्भीरता से लें। लोकतंत्र में आना और जाना, यह प्रक्रिया है, कोई अहम करे कि हम ही वहां रहेंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में आदमियों के जो सिविल राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का काम भी आप लोगों का है। आप लोगों का है। जो बात इसमें महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ कर विधिवेत्ताओं ने 438 का प्रोवीजन अग्रिम जमानत का रखा। आप और हम यह नहीं कह सकते कि जिस अधिकारी को अपन ने काम सौंपा है वह सौ प्रतिशत ईमानदारी से करेगा। आप और हम यह नहीं सोच सकते कि जो इनवेस्टिगेशन होगा वह हण्ड्रेड प्रतिशत सही होगा। इसलिए इस बात का फैसला कि सही निर्णय करने के लिए अदालत अपने अधिकार का उपयोग करे, मेहरबानी करके आप उस बात पर अगर ध्यान दें तो वह पूरे राजस्थान की जनता और हर आदमी के हित में होगा। आपने 438 पर प्रतिबन्ध लगा दिया, अग्रिम जमानत की दरख्वास्त नहीं देगा। इसके अलावा गिरफ्तार होने के बावजूद भी जो राइडर्स आपने इसमें डाले हैं, वैसे राइडर तो 302 में ही नहीं है, जो इरादतन सरेआम कत्ल करे उसके लिए जो कानून की

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जो विवेचना है। आपने तो शराब में थोड़ी-सी मिलावट करने वाले को ही 302 इरादतन कत्ल करने वाले आदमियों से भी ज्यादा सज़ा ठोकने की बात कर दी। यह ठीक नहीं है। जैसे...

श्री अध्यक्ष: नैतिकता की बात भी कर रहे हो और उसके बचाव की बात भी कर रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, बचाव का नहीं है, साहब। बचाव की बात नहीं है यह। आफेंस है, ग्रेविटी कन्विक्शन की, उस हिसाब से होनी चाहिए। मैं थप्पड़ मारूं तो उसी बात का होना चाहिए, मैं कत्ल करूं तो उसी बात का होना चाहिए। और कोई ओमिशन उससे भी हो जाए तो भी वही सज़ा, और इरादतन कत्ल करके सरेआम लोगों को काट दे तो उसको कम सज़ा। इस बात पर आपको सोचना चाहिए। वैसे तो जो आपको करना है, करोगे। हम कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, आपको जो करना है। लेकिन, ईमानदाराना जैसे पुलिस एक्ट बनाने से पहले आप और हम बार-बार सोच रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन तो कोई नहीं कर देगा, उस पर हम सोच रहे हैं और इसमें अपने हाथ से ही अपन अधिकारों को उन लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं और उनके जो अधिकार हैं कानून में दिये हुए, उस अधिकार को अपन समाप्त करना चाहते हैं तो यह निर्णय आपका, यह तरीका आपका बहुत गलत तरीका है। 302 में आजन्म कारावास लेकिन जुर्माना हो जाए जितना-सा, हजार, पांच सौ। इसमें शराब वाले मामले में आजन्म कारावास और एक लाख रुपये से कम जुर्माना नहीं, कोई बात हुई यह। हां, आजन्म कारावास लेकिन मिनिमम फाइन जो है...

श्री अध्यक्ष: आजीवन तो मैक्सिमम है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, आजीवन तो हो गया न, साहब। और आजीवन के साथ ही मिनिमम एक लाख रुपये का दण्ड भी उसको देना पड़ेगा, मिनिमम। (व्यवधान) नहीं, एक लाख, जुर्माना जो है वह मिनिमम मत करो, जुर्माने का प्रोवीजन जरूर रखो। तो उस हिसाब से भी आप सोचो। 302 वाले मुल्जिम को तो अदालत जमानत पर छोड़ दे, 439 में छोड़ दे और इसमें जो शराब की बोतल में पकड़ा जाए उसको अदालत नहीं छोड़े? यह लिखे अदालत कि इसने कोई जुर्म नहीं किया, तब जमानत ले, यह कानून आप बना रहे हो। अगर यह लिख दे अदालत कि इसने कोई जुर्म नहीं किया तो फैसला तो हो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गया। तो बिना शहादत के पहले ही फैसला करके अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। ये जो चीजें आपने बिना सोचे-समझे अति उत्साह में...

श्री अध्यक्ष : सात बज गये, कनक्लूड करें अब थोड़ा-सा।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, अभी कनक्लूड, आपका हुक्म बाल। आप कहोगे जो सब करने को तैयार।

ये जो प्रोविजंस आपने किये हैं, इसके अलावा 54 में आपने मिनिमम सेन्टेंस की है चार बोतल किसी के पास है, अब आप बताओ, अंग्रेजी शराब की चार बोतलें तो ढूंढें तो कई जिम्मेदार लोगों के यहां मिल सकती हैं। चार से ज्यादा होते ही कम से कम सज़ा छह माह की। पहले भी प्रोविजन था, जो भट्टी में शराब बनाते थे उनके लिए मिनिमम सेन्टेंस छह माह था, अब चार बोतल शराब को भी मिनिमम छह माह की, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, राज अदला-बदली हो तो कहीं उलटा-सीधा मामला हो जाए, इसलिए इस बात पर भी आप विचार करो।

श्री कालूलाल गुर्जर : राज बदलने की कल्पना ही क्यों करते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हां, कल्पना नहीं करते हैं, लोकतंत्र है, भैया, हो जाए वही है। अभी हम तो कल्पना कर रहे थे कि आप मंत्री बनोगे, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे हो तो क्या करें, लोकतंत्र है। माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से इन सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करें। अब ओमिशन से जो गलती हो जाय अननोइंगली, उसको भी वही सज़ा और जो उसको मिला है उसको भी वही सज़ा। कोई बात हुई यह? इन सब भावनाओं को आप देखें। मेरा तो विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, चरित्र निर्माण की बात करने वाले लोगों से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस सारी नीति पर पुनर्विचार करें। माननीय कटारिया साहब, माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा विशेष अनुरोध है कि अगर आप राज्य का और देश का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं मन से, जबान से तो आप करते हो, अगर मन से करना चाहते हैं तो इस शराबखोरी को, बढ़ती हुई शराब की बात को जिस प्रकार से राजस्थान के चरित्र में गिरावट इस शराब की नीति के कारण आई है, मेहरबानी करके आप रोक दें तो आप अपना तो सिद्धांत बचाओगे ही, हम जैसे लोगों पर भी उपकार करोगे और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): निर्माण कम से कम शब्द तो याद है न, चरित्र निर्माण बचपन का याद है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चरित्र निर्माण तो जीवन का अंग है, आप समझ बैठे कि यह आप ही का शब्द है।

श्री अध्यक्ष: अरे भाई, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हो? डा. चन्द्रशेखर बैद। एब्सेंट। श्री ब्रजकिशोर शर्मा। अपसेंट। डा. श्रीगोपाल बाहेती एब्सेंट। डा. श्री बुलाकीदास कल्ला एब्सेंट। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एब्सेंट तो जो पीता है वह होता है, मैं तो कभी पीता नहीं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम इन 50 उपस्थित माननीय सदस्यों को.....

श्री अध्यक्ष: अब आप शोर नहीं मचाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): धन्यवाद देता हूं कि विधायी कार्य में भाग ले रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं चीफ व्हिप था उस वक्त विधायी कार्यों को कराने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन आज कम से कम 50 आदमी तो सदन में बैठे हुए हैं और विधायी कार्यों में रुचि ले रहे हैं। मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): विधायी कार्यों में, माननीय सदस्य, आपकी तरफ से कितने हैं, हमारी तरफ से कितने हैं? 50 तो बहुत ज्यादा हैं, हमारे और आपकी संख्या देख लो उनमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको क्या आवश्यकता पड़ी है? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता मैं आपको एक बात याद दिला दूं, सदन का यह नियम है कि जो वक्ता होते हैं बोलने के बाद सदन छोड़ कर के नहीं जाते हैं, और आपके सारे वक्ता बोल करके सदन छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। अगली बार उन्हें समय नहीं मिलेगा बोलने का, यह आप कह देना उन्हें। यह नियम है सदन का।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 100 प्रतिशत सहमत हूं लेकिन इस विधान सभा में मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि जो भी स्पीकर बोलता था पहले वह बोलकर सीधे लॉबी में जाता था या पत्रकार लॉबी में जाता था।

श्री अध्यक्ष: वह अलग बात है। वापस लौटकर आता था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कब आता था, यह मुझे नहीं पता लेकिन हाथ की हाथ जाता था बाहर।

श्री अध्यक्षः आप तो जाते ही देखते थे, आते नहीं देखते थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जाता हुआ देखता था मैं कि बोलने वाला स्पीकर अपनी सीट पर नहीं बैठता था, बाहर जाता था सीधा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप इसको लागू करो।

श्री अध्यक्षः वापस आता है, यह नियम है सदन का। यह नियम है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह नियम नहीं है, इसमें यह भी नियम है कि आप अपनी बात दूसरों को सुना रहे हो तो आप बैठकर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मंत्री का जवाब सुनो, यह भी नियम है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नियम है बिलकुल।

श्री अध्यक्षः नियम भी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): परम्परा है, मैं राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2007 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक जो ये लेकर आये हैं इससे पहले की पृष्ठभूमि यही रही है कि पिछले तीन वर्षों में भिवाड़ी, सांगानेर, कोलायत, नागौर, सुजानगढ़, नोखा अनेक स्थानों पर जहरीली शराब से लोग मरे, लगभग 137 आदमी जहरीली शराब से मर गये। उसके लिए जो प्रावधान आप लोगों ने किये हैं वह तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ठीक है। बल्कि उसको और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो मूल अधिनियम की धारा 1(ए) में संशोधन किये हैं, उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले एक्साइज कमिश्नर और एक आई.जी. लेवल का अफसर जो डायरेक्टर प्रीवेंटिव फोर्स के नाम से काम करता था, केवल इन दो आदमियों के अंतर्गत सारा विभाग चलाता था। उसके अंतर्गत एक्साइज विभाग के आदमी थे। अब 32 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की जा रही है। उसमें आप देखेंगे, डायरेक्टर एनफोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर क्या कभी कोई और डिपार्टमेंट में भी स्पेशल डायरेक्टर है, सैक्रेटरी, स्पेशल सैक्रेटरी तो मैंने सुने हैं लेकिन स्पेशल डायरेक्टर पहली बार यह नया नाम किया है। स्पेशल डायरेक्टर, फिर एडीशनल डायरेक्टर, जोइन्ट डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिसटेंट डायरेक्टर। उसके बाद एक जनरल ब्रांच जो है उसमें डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर और अदर इनफीरियर ऑफिसर। ये

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इनफीरियर आफिसर कहां से लेकर आये हैं? कोई जूनियर आफिसर अदर इनफीरियर आफिसर हो सकता है लेकिन कानून बनाने वाले यह भी ध्यान नहीं रखते कि इसमें अदर इनफीरियर आफिसर, रखा। हां, सबआर्डिनेंट आफिसर कर देते तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आपकी सलाह लेनी होती तो सब-आर्डिनेंट (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनफीरियर तो गलत है, जूनियर तो कह सकते थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, जूनियर, सबआर्डिनेंट कह सकते थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ी फौज और 32 करोड़ रुपए की लागत थी। और वो किसलिए? ब्रेवरेज कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है राजस्थान सरकार की वह जो शराब खरीदती है, वहीं बिक। इसके लिए मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट पोलिसी नहीं है। क्या आपने इसके लिए कोई टेण्डर किये? टेण्डर किये तो उसमें कौन लोएस्ट रहा या कौन हाइएस्ट रहा, किस आधार पर आपने दिये, इसका आपको खुलासा करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: देंगे जवाब वह तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसके बाद सैक्शन-49 (2) में एक संशोधन किया है कि उसमें अग्रिम जमानत नहीं होगी। एडल्ट्रेशन के बारे में धारा 54-बी, 54-डी, 56 में किए गए अपराधों की अग्रिम जमानत नहीं होगी। इसमें इनको कोई प्रोटेक्शन मिले, इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन माननीय सीनियर मिनिस्टर गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मैं धारा 54-डी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो क्रिमीनल कांस्पिरेंसी के बारे में है। आपको एक बहुत कल्पनातीत उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन यह सटीक भी है कई बार, एक व्यक्ति जीप में जा रहा है, उसकी जीप में है इल्लिसट लिकर, हीनस, जहरीली शराब पड़ी हुई है। उसने लिफ्ट ले ली और लिफ्ट लेकर उसमें वह बैठ गया। अब वह जहरीली शराब पकड़ी गई, उसके पकड़े जाने पर वो क्रिमिनल कांस्पिरेंसी का शिकार हो गया, उसकी कोई जमानत नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका समय आये जब बोलिएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह किस नियम से बोल रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक थोड़ा सुधार करवा रहा हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है जो अमैंडमेंट देता है वही बोल सकता है। यह थर्ड रीडिंग में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं एक थोड़ा संशोधन करवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जब समय आए, नाम पुकारूं, तब बोलना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह इनकी मर्जी से नहीं बोल सकते और यहां किसी भी कानून से नहीं बोल सकते, थर्ड रीडिंग में बोल सकते हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपको इनफीरियर वाला ही कह रहा था, यह हमने नहीं जोड़ा है, यह पहले से जुड़ा हुआ था। हमने तो इसमें केवल... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका नाम है तब आप कह लेना, आदरणीय कल्ला साहब को बोल लेने दो।

श्री अध्यक्ष: विस्तृत ज्ञान है अगले का, बोलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विस्तृत ज्ञान है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मंत्री लोग अपने स्थान से नहीं बोलते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, उसके थैले में दो शराब की बोतलें हैं और किसी ने लिफ्ट ले ली, गलती से बैठ गया और पकड़ा गया तो उसकी भी जमानत नहीं होगी क्योंकि वह उसके साथ मिला हुआ है। उस बेचारे ने तो लिफ्ट ली है। इसलिए इस तरीके के जो प्रावधान हैं मैरिट के आधार पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शराबी के साथ ले ही क्यों?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसको क्या पता कि थैले में सब्जी है या शराब? उसको पता नहीं है कि उसके थैले में क्या है लेकिन वह उसके साथ बैठकर चला गया, उसकी भी जमानत नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): थैले पर ही नहीं, साहब, किसी के घर पर जाए और वहां शराब की 5-7-10 बोतलें रखी हुई हैं, अपन को पता है कि उसके घर में रखी हैं, लेकिन वो आ जाए इन्फोर्समेंट आफिसर अपन को भी चाहे तो वो भी कहीं मिले हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जैसे 120-बी में किसी को भी पकड़ा जा सकता है उसी प्रकार इसमें किसी को भी क्रिमिनल कांस्पिरेंसी में पकड़ा जा सकता है। आप जानते हैं कि मर्डर करके कोई व्यक्ति आता है उसकी भी जमानत हो जाती है, बहुत-से ऐसे अपराध हैं जिनमें उम्र कैद और मृत्यु दण्ड मिल सकता है लेकिन उसकी भी जमानत हो सकती है। क्रिमिनल कांस्पिरेंसी में कम से कम उसको जमानत का, और इसके साथ-साथ एक प्रोविजन और कर रखा है आगे सैक्शन-56 में, इस एक्ट के अंतर्गत तीन वर्ष तक की किसी को सज़ा मिल सकती है और वह विचाराधीन है तो उसकी जमानत नहीं होगी। यह तो लाइफ और लिबर्टी को टच करने वाली है। कोई भी व्यक्ति को क्रिमिनल कांस्पिरेंसी में फंसा दिया और तीन साल तक सज़ा हो सकती है, उसकी आप जमानत भी नहीं लेंगे। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 की स्पिरिट के भी खिलाफ है। उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि वह जमानत अर्जी दे दे, मैरिट के आधार पर यदि जूडीशियल आफिसर समझे कि इसको गलत फंसाया गया है तो कम से कम जमानत का प्रावधान होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि एनफोर्समेंट कुछ करना भी था तो जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इस तरीके का प्रावधान करके अपने आबकारी के लोगों को ट्रेन करके कम खर्च पर यह काम करना चाहिए। लेकिन आप केवल मात्र कुछ कम्पनियों की शराब कोई दूसरा आदमी न बेच सके, दूसरी फर्म वहां पर आकर व्यापार नहीं कर सके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यह पैसा तो मैं समझता हूं कि जो फर्में आपकी ब्रेवरेज कंपनी को माल बेचती हैं उनसे आपको रिकवर करना चाहिए, न कि सरकार को इस बारे में प्रबंध करना चाहिए।

इसके अलावा चूंकि आबकारी अधिनियम के बारे में बातचीत चल रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सरकार तो धर्म-कर्म में अपने आपको बहुत मानती है, इन्होंने सूखा दिवस पांच की जगह तीन क्यों कर दिये, दो कम क्यों कर दिये? आज सूखा दिवस बढ़ने चाहिए। एक तरफ हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है 'मातृवत् परदारेसु, पर द्रव्येसु लोस्ठवत्।' इसका अर्थ यह है कि परायी स्त्री मां की तरह समझो। और दूसरों के धन को चुराए हुए धन की तरह समझो लेकिन जो आदमी, शराबी है कबाबी है उसको मां, बहन, बेटी का ध्यान नहीं रहता। इसी कारण आज राजस्थान में मातृशक्ति के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं जो शराब की ज्यादा दुकानें खुलने के कारण हुआ है। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर स्थान पर शराब ही शराब है। इसीलिए मैंने आपसे यह बात कही थी, 'हालत हमारे प्रान्त की खराब है यारों। हर तीसरी दुकान पर शराब है यारों।' आज आप जाकर देखो स्टेशन पर उतरते ही, जयपुर स्टेशन से उतरो तो सामने ही दो-तीन दुकानों के बाद फिर ये दुकानें नजर आएंगी। चाहे आप अजमेर से आएं, चाहे उदयपुर से आएं, चाहे दिल्ली से आएं, चाहे कोटा से आएं, चाहे सीकर रोड से आयें आपको दारू की दुकानों के दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हमारे राजस्थान में लागू है, हर दुकान साढ़े सात बजे बंद हो जाती है लेकिन इन दारू की दुकानों को बारह बजे तक खोलने की इजाजत किसने दे रखी है?

श्री अध्यक्ष: रात में ही पीते हैं न पीने वाले। पीने वाले रात में ही पीते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वैसे तो मंत्रीजी बताएंगे लेकिन मैं मंत्रीजी को बता दूं कि आबकारी विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकलवा रखा है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर ये दुकानें ग्यारह बजे तक खुल सकती हैं। लेकिन ये ग्यारह बजे बाद कैसे खुली रखते हैं? इन्हीं के कारण अपराध बढ़ते हैं और गृह मंत्रीजी की मुसीबत आती है कि इसके कारण से अपराध की स्थितियां राजस्थान में बढ़ रही हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गंगानगर शुगर मिल तो सरकार की है, गंगानगर शुगर मिल से सरकार ने काम छीनकर निजी हाथों में दे दिया, क्यों? इसलिए कि गंगानगर शुगर मिल प्राफिट में चलती थी और प्राफिट में चलती थी तो राज को फायदा होता था, लेकिन अब निजी हाथों में फायदा दिया है। अब आप जान सकते हैं कि इसके पीछे क्या मोटिव है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह निश्चित बात है कि गंगानगर शुगर मिल का काम इनको निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से कोई अल्टीरियर मोटिव है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में भारत सरकार ने ये निर्देश जारी किये हैं कि बंदोबस्त का काम सरकार की कोई

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पब्लिक अंडरटेकिंग एजेंसी करेगी। पिछले साल यह काम राजस्थान सरकार ने निजी हाथों में दे दिया, लेकिन इस साल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी इस बात को, डिमाण्ड को माना और वहां ट्राइबल एरिया में बंदोबस्त का काम पुनः गंगानगर शुगर मिल को दिया। लेकिन ट्राइबल एरिया में पिछले साल जो आपने देशी शराब दुगुनी कीमतों पर बिकवायी इसकी मैं निन्दा करता हूं। आज ट्राइबल एरिया में देशी शराब की कीमतें दुगनी हो गईं और हथकढ़ी शराब जो वो निकालते थे, उसके ऊपर एक निश्चित मात्रा में छूट थी, उसके ऊपर अनेक मुक़दमे आपने दर्ज किये। वो भी मुक़दमे आपने वापस लिये, वो भी हमारे दबाव में लिये गये। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने देशी शराब आदिवासियों ...

श्री अध्यक्ष: आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और आपके दबाव में मुक़दमे वापस ले लिये, बेजा बात है यह तो। बहुत बेजा बात है। ...(व्यवधान) आप गलत काम के लिए दबाव डालो, बेजा बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, देशी शराब आदिवासियों की परम्परा है और वो एक निश्चित मात्रा में बनाते हैं तो उनको छूट है। जो मुक़दमे इन्होंने बनाये थे गलत, फिर वापस क्यों लिये इन्होंने? वापस इसलिए लेने पड़े, वो एक तरीके से...

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय अध्यक्षजी, हथकढ़ी का क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष: शोर न मचाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): निजी ठेकेदारों के दबाव में बनाये गये थे।

श्री अध्यक्ष: बीच में न बोलें आप। कह लेने दीजिये उन्हें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शॉप एंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में दुकान खुलने या बंद होने के टाइम का प्रोविजन नहीं है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नो। उसमें तो लाइसेंस लेने का प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष: वो आप बोलेंगे, मंत्रीजी कह देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): You get a licence. Without licence, you

(श्री जोगाराम पटेल)

can't open a shop. But so far as time is concerned, there is no provision in Shops and Commercial Establishment Act कि आप पर्टीकुलर टाइम पर खोलोगे या पर्टीकुलर टाइम पर बंद करोगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): ठेकेदारों ने एक-एक गांव में चार-चार दुकानें खोल रखी थीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वकील साहब, आप कई दिनों से असेंबली में हैं इसलिए उस एक्ट के टच में नहीं हैं ...(व्यवधान) यदि यह प्रावधान नहीं होता तो दुकानें 24 घंटे खुली रहतीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): There are notifications in accordance with the provisions of the Act for particular shops. अलग-अलग शाप के लिए अलग-अलग है। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसका मैंने जिक्र कर दिया । मैंने नोटिफिकेशन का जिक्र कर दिया, आपने सुना नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): There is no provision.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कहा कि शराब की दुकानों के लिए नोटिफिकेशन ग्यारह बजे तक का निकला हुआ है, आपने सुना नहीं। ...(व्यवधान) मैं क्या करूं? आपका ध्यान नहीं था उसका मैं क्या करूं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): That time is by notification ....

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): दारू के ठेकेदार आसपास के गांवों में खूब अवैध ठेके चलाते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने उस नोटिफिकेशन का जिक्र कर दिया था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शाप एंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है, वो तो लाइसेंस लेने का प्रोविजन है. You get a licence.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चलने दो, बहुत वैसे ही समय हो रहा है।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): हथकढ़ी का तात्पर्य तो बताओ, साहब।

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): ये हथकढ़ी की पैरवी कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, बोलें, बोलें। मंत्रीजी देंगे जवाब सब बातों का, आप क्यों बीच में बोलते हो? अब खतम करो बात को।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रधानमंत्री का 12-पाइंट टेंपरेंस प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी उत्तर दें तब बताएं कि उसके बारे में सरकार ने क्या प्रोविजन किया है? आज तक आपने क्या इसके लिए कोई एग्जीबिशन लगाई? क्या आपने प्रधानमंत्री के 12-पाइंट टेंपरेंस प्रोग्राम के लिए कोई सेमीनार आयोजित की? क्या एमएलएज के साथ अथवा कोई अन्य एनजीओ के साथ में मिलकर कोई काम किया जिसके अन्तर्गत लोग शराब को छोड़ें और व्यसन मुक्त समाज की रचना करें? अध्यक्ष महोदय, 'संयम खलु जीवनम्' यानी व्यक्ति का जीवन संयममय होना चाहिए। कोई व्यक्ति व्यसन करता है चाहे वो शराब का करे, डोडा पोस्त का करे, अफीम का करे अथवा भांग का करे वह आदमी के मन मस्तिष्क को खराब कर देता है उसके नाड़ी तंत्र को खराब कर देता है, उसकी बुद्धि को खराब कर देता है। जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसका चरित्र भी खराब हो जाता है। चरित्र निर्माण में राजस्थान का नाम रहा है, मैं चाहता हूं कि आप 12-पाइंट टेंपरेंस प्रोग्राम को आवश्यक रूप से लागू करें और लोगों में व्यसन की आदत को छुड़वाने का काम करें।

प्रसंगवश आज इससे भी बड़ा नशा एक और है, आज हरएक की जेब में तंबाकू है। किसी की जेब में गुटखा है, चुटकी है। किसी न किसी प्रकार का गुटखा है। इनके सबके खाने से आज केंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए व्यसन मुक्त समाज की संरचना करने के लिए प्रधान मंत्री का 12-पाइंट टेंपरेंस प्रोग्राम जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि लोग व्यसन मुक्त बनकर एक अच्छा जीवन जी सकें। अंत में मैं इसको जनमत जानने के लिए एक महीने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया। थैंक यू। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आदिवासियों पर से मुक़दमे वापस लिये, हां सरकार ने 6200 मुक़दमे वापस लिये। उन 6200 मुकदमों में से 4000 के लगभग मुक़दमे वो हैं जो 1999 से लेकर 2002 तक बने। ...(व्यवधान) आप रिकार्ड देख लो। मुक़दमे बनाओ आप, वापस हम लें और वाववाही आप लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपका मंत्री इतना इनकम्पीटेंट है क्या कि आपको बीच-बीच में बोलना पड़ रहा है? वो अपने आप जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है,..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वो डूंगरपुर का चुनाव नहीं होता तो आप एक वापस नहीं लेते ।

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपने मुक़दमे वापस लिये। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके दबाव से लिये। यह महत्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका दबाव हम क्या मानें, अध्यक्ष महोदय, इनका दबाव इनके सदस्य तो नहीं मानते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महत्वपूर्ण बात यह है कि डूंगरपुर का चुनाव था इसलिए इनको लाजिमी रूप से लेना पड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य ये है कि इनका दबाव इनके लोग मानते नहीं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मानें। पूछ लो कल्लाजी से क्या हालत बना रखी है इनकी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) यह जो आपका ज्ञान है न, आपका ज्ञान आपको तब पैदा होता है जब राज हाथ से छूट जाता है, उस समय आपकी बुद्धि काम करने लग जाती है। राज में तो आपको ध्यान रहता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माफ करना, आपके आदर्श भी तब जिन्दा रहते हैं जब आप इधर बैठते हो। आपके आदर्श भी तब जिन्दा रहते हैं जब आप इधर बैठते हो, उधर जाने के बाद तो राज चलाने के लिए गप्पगोल है।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन में इसको तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन किया गया, मैं इसी के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समय के लिए विधान सभा परिसर से बाहर गया था, मैं जब वापस लौट रहा था तो मैंने देखा, एक पत्रकार महोदय ने भी अपनी ओर से रोक कर मुझे बताया, देखिए क्या हो रहा है। एक व्यक्ति लहराते हुए जा रहे थे और उनको सहारा देकर दो व्यक्ति ले जा रहे थे । उन्होंने बताया कि देखिए

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

परिसर में शराब पीकर इस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि आज तो आबकारी बिल पेश किया जाना है तो हो सकता है। और इससे पहले मैंने ऐसा सोचा कि शायद मुख्य मंत्रीजी का आज जन्म दिवस है उसकी खुशी मना रहे होंगे । कुल मिलाकर परिसर में भी इसकी महक थी, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहें ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, इस आबकारी (संशोधन) विधेयक में पेश कुछ प्रस्ताव निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनका इस आबकारी नीति जो राज्य सरकार की है, इसको सम्बल मिलेगा और इस प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा जो इसके माध्यम से अनुचित धन कमाते रहे हैं । लेकिन इसके साथ-साथ इस व्यापार में लगे हुए शराब के व्यवसायियों को समर्थन देने वाले इसमें कई ऐसे संशोधन हैं जिनके माध्यम से वह और बलशाली होगा । आज के समय में ठेका प्रथा से अलग हटते हुए दुकानें अवश्य खुल गई हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि उन दुकानों की आज भी सामूहिक रूप से अपनी रेड पार्टियां हैं। आबकारी विभाग और पुलिस महकमा उनके इशारे पर काम करता है या उनके इशारे के बाद ही वहां उपस्थिति होता है। स्थान-स्थान पर आज भी अवैध दुकानों की संख्या भी बहुत अधिक है जिसके ऊपर आम जन जब अपनी शिकायत पेश करता है, कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि अधिकारी तबका उनको ही प्रश्रय देता है । इसके साथ-साथ ऐसे स्थानों पर दुकानें खुल गई हैं जो दुकानें वास्तविक रूप से निषिध स्थानों की संज्ञा में आती हैं। मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र के गांव का हवाला देना चाहूंगा । गांव का नाम है बामनवाली वहां पर अधिकांश ब्राह्मण निवास करते हैं लेकिन वहां पर भी एक दुकान खोल दी गई। दुकान भी ऐसे स्थान पर जिससे विद्यालय कुछ दूरी पर है । लेकिन आम जन के विरोध के बावजूद वह दुकान आज दिन तक कायम है । मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम आगामी सत्र में तो वह न खोली जाएं, यह तो नोट कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो कई अमैंडमेंट दिये गये हैं, नियमों को कठोर बनाया गया है, यह बहुत उचित है । नियम वास्तविक रूप से इतने कठोर होने चाहिये- सज़ा का

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रावधान और उनके ऊपर आर्थिक जो भी आपने दंड लागू किया है। लेकिन कुछ ऐसे तबक़े को इसमें लपेटा गया है जो तबका वास्तविक रूप से इस शराब के काम को अवैध नहीं मानता, बल्कि उनके रोज के खान-पान का अंग है। हथकडी शराब, देशी शराब और उसके साथ-साथ इसमें जो दिया गया है ताड़ी उत्पादक वृक्ष से ताड़ी जुआना आदि यह सब उनकी जीवन चर्या का भाग है। विशेष रूप से हमारी जो ट्रायबल बैल्ट है वहां के लिये ये चीजें ज्यादा लागू होती हैं । उनके ऊपर ये कठोर नियम बनाये गये हैं ये नियम इतने कठोर नहीं होने चाहिये। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है नियम बनाने के पीछे कारण हो सकता है कि अभी ताजा-ताजा जो उप चुनाव गया उस उप चुनाव में कांग्रेस विजयी रही उसको देखते हुए उसके परिदृश्य में तो नियम नहीं बनाये गये यह संशय मेरे को होता है । अध्यक्ष महोदय, काफी विस्तार से पूर्व सदस्यों ने इस बात को अपने-अपने स्तर पर पेश किया है ।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): शराब के साथ ट्रायबल को जोडा जा रहा है जबकि आज के समय में अधिकांश अन्य समाज के लोग भी शराब पी रहे हैं । बार-बार आदिवासियों को शराब के साथ जोड़ा जा रहा है, वह एक ठीक तरीका नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैंने उसमें स्पष्ट निवेदन किया कि यह उनके खान-पान का भाग है । मैं किसी एक जाति विशेष को नहीं जोड़ते हुए उनके साथ जुडी हुई बात को पेश कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको उससे कुछ आपत्ति हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जो कार्यशैली इस विभाग की रही है और जो आज भी है, एक अधिकतम सीमा तय की गई है शराब की कि इससे ज्यादा शराब लेकर चलने वाला शराब का किसी स्थान विशेष में विक्रय हो रहा है, वहां पर अगर वह नाजायज शराब है तो यह सही है कि उसका वह दोषी व्यक्ति है। लेकिन कोई भूला-भटका व्यक्ति अगर वहां खड़ा है, जिसको पता नहीं क्या व्यापार हो रहा है, जिस प्रकार से आज आम गांवों की स्थिति है कि वहां स्थान-स्थान पर खोखे लगे हुए होते हैं । एक व्यक्ति विशेष को पता नहीं कि वहां क्या काम हो रहा है और वहां पर दिन-रात यही काम चलता है, अब अगर एक अंजान व्यक्ति वहां खड़ा है, जब पुलिस पकड़ने आएगी या कोई रेड पार्टी वहां पर आएगी तो निश्चित रूप से वह भी लपेटे में आएगा । ऐसे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

निर्दोष व्यक्ति न आए, इन बातों का प्रावधान हो। ये इतने कठोर नियम है कि उसमें एक बार जो आ गया उसका छूटना मुश्किल रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, वैसे तो आज का दिन ऐसा दिन था जब हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया का जन्म दिन है और मुख्य मंत्री महोदया भी वह जो दूध की ब्रांड एम्बेसेडर हैं, तो आज के दिन तो यह आबकारी नीति के ऊपर रोक ही लग जानी चाहिये थी। लेकिन रोक न लगाकर जो यह नियमों में प्रावधान किया गया है, इनको प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद । श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय न लेते हुए जो मैंने राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक 2007 को जनमत जानने हेतु तीन माह के लिये परिचालित करने का संशोधन दिया है, उसमें बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कही, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, इन बातों का समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। मैंने संशोधन दिया है मैं उस पर बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, 1950 का अधिनियम संख्या 2 जिसे हम संशोधित करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय कल्ला साहब को बताना चाहूंगा जिन्होंने यह बताया कि इनफीरियर आफिसर क्यों लिखा गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह नाम नहीं ले सकते यहां पर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ठीक है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कहने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य इज सफीशिएंट ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पूर्व प्रतिपक्ष के नेता ।

श्री अध्यक्ष: कोई आवश्यक नहीं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह भी नहीं, ठीक है । इन्होंने बताया कि इनफिरियर आफिसर क्यों लिखा गया । अब इन्होंने पहले का पढ़ा नहीं जिसमें यह था – "Appointment of Commissioner and Excise Officers. … (i) Deputy Excise Commissioners incharge of division, (ii) District Excise Officer in-charge of district, and (iii) Other inferior Excise Officers." यह पहले से ही है, हमने नहीं जोड़ा। शायद जब आप मंत्री रहे होंगे तब आपके ध्यान में यह नहीं आया यदि आ गया होता तो शायद आप सोचते कि इनफीरियर और सुपीरियर क्या होता है। तब से यह लागू है। इनफीरियर आफिसर पहले से ही लगा हुआ है, हमने इसमें कोई संशोधन नहीं किया । इसमें केवल जो जोड़ा है और आफिसर एड किये हैं, यह तो पहले से ही चल रहा है, यह मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का निवेदन किया है उसके पीछे मेरे मन में यह विचार था कि पुलिस को अधिकार देने का जो प्रयास चल रहा है, लगभग दो वर्षों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यह प्रयोग हो रहा है और काफी राशि राज्य सरकार की इसमें खर्च हुई है। इसको कितना हम रोक पाये, इस पर थोडा विचार करने की आवश्यकता है । पुलिस भ्रष्टाचार रोकने में कितनी कामयाब रही, कितनी सक्षम है, इस पर थोडा विचार करने का मेरे मन में आया । ठीक इसी प्रकार से यह भी आया कि भ्रष्टाचार के बंटवारे में कहीं हम भागीदार तो नहीं बढा रहे । यह विचार मेरे मन में जरूर आया था इसीलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का पहले लिख कर भेजा था । लेकिन जब यह जानकारी मिली कि पहले शराब माफिया खुली जीपों में एक प्रकार से समानान्तर सरकार चला रहे थे, चारों ओर भय का और आतंक का आलम था जिसको रोकने में हम काफी हद तक कामयाब रहे, इन दो वर्षों में जो प्रयास रहे उनसे।

यह जब ध्यान में आया कि इसकी आवश्यकता है कि इस प्रकार का कोई कठोर कानून बनाया जाना चाहिये, तो निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, पहले दंड का प्रावधान बहुत कम था। मैं एक थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूंगा, धारा 54 जिसका यहां पर लगातार उल्लेख किया जा रहा है उसमें प्रावधान क्या था? दंड का प्रावधान बहुत कम था । ये पहले के हमने निकालकर पढ़े हैं, केवल तीन माह की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना। यानि बड़े से बड़ा अपराध कोई करे, विकृतिकृत स्पिरिट को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए करे, चाहे कहीं भी विनिर्मित हो, जिसे विकृत कर दिया गया है या किसी विकृतिकृत, स्पिरिट को मानव उपयोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयत्न करता है या जिसके कब्जे में ऐसी कोई ऐसी विकृतिकृत स्पिरिट या विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मित है जिसे मानव उपयोग के योग्य बना दिया गया है या जिसे इस प्रकार योग्य बनाने का कोई प्रयत्न करता है या कोई प्रयत्न किया है, उसे केवल 6 मास कारावास की सज़ा। जिसे हमने दो वर्ष बढ़ाया। पहले था अधिकतम तीन वर्ष जिसको हमने अधिकतम पांच वर्ष किया । जुर्माना था 200 रुपये, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। हमने 200 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख किया है,यानि अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार का प्रयास हुआ, यह थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है।

आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? 200 रुपये सज़ा, क्या होती है 200 रुपये सज़ा? इतनी सज़ा तो कोई भी भुगतने को तैयार हो जाएगा। दो महीने की सज़ा और उसमें भी उसको लाभ मिल जाता था। यानि इस प्रकार की जब स्थिति थी तो उसे रोकने का अगर प्रयास हो तो निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये और इसमें कहीं भी जनमत के लिए देने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी धारा 54 में थोड़ा-सा मेरे ध्यान में आया, जो आपके सामने निवेदन करूंगा। इसमें बाकी तो सब ठीक है, 20,000 रुपये का जुर्माना, 50,000 रुपये का जुर्माना तो ठीक है लेकिन आगे क्या दिया है, आबकारी शुल्क की हानि का दस प्रतिशत । अब आबकारी शुल्क की हानि का निर्णय कौन करेगा? वह जांच अधिकारी पुलिस का जो होगा, वह तो आबकारी शुल्क की हानि का निर्णय नहीं कर पाएगा। वह आबकारी विभाग को भेजेगा। वह विभाग वापस सूचित करेगा कि कितनी हानि हुई, कितनी नहीं हुई । थोड़ा इसका तय कर लेवें कि हानि का निर्णय कौन करेगा। आपका पुलिस अधिकारी करने में सक्षम होगा? यदि वह कर सके तब तो ठीक है। नहीं तो इसका भी कोई प्रावधान हो, इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि जांच अधिकारी यदि भ्रष्ट है, जांच अधिकारी कोई भ्रष्ट तरीका अपनाता है, वह अपराधी को बचाने का कोई षड्यंत्र करता है, या इस प्रकार का कोई उपक्रम करता है तो उसको भी सज़ा देने का प्रावधान है। यह पहली बार हुआ है, मैं सोचता हूं इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये, इसकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान भी इसकी तरफ गया होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि जानबूझकर आपने इस बात को नहीं रखा कि जांच अधिकारी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करे तो उसको भी सज़ा का प्रावधान इसमें किया है। यह प्रशंसा योग्य है।

अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार से 10-क, एक चौकी की स्थापना-कोई भी अधिकारी कहीं भी चौकी की स्थापना कर सकेगा, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, यह प्रशंसा योग्य है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये।

ठीक इसी प्रकार 58-क में बोतल का ढक्कन, पेटी, पैकिंग या अन्य पात्र जिसमें भारत निर्मित कोई विदेशी लिकर रखा हो, इस प्रकार की बात है तो अपराधी को पहले एक वर्ष से तीन वर्ष, पहले केवल जुर्माना 500 रुपये की सज़ा का प्रावधान था अब एक वर्ष से तीन वर्ष तक और जुर्माना दस हजार से तीन लाख तक बढ़ाया है। दूसरी बार कोई अपराध करे तो उसकी सज़ा दो से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से पांच लाख तक, यह भी प्रशंसा योग्य है।

श्री अध्यक्ष: जब सब बातें अच्छी हैं तो फिर जनमत जानने के लिए, परिचालित करने के लिए प्रस्ताव क्यों रखा ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, बस मेरा पूरा हो गया। एक निवेदन है, इस प्रकार से जो एक विषय इन्होंने अभी रखा...

श्री अध्यक्ष: बाद में बोलते ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो पाइंट आउट किया वह बहुत वैलिड है। आप वह बात तो बता नहीं रहे जिसके कारण आपको जनमत जानने के लिए आवश्यकता है, वह तो एक भी नहीं बताया, आप प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहे हैं। फिर यह प्रस्ताव क्यों दिया ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सुना नहीं, मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह पुलिस को अधिकार देने का प्रयास चल रहा है। दो वर्ष के प्रयोग हुए, उसमें क्या लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, क्या हम

(श्री मदन राठौड़)

भ्रष्टाचार में भागीदार बढ़ा रहे हैं- यह बात प्रारम्भ में कही1 आप शायद उस समय सोच रहे थे....

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने की बात फिर क्यों कर रहे हो ? जनमत तो जब जाना जाए जब आप डिफैक्टिव मानते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने सुना। आप उसके बाद प्रशंसा में लगे हुए हो, आप वह बात कहकर बैठ जाते। आपका कोई मकसद नहीं था। जब आपको ये सब बातें मंजूर हैं तो फिर आपको जनमत जानने के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर क्यों बोल रहे हो?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विथड्रा के लिए कारण क्या है, जिनसे यह प्रभावित होकर विथड्रा कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बात है, मैंने पहले वह बात कही जिसके लिए मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने को कहा।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं ठीक है, बोल दिया आपने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दूसरी बार मैंने वह कहा...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले इन्होंने नासमझी में बात कही, अब समझ गये उसमें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब मैं आवश्यक नहीं समझता जनमत जानने के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अब यह कहेंगे कि मैं इसको....

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) बात तो कही ही नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं विथड्रा का कारण देना चाहता हूं। बी.डी. कल्ला ने जो कहा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अंत में आप कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय मुझे इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाए। लास्ट में आप यह बोलेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बैठें तो बोलूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यही कहेंगे कि बड़ा अच्छा बिल आ रहा है इसलिए मैं वापस लेता हूं, जनमत जानने का जो प्रस्ताव है। हो गया आपका काम।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बात अभी कही गई कि जब दोषमुक्त हो जाए 54-ख में, तो भी किस-किस प्रकार से उस पर शास्ति आरोपित की जाए। लेकिन मेरा इसमें सब्मिशन है कि शराब पीकर जो व्यक्ति मर गया वह तो मर गया उसको तो निश्चित रूप से मुआवजा मिलना ही चाहिये और इसके लिए यदि कोई 54-ख में दोषमुक्त हो गया तो 54-ग में वह दोषी है, कोई कारण नहीं बनता कि वह इसमें बच जाए।

ठीक इसी प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र में जो शामिल है उसको 120-बी के जैसा ही प्रावधान रखा है, यह भी प्रशंसा योग्य है।

श्री अध्यक्ष: जब प्रशंसा कर रहे हैं तो जनमत काहे के लिए भेजा है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं भेज रहा हूं। भेजने के लिए नहीं निवेदन कर रहा, वापस लेने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने तो पूरी प्रशंसा की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे ही क्यों रोक रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपना जनमत जानने के लिए प्रस्ताव वापस ले लो, संशोधन।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वापस तो ले ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, ले लो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं लेने की इजाजत मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इसको वापस ले लो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): संशोधन देकर आप प्रशंसा कर रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मैं वापस तो ले ही रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वापस लेने के लिए कारण तो देना है जो मेरे ध्यान में आया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, थैंक यू वेरी मच।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कारण नहीं, आपकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह है। कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जब पूरी प्रशंसा कर रहे हो...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन किया है, मैं उसको वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री कन्हैयालाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री एन. एस. गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री सी. डी. देवल। (अनुपस्थित) श्री खुशवीर सिंह जोजावर। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विचारार्थ तो ले ही लिया था आपने।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को विचारार्थ तो पहले ही ले लिया था, जब ही तो हुई बात।

खण्डशः विचार। खण्ड दो, कोई संशोधन नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले फर्स्ट रीडिंग का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दें, मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, एक गलती हुई है, पहले इनको रिप्लाई देना चाहिये था फिर जनमत जानने के प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: क्या पहले ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले इनकी रिप्लाई होती फिर आप प्रस्ताव करवाते।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं बताऊ, कोई गलती नहीं हुई है, विचारार्थ पहले ले लिया गया था, इसलिए जब पहले विचारार्थ ले लिया गया था तो जवाब अब होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट मेरे को सुन लीजिए। यह कानूनी मामला है। विचारार्थ के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जनमत जानने के बारे में जो विचार रखे थे उसकी रिप्लाई देते, फिर आप जनमत जानने के लिए हमारे वोट की मांग करते।

श्री अध्यक्ष: अब दे दीजिए। मंत्रीजी, उत्तर दें, इनकी बात ठीक है।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, आज का जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 सदन के पटल पर लाया गया और इसकी धाराओं में जो संशोधन किये गये और जो नये प्रावधान जोड़े गये हैं, उसके लिये इस विधेयक को लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सबसे पहले तो हमारे सामने बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं, उन सब का आभार व्यक्त करुंगा, कि नई आबकारी नीति आने के बाद इस सदन के अन्दर हमेशा नई आबकारी नीति का विरोध किया गया लेकिन आज इस विधेयक में जो संशोधन हम लोग लेकर आ रहे हैं उन संशोधनों के अन्दर जो कठोर दण्ड के प्रावधान किये गये हैं, उनका आप सब ने आज बड़ा स्वागत किया है यहां पर। मैं मेरी तरफ से उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जो प्रमुख उद्देश्य इस विधेयक को लाने के हैं, उनके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आबकारी मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था करना। हमने एक्साइज फोर्स जो इस नई आबकारी नीति में लेकर आये थे, उसमें नये पदों का सृजन किया है। एन्फोर्समेंट डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, एडिशनल डाइरेक्टर, यह सब लगाये, इससे हमारे आबकारी महकमे के मुकदमे और जो पुराने पैंडिंग केसेज हैं, वे जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाएंगे।

दूसरा, जो धारा 3 की उप धारा 19 में संशोधन हम लोग लेकर आये हैं, उसमें विद्यमान स्थान 'प्लेस' की परिभाषा को अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से इसमें वाहन, 'व्हीकल' शब्द को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से आबकारी

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

अधिकारियों को वाहन में प्रवेश करने व सर्च करने की शक्तियों सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे जो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी, वह समाप्त हो जाएगी। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 9 की उप धारा एक (क) में जो संशोधन हमने किया है उसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। वरिष्ठ अधिकारी के जो पद सृजित किये गये हैं, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, इससे हमको लाभ होगा, आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण व अंकुश लगाया जाना सम्भव हो सकेगा। तीसरा धारा 9 की उप धारा 9(क) में संशोधन जो हमने किया है...

श्री अध्यक्ष: जनमत पर बात करो, आप तो धाराओं पर आ गये पहले।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अभी सारा बताकर, थोड़ा शार्ट में बताता हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक सारे जो हमारे डिस्प्युटेड कैसेज होते थे, वे रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जाया करते थे। अब आबकारी आयुक्त के आदेश के विरुद्ध जो अपील की जाएगी, वह टैक्स बोर्ड के अन्दर की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा टैक्स बोर्ड है उसके पास ज्यादा काम भी नहीं है। चूंकि टैक्स बोर्ड के अन्दर काफी कम संख्या है तो जितने भी करके जो कैसेज हैं, उनका निस्तारण शीघ्र हो जाएगा जिससे हमारे राजस्व के अन्दर काफी इजाफा होगा।

इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 10 (क) नयी जोड़नी है, इससे राज्य में अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। एक परमिट का उपयोग एक से अधिक बार करने की सम्भावना पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 48 में संशोधन, इसके बारे में गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर लेने का अधिकार आबकारी अधिकारियों को प्राप्त हो सकेगा। इससे गवाह अपने बयान से मुकरेगा नहीं। गलत बयानी से मुकदमा असफल होने की सम्भावना कम रहेगी। धारा 49 में संशोधन, इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाये थे, उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से जो लाभ हमें मिलेगा, इससे आबकारी अपराधों पर अंकुश लगेगा। अपराधों के अन्वेषण के लिये पर्याप्त समय अधिकारियों को प्राप्त होगा। अभियुक्त की जमानत एक तरफा सुनवाई

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

से सम्भव नहीं होगी। धारा 54 में जो हमने संशोधन किया है इससे जहरीली शराब बनाना, विक्रय करना व...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सुन लो, सुन लो। जनमत पर क्या आप कोई तर्क सुनना ही नहीं चाहते क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): रिजेक्ट हो गया न, तर्क क्या दोगे? जब जनमत जानने का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया तो तर्क क्या सुनेंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जो अमैंडमेंट कर रहे हैं, जन हित में, वह आपको बता रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आ गयी?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह अमैंडमेंट क्यों कर रहे हैं, सारा वर्णन बता रहे हैं आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने रिजेक्ट करवा दिया। जनमत जानने का तो आपने रिजेक्ट करवा दिया।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, धारा 54 में जो संशोधन हमने किया है ...(व्यवधान) विक्रय करने, परिवहन के अधिकारों पर अंकुश लगेगा। धारा 58 के अन्दर लाइसेंसधारियों व उनके सेवकों द्वारा अनियमितता करने पर अधिक नियंत्रण लगाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई धारा 58-ए जोड़ने का प्रस्ताव, इससे शराब मिलावट पर अंकुश लगेगा। नई धारा 61-ए को जोड़ने का प्रस्ताव, इससे आबकारी अधिकारियों द्वारा अभियुक्त को अवैध रूप से छोड़ना या उसकी मदद करने पर तीन माह से एक वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान प्रस्तावित है। धारा 67 में संशोधन, इससे बार-बार अपराध करने की प्रवृति पर अंकुश लगेगा।

श्री अध्यक्ष: विधेयक विचारार्थ लिया जाए, तब बोलियेगा आप। अभी तो आप जनमत को रिजेक्ट करने के लिये कर दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिये दण्डात्मक प्रावधान किये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह तो रिजेक्ट हो गया, अब वह स्टेज कहां रही अब?

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ, आपने प्रस्ताव विचारार्थ का किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सबने मान लिया, कौन मना कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ का प्रस्ताव तो कर लिया था पहले ही। विचारार्थ का प्रस्ताव तो बहुत पहले कर दिया था।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 67 में जो हम संशोधन लेकर आये हैं...

श्री अध्यक्ष : पहले विचारार्थ तो स्वीकार कराऊं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-3 में एक संशोधन दिया है, तो स्पैलिंग इसकी गलत टाइप हो गयी थी, मैंने यहां संशोधित करा दिया है।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, आप तो बता दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): In Sub-clause (1-A) – (iv) Clause – 3 the existing word "Inferior" the word "Junior" shall be substituted. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है, आप स्वयं इस बात को मानेंगे कि इन्फीरियर का मतलब होता है, हीन भावना का। डिक्शनरी में भी इन्फीरियर को बताया है घटिया, निकृष्ट, निम्न स्तर का और जूनियर का अवर। हिन्दी में दोनों का मतलब, तो पहले भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई मंत्रीजी और ये बैठे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, पहली बात तो आपका यह संशोधन ही गलत है। क्योंकि आथोराइज्ड वर्शन तो हिन्दी में है और आपने अंग्रेजी में दिया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, इंग्लिश में ही है आथोराइज्ड।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, वह आथोराइज्ड ट्रांसलेशन है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले इंग्लिश में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर गलत दिया है तो विधान सभा सचिवालय को असैप्ट नहीं करना चाहिए था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आथोराइज्ड इंग्लिश में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आथोराइज्ड वर्शन है इंग्लिश में। मूल तो हिन्दी में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मूल एक्ट अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष: अंग्रेजी में है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपका मूल एक्ट अंग्रेजी में है।

अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस तरह की एक परिस्थिति आयी थी, जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे तो अजमेर में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का जब एक्ट आया था तो सरस्वती शब्द जोड़ने का हमने एक संशोधन दिया था। सदन में काफी चर्चा हुई और उस संशोधन को मान लिया गया था। आज भी रिकार्ड में मौजूद है।

श्री अध्यक्ष: मान लिया गया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि इन्फीरियर शब्द कुछ जमता नहीं है। सबआर्डिनेट हो सकता था, जूनियर हो सकता था। किसी भी वजह से, जैसे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्योंकि पुराने एक्ट में था इसलिये इसमें आ गया। हो सकता है, पुराने एक्ट में कोई गलत बात हो गयी हो तो अब हमको सुधार करना चाहिए। ये अंग्रेजी के वर्ड हैं सुपीरियर, इन्फीरियर। अपने यहां सीनियर, जूनियर हो सकते हैं। इसलिये मैं लम्बा समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करुंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए। वर्ना अगर अफसर यह सोचें, यह तो इन्फीरियर अफसर है। वह जमता नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसलिये मैं सरकार से भी निवेदन करुंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्षः अपमान सूचक भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है?

(समय 20.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो यह इनफीरियर के स्थान पर जूनियर रखने का प्रस्ताव पेश किया है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा-9 में आज भी इनफीरियर शब्द ही विद्यमान है। यह शब्द नया नहीं जोड़ा गया है। शब्दकोश में उक्त दोनों शब्द की परिभाषा को पुनः देख लिया गया है, 'Inferior' means lower in place, rank and excellence होता है, जबकि जूनियर is a younger person. Junior is known as a younger person. इसलिए यहां इनफीरियर शब्द ही अधिक उपयुक्त शब्द है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, सबआर्डिनेट करने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसे विद्यमान शिक्षा मंत्री बैठे है, गृह मंत्री बैठे हैं, सिंचाई मंत्री बैठे हैं, और यह बैठे हैं, और 9 बार के जीते हुए आप बैठे हैं, अगर आप इसको उचित समझते हैं तो मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन यह अगर पहले एक्ट में गलत है तो आप तो नया शब्द जोड़ रहे हो। इसको तो ठीक जोड़ दीजिए। यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय, अगर कहीं भी, कोई भी समय पर पता चलता है कि कोई गलत वर्ड आ गया है तो हमारा यह कर्तव्य है कि उसको ठीक करें। इसमें था? इसको आप यह मत लीजिए। कोई सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? इससे अभी विधेयक के ऊपर फर्क पड़ने वाला है? पहले भी इस तरह की बातें सरकार की तरफ से मानी गयी हैं, संशोधनों को माना गया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि आपके होते हुए इनफीरियर शब्द आए तो यह अच्छा नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वैसे सबआर्डिनेट में भी रैंक फिक्स होना चाहिए। हां, हां, मैं सही कह रहा हूं यह। सबआर्डिनेट में भी मिनिमम रैंक होनी चाहिए कि इस रैंक तक का ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इन मंत्री महोदय ने भी कह दिया है, वह सुना नहीं आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतने वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप फोर्थ क्लास को ही कर देंगे उस आफिसर की जगह पर। नोट बिलो द रैंक आफ ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार कहने की स्थिति में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच-दस मिनट के लिए विधान सभा को स्थगित कर दें आप और अधिकारियों से राय ले लें क्योंकि सरकार निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब खुद स्वयं आसन से कह दिया कि यह शब्द अच्छा नहीं लगता तो मैं मानता हूं कि सरकार को हठ नहीं करनी चाहिए। माननीय कटारियाजी, आप भी मौजूद थे इसी तरह से अजमेर विश्वविद्यालय की भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में बात मानी गयी थी, आज कोई नयी बात नहीं है यह। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह सोच लिया कि हम तो कुछ मानें ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए आपसे निवेदन है कि आसन की भावनाओं को देखते हुए भी आपको यह संशोधन मानना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्रीजी, दिक्कत क्या है? आपकी मौजूदगी में पहले भी माने गये हैं अगर किसी माननीय सदस्य ने न्यायोचित संशोधन दिया है तो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी बता दिया कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अब शाब्दिक अर्थ एक हो तो उसके बाद यह चूंकि अब से नहीं है, यह पुराना एक्ट है तब से है। कोई नया शब्द अभी हमने इण्ट्रोड्यूज नहीं किया। आपके समय में यही एक्ट में था। आपके समय में भी यही था और यही इन्फीरियर शब्द था। तब तो आपने अमैंडमैंट की बात नहीं की? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जूनियर के मायने है अवर, छोटा, अनुज, अवर विभाग, अवरता, कनिष्ठ। इन्फीरियरिटी के मायने मालूम हैं क्या डिक्शनरी में? इन्फीरियरिटी मीन्स निम्न स्तर का, निचला, अधोवृत्ति, घटिया, निकृष्ट। अगर आप अधिकारियों के यह भाषा, इन नामों से जनवाना चाहते हो तो यह आपकी मर्जी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी डिक्शनरी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई नया थोड़े ही शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शब्द हम लेकर आये हैं, यहां हर अमैंडमेंट पर कंफ्यूज करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप मार्केट में जो रहे हो, कहते हो सुपीरिया क्वालिटी का ही देना...(व्यवधान) इन्फीरियर क्वालिटी का नहीं चलेगा और आप एक्ट में...(व्यवधान) ठीक है, पहले सरकारों ने गलती कर होगी, आप भी गलती करेंगे क्या? या तो यह कहिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कटारिया साहब ने और घनश्यामजी ने कह दिया कि संशोधन होना चाहिए तो अब वह नहीं होने देंगे। वह अब नहीं होने देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह संसदीय कार्य मंत्रीजी ने तय कर लिया है, यह अब संस्कार वाले आदमी हैं ... (व्यवधान) जो यह सोचेंगे उसको यह पार नहीं पड़ने देंगे। यह सिद्ध कर रहे हैं इस बात को।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी तो आलोचना कर रहे हैं यहां पर शराब की ... (व्यवधान) आप इस व्यवसाय की इतनी तो आलोचना कर रहे थे, अब इन्फीरियर और जूनियर में क्या फर्क पड़ रहा है? जब वह शुरू से ही चलता आ रहा है तो ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह तो हमें भी पता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने संशोधन दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन है इसमें मुख्य मंत्रीजी से फोन करके पूछ लो कि इसमें क्या करना है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने कभी किये हैं क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राहत मंत्रीजी, इसलिए उनसे पूछ लें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सिंचाई मंत्रीजी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो बोलते हैं तो भी अपने आप ... (व्यवधान) आप उस दिन सदन में मौजूद थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने अपने समय में कभी अमैंडमेंट मंजूर किये हैं क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह स्वीकार किया है कि यह मान लिया जाए तो आज मानने में क्या बुराई है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन इन गृह मंत्रीजी और तिवाड़ीजी की वाजिब बात यह कभी नहीं मान सकते, यह तयशुदा बात है। इन्होंने कह दिया न ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजेक्ट करवाइये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप नाराज हो गये थे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया, स्थान ग्रहण करें। वैसे मैं समझती हूं कि शब्दों की अदला-बदली से कोई फर्क पड़ने वाला किसी तरह का भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एंटी-सोशल एक्टीविटीज बिल में भी नहीं माना था, आपको याद है, आप पूछने गये थे? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शब्द जब इतने वर्षों से चलता आ रहा है तो आज कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। जब हम इस पालिसी की इतनी क्रिटिसाइज कर चुके हैं तो इस शब्द से कोई ऐसा सैंस वह नहीं निकल रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको रिजेक्ट किया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो प्रोफेसर आदमी हो, साहब। आप तो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले आदमी रहे हो, आप इस तरह की बात कर रहे हो! (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भारत का संविधान 1950 में बना था, उसके बाद जैसे-जैसे आवश्यकता हुई, वैसे-वैसे उसमें अमैंडमेंट लाये गये। यदि कोई शब्द ऐसा है तो मैं नहीं समझती कि शब्द का परिवर्तन कर देने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा। फिर भी यदि माननीय मंत्रीजी को नहीं मंजूर है तो मैं वोट के लिए इसे पुट कर रही हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन श्री जुबेर खान ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ना पक्ष जीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता, डिवीजन करवाइये। नहीं, नहीं, करवाइये। जब ये बिलकुल हठ पर हैं तो इनका समय तो जाया होना चाहिए। इनका समय तो लगवाइये जब इतनी हठधर्मी कर रहे हैं। इनका समय तो जाया करवाइये। नहीं, इतनी हठधर्मी पर आ रहे है बिलकुल, तो वोट करवाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय की बात को भी नहीं मानने को तैयार हैं तो आप डिवीजन करवाइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप पर बहस का असर हो गया क्या इस पर, जो कह रहे हो वोट करवाओ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, अगर आप दोनों सामने नहीं बैठे होते न तो मैं इतनी जिद नहीं करता। आप लोगों के होते हुए भी इस तरह की बात अगर हो तो यह आपके अनुभव के लिए, आपके संस्कारों के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इस धंधे में यह शब्द ही ठीक है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कांग्रेस पार्टी में इस तरह से यह ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वे जिस तरीके से अपना समय गुजार रहे हैं, आप नहीं समझो तो वे क्या करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड-3 स्वीकार किया जाए? खंड-3 तो इनका ही था न? हां, खंड-3 खंड-4 से 11 कोई संशोधन नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह तो कराओ साहब, 3 स्वीकार किया जाएं, साहब, इसमें नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करा दिया न स्वीकार।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर, आपने इसको स्वीकार कहां करवाया?

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-4 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12, डाक्टर बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं चारों संशोधन एक साथ पढ़ दूं? एक ही खण्ड में है इसलिए पढ़ रहा हूं। एक ही खण्ड में हैं इसलिए पढ़ सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चारों नहीं, कैसे पढ़ेंगे? एक ही खण्ड में हैं क्या? एक ही खण्ड में हैं? एक में ही हैं तो पढ़ दो। पढ़ दीजिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे संशोधन इस प्रकार से हैं- (i) In sub-clause (e) (i) of clause–12 the existing word 'one year' the word 'five year' shall be substituted; (ii) the existing word 'three year' the word 'ten year' shall be substituted; (iii) the existing word 'ten thousand' the word 'twenty thousand' shall be substituted; and (iv) the existing word 'three lakh' the word 'five lakh' shall be substituted."

एक माननीय सदस्य : कल्लाजी, टाइम हो गया, आठ बज गये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कारण यह रखा है कि जो आपने सज़ा का प्रावधान किया है वह कम किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में मत बोलिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा है कि एक साल की जगह पांच साल की सज़ा का प्रावधान करें।

श्री अध्यक्ष: और कठोर बनाया जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तीन साल की सज़ा का जहां प्रावधान है वहां दस साल की सज़ा का प्रावधान हो। जो दस हजार के जुर्माने का प्रावधान है, उसकी जगह मैंने 20 हजार की व्यवस्था के लिए अपना संशोधन दिया है। जहां तीन लाख तक का जुर्माना है उसको पांच लाख तक करने की बात की है। यह इसलिए की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट टाइम का आपको एक सच्चा उदाहरण सुनाना चाहता हूं। गंगासिंहजी रोज दूध पीते थे और रोज दूध पीते थे तो वे कहते थे कि दूध का स्वाद ही नहीं आ रहा है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

दूध इतना पतला क्यों है? तो किसी ने सुझाव दिया कि साहब, दो इंस्पेक्टर लगा दो तो दूध अच्छा आने लगेगा। दो-तीन दिन बाद देखा कि दूध और पतला हो गया तो उन्होंने अपने जो भी सलाहकार थे उनकी मीटिंग बुलायी और बुलाकर कहा कि यह दूध और पतला क्यों हो गया, जबकि दो इंस्पेक्टर लगा दिये?

श्री अध्यक्ष: 2 और लगा दो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो उन्होंने कहा कि यह तो दूध पतला होना ही था। इसमें पहले जो हिस्से जाते थे रिश्वत के, उसमें दो हिस्से और बढ़ गये। तो मेरा मतलब यह है कि आप यह जो इल्लीसिट लिकर को अथवा इन कूट-रचनाओं को रोकना चाहते हो तो सज़ा का प्रावधान ज्यादा करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, सज़ा के डर से अपराध कम होंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय सदस्य द्वारा धारा 58-ए में शराब निर्माता एवं लाइसेंसधारी द्वारा मिलावट के अपराध के लिये प्रस्तावित सज़ा व जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संदर्भ में निवेदन है कि इस विधेयक के खण्ड 9 में नई धारा 54-बी जोड़कर जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु होने या शारीरिक अक्षमता या क्षति होने पर दोषी व्यक्तियों के लिये कठोर सज़ा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि खण्ड 12 में नई धारा 58-ए उक्त अपराध से कम गंभीर प्रकृति का है इसलिए इसके लिये अधिक सज़ा या जुर्माना रखने से एक विसंगति हो जाएगी। उदाहरणार्थ धारा 54-बी में न्यूनतम सज़ा दो वर्ष की है जबकि माननीय सदस्य ने धारा 58-ए में न्यूनतम सज़ा पांच वर्ष प्रस्तावित की है। अतः गंभीर प्रकृति के अपराध के लिये जो सज़ा या जुर्माना प्रस्तावित है इससे अधिक कम गंभीर प्रकृति के अपराध के लिये सज़ा या जुर्माना रखना न्यायसंगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 12 स्वीकार किया गया।

खण्ड 13 से 15, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 16 …(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें सब सैक्शन ई में सैकिण्ड में एक और अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 13 से 16 में आपका कोई संशोधन नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, इसी में सब सैक्शन ई, सैकण्ड "In sub-clause (e) (ii) shall be substituted as namely …"

श्री अध्यक्ष: 13 से 16 में कोई नहीं है आपका। कोई नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ई सैकण्ड में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सैकण्ड में है, आप दिखवा लें। ई सैकण्ड में है।

श्री अध्यक्ष: इसमें तो कोई नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ई सैकण्ड में है, दिया हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्लाज 12 में है और 12 पूरा रिजैक्ट हो गया।

श्री अध्यक्ष: 12 तो आप पहले बोल गये, उसमें थे न चार। व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले आपने बोला नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 12 का ई सैकण्ड में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 12 तो एक साथ हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऊपर चार वाले बोले थे। मैंने इसको नहीं बोला था।

श्री अध्यक्ष: चार वाले बोले थे लेकिन तब आपको बोलना था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 12 ई पहले आपने बोला नहीं। व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह ई सैकण्ड, इसके बारे में मैं अब प्रस्ताव रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 12 तो पारित हो गया, अब थोड़े ही होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ई सैकण्ड का बोलना था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बोला ही नहीं, क्या करें, प्रपोज ही नहीं किया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, 12 तो पारित हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप दोनों बहुत विद्वान हैं, आप बैठें अब। जब आपने यह कहा था कि मैं चारों एक साथ पेश कर दूं, तब मैंने कहा था आप चारों एक साथ पेश कर दीजिये। यह मैंने कहा था आपसे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ई सैकण्ड रह गया था न। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): रह गया, वह तो रह गया। अब रह गया तो रह गया।

श्री अध्यक्ष: खण्ड 13 से 16, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से 16 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले तो पारित कराओ। आप बोलो।

विधेयक का पारण

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने मुझे कहा था, एक्साइज पर बोलना।

श्री अध्यक्ष: हां, तो बोलो, मैं कब मना कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनका इलाज यही है कि इनको एक घण्टे और बिठाया जाए।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये, हेमारामजी।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आज पूरा डटकर बोल लो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): युनूस खान साहब, आप तो यहीं सुरक्षित हो। न तो अजमेर जाओ, न कोटा जाओ अभी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो रात भर यहीं बैठे रहो। बाहर खतरा रहता है, हमें थोड़े ही खतरा रहता है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): रात को भी यहीं रूकना है? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, यहां शराब की बात हो रही है, शराब बहुत खतरनाक चीज है। शराब पीने वाला आदमी दूसरे को भी नहीं सोने देता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अफीम के बारे में क्या विचार है आपका? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अभी बता रहा हूं। शराब पीने वाले खुद सोते नहीं, दूसरों को भी नहीं सोने देते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शराब पीने वाला उत्पात मचाता है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री अमराराम जी बैठे हैं, इनके वहां एक दिन मैं गया । इनके नीचे एक आदमी रहता है सर्वेन्ट क्वार्टर में, वह सड़क पर खड़ा था। यह भी मेरे साथ नीचे आ रहे थे। इन्होंने कहा, देखो, यह आदमी क्या कर रहा है। विधान सभा के गेट के सामने वह यूं कर रहा था, हे मेरी जगदम्बा! हे मेरी मैया! हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा था। अमरारामजी ने कहा यह क्या कह रहा है? मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। वह कह रहा है, हे मेरी जगदम्बा! हे मेरी मैया! एक ही रट सुन रहा हूं। बाकी मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। पर इसका मतलब क्या है? जगदम्बा मैया को याद कर रहा है। जगदम्बा मैया को याद क्यों कर रहा है ? उन्होंने कहा, यह पीया हुआ है इसलिए अब कह रहा है, हे मेरी जगदम्बा! हे मेरी मैया! हाथ इधर कहां कर रहा है ? मैंने कहा हां, हाथ तो इधर ही कर रहा है कि एक बार मुझे इसमें भेज दे। इस विधान सभा में भेज दे। इनको पूछ लो, मेरे साथ थे। एक बार तो मेरे को इस विधान सभा में भेज दे। तो मैंने इनको कहा, बेचारे का कल पास बनवाकर भेजो न विधान सभा में देखने

के लिये। वह कहने लगे, यूं नहीं, पास बनवाकर देखने को नहीं, जैसे आप और मैं जा रहे हैं, वैसे जाना चाहता है। अच्छा, एम.एल.ए. बनकर जाना चाहता है। दारू का नशा आने के बाद में वह किस तरह की बात करता है और दूसरों को कभी सोने नहीं देता। पीने वाले के पास आप सो नहीं सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह एम.एल.ए. बनना चाहता है, इसमें बुरी बात है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, अच्छी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अच्छी बात है न, तो मतलब शराब पीने के बाद में अच्छी बात सोचता है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, अच्छी बात है। उसने फिर अमरारामजी के पांव भी पकड़ लिये। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इतनी खराब चीज है फिर यह सरकार की तरफ से लोगों को मुहैया कराई जा रही है। जगह-जगह इसकी दुकानें हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है, सबको मालूम है। इससे ज्यादा खराब आप मानते हो, पोस्त डोडा, अफीम की बात कर रहे थे, मैं पोस्त डोडा की बात बताऊं। पोस्त डोडा को आप खराब मानते हो, सरकार मानती होगी, मैं नहीं मानता। लेकिन मैं आपको बताऊं, पोस्त डोडा का सेवन करने वाले सब गरीब आदमी है। आप सर्वे करवा लो, जांच करवा लो, बी पी एल वाले ही होंगे ज्यादातर। गांवों में भी हमारे पश्चिम राजस्थान में पोस्त डोडे के सेवन का ज्यादा प्रयोग होता है। पोस्त डोडे के सेवन करने का एक कारण यह भी है कि थोड़ा नशा भी आता है और लेते हैं उससे खेती में काम कुछ ज्यादा कर लेते हैं। दूसरा हमारे वहां पश्चिम राजस्थान में आंधियां चलती हैं, रेत बहुत उड़ती है, उसकी वजह से टीबी की ज्यादा समस्या है। यह टीबी की बीमारी सबसे ज्यादा पश्चिम राजस्थान में है। टीबी जिसको है उसको डोडा लेने से काफी राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है। टीबी वालों की जो दवाई है, यहां डाक्टर साहब बैठे हैं इनको पूछ लो, उसमें मोर्फिन होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): डाट्स आ गयी हैं। तीन महीने में टीबी ठीक हो जाती है। क्यों बेचारों को डोडा पोस्त् खिलाते हो टीबी के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, नहीं, मैं तो नहीं खिलाता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप डोडा पोस्त की कहो और फिर कल्ला साहब भांग के बारे में बताएंगे तो सब का गुणगान हो जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मत पिलाओ, बंद कर दो। या तो यह बंद ही कर दो। पोस्त डोडे का जो उत्पादक है काश्तकार, उससे आप किस भाव में खरीदते हो? आप कितने में खरीदते हो? उन काश्तकारों को कितने पैसे देते हो? बाड़मेर में जो पोस्ट डोडों का सेवन करने वाले हैं उनसे आप प्रति किलो कितने रुपये वसूल करते हो और कितने रुपये प्रति किलो आप काश्तकार को देते हो, यह आप देख लो। क्या यह ठीक है? क्या यह न्यायसंगत है? अगर ठीक और न्यायसंगत नहीं तो कितना अन्तर है? जमीन आसमान का अन्तर है। तो कहने का ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको भाव से ही मतलब है, रेट से ही मतलब है न? आपको नीतियों से और इनसे कोई मतलब नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): हां, नीतियों से कोई मतलब नहीं है, आप विराजो। हां, नीतियों का ठेका आपने ही ले रखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नीतियों के मामले में आपको कर रखा है न एक्साइज एक्ट का ...(व्यवधान) नीतियां देख रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) मैं तो चरित्रवान हूं और आप चरित्रहीन हो क्या? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीतियों की बात करते हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने इस बात को स्वीकार किया है क्या? (व्यवधान) हम तो चरित्रवान हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप डोडे बंद कर दो और आपने डोडे के ठेके क्यों किये?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सिद्धांततः क्या मानते हैं? सिद्धांतों की बात करो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): भाँग, डोडा, दारू क्या है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और हमारी मजबूरी यह है कि हम को पैसा ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोलने नहीं दे

(श्री हेमाराम चौधरी)

रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीतियों की बात कर रहे हैं, पोस्त, डोडे चित्तौड़, उदयपुर इधर होते हैं, वहां सप्लाई कौन कर रहा है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप तो भाव की बात करो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सप्लाई तो सरकार कर रही है। ठेकेदारों के माध्यम से सरकार वहां डोडों की सप्लाई करती है, दुकानें खुली हुई हैं ठेकेदारों की, उन दुकानों से ले जा सकते हैं। यह मोनोपोली आइटम है, यह बाजार में तो मिलता नहीं है। ठेकेदार के सिवाय आपको सौ ग्राम भी डोडा नहीं मिल सकता, इसलिए ठेकेदार की मोनोपोली है और ठेकेदार जो मन चाहे वो भाव वसूल करता है। मेरा प्रश्न यह है कि आप ठेकेदार को बाध्य नहीं कर सकते या उसके लिए कुछ लगाम नहीं लगा सकते कि, भाई, तू इतना पैसा लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। 100, 200, 400, 500, 600 कोई तो सीमा हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हेमारामजी, आप तो यह बताओ कि प्राइस कंट्रोल करने का कोई न कोई इलाज किया जाए। जो अनकंट्रोल प्राइस है, उसको रोका जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में खामख्वाह में टोकें तो नहीं कम से कम। यह क्या मतलब हुआ? आप क्यों खड़े होते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप यह कर दें, यह ठेकेदारों को नहीं देकर आपके फेयर प्राइस शाप्स हैं, आप गेहूं का वितरण कर रहे हैं, उसके माध्यम से डोडा के लाइसेंस होल्डर हैं उनको ही देते हैं तो आप उनके माध्यम से यह कीमत तय कर दें। 100 रुपये, 200 रुपये किलो कोई तय कर दें। अब 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये कोई कीमत है नहीं। यह बाड़मेर से, पश्चिमी साइड से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो ...(व्यवधान) कीमत कुछ है ही नहीं, ठेकेदार की मर्जी के ऊपर हो गया। क्या मतलब है, वो जो चाहे वो उनसे लेगा। कई बार तो क्या होता है कि वो उनसे कहता है कि आज डोडे हैं ही नहीं, उनके पास पड़े रहते हैं थोड़े-बहुत।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बोलूंगा जो आप बोल रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): तो आप मेरे को बोलने दो फिर बोल देना। आप मेरे को बोलने तो दो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे को सुन लो आप। (व्यवधान) मैं भी वही बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि एन.डी.पी.एस. एक्ट है , वह किसने बनाया कैसे बनाया, कितना प्रभावशाली है, वह सारी बात है।

श्री अध्यक्ष: काहे को आप बीच में बोलते हैं?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसके उपरान्त अभी जो हालात बन गये कुदरतन भाव के, जो डोडे के भाव हैं ...

श्री अध्यक्ष: डोडा कहां से आ गया?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह डोडा आ गया जब ही तो मैं भी निवेदन करूं, डोडे के भाव के बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डोडा, दारू और भांग ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हेमारामजी ने दे दिया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह डोडा, दारू, शराब, शार्ट कराओ, साहब, अब हो गया।

श्री अध्यक्ष: और कोई बोलना चाहेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना तो जवाब दिला दें आप, कोई कीमत तय हो।

श्री अध्यक्ष: दिला देंगे जवाब।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, कितने में आप खरीद रहे हैं और फिर हमारे को कितने में देंगे? कोई बता दो न। या यह कहो कि यह लूट ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलने दो फिर, और अब हम तो क्या कर सकते हैं। हम कह रहे हैं, यह लूट हो रही है।

श्री अध्यक्ष: हां, दिला देंगे। और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बोलना चाहते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप मेहरबानी करके इस लूट को बंद करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजेन्द्र सिंहजी, आपको नौ बजे से पहले आज इस सदन से जाने नहीं देना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बिल को पारण करने का जो वक्त होता है वह अहम होता है। मैं पुन: सरकार के सीनियर मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि जो संशोधन रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको उनको स्वीकार कर लेना चाहिए पुनर्विचार करके।

श्री अध्यक्ष : तो बात खतम हो गयी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने जिस समय जनमत जानने के लिए अपने विचार व्यक्त किये थे उस समय माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी से यह पूछा था कि जो आपने ब्रेवरीज कम्पनी बनायी है ...

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल लेने दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात गयी ...(व्यवधान) वोट हो गया।

श्री अध्यक्ष: वोट हो गया फिर भी बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार किसी भी स्टेज पर संशोधन ला सकती है। यह प्रावधान है नियमों में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो विधायकों की बेटियों की शादी है इसलिए कृपा करके जल्दी करा दो। (व्यवधान) कन्यादान देने जाना है सारे विधायकों को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खामख्वाह में खड़े होते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब यह तय हो गया कि संशोधन नहीं लाना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो, कोई बात नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका लिमिटेड स्कोप है, कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मुझे स्कोप मत बताओ, विराज जाओ आप।

श्री अध्यक्ष: इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कल्ला साहब आपसे ज्यादा समझते हैं, बोलने दो उनको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्कोप के बाहर जाएं, ठीक नहीं है बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जाने दो, आपको क्या है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमने थर्ड स्टेज के ऊपर तीन विश्वविद्यालयों में संशोधन कराया था। भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, तीन विश्वविद्यालयों में पारण के वक्त में हमने संशोधन कराये थे और उन्होंने माने थे। अब इनमें निर्णय करने की शक्ति तो है नहीं और स्कोप की बात करते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके कार्यकाल की भी बात थी, बताओ न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बेवरीज कम्पनी जो बनायी गयी है उसमें किन-किन फर्मों की कौन-कौनसी ब्रांड की शराब किस आधार पर खरीदी गयी, इसके बारे में मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, लचर दलील के आधार पर बात करते हो ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीर प्रसादजी, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, यह जो बिल आ रहा है इससे आप सहमत हैं न।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): हां, सहमत हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह कह रहा हूं कि आप लचर दलील दे रहे हो, आपके पास दलील नहीं हो, आप स्वयं उसमें लिप्त हों और उस अपराध से ग्रसित हो इसलिए बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप सहमत हैं तो मैं बैठ जाऊं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आप इससे सहमत मत हों, हम सारे सहमत हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप हमारे से मत सुनो, इसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो किसी से त्रस्त नहीं हैं। यह बिल आ रहा है, आप इससे सहमत हैं न? आप कह दो, हैं, हम बैठ जाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने तो व्हिप जारी किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): व्हिप से बंधे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब व्हिप से बंधे हुए हैं, सहमत नहीं हैं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना नहीं है हम ज्यादा समय लें इसलिए एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का वातावरण, राजस्थान में जिस तरह की दुकानें, दुकानें-दर-दुकानें खोली जा रही हैं, यह उचित बात नहीं है। राजस्थान में मैं यह मानता हूं कि पहले से भी आबकारी नीतियां रही हैं, शराब की दुकानें भी रही हैं, इससे रेवेन्यू भी अच्छा-खासा आता है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए।

आज स्थिति यह है कि कोई कैरियर, जो बेचारा नौकरी करता है डेढ़-दो हजार की, अगर वो ले जाता पकड़ा गया तो उसको सज़ा भी होगी, पैनल्टी भी होगी। और जो बड़ी मछलियां यह धंधा कराती हैं, परदे के पीछे बैठ कर टेलीफोन से जो कराते हैं, आज तक आप इनसे पूछिये कि कोई बड़ा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ है क्या? यह होगा नहीं। अगर इच्छा-शक्ति है सरकार की तो यह करे। चोर को क्यों, चोर की मां को क्यों नहीं पकड़ते? यह जो बेचारे टैक्सी चलाते हैं, जो बेचारे सेल्समैनी करते हैं यह क्या कहीं से तस्करी करेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): चोर की मां केन्द्र में बैठी हुई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तस्करी करने वाले बड़े-बड़े शराब माफिया कराते हैं। आज आप देख लीजिए ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी, अब तो पारित कराओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वयं सोनिया गांधीजी ने स्वीकार किया है। प्रधान मंत्री पर अंकुश लगाने की बात कही है ...(व्यवधान) महंगाई पर अंकुश ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन की सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो सकती, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सदस्य नहीं हैं ...(व्यवधान) आरोप लगाएंगे फिर आप कहेंगे गलत है। (व्यवधान) महावीरजी से कहिये, यह शांत बैठ जाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई भी शब्द कहने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान) हम फिर कहेंगे, आपके पार्टी के अध्यक्ष के कहने से सब हुए हैं क्या दारू के टेण्डर ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप उनके सामने बैठे रहे (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके बी.जे.पी. के अध्यक्ष के कहने से दारू के टेण्डर हुए, राजनाथ सिंहजी के कहने से, आप क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सोनियाजी की तारीफ की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तारीफ कर रहा हूं मैं तो आपकी।

श्री अध्यक्ष: तारीफ की है कि सोनियाजी ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कहा है। तारीफ की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो सदस्य नहीं है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तारीफ भी नहीं कर सकते?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, कोई चर्चा ही नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हम नाम भी नहीं ले सकते?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल, चर्चा नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ऐसी क्या नाराजगी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप चर्चा करोगे तो हम को ज्यादा चर्चा करना आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी में जो भी शराब खरीदी गयी है उसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, इनकी विद्वता को पूरा ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): राष्ट्र जानता है।

श्री अध्यक्षः सम्मान देते हुए।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): विधान सभा के सभी सदस्य मानते हैं परन्तु आज एक बहुत बड़ा आश्चर्य और बहुत गूढ़ रहस्य के बारे में, विशेषकर मैं इनका गुरु हूं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि एक्साइज के बारे में इतना इनको रहस्य मालूम है। यह आज ही हमें पता पड़ा है।

श्री अध्यक्षः क्या रहस्य?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): इतना गूढ़ रहस्य और इतना अनुभव इनको है, यह आज जान पाया हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आप ऐसी व्यवस्था जरूर करिये कि जो बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जो परदे के पीछे रह कर कालाबाजारी, तस्करी करते हैं, आज आपको मालूम नहीं है क्या कि गुजरात में शराब कहां से जा रही है, सबसे ज्यादा शराब दमन के बाद जा रही है तो राजस्थान से जा रही है। आज हरियाणा से अगर शराब कहीं आ रही है तस्करी की सबसे ज्यादा राजस्थान में आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं। अगर आप में इच्छा-शक्ति है तो उनको रोक कर दिखाइये तब तो यह जो आप संशोधन ला रहे हैं इसका कोई महत्व होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह केन्द्रीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यह मतलब इन्टर स्टेट ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह स्टेट का मामला है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह स्टेट का मामला है। (व्यवधान) आपको याद ही नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर स्टेट का मामला नहीं होता तो आप ऐसे नहीं एम.आई. रोड़ पर कई महाराजा वाइन्स और महारानी वाइन्स बना देते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है केन्द्र इण्टरफियर नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर यह केन्द्र का मामला होता तो एम.आई. रोड पर महाराजा वाइन्स, महारानी वाइन्स नहीं खुलते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो निरुत्तर हो गये आपके गृह मंत्री कि हम कुछ नहीं और गर्दन नीचे कर दी उन्होंने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब आप पूरे आर.एस.एस. वाले अकेले संसदीय मंत्रीजी को नहीं रोक पा रहे, हम गृह मंत्रीजी को कैसे रोकेंगे, भाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप नहीं रोक सकते न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब आप ही नहीं रोक पा रहे, यहां इस सदन में हम कैसे रोकेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, वो खुद ही नहीं रुक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमको तो किसी को रोकना ही नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमसे तो संस्कार की बात करने वाले, दारूखोरों से दूर से निकलने वाले आप ही नहीं मान रहे हो, औरों को क्या मनाएंगे हम?

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, विराजो आप अपने स्थान पर।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि आपकी भावना जानता हूं, सरकार को कहना है इस एक्ट को जो आप ला रहे हैं, सही मायने में जो इसके दोषी हैं और जो इसको कराते हैं उनका अगर गिरहबान पकड़ोगे, उनके ऊपर अंकुश लगाओगे तो सही मायने में यह एक्ट और संशोधन लाने की कोई सार्थकता होगी। नहीं तो वही ड्राइवर, कंडक्टर, सेल्समैन, गरीब आदमी उनको परेशान करने का होगा। मैं यही चाहता हूं कि सरकार इस एक्ट को जो लाई है, सही मायने में उन लोगों पर अंकुश लगाए जो इसकी जननी है, जो इसका संचालन कर रहे हैं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अफीम और डोडा पोस्त के बारे में बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा.....

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले क्यों नहीं बोले तो? मंत्रीजी दो मिनट उन्हें भी अपनी बात कह लेने दो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं बहुत देर से हाथ खड़ा करके बैठा था।

श्री अध्यक्षः हां तो ठीक है, आई कैच करने की कोशिश किया करें आप, हाथ नहीं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं मेरी बात का सरकार पर कोई असर होना नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप बोलें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): परन्तु फिर भी मैं मेरी भावना सदन में व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं जिस इलाके से आता हूं उधर से ही आप आते हैं, वहां की परिस्थितियां भी जानते हैं। इसमें काम में लिया गया है ताड़ी शब्द, राजस्थान में कहीं ताड़ी से कच्ची शराब निकलती हो, मैंने तो देखी नहीं। महुवे के फूल से जो शराब निकलती है वह दक्षिणी राजस्थान में अमूमन है। इस काले कानून का सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा उन गरीब लोगों पर जो पहले जमाने से ही अपने घर में शादी ब्याह, मरण मौत किसी भी त्यौहार पर जो में चार-पांच बोतल कच्ची शराब निकालकर महुवे के फूल की, अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम को सम्पन्न करवाते हैं, उन लोगों पर असर पड़ेगा। क्योंकि इसमें प्रावधान किया है, कि चार बोतल तक एक वर्ड है दूसरा ताड़ी का। ताड़ी का राजस्थान में कहीं निकलता नहीं है, महुवे का निकलता है कच्चा गरीब लोग जो सौ, दौ सौ और तीन सौ रुपये वाली बोतल काम में नहीं ले पाते हैं, दस बीस रुपए वाली बोतल से काम चलाते हैं उन लोगों को अन्दर करेंगे, उनके मुकदमे बनेंगे। तीन महीने से लेकर तीन साल का जो प्रावधान किया है उसका सीधा असर उन्हीं पर पड़ना है और ढाई-ढाई लाख रुपये जो पैनल्टी की है, सीधा उन पर असर पड़ेगा। अगर सरकार इसमें भी कुछ विचार कर सकती है तो अभी करे।

इसके अलावा भी एक और प्रावधान किया है, ट्राइबल सब प्लान इलाके में सेण्ट्रल गवर्नमेंट के टेम्परेंस प्रोग्राम चलता है। पिछली बार भी मैं बहुत चिल्लाया फिर भी आप नहीं माने, आपने लागू कर दिया। जहां 69 दुकानें थीं गंगानगर शुगर मिल की, वहां तीन सौ कर दी होंगी। अभी आपने जरूर इतना किया है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा दो जिलों में तो आपने गंगानगर शुगर मिल की पुरानी व्यवस्था कायम की। परन्तु उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही जिले के भी इलाके हैं, नौ विधान सभा क्षेत्र आते हैं ट्राइबलों के, इसका मतलब ट्राइबल सब प्लान इलाके का आधा हिस्सा तो आपने पुरानी व्यवस्था में रखा, आधा हिस्सा अभी ठेकेदारों के हवाले है। तो क्या आप यह नहीं मानते हैं, खैरवाड़ा, सराड़ा,

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सलूम्बर और धरियावद में या प्रतापगढ़ में सिरोही पिण्डवाडा में गरीब लोग रहते हैं? और गंगानगर शुगर मिल का सिस्टम वहां नहीं करवाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा, मंत्रीजी इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें। किशनगंज, शाहबाद यह जो इलाके हैं अभी कनकमल जी कटारा भी उसी क्षेत्र से हैं, मजबूरी है व्हिप से ये भी बंधे हुए हैं, वर्ना इनकी आत्मा अन्दर रो रही होगी इस कानून से। यहां अगर इनको खड़ा कर दो तो यह निश्चित तौर पर यही कहेंगे। भवानीजी भी यही कहेंगे और वह भी यही कहेंगे कटारिया साहब को अगर कहेंगे तो वह भी यही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं।

आपके माध्यम से मैं निवेदन ही कर सकता हूं सरकार को क्योंकि सरकार तो व्हिप से बंधी हुई है, इसलिए वह तो कहीं मानने वाली है नहीं, परन्तु हम इस सदन के फ्लोर से हमारी भावनाएं व्यक्त करके आम जनता के हित की बात यहां कहना चाह रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा सरकार इस बारे में विचार करे।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई आबकारी नीति आने के बाद जो शराब माफिया राजस्थान के अन्दर था, उसको हमने तोड़ा, हमारा राजस्व बढ़ा। एक नई आबकारी नीति लागू होते ही 250 करोड़ रुपए का राजस्व के अन्दर इजाफा हुआ। इसके साथ ही हमने एक समानान्तर सरकार जो चलती थी शराब माफियाओं की, उसकी कमर तोड़कर लगभग पचास हजार युवाओं को रोजगार दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी नाथद्वारा से और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मैन्यूफैक्चरर के बारे में बात बताई, उस बारे में मैं कहना चाहूंगा, किसी भी मैन्यूफैक्चरर को माल बेचने का एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिया गया है। कोई भी निर्माता आर एस बी सी एल के माध्यम से अपने माल को बेच सकता है। प्रस्तावित संशोधनों में से कोई भी संशोधन आर.एस.बी.सी.एल. बाबत नहीं है। देश के लगभग सभी प्रमुख निर्माता के ब्रांड आर.एस.बी.सी.एल. में उपलब्ध हैं। इन ब्रांड्स की संख्या लगभग 210 है। मैं आपको बताऊंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर एस बी सी एल आज सबसे मिनिमम रेट के अन्दर शराब ले रही है, पूरे इण्डिया के अन्दर सबसे मिनिमम रेट पर। दिल्ली से भी कम रेट पर शराब हमारे यहां पर आर एस बी सी एल द्वारा ली जा रही है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने डोडा पोस्त के बारे में जो बात उठाई, उसके बारे में निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि डोडा पोस्त, अफीम की खेती करने की परमिशन हमको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देता है। वर्ष 2003-04 में अफीम काश्तकारों को डोडा पोस्त का भुगतान छह रुपए किलो की दर से किया जा रहा था, हमारी सरकार आने के बाद इसको हमने बढ़ाकर पन्द्रह रुपए प्रति किलो किया। वर्ष 2003-04 में एरिया जिसके अन्दर अफीम की खेती होती थी, वह 9,300 हैक्टेयर था। उसको घटाकर केन्द्रीय सरकार के नारकोटिक्स विभाग ने 2800 हैक्टेयर कर दिया जिसकी वजह से जो समस्या आप बता रहे हैं विशेषकर बाड़मेर और जोधपुर जिले के अन्दर, मुझे भी आज से चार पाँच दिन पूर्व ....

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप तो पन्द्रह रुपये में खरीदते हो, वहां पर आपको मालूम है, रेट क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ रहे हैं, रेट पर आ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): तो जो हैक्टेयर घटाया उसकी वजह से उत्पादन कम हुआ। मैं बताना चाहूंगा, अभी आठ-दस दिन पूर्व जोधपुर, बीकानेर संभाग के प्रतिनिधिमण्डल मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बताया तो हमने तुरन्त मध्यप्रदेश से एक फिक्स क्वांटिटी की इसके आयात के लिए परमिशन दी, जिससे यह जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर कण्ट्रोल हुआ। दूसरा, वर्ष 2006-07 में डोडा पोस्त थोक व खुदरा दुकानों की लाइसेंस फी 58 करोड़ 27 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। डोडा पोस्त पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आबकारी शुल्क है, यह हम आबकारी शुल्क वसूल कर रहे हैं। पंजाब व हरियाणा में काफी संख्या में डोडा पोस्त के व्यसनी हैं पर उन राज्यों में इसकी खपत, आयात को नियंत्रित करने बाबत कोई प्रावधान नहीं है । इन राज्यों में डोडा पोस्त की पैदावार भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह आप पन्द्रह में खरीद रहे हैं, ठेकेदार 600 बेच रहा है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सौ ले लो, दो सौ ले लो। हम कह रहे हैं, आप पन्द्रह उनको दे रहे हो पैंतीस आपकी एक्साइज ड्यूटी, पचास रुपए हुए न, पचास ठेकेदार का प्रोफिट मान लो, सौ रुपये ले लो, दौ सौ रुपये ले

(श्री हेमाराम चौधरी)

लो, तीन सौ चार सौ रुपये ले लो, कहीं तो इस पर कोई लगाम लगाओ। (व्यवधान) छह सौ रुपये में, उसमें भी सौ ग्राम कम तोलकर देता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। दस ग्राम खोटा तोलता है। यहां बैठे हैं बाड़मेर वाले, सौ ग्राम खोटा और मिलावट करता है, सौ ग्राम कचरा मिलाता है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसके ऊपर कोई न कोई नियंत्रण करना चाहिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब तो तगारामजी ने भी कह दिया, अब तो मान लो।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा महुवे की शराब बनाने की अनुमति के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि महुवे से शराब की अनुमति न तो पहले दी और न ही इस बाबत कोई संशोधन के माध्यम से कोई नया प्रावधान प्रस्तावित है। मदिरा कब्जे में रख सकने की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल के बारे में भी बात आयी। इसके बारे में कहा गया कि गंगानगर शुगर मिल से देशी मदिरा का काम छीन लिया गया है। यह बिलकुल गलत है। इस वर्ष जी.एस.एम. ने लगभग 53 प्रतिशत व प्राइवेट डिस्टलर्स ने 47 प्रतिशत शराब सप्लाई की है। चूंकि प्राइवेट डिस्टलर्स 205 से 220 रुपए प्रति पेटी की दर से जी.एस.एम. को उपलब्ध करवाते हैं तथा जी.एस.एम. 285 प्रति पेटी की दर से ठेकेदारों को सप्लाई करता है। अंतः इसमें भी जी.एस.एम; के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जिस प्रकार रेवेन्यू के अन्दर इस नयी पालिसी से एक इजाफा हुआ है, साथ ही सदन के अन्दर बार बार यह मांग उठायी गयी है कि शराब की दुकानें बढ़ गयी हैं, दुकानें बढ़ गयी हैं, कम की जाएं तो इस नये आबकारी बंदोबस्त के अन्दर हमने अब की बार 540 शराब की दुकानें कम करने का प्रावधान किया है। बार-बार इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि उस गली के अन्दर दुकान खुल गयी, उस गली के अन्दर दुकान खुल गयी, इसलिये हमने 546 दुकानों को कम करके जिन दुकानों के बारे में हमको आपत्ति मिली है क्योंकि दुकान जब खुलती है, जिला लेवल पर एक कमेटी बना रखी है उसके अन्दर माननीय विधायक भी होते हैं, तो आप लोगों ने जो-जो आपत्तियां दर्ज करा रखी हैं, जो-जो अब इस प्रकार की दुकानें हैं उनको बंद करने का पूरा-पूरा हमारा विचार है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

डोडा, पोस्त के बारे में जो अभी माननीय सदस्य ने रेट के बारे में कहा, डोडा, पोस्त की खपत 20000 क्विंटल ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): स्कूल, कालेज, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे के पास जो दुकानें हैं उनको तो कृपया बंद करें।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): बिलकुल। बिलकुल उनको ले लिया है। डोडा, पोस्त की खपत बीस हजार क्विंटल, प्रति किलोग्राम फीस 290 बनती है। आबकारी शुल्क 35 रुपये और उसका मूल्य है 15 रुपये। ऐसा करके 340 रुपये के हिसाब से इसको दिया जाता है। यह इसका पूरा विवरण है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप 400 ले लो, 340 की जगह ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय, अब 700, 800 रुपये में बेच रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, आप 340 रुपये में कह रहे हो, तो 60 रुपये ठेकेदार के प्राफिट के मान लो और आप 400 में दे दो कि आज 400 से ज्यादा कोई नहीं ले सकेगा, सही तौल करेगा। सौ ग्राम खोटा तौलता है वह भी नहीं तौले। उसके अन्दर मिलावट करता है सौ ग्राम कच्चा-पक्का मिला देता है, वह नहीं मिलाए। मिलावट जो करेगा उसको सजा मिलेगी। खोटा तौलेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। आपके सत्ता पक्ष के सदस्य भी बैठे हैं अगर मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो यह खड़े होकर कह दें कि हेमाराम क्या बोल रहा है इसलिये इसकी बात मत सुनो। अगर सही है तो सुनो। सुनते ही नहीं हो, यह कौनसी बात हुई ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय, हमारी इतनी प्रार्थना है, इनकी प्राइस कण्ट्रोल की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डोडा, पोस्त की कीमत की चिन्ता आज बहुत हो रही है, जब कांग्रेस का शासन था एक हजार रुपये किलोग्राम डोडा-पोस्त राजस्थान में बिका करता था। फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने पूरी बात बता दी कि 58 करोड़ रुपये इसकी चूंकि लाइसेंस फीस बनती है, बीस हजार क्विंटल के लगभग इसकी खपत होती है, इन सबको निकालकर आपने प्रति ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): कांग्रेस के टाइम में डोडे क्या भाव मिलते थे और आज क्या भाव मिलते हैं, यह भी तो पता कर लेना आप। कहने से नहीं होगा। आपने यूं ही ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर भी, अध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं कि डोडा-पोस्त की कीमत में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है, पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर इसमें जो बन सकेगा, निश्चित तौर पर किया जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्राइस कण्ट्रोल ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, आपने कहा कि 600 के करीब दुकानें बंद कीं, इसमें ऐसी कौनसी दुकानें हैं जो घाटे की थीं और प्रोफिट की कितनी बंद कीं, यह बता दीजिये आप?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बायतू आयी थीं, यह बाड़मेर एम.एल.ए. साहब बैठे हैं, डूडी साहब वहां थे इंचार्ज मिनिस्टर, इनको पूछो, डोडा वालो का डेलीगेशन मिला कि नहीं मिला ? पहले इनसे मिला, फिर मुख्य मंत्रीजी से मिला। उस समय डोडों के भाव थे 400 रुपये, तो वे चिल्लाए कि 400 हो गये, चार सौ हो गये। मुख्य मंत्रीजी वहां से जयपुर आयीं, उन्होंने सोचा, अब चार सौ के तीन सौ होंगे तो उसके बाद में ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आपकी बात हो गयी, माननीय सदस्य महोदय। केवल आपके हलके में ही नहीं है, हमारे यहां भी लोग काम में लेते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अब 600 तो भाव कर दिया। 600 में भी मिलते नहीं हैं। अब तो 700, 800, 900 में तथा खोटे तौलना, मिलावट करना बहुत हो रहा है। बाकी आप जानो, आपकी जंचे वैसे करो। कांग्रेस ने किया इसलिये आपको करना जरूरी है, लाजिमी है तो करो। कोई बात नहीं। इसलिये यह जरूरी है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं ऐसी कोई, आपको माननीय मंत्रीजी ने कह दिया जो भी हो सकता है सारी जानकारी लेने के बाद करेंगे। दूसरा आपको पता है पहले डोडे कोई सूंघता नहीं था। अफीम आती-जाती थी। खाकले की तरह यह खेत में जलाया जाता था। जैसे-जैसे हमारे गांव के गरीब आदमी उपभोग करने लगे है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पर अब तो जरूरत है न?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उसके बाद डोडों के टेण्डर होने लगे, ठेके होने लगे। बाकी आपकी जानकारी में होना चाहिये, चित्तौड़ के और उधर के माननीय सदस्य जानते हैं कि इनको जलाते थे, गांवों में कोई काम में नहीं लेता था।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हां, जलाते थे, मुझे मालूम है। आज जी एस एस के मार्फत दिला दो। एक बड़ी शॉप के साथ में ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसलिये प्राइस कण्ट्रोल करना जरूरी है जो इनके कार्य ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी शंका का समाधान करूं। इस सारी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो कल्लाजी कर सकते हैं। राजस्थान में डोडा-पोस्त का विक्रय करने का एकाधिकार किसी के पास है तो वह चित्तौड़गढ़ के पूर्व शासक उदय लालजी के पास है और पूरा राजस्थान जानता है, उदय लालजी इनके बहुत शिष्य हैं इसलिये समस्या का समाधान तो आपकी पार्टी के अन्दर ही है। इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, 325 रुपये किलो के हिसाब से और इस पर प्रभार भी बताया है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सरकार आपकी और आपके पास समाधान नहीं है। इसका समाधान हमारे पास है। हमारी पार्टी वाले लूट करके खावें, आप देखते रहो। आपको सत्ता दे दी, आपको सत्ता देने के बाद भी हमारी पार्टी वाले लूट करके खाएं, आप बैठे देखते रहें। आप यह कह कर बचना चाहो अपने उत्तरदायित्व से तो आप इस तरह से अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। आपको तकलीफ पड़ेगी। आप देखना, अगली बार जो आएगी ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ब्रेवरीज कम्पनी वाले सब आपके चेले हैं। शराब को बड़ी ऊंची कीमतों में बिकवा रहे हो और करोड़ों रुपया जीम रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो रकबा है, 9300 हैक्टेयर में डोडा-पोस्त हुआ करता था। अफीम की खेती हुआ करती थी 9300 हैक्टेयर में। वह कम होकर 2800 में हो गयी। भारत सरकार ने अब अफीम की खेती का रकबा कम कर दिया तो मांग और आपूर्ति के अन्दर अंतर बढ़ना ही बढ़ना

था। फिर भी माननीय सदस्यों की चिन्ता है, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन मिला हुआ है, यहां सारी बात आ गयी, उन सारे तथ्यों की जानकारी करके निश्चित तौर पर जो भी समुचित समाधान होना चाहिये उसको करने के सरकार प्रयास करेगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इसमें मांग और आपूर्ति की बात का, जो भी देओ उसकी एक रेट, कम मिलेंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इसलिये भी कि कुछ हैक्टेयर तो कम करते हैं। आपके पास में कल्लाजी बैठे हैं इनसे ही कर लो न बात। इनसे ही कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या कुछ कोशिश करोगे ? मित्रता ही निभाओगे या कोशिश करोगे कुछ ? हमने कहा, आप अपने मित्र से मित्रता ही निभाओगे या कोशिश करोगे ?

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने तो प्रस्ताव ही नहीं किया पास करने का ... (व्यवधान) प्रस्ताव तो कराइये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जो भाव तय करोगे उस भाव में बिकेंगे। आप यह मैलाइन करने की कोशिश मत करो। ब्रेवरीज कम्पनी किस-किस के ठेके बिक रहे हैं? अरबों रुपये खा गयी आपकी गवर्नमेंट ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर कह रहे हो आप ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कोई टेण्डर नहीं किये हैं। आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। आपने कोई क्लैरीफाई नहीं किया। कोई स्टेट लेवल के अन्दर ... (व्यवधान) काम नहीं किया है। करोड़ों रुपये जीम गये। आपने क्या-क्या किया है वह तो आपके दल के लोग भी जानते हैं और वह भी बहुत दुःखी हैं। पर डोडा-पोस्त का कोई घोटाला करता है तो सरकार फौरन सींखचों में बंद कर दे। हमें किसी से कोई मित्रता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने एकाधिकार तोड़ा है। हमने लाइसेंस की दुकानें ... (व्यवधान) विकेन्द्रीकरण का काम किया है ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसको पारित कराइये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जनता को लूटने वाले की कोई पार्टी नहीं होती। आपको पार्टी से क्या लेना-देना। आपको तो लूटने वाले की लूट बंद करनी चाहिये। आप पार्टी का नाम लेकर यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले की जहां तक बात है...(व्यवधान) चित्तौड़ और बीकानेर के ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के सबसे बड़े माफिया हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 9 मार्च, 2007 के मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.48 बजे दिनांक 9 मार्च, 2007 के 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगरार के ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास सड़क निर्माण

98. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के किस-किस गांव में बाईपास सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? तखमीना सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम डिण्डोली, रूद, भीमगढ़, मुरोली, ऊंचा में बाई पास सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। गंगरार विधान सभा क्षेत्र में किसी भी गांव के बाईपास का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। ग्राम डिण्डोली, ग्राम रूद, ग्राम भीमगढ़, ग्राम मुरोली, ग्राम ऊंचा में यातायात को देखते हुए बाईपास का निर्माण आवश्यक नहीं है।

निवाई के उपस्वास्थ्य केन्द्रों को आबंटित राशि

99. श्री हीरालाल (निवाई):- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2006-07 में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबंटित राशि में से किस-किस केन्द्र ने कितनी राशि राशि का किस-किस कार्य के लिए उपयोग किया? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2006-07 विधान सभा क्षेत्र निवाई के सभी 48 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को 10 हजार रुपये प्रति केन्द्र की दर से कुल 4.80 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

वर्ष 2005-06 में भी सभी 48 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को 10 हजार रुपये प्रति केन्द्र की दर से कुल 4.80 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के सभी 48 उपकेन्द्रों को आबंटित कुल राशि 9.60 लाख रुपये में से अब तक 2 लाख 12 हजार 571 रुपये का उपयोग किया जा चुका है जिसका केन्द्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर धनराशि का उपयोग इनके भवन में सुधार नल व बिजली की फिटिंग, आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय तथा मरम्मत, आई.ई.सी. गतिविधियों, प्रसव आदि के लिए आवश्यक दवाईयों के क्रय हेतु किया गया है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपकेन्द्रों को वर्ष 2005-06 व 2006-07 में आबंटित राशि व व्यय का विवरण

क्र.सं.	पीएचसी का नाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जमा राशि	व्यय	शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	डारडातुर्की	सोयला	20000	12600	7400
2		हाडीकला	20000	11300	8700
3	पराना	मंडावर	20000	5212	14788
4		चिरोज	20000	10040	9960
5		बरोनी	20000	12654	7346
6		हथोना	20000	7356	12644
7	अह.पु. चौकी	देवपुरा	20000	13915	6085
8		कररिया	20000	3228	16772
9	अर. केदार	चुराडा	20000	1000	19000
10	सहोली	चतुरभुजपुरा	20000	0	20000
11		सुनारा	20000	0	20000
12		पलाई	20000	8555	11445
13		जलियाबाग	20000	9580	10320
14		हनोथिया	20000	2450	17550
15		बिडोली	20000	7600	12400
16		जोधपुरिया	20000	60	19940

1	2	3	4	5	6
17	डागरथल	रजवास	20000	4210	15790
18		बनस्थली	20000	17324	2676
19		खण्डदेवत	20000	13203	6797
20		सोदड़ा	20000	2000	18000
21	चनानी	काचरिया	20000	3500	16500
22		हरयवाला	20000	2362	17638
23		लहारा	20000	5418	14582
24		बीचपुडी	20000	485	19515
25		मूडिया	20000	6690	13310
26		गुन्सी	20000	2395	17605
27	दतावास	करेड़ा	20000	1050	18950
28		बडागांव	20000	1250	18750
29		नयागांव	20000	0	20000
30		शिवपुरा	20000	1000	19000
31		हरलोद	20000	0	20000
32		हिंगोनिया	20000	0	20000
33		तुर्कीया	20000	0	20000
34		अरनिया	20000	0	20000
35	झिलाय	खिडगी	20000	3188	16812
36		चैनपुरा	20000	4380	15620
37		जुगुलपुरा	20000	1612	18388
38		सिन्दरा	20000	11437	8563
39		सिरोही	20000	1274	18726
40		ललवाड़ी	20000	7913	12087
41		भरथला	20000	284	19716
42		जामडोली	20000	1500	18500
43		नोहड़ा	20000	4598	15402
44	सिरस	पहाड़ी	20000	189	19311
45		नला	20000	573	19427
46		भटवाड़ा	20000	5890	14110
47		बस्सी	20000	1194	18806
48		बहड़	20000	1192	18808
		कुल राशि	**960000**	**212571**	**747729**

बीसलपुर परियोजना से विधान सभा क्षेत्र नैनवां के ग्रामों को सिंचाई सुविधा

100. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर सिंचाई परियोजना के निर्माण के समय प्रस्तावित मूल योजना में नैनवां तहसील के 59 गांव शामिल किये गये थे? यदि हां, तो किस आधार पर नैनवां तहसील के उक्त गांवो को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया गया?

(2) क्या सरकार नैनवां तहसील के बीसलपुर सिंचाई परियोजना से वंचित गांवों को इस योजना से पुनः सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में तहसील नैनवां में धरने, प्रदर्शन आदि किये गये थे तथा किसानों की अन्य समस्याओं के संबंध में जिला प्रमुख, बूंदी के साथ अन्य 11 व्यक्ति कोटा सी.ए.डी. सर्किल पर धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे थे?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2007 को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये चर्चा हेतु जिला प्रमुख एवं अन्य लोगों को वार्तालाप का निमंत्रण भेजा गया था? यदि हां, तो वार्ता का क्या नतीजा रहा एवं सरकार वार्ता में लिए निर्णयानुसार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख, बूंदी एवं अन्य लोग उपस्थित हुए। जीर्णशीर्ण नहरों से रिसाव रोकने, जल उपभोक्ता संगठनों को अधिकार सम्पन्न बनाने व नहर पक्की कराने सम्बन्धी बातें रखी जिन पर कार्यवाही पूर्व से की जा रही है।

मिड-डे मील योजनान्तर्गत प्राप्त राशि/लाभान्वित छात्र

101. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अक्षय पात्र योजना (मिड-डे मील) चालू है? यदि हां, तो कब से व उक्त योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

(2) उक्त अक्षय पात्र योजना में सरकार द्वारा कब-कब कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अक्षय पात्र योजना (मिड-डे-मील) में राज्य व राष्ट्र के बाहर से किन-किन लोगों व संस्थाओं से कितनी-कितनी सहायता नकद व अन्य रूप में प्राप्त हुई? संस्था व व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में कुल कितना खर्च हो रहा है व कितने बच्चे लाभन्वित हो रहे हैं? मासिक खर्च एवं लाभान्वित बच्चों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अक्षय पात्र योजना (मिड-डे मील) नाम से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा मिड-डे मील योजना चलाई जा रही है। मिड-डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा जयपुर, नाथद्वारा एवं बारां जिले के कुछ विद्यालयों में मिड-डे मील उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।

अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा जयपुर में यह कार्य दिनांक 18.2.05 नाथद्वारा में दिनांक 23.9.06 एवं बारां में दिनांक 15.2.05 से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। अक्षय पात्र फाउण्डेशन को कोई राशि अनुदान के रूप में नहीं दी गयी है।

अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के जितने छात्रों को मिड-डे मील दिया जाता है, उस संख्या के अनुसार मिड-डे मील योजना से 1000 ग्राम खाद्यान्न एवं 2.00 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन दिया जाता है।

(3) अक्षय पात्र फाउण्डेशन एक गैर सरकारी संस्था है। फाउण्डेशन को नकद एवं अन्य रूप में प्राप्त होने वाली सहायता का विवरण विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) मिड-डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाला व्यय उपस्थिति छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। माह दिसम्बर, 06 के दौरान इस योजना में मासिक व्यय लगभग 17.89 करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। राज्य में मिड-डे मील कार्यक्रम से लाभांवित योग्य छात्रों का (कक्षा 1 से 5) कुल नामांकन 69,60,000 है।

छात्रों को मिड-डे मील योजना में भोजन बनाने उपलब्ध कराने के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न एवं भोजन बनाने के लिए 2 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से राशि दी जाती है।

अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा वर्तमान में राज्य में लाभान्वित किये जा रहे छात्रों का नामांकन निम्नानुसार है :-

जयपुर - 79,608 छात्र

नाथद्वारा – 12,300 छात्र

बारां – 15,150 छात्र

रुग्ण/बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्संचालन हेतु सहायता

102. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 31 दिसम्बर, 2006 तक विभिन्न प्रकार की कितनी औद्योगिक इकाइयां बंद/रुग्ण है? बन्द एवं रुग्ण इकाइयों का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 तक सरकार ने कितनी बंद/रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया और उन्हें कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 31 दिसम्बर, 2006 तक विभिन्न प्रकार की 3039 औद्योगिक इकाइयां रुग्ण चिन्हिकृत हुई एवं 40,172 इकाइयां बन्द पाई गई।

(2) इस अवधि में 1224 औद्योगिक इकाइयां पुनर्जीवित हुई। 12 औद्योगिक इकाइयों को राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन योजना 2003 के अंतर्गत निम्न सहायता प्रदान की गयी है :-

32,581/- रुपये का लाभ बिक्रीकर शास्ति माफी के रूप में,

(उद्योग मंत्री)

1,40,045/- रुपये का लाभ ब्याज अनुदान के रूप में,

8,68,515/- रुपये का लाभ विद्युत वितरण निगम के बकाया की ब्याज माफी के रूप में, एवं

1,18,47,486/- रुपये का लाभ विद्युत शुल्क में छूट के रूप में।

उपनिवेशन-वन विभाग के भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण

103. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व उपनिवेशन विभाग द्वारा 13 जनवरी, 2005 को उपनिवेशन क्षेत्र में वन विभाग की भूमि के संबंध में उठे विवादों का निस्तारण करने हेतु आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर/जिला कलक्टर बीकानेर/हनुमानगढ़/श्री गंगानगर/जैसलमेर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर एवं मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को पत्र जारी किया गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति तथा संबंधितों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायें कि उक्त पत्र में वर्णित विवादों का निस्तारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पत्र में वर्णित विवादों का निस्तारण करने हेतु कोई समय सीमा भी निश्चित की गई थी यदि हां, तो क्या? क्या यह सही है कि उक्त समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद भी उक्त विवादों का निस्तारण नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य/विशेष आबंटन द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों, भू-दान आवंटियों तथा भूमिहीनों को आबंटित कृषि भूमि का वन विभाग को भी आबंटन होने के कारण सैकड़ों किसानों को अनेकों कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है यदि हां, तो कहां-कहां की कितनी-कितनी भूमि पर व किन-किन किसानों को?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त किसानों द्वारा किश्तों की अदायगी कर दिये जाने के बावजूद भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व किन-किन को?

(5) क्या सरकार उक्त किसानों की समस्याओं का समाधान करने एवं इस हेतु कोई अंतिम समय सीमा निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट-क संलग्न है।

विवादों के निस्तारण की कार्यवाही के अन्तर्गत विवादित भूमियों की सूचियां बना ली गई हैं। शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। उक्त पत्र में वर्णित विवादों का निस्तारण करने हेतु तीन माह का समय निर्धारित किया गया था। विलम्ब का प्रमुख कारण आरडी 733 से आरडी 800 मेन केनाल एवं अन्य नहरों का सर्वे नहीं होने से विवादित भूमि का सही चिन्हीकरण नहीं हो पाना, प्रकरणों के न्यायालय में विचाराधीन होने, उसी स्थान पर विनिमय हेतु भूमि उपलब्ध न होना, आदि है।

(3) जी हां। सामान्य आबंटी की सूची परिशिष्ट-ख (पृष्ठ-7 प्रकरण संख्या 116) तथा विशेष आबंटी की सूची परिशिष्ट-ग (पृष्ठ 1 प्रकरण-5) संलग्न है

(4) जी हां। ऐसे आठ प्रकरण जिनमें किसानों ने पूरी किस्तें जमा करवा दी हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-घ संलगन है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु ही उक्त पत्र जारी किये हैं, जिनके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है, परन्तु क्षेत्र में आ रही जटिल समस्याओं एवं केन्द्रीय वन अधिनियम, 1980 के प्रावधान के मध्येनजर समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

झुंझुनूं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण

104. श्री दाताराम गुर्जर (बाड़ी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार गांवों में सड़क डामरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन मानदण्डों वाले गांवों का? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 में जिला झुंझुनूं में सड़कों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रभावी सड़क नीति 11.3.96 एवं समय-समय पर जारी

(कृषि विपणन मंत्री)

संशोधनों के अनुसार मण्डी समिति के पास निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध धन राशि के आधार पर सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की जाती हैं। जिससे गांव जुड़ते हैं। सड़क नीति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जिला झुन्झुनूं के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों के द्वारा किसी भी नई सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नहीं कराया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निम्बाहेड़ा-दाहोद राष्ट्रीय राजमार्ग का ''फोर लेन'' मार्ग में परिवर्तन

105. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से बांसवाड़ा-दाहोद रोड को राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार निम्बाहेड़ा से बांसवाड़ा-दाहोद राष्ट्रीयकृत सड़क को फोर लेन सड़क में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस सड़क मार्ग पर स्थित तहसील मुख्यालय छोटी सादड़ी व ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़ी में बाइपास सड़क निर्माण का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा से बांसवाड़ा-दाहोद रोड को भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-2-2004 को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदण्डानुसार इस सड़क को फोर लेन में परिवर्तन हेतु निर्धारित आवश्यक यातायात घनत्व (पी.सी.यू.) नहीं है।

(3) तहसील मुख्यालय छोटी सादड़ी, ग्राम पंचायत बाड़ी में बाइपास बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर का क्रमोन्नयन

106. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने बैड हैं? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सौ बैड में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने डाक्टर, मेल, नर्स, फिमेल नर्स एवं पैरामेडिकल के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में एक्सरे, ई.सी.जी. एवं रोगीवाहन की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला से संबंधित जांचे जैसे ब्लड शूगर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबी, बीटी, सीटी, ईएसआर, यूरिन कम्पलीट एवं प्रिगनैन्सी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में वर्तमान में 50 शैयायें स्वीकृत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2006 में 66.00 प्रतिशत उपयोग रहा है। इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को 50 शैय्याओं से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ लैब टेक्निशियन, मलेरिया, निरीक्षक एवं बी. एच. एस. (मेल, फिमेल) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी (स्नाकोत्तर निश्चेतन) के रिक्त पद को चिकित्सा अधिकारी (स्नाकोत्तर निश्चेतन) उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

दन्त तकनीशियन का पद सीधी भर्ती का है, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही हैं।

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	5 (मेडी. सर्जरी, नेत्र, स्त्रीरोग, बालरोग)	1 (बाल रोग)
वरिष्ठ चिकित्सा, अधिकारी	1	-
चिकित्सा अधिकारी	4	1 (एक पद चिकित्सा अधिकारी स्नाकोत्तर निश्चेतन)
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1
नर्स श्रेणी प्रथम	2	1
नर्स श्रेणी द्वितीय	7	-
रेडियोग्राफर	1	-
लैब टेक्नीशियन	2	-
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	-
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	-
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	-
नैत्र सहायक	1	-
वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	1
दन्त टैक्नीशियन	1	1
बी.एच.एस. (मेल/फिमेल)	2	2
एम.पी.डब्लू.	1	-
मलेरिया निरीक्षक	1	1

भरतपुर फीडर की तालफरा वितरिका का अवरुद्ध जल स्तर

107. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यमुना नदी के जल बंटवारे के संबंध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि प्रदेशों के मध्य समझौता हुआ है? यदि हां, तो कब? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समझौते के अनुसार भरतपुर जिले को कितना जल किस माध्यम से मिलना है?

(3) यमुना नदी से भरतपुर जिले को भरतपुर फीडर एवं गुडगांवा नहर के माध्यम से कितना पानी गत सात वर्षों में मिला? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर फीडर से तालफरा ग्राम में जो वितरिका पानी देती है उसका स्तर कुम्हेर-सौंख सड़क से नीचा रह गया है जिस कारण पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है? क्या सरकार जनहित में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस वितरिका का स्तर सही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 12.05.1994 को ऊपरी यमुना नदी बेसिन के राज्यों यथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के मध्य एक समझौता (एम.ओ.यू.) हुआ था। एम.ओ.यू. की प्रति प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) समझौते में भरतपुर को पानी मिलने का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु राजस्थान को मिले अतिरिक्त जल का बंटवारा करने का अधिकार अपर यमुना रीवर बोर्ड को दिया गया था। बोर्ड ने अपनी 22वीं बैठक में दिए निर्णयानुसार भरतपुर जिले को विभिन्न अवधि में ओखला बैराज से निम्नानुसार पानी मिलेगा :-

क्र.सं.	अवधि	डिस्चार्ज क्यूसेक्स में	मात्रा बिलियन घनमीटर में
1.	जुलाई से अक्टूबर	1281	0.385
2.	नवम्बर से फरवरी	238	0.070
3.	मार्च से जून	288	0.087
		कुल योग :-	**0.542**

(सिंचाई मंत्री)

(3) यमुना नदी से भरतपुर जिले को भरतपुर फीडर एवं गुडगांव नहर के माध्यम से गत सात वर्षों में प्राप्त पानी का विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

प्रपत्र-'अ'

Annexure-I

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATION OF SURFACE FLOW OF YAMUNA

1. WHEREAS the 75% dependable notional virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Cubic Meteres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. AND WHEREAS the water was being utilized by the Basin States ex-Tajewala and Ex-Okhla for meeting the irrigation and drinking water needs without and specific allocation.

3. AND WHEREAS a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of the utilisable water resources of river Yamuna has felt for a long time.

4. AND WHEREAS to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage projects have been identified.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhla Headwork throughout the year from ecological considerations, as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 9.68 BCM may not be utilisable due to flood spills.

7. NOW THEREFOR, considering their irrigation and consumptive drinking water requirements, the Basin States agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability.

Subject to the followig :-

(i) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be and interim seasonal allocation of the annual utilisation flow of river Yamuna as follows :-

STATES	SEASONAL ALLOCATION OF YAMUNA WATERS (BCM)			
	July-Oct.	Nov.-Feb.	March-June	Annual
1	2	3	4	5
Haryana	4.107	0.686	0.937	5.73

1	2	3	4	5
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.07	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.19	0.108	0.08	0.378
Delhi	0.58	0.068	0.076	0.724
Total	**9.056**	**1.275**	**1.652**	**11.983**

Provided that the interim seasonal allocations will be distributed on ten daily basis.

Provided further that the said interim seasonal allocations shall be progressive modified, as storage are constructed, to the final annual allocations as indicated in para 7 above.

ii) Separate agreement will be executed in respect of each identified storage within the framework of overall allocation made under this agreement.

iii) The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be requlated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of this agreement.

Provided that in a year when the availability is more than the assessed quantity, the surplus availability will be distribute amongst the State in proportion to their allocations.

Provided also that in a year when the availability is less than the assessed quantity, first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana, U.P., Rajasthan and H.P. in proportion to their allocations.

8. This agreement may be reviewed after the year 2025, if any of the basin States so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge assistance and advice given by the union Minister of Water Resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi, the 12th may, 1994

Sd/- (Mulayam Singh Yadav) Chief Minister Uttar Pradesh	Sd/- (Bhajan Lal) Chief Minister Haryana	Sd/- (Bhairon Singh Shekhawat) Chief Minister Rajasthan
Sd/- (Virbhadra Singh) Chief Minister Himachal Pradesh	Sd/- (Madan Lal Khurana) Chief Minister Delhi	Sd/- (Vidyacharan Shukla) Minister (Water Resources)

प्रपत्र-'ब'

यमुना नदी से भरतपुर जिले को भरतपुर फीडर एवं गुडगांव नहर के माध्यम से गत सात वर्षों में प्राप्त जल का विवरण।

(पानी की मात्रा बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM)

क्र. सं.	वर्ष	पानी जो मिलना था	प्राप्त पानी			कुल प्राप्त पानी का प्रतिशत
			भरतपुर फीडर	गुडगांव नहर	योग	
1.	2000	0.397	0.0452	0.0472	0.0924	23.00%
2.	2001	0.397	0.0258	0.0244	0.0502	12.60%
3.	2002	0.397	0.0270	0.0347	0.0617	15.50%
4.	2003	0.397	0.0426	0.0293	0.0719	18.10%
5.	2004	0.397	0.0262	0.0186	0.0448	11.28%
6.	2005	0.397	0.0248	0.0274	0.0522	13.10%
7.	2006	0.397	0.0240	0.0128	0.0368	09.26%

एम.बी.एम. अभियान्त्रिकी महाविद्यालय जोधपुर में रिक्त पद

108. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, जोधपुर के केमिकल इंजिनियरिंग विभाग में फैकल्टी (लेक्चररस) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज जोधपुर के केमिकल इंजिनियरिंग (लेक्चररस) के रिक्त पद भरने व नये पद स्वीकृत कर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने पदों पर तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज जोधपुर को अपग्रेड कर स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, जोधपुर के केमिकल इंजिनियरिंग विभाग में कुल 07 पद स्वीकृत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	पद संख्या	रिक्त/कार्यरत
1.	प्रोफेसर	01	रिक्त
2.	ऐसोसिऐट प्रोफेसर	02	रिक्त
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चरार)	04	02 रिक्त

(2) राज्य सरकार द्वारा एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, जोधपुर में रिक्त चल रहे पदों में से 11 प्रोफेसर तथा 26 रीडर के पदों को भरने की अनुमति दी जा चुकी है, इसमें केमिकल इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम के रिक्त पद भी शामिल हैं। केमिकल इंजिनियरिंग विभाग में नये पदों के सृजन के संबंध में विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट निर्णायक समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ रखा जायेगा।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अनुसार केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में वर्तमान में रिक्त 05 पदों को भरने की प्रक्रिया निकट भविष्य में चालू की जाने वाली है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-109

(स्थगित)

नागौर जिले के बछड़ों की निकासी

110. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितने विश्व स्तरीय पशु मेले प्रतिवर्ष भरते हैं? विवरण स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के पास जिला नागौर से 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की बाहर निकासी पर रोक हटाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में प्रतिवर्ष तीन राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं। स्थानवार विवरण निम्नानुसार है।

(क) श्री रामदेव पशु मेला – नागौर।

(ख) श्री बलदेव पशु मेला – मेड़तासिटी

(ग) श्री वीर तेजाजी पशु मेला- परबतसर

(2) जी हां। इस प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और असथाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में संशोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2002 के विधान सभा में विधेयक पेश किया गया था। परन्तु 11वीं विधान सभा के कार्यकाल में उक्त विधेयक पर निर्णय नहीं हो सका। उक्त संशोधन मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के समक्ष विचाराधीन है।

खटकड-हरिपुरा सड़क (बूंदी) का निर्माण कार्य

111. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत खटकड से हरिपुरा (बूंदी) तथा सम्पर्क सड़क भीमगंज तहसील बूंदी के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जाने के बाद भी उक्त सड़कों का निर्माण नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इस बाबत अब क्या कार्यवाही की जायेगी? स्वीकृति आदेश की सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों के निर्माण में आ रही समस्या के निराकरण के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों से लाभान्वित होने वाले ग्राम सैकड़ों वर्षों से आबाद हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं जबकि अभ्यारण्य स्थापना की घोषणा काफी बाद में की गई है? यदि हां, तो इसके उपरान्त भी प्रकरण सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिये भारत सरकार को नहीं भिजवाये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा अब-कब तक प्रकरण केन्द्र सरकार के पास भिजवा दिया जायेगा?

(4) सरकार अब उक्त सड़कों का निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि वर्णित सड़कों का कुछ भाग रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु वन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। सड़क बनाने की स्वीकृति आदेश की प्रति तथा की गई कार्यवाही का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए वन विभाग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त सड़कें वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में आती हैं। अतः सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत प्रकरण वन विभाग को भेजा गया है एवं इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

(4) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात ही सड़क निर्माण सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में दर्ज नकली घी प्रकरण

112. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006 में राज्य में नकली/मिलावटी घी के कितने मामले पकड़े गये और उनमें कितने लोगों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में उक्त प्रकार के कितने मामले कहां-कहां पकड़े गये और उनमें किन-किन लोगों को दोषी पाया गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के रामजीपुरा कलां में सेवों की ढाणी में नकली/मिलावटी घी का प्रकरण सामने आया था? यदि हां, तो कब व इस प्रकरण में क्या बरामदगी की गई व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पी.एफ.ए. एक्ट के तहत वर्ष 2006 में घी के कुल 295 नमूने जांच हेतु लिये गये। जिनमें से 32 नमूने मिलावटी पाये गये हैं। 17 मिलावटी नमूनों का चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, शेष 15 मिलावटी नमूनों को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम रामजीपुरा खुर्द में दिनांक 27.01.07 को पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर-ग्रामीण) के द्वारा एक प्रकरण नोवा मार्का घी का दर्ज किया गया। श्री सुरजाराम जाट के घर से पुलिस ने नोवा मार्का घी के 76 पीपे भरे एवं 45 खाली जब्त किये। उक्त प्रकरण के अनुसंधान की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम रामजीपुरा खुर्द में दिनांक 27.01.07 को पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर-ग्रामीण) के द्वारा एक प्रकरण नोवा मार्का घी का दर्ज किया गया। श्री सुरजाराम जाट के घर से पुलिस ने नोवा मार्का घी के 76 पीपे भरे एवं 45 खाली जब्त किये। उक्त प्रकरण के अनुसंधान की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा नम्बर 21/07 धारा 420, 467, 471, 472, 272, 273 आई.पी.सी. 7/16 व 78 कोपी राइट एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक भू-खण्ड आबंटन हेतु लम्बित प्रकरण

157. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सभी वर्गों के व्यक्तियों को वर्ष 2003 से अब तक कहां-कहां जमीन आबंटित की गई तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रीको क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्तियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये? जिले और व्यक्ति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं? क्या सरकार उनको उद्योग के लिए अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में सभी वर्गों के व्यक्तियों को वर्ष 2003 से अब तक कुल 12676 भूखण्डों का आबंटन उद्योग लगाने के लिए किया गया। रीको द्वारा आबंटित भूमि की जिलेवार सूची "परिशिष्ट–अ" पर संलग्न है। रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग लगाने हेतु जोधपुर जिले में 3, जयुपर जिले में 1 एवं कोटा जिले में 26 अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये।

(2) रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग खोलने के लिए वर्ष 2003 से अब तक रीको द्वारा कुल 294 व्यक्तियों/इकाइयों को भूखण्डों का आबंटन किया गया। आबंटित भूखण्डों का जिले और व्यक्ति/इकाई के नाम सहित विवरण "परिशिष्ट ब व स" पर संलग्न है। रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग लगाने हेतु उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कोटा जिले में 18 एवं जयपुर जिले में 1 अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये। जिले एवं व्यक्तिवार सूचना "परिशिष्ट द" पर संलग्न है।

(3) रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटन/अनापत्ति-प्रमाण पत्र का कोई भी प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में विधायक अनुशंसित ट्यूबवैल

158. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल मोटर सहित एवं पानी की टंकी विधायकों की अनुशंसा पर लगाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो बूंदी जिले के चारों विधान सभा क्षेत्रों में विधायकों द्वारा किस-किस स्थान के लिये उक्त की अभिशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधायकों की अभिशंसा पर स्वीकृत किये गये उक्त ट्यूबवैल मय मोटर व टंकी के बूंदी जिले के चारों विधान सभा क्षेत्रों में पूरे हो गये और चालू कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कितने चालू नहीं किये गये और क्यों? उन्हें अब कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

(3) बून्दी जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में यह कार्य करने का ठेका किस ठेकेदार को, किस दर पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं अपितु, वर्ष 2005-06 में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर विधान सभा क्षेत्र में 20 सबमर्सिबल नलकूप (सिंगल फेज) लगाने एवं इनका संचालन व संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने बाबत निर्देश दिये गये थे।

बूंदी जिले के 4 विधान सभा क्षेत्र क्रमशः नैनवां, हिण्डौली, बूंदी एवं केशोरायपाटन में माननीय विधायकों द्वारा उक्त कार्य हेतु स्थानवार की गई अनुशंषा का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

माननीय विधायक महोदय द्वारा बूंदी जिले के 4 विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 2005-06 में सिंगल फेस मय मोटर पम्प लगाने बाबत की गई अनुशंसा

परिशिष्ट- 'अ'

क्र.सं.	ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम	स्थान	स्वीकृति माह/वर्ष
विधान सभा क्षेत्र नैनवां			
1.	कालानाला	गुरूद्वारा में गंदा कुआ	फरवरी, 06
2.	कोलाहेडा	विद्यालय के पास	फरवरी, 06
3.	गोवल्या	गांव में	फरवरी, 06
4.	नैनवां	वार्ड नं. 12 शिवपुरी माताजी	फरवरी, 06
5.	देवपुरा	हनुमानजी मीणा बस्ती का झोपड़ा	फरवरी, 06
6.	देवपुरा	एस.सी./एस.टी. बस्ती	फरवरी, 06
7.	नीम का खेड़ा	मीणा बस्ती स्कूल बिल्डिंग	फरवरी, 06
8.	मुडली	ट्रांसफर्मा की आबादी	फरवरी, 06
9.	सिसोला	रेगर बस्ती	फरवरी, 06
10.	रामपुरिया	मीणा बस्ती स्कूल बिल्डिंग	फरवरी, 06
11.	आतरदा	संग्राम गंज स्कूल के पास	फरवरी, 06
12.	कलगिया	बैरवा का झोपड़ा	फरवरी, 06
13.	श्रीपुरा	बैरवा बस्ती	फरवरी, 06
14.	गम्भीरा	मीणों का झोपड़ा कुए के पास	फरवरी, 06
15.	मानपुरा	स्कूल के पास	फरवरी, 06
16.	सादेडा	राजपूत मोहल्ला	फरवरी, 06
17.	कालामाल	गांव में	फरवरी, 06
18.	भैसों का नया गांव	गांव में	फरवरी, 06
19.	जरखोदा	आबादी	फरवरी, 06
20.	सण्डोला	स्कूल के पास	फरवरी, 06

क्र.सं.	ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम	स्थान	स्वीकृति वर्ष
विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली			
1.	भैरूपुरा	मजरा बैरवा बस्ती	फरवरी, 06
2.	मांगलीकलां	भाईनर नं. 1 चैन 50 सगसजी महाराज के	फरवरी, 06
3.	बोरखण्डी	मेघवाल बस्ती	फरवरी, 06
4.	दाता	एस.सी./एस.टी. बस्ती के मंदिर के पास	फरवरी, 06
5.	नठाया	देवनारायण मंदिर के पास	फरवरी, 06
6.	सावतगढ़	मजरा होलाबरडा बैरवा बस्ती	फरवरी, 06
7.	पीपलवासा	मंदिर के पीछे सरकारी कुएं	फरवरी, 06
8.	हिण्डौली	मजरा सलमपुरा आबादी	फरवरी, 06
9.	फतुहगढ़	बालाजी का स्थान	फरवरी, 06
10.	छोडेदा	आबादी	फरवरी, 06
11.	भीमगंज	आबादी	फरवरी, 06
12.	बंधा का खेड़ा	रेगर मौहल्ला	फरवरी, 06
13.	बारानी	आबादी	फरवरी, 06
14.	लक्ष्मीपुरा	तरकड़ी	फरवरी, 06
15.	महानूरपुरा	आबादी	फरवरी, 06
16.	राजपुरा	आबादी	फरवरी, 06
17.	होलारापुरा	रेगर बस्ती	फरवरी, 06
18.	साबरवाडी	भील बस्ती	फरवरी, 06
19.	ताकला	बैरवा बस्ती	फरवरी, 06
20.	सीन्ता	आबादी	फरवरी, 06

क्र.सं.	ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम	स्थान	स्वीकृति माह/वर्ष
विधान सभा क्षेत्र बूंदी			
1.	पलका	गांव में	जून, 2006
2.	गरडदा	भील बस्ती	जून, 2006
3.	लोईचा	मजरा लेवा फाटपुरा	जून, 2006
4.	लोईचा	मजरा महादेव का झोपड़ा	जून, 2006
5.	मण्डावरा	गांव में	जून, 2006
6.	कुम्हारिया	गांव में	जून, 2006
7.	सरस्वती का खेड़ा	गांव में	जून, 2006
8.	लक्ष्मीपुरा	मजरा चैनपुरिया	जून, 2006
9.	चांदी का तालाब	भील बस्ती	जून, 2006
10.	शहर बूंदी	पुलिस परेड ग्राउण्ड	नवम्बर, 2006
11.	खेड़ा	गांव में पंचायत	प्रक्रियाधीन
12.	कालपुरिया	गांव में	प्रक्रियाधीन
13.	जलोदी बरड पं. डोरा	गांव में	प्रक्रियाधीन
14.	करोधी पं. खडीपुर	गांव में	प्रक्रियाधीन
15.	पटियाल पं. खडीपुर	गांव में	प्रक्रियाधीन
16.	देवजी का खेडा पं. डाबी	गांव में	प्रक्रियाधीन
17.	परोली पं. लाम्बाखोह	गांव में	प्रक्रियाधीन
18.	बडफु पं. गणेशपुरा	गांव में	प्रक्रियाधीन
19.	डसालिया पं. राजपुरा	गांव में	प्रक्रियाधीन
20.	लक्ष्मीपुरा बरड पं. गोपालपुरा	गांव में	प्रक्रियाधीन

क्र.सं.	ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम	स्थान	स्वीकृति माह/वर्ष
विधान सभा क्ष्ोत्र के. पाटन			
1.	लबान	रेलवे स्टेशन	जुलाई, 2006
2.	झाली जी का बराना	बस स्टैण्ड	जुलाई, 2006
3.	चौतरा का खेड़ा	गांव में	जुलाई, 2006
4.	फौलाई	बस स्टैण्ड	जुलाई, 2006
5.	चमावली	बस स्टैण्ड	जुलाई, 2006
6.	खरायता	खरायता बालाजी के पास	जुलाई, 2006
7.	महुआ का देवजी	गांव में	जुलाई, 2006
8.	कुआ गांव	गांव में	जुलाई, 2006
9.	गेण्डोली खुर्द	गांव में	जुलाई, 2006
10.	आजन्दा	गांव में	जुलाई, 2006
11.	नोताड़ा	गांव में	जुलाई, 2006
12.	उतराना	बैरवा बस्ती	जुलाई, 2006
13.	घाट का बराना	रेलवे स्टेशन	जुलाई, 2006
14.	माखीदा	गांव में	जुलाई, 2006
15.	कोटा खुर्द	गांव में	जुलाई, 2006
16.	गुहाटा	गांव में	जुलाई, 2006
17.	जाडला	गांव में	जुलाई, 2006

परिशिष्ट 'ब'

बूंदी जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत सबमर्सिबल नलकूप (सिंगल फेज) एवं इनकी प्रगति का विवरण

विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत नलकूप की संख्या	नलकूप जिन पर वेधन एवं स्थापना कार्य पूर्ण हुआ है परन्तु चालू नहीं हुए	नलकूप जिन पर वेधन कार्य ही पूर्ण हुआ	शेष बिन्दु जिन पर वेधन एवं स्थापना कार्य अपूर्ण है, का कारण
नैनवां	20	18	-	2 बोर कालेप्स हो जाने के कारण फेल हो गये।
हिण्डौली	20	18	-	जल विकास निगम द्वारा 2 बिन्दुओं का कार्य करना शेष है।
बूंदी	10	1	-	जल विकास निगम द्वारा कार्य नहीं करने के कारण 9 बिन्दुओं का कार्यादेश अन्य प्राइवेट एजेन्सी को 2 मार्च, 2007 को दिया गया है।
केशोराय पाटन	17	-	12	जल विकास निगम द्वारा 5 बिन्दुओं का कार्य करना शेष है। स्थापना कार्य हेतु अन्य प्राइवेट एजेन्सी को दिनांक 02.03.2007 को कार्यादेश दे दिया गया है।
योग	**67**	**37**	**12**	**18**

परिशिष्ट 'स'

विधान सभा क्षेत्रवार कार्यकारी एजेन्सी को आबंटित कार्य का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	नलकूप वेधन का कार्य		नलकूप स्थापना कार्य मय मेटेरियल सहित	
			संख्या	दर प्रति (रु.)	संख्या	दर प्रति (रु.)
1	नैनवां	जल विकास निगम	10	400/- मीटर	-	-
2	नैनवां	मैं. देवनारायण, ड्रिल्र्स बूंदी	10	22730/- नग	-	-
3	नैनवां	मै. राजकमल बोरिंग कं. नैनवा	-	-	20	58980/- नग
4	हिण्डौली	जल विकास निगम	10	400/- मीटर	-	-
5	हिण्डौली	मै. देवनारायण ड्रिल्र्स बूंदी	10	21220/- नग	20	51640/- नग
6	बूंदी	मै. विश्वकर्मा बोरिंग कं. बूंदी	10	46717/- नग	10	62951/- नग
7	केशोरायपाटन	जल विकास निगम	17	400/- मीटर	-	-
8	केशोरायपाटन	मै. राजकमल बोरिंग कं. नैनवां	-	-	17	62951/- नग
		योग	**67**		**67**	

किशनगंज में जलापूर्ति हेतु व्यय राशि

159. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में गत एक वर्ष में कितने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, टंकी, खेली कहां-कहां पर लगाये गये व इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनसे कितने ग्रामों को पेयजल सुलभ हो रहा है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में गत वित्तीय वर्ष (2005-06) में 120 हैण्डपम्प व 4 नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जाकर इन पर क्रमश: 52.75 लाख एवं 2.80 लाख रु. की राशि व्यय की गई। ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों से 95 गांवों को पेयजल सुलभ कराया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कराये गये कार्यों का विवरण एवं प्रगति

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	निर्माण का स्थान	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
हैण्ड पम्प निर्माण				
1.	किशनगंज	मिसाई	बैरवा बस्ती	0.37
2.	किशनगंज	बरूनी	गांव में	0.36
3.	किशनगंज	लक्ष्मीपुरा	बेरवा बस्ती	0.38
4.	किशनगंज	मोयदा	सहरिया बस्ती	0.44
5.	किशनगंज	जगदेवपुरा	सहरिया बस्ती	0.33
6.	किशनगंज	रामगढ़	माली बस्ती	0.52
7.	किशनगंज	स्वरूपपुरा	तिराहे पर	0.43
8.	किशनगंज	अजनावर	एस.सी/एस.टी. बस्ती	0.55
9.	किशनगंज	ब्रह्मपुरा	सहरिया बस्ती	0.46
10.	किशनगंज	पीपल्दा कलां	मीणा बस्ती	0.43
11.	किशनगंज	महताबपुरा	सहरिया बस्ती	0.43
12.	किशनगंज	बरखेड़ा	सहरिया बस्ती	0.43
13.	किशनगंज	श्रीपुरा	सहरिया बस्ती	0.62

1	2	3	4	5
14.	किशनगंज	बजरंगगढ़	सहरिया बस्ती	0.46
15.	किशनगंज	बजरंगगढ़	मेघवाल बस्ती	0.46
16.	किशनगंज	कुन्डा	सहरिया बस्ती	0.43
17.	किशनगंज	नाहरगढ़	गायत्री मन्दिर के पास	0.48
18.	किशनगंज	कामठा	सहरिया बस्ती बावड़ी के पास	0.48
19.	किशनगंज	परानिया	सनातन विश्वास	0.43
20.	किशनगंज	परानिया	रामपद मंडल के पास	0.43
21.	किशनगंज	परानिया	बजरंग लाल के पास	0.41
22.	किशनगंज	घट्टी	नारायण के पास	0.45
23.	किशनगंज	बजरंगगढ़	लाम्बा परना मेघवाल बस्ती	0.45
24.	किशनगंज	भंवरगढ़	बेरवा बस्ती	0.42
25.	किशनगंज	जलवाड़ा	माली बस्ती	0.39
26.	किशनगंज	जलवाड़ा	सहरिया बस्ती	0.23
27.	किशनगंज	लालापुरा	बंजारे का टापरा	0.44
28.	किशनगंज	स्वरूपपुरा	मीणा बस्ती	0.47
29.	किशनगंज	जलवाड़ा	सहरिया बस्ती कन्या छात्रावास	0.48
30.	किशनगंज	बकनपुरा	सहरिया बस्ती	0.44
31.	किशनगंज	हीरापुर	स्कूल के पास	0.4
32.	किशनगंज	बकनपुरा	गूजर बस्ती	0.43
33.	किशनगंज	भवरगढ़	घडवली गूजर बस्ती	0.43
34.	किशनगंज	पीजना	खैरवा बस्ती	0.42
35.	किशनगंज	ठुगनी	माताजी का मंदिर	0.46

1	2	3	4	5
36.	किशनगंज	फलदी	बंजारा बस्ती	0.41
37.	किशनगंज	नेहरूपुरा	जन्म झिरी गूजर बस्ती	0.43
38.	किशनगंज	हरिपुरा	सहरिया बस्ती	0.37
39.	किशनगंज	प्रेमपुरा	सहरिया बस्ती	0.39
40.	किशनगंज	बाझ आमली	राधेश्याम गूजर के पास	0.4
41.	किशनगंज	किशनपुरा	सहरिया बस्ती	0.45
42.	किशनगंज	गोतीपुरा	मोहन नगर के पास	0.41
43.	किशनगंज	रामनगर	बंजारा बस्ती	0.42
44.	किशनगंज	बालापुरा	सहरिया बस्ती	0.41
45.	किशनगंज	दिगोदपार	नरोत्तम बैरवा के पास	0.43
46.	किशनगंज	भंवरगढ़	नया सहरिया आवास	0.43
47.	किशनगंज	ठिकोनिया	नया सहरिया आवास	0.37
48.	किशनगंज	घट्टी	नया सहरिया आवास	0.39
49.	किशनगंज	गोरधनपुरा	नया सहरिया आवास	0.4
50.	किशनगंज	नाहरगढ़	नया सहरिया आवास	0.45
51.	किशनगंज	बालापुरा	वन क्लोजर	0.41
52.	किशनगंज	छत्रगंज	वन क्लोजर	0.42
53.	किशनगंज	राम विलास	वन क्लोजर	0.41
54.	किशनगंज	कुन्डी	वन क्लोजर	0.43
55.	किशनगंज	दिगोदपार	वन क्लोजर	0.37
56.	किशनगंज	छिनोद	वन क्लोजर	0.39
57.	किशनगंज	खेरूना	वन क्लोजर	0.40
58.	किशनगंज	गोबरचा	वन क्लोजर	0.45
59.	किशनगंज	नील का टापरा	नया सहरिया आवास	0.41

1	2	3	4	5
60.	किशनगंज	महरावता	नया सहरिया आवास	0.42
61.	किशनगंज	ख्यावदा	नया सहरिया आवास	0.41
62.	किशनगंज	कामठा	नया सहरिया आवास	0.43
63.	किशनगंज	हरिपुरा	नया सहरिया आवास	0.37
64.	किशनगंज	सुवांस	नया सहरिया आवास	0.39
65.	किशनगंज	लहरूनी	नया सहरिया आवास	0.41
66.	किशनगंज	हीरापुर	सहरिया क्लोजर	0.45
67.	किशनगंज	खीरिया	सहरिया क्लोजर	0.41
68.	किशनगंज	लहरूनी	सहरिया क्लोजर	0.42
69.	किशनगंज	भंवरगढ़	सहरिया क्लोजर	0.41
70.	किशनगंज	खल्दी	नया सहरिया आवास	0.42
71.	किशनगंज	लाडखेड़ा	नया सहरिया आवास	0.44
72.	किशनगंज	घट्टी	सहरिया क्लोजर	0.48
73.	किशनगंज	पीपल्दा रूण्डिया	नया सहरिया आवास	0.4
74.	किशनगंज	गोरधनपुरा	सहरिया क्लोजर	0.43
75.	शाहबाद	शाहपुरा	नया सहरिया आवास	0.41
76.	शाहबाद	फरेदुआ नया	नया सहरिया आवास	0.42
77.	शाहबाद	फरेदुआ पुराना	नया सहरिया आवास	0.42
78.	शाहबाद	भोयल	नया सहरिया आवास	0.44
79.	शाहबाद	रानीपुरा बढा नोनरा	नया सहरिया आवास	0.45
80.	शाहबाद	कस्बानोनेरा	नया सहरिया आवास	0.42
81.	शाहबाद	शुभधरा	नया सहरिया आवास	0.46

1	2	3	4	5
82.	शाहबाद	शाहबाद	नया सहरिया आवास	0.48
83.	शाहबाद	सहरोल तलेटी	नया सहरिया आवास	0.43
84.	शाहबाद	खुशालपुरा	नया सहरिया आवास	0.52
85.	शाहबाद	बिरमानी	नया सहरिया आवास	0.46
86.	शाहबाद	कस्बाथाना	नया सहरिया आवास	0.52
87.	शाहबाद	बमनगंवा	नया सहरिया आवास	0.49
88.	शाहबाद	मझेरी	नया सहरिया आवास	0.51
89.	शाहबाद	बीलखेड़ा डांग	नया सहरिया आवास	0.4
90.	शाहबाद	कोटड़ा	नया सहरिया आवास	0.48
91.	शाहबाद	मोतियाखेड़ा (पाटरी)	नया सहरिया आवास	0.51
92.	शाहबाद	शाहपुरा	सहरिया वन क्लोजर	0.49
93.	शाहबाद	मामोनी	सहरिया वन क्लोजर	0.42
94.	शाहबाद	निवाड़ी	नया सहरिया आवास	0.36
95.	शाहबाद	बड़ारा	नया सहरिया आवास	0.53
96.	शाहबाद	राजपुर	एस.सी./एस.टी. बस्ती	0.68
97.	शाहबाद	कलोनी	सहरिया वन क्लोजर	0.43
98.	शाहबाद	रामपुर उपरेटी	नया सहरिया आवास	0.43
99.	शाहबाद	बिर्चो	नया सहरिया आवास	0.48
100.	शाहबाद	राजपुर	नया सहरिया आवास	0.52
101.	शाहबाद	मामोनी	नया सहरिया आवास	0.5
102.	शाहबाद	खिरिया	नया सहरिया आवास	0.48
103.	शाहबाद	फरेदुआ उपरेटी	नया सहरिया आवास	0.31
104.	शाहबाद	केलवाड़ा	वनवासी आश्रम	0.34

1	2	3	4	5
105.	शाहबाद	बेटा	नया सहरिया आवास	0.54
106.	शाहबाद	किराड़ पहाड़ी	नया सहरिया आवास	0.54
107.	शाहबाद	आगर बहरोली	नया सहरिया आवास	0.50
108.	शाहबाद	देवरी	नया सहरिया आवास	0.48
109.	शाहबाद	खाण्डा सहरोल	नया सहरिया आवास	0.62
110.	शाहबाद	समरानियां	मीणा बस्ती	0.48
111.	शाहबाद	बेट	नया सहरिया आवास	0.50
112.	शाहबाद	उनी	नया सहरिया आवास	0.33
113.	शाहबाद	खुशियारा	नया सहरिया आवास	0.36
114.	शाहबाद	कलोनिया	नया सहरिया आवास	0.35
115.	शाहबाद	ठीकवानी	नया सहरिया आवास	0.44
116.	शाहबाद	सेमली फाटक	नया सहरिया आवास	0.45
117.	शाहबाद	गाडर	नया सहरिया आवास	0.41
118.	शाहबाद	पीपलखेड़ी	नया सहरिया आवास	0.47
119.	शाहबाद	सीरसोद खुर्द	नया सहरिया आवास	0.47
120.	शाहबाद	नारायणखेड़ा	नया सहरिया आवास	0.44
				52.75
नलकूप निर्माण				
1.	मांगरोल	जलयोजना बोहत 04 नलकूप	-	2.80

बायो डीजल/रतनजोत उत्पाद हेतु आबंटित भूमि

160. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान में बायो डीजल उत्पादन हेतु रतनजोत को उगाने तथा बायो डीजल उत्पाद हेतु भूमि का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आबंटन किया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रक्रिया एवं मानकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस हेतु आवेदक फर्मों/व्यक्तियों के लिये संसाधन/क्षमता सम्बन्धी मानक तय किये गये हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस हेतु आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में भूमि आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1996 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(2) आवेदक फर्मों, व्यक्तियों के लिये संसाधन/क्षमता मानक तय करने के संबंध में संशोधन का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं।

नवीन जिले/उप खण्ड/तहसील गठन के विचाराधीन प्रस्ताव

161. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार के पास नवीन जिले/उपखण्ड/तहसील के गठन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के मानदण्ड तैयार किए गए हैं? यदि हां, तो तय किए गए मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवीन जिले उपखण्ड/तहसील के तैयार किए गए प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केवल मात्र नवीन जिले बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनके परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके समक्ष कुल 24 प्रस्ताव परीक्षणाधीन है जिनकी सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) फिलहाल उक्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है। गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट ''क''

नये जिले बनाने के प्रस्तावों की संभागवार सूची

क्र.सं.	**नाम संभाग**	**नाम जिला**	**प्रस्तावित जिला जो गठित किया जाना है।**
1	**2**	**3**	**4**
1.	जयपुर	जयपुर	1. कोटपूतली
			2. शाहपुरा
			3. सांभरलेक
		अलवर	4. बहरोड़
		सीकर	5. नीम का थाना
2.	भरतपुर	भरतपुर	6. डीग
3.	उदयपुर	उदयपुर	7. सलूम्बर
		चित्तौड़गढ़	8. प्रतापगढ
4.	बीकानेर	चूरू	9. रतनगढ़
			10. सुजानगढ़
	बीकानेर/अजमेर	चूरू/नागौर	11. सुजानगढ़, जसवन्तगढ़ एवं लाडनू क्षेत्र को मिलाकर नया जिला ''सूजला'' बनाने हेतु
	बीकानेर	गंगानगर	12. अनूपगढ़
			13. सूरतगढ़
		हनुमानगढ़	14. नोहर
5.	अजमेर	अजमेर	15. ब्यावर

1	2	3	4
			16. केकड़ी
		नागौर	17. कुचामन
			18. डीडवाना
			19. मेड़ता
			20. मकराना
6.	जोधपुर	बाड़मेर	21. बालोतरा
		जोधपुर	22. फलौदी
		जैसलमेर	23. पोकरन
		पाली	24. बाली

भूमिहीन व्यक्तियों हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना

162. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजस्थान राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों के लिए कृषि हेतु लैण्ड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्ताव विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि आबंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 पूर्व से ही लागू है।

छीबा गांव (सिरोही) में गोचर भूमि आबंटन हेतु लम्बित प्रकरण

163. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के छीबा गांव में गोचर भूमि आबंटन का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है एवं कब तक आबंटन कर दिया जाएगा? शिवगंज तहसील कार्यालय से कब प्रस्ताव भेजा गया?

(2) ग्राम पंचायत छीबा गांव ने इस सम्बन्ध में कब-कब प्रस्ताव भेजे हैं। मय तिथि प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) भूमि आबंटन में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के छीबा गांव में गोचर भूमि आरक्षित करने का पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 6.11.06 को प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 13.11.06 द्वारा कुल 389 बीघा भूमि गोचर हेतु आरक्षित की जा चुकी है।

(2) ग्राम पंचायत छीबा गांव का प्रस्ताव दिनांक 11.9.06 का है, जो सीधे ही तहसीलदार शिवगंज को भेजा गया था। प्राप्त प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

(3) भूमि आरक्षण करने में कोई विलम्ब नहीं होने से कोई उत्तरदायी नहीं है।

कार्यालय ग्राम पंचायत छीबा गांव पं. स. शिवगंज (राज.)

दिनांक 11.09.06

प्रस्ताव प्रति

प्रस्ताव सं. (4) :- ग्राम सभा ने ग्राम छीबा गांव में गोचर भूमि हेतु निम्न खसरों की भूमि खसरा नम्बर 240 में से 240.05 बीघा, खसरा नं. 241 में से 67.05 बीघा, ख. नं. 238 में से 88.10 बीघा, खसरा नं. 237 मीन में से 127 बीघा भूमि को गोचर भूमि हेतु आरक्षित किया जाये जिससे गोचर भूमि हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही को भेजा जाये कि उक्त भूमि गोचर में परिवर्तित की जाये जिससे गांव की मवेशियों के चरने के लिये हो सके। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। वर्तमान में कोई गोचर भूमि रेकार्ड अनुसार नहीं है।

उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 11.09.06 के प्रस्ताव संख्या 4 से तैयार किया गया।

ह.

सरपंच,

ग्राम पंचायत छीबा गांव

पं. सं. शिवगंज (सिरोही)

सहाड़ा में सरसों खरीद केन्द्र

164. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सरसों की फसल की बुवाई किस-किस गांव में कितने-कितने हैक्टेयर भूमि में की गई?

(2) सरकार काश्तकारों की सरसों खरीदने के लिये सरसों तोल का केन्द्र कहां-कहां और कब से प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 3987 हैक्टेयर में (तहसील सहाड़ा 2470 हैक्टेयर एवं रायपुर 1517 हैक्टेयर) सरसों की बुवाई की गई है ग्रामवार अनुमानित बुवाई क्षेत्र तहसीलवार सूची का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत है। नेफैड के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में रबी 2007 में गत वर्ष की भांति 8 क्रय केन्द्र निम्नानुसार स्थापित करना प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	नाम क्रय केन्द्र	नाम क्रय विक्रय सहकारी समिति
1.	आसिन्द	आसिन्द
2.	बिजोलिया	बिजोलिया
3.	माण्डलगढ़	बिजोलिया
4.	गंगापुर	गंगापुर
5.	गुलाबपुरा	गुलाबपुरा
6.	जहाजपुर	जहाजपुर
7.	शाहपुरा	शाहपुरा
8.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

नेफैड एवं भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद आरम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त होते ही खरीद आरम्भ कर दी जावेगी।

परिशिष्ट-1

तहसील-सहाड़ा में वर्ष 2006-07 में सरसों बुवाई क्षेत्र हैक्टेयर में

क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.	क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.
1	नांदशा	80	27	खांखला	160
2	जूंजपुरा	10	28	गूजरियाखेड़ा	07
3	चिड़खेड़ा	50	29	सालेरा	30
4	अड़सीपुरा	30	30	खजूरिया	22
5	आमली	40	31	जयसिंहपुरा	15
6	कोशिथल	100	32	गरडिया	20
7	अरनोटा	35	33	विजयपुर	10
8	उल्लई	20	34	हाडियाखेड़ा	05
9	मटूणिया	40	35	नेगडियाखेड़ा	20
10	रूपारेल	20	36	फूकिंया	15
11	हरिपुरा	30	37	अर्जुनपुरा	10
12	चावण्डिया	15	38	छापरी	15
13	पालरा	20	39	गोवलिया	20
14	आटावड़ा	10	40	रूपपुरा	23
15	नीमखेड़ा	15	41	काला का खेड़ा	20
16	उम्मेदपुरा	35	42	कांगड़ी	30
17	अरनिया	10	43	उदलियास	30
18	ठेकला	30	44	गुमानपुरा	05
19	डेलाणा	25	45	सिरोहीखेड़ा	25
20	भूतेला	15	46	गाडरीखेड़ा	10
21	सूरतसिंह का खेड़ा	25	47	सातलियास	35
22	कालीमगरी का खेड़ा	25	48	करणजी की खेड़ी	25
23	खातीखेड़ा	20	49	ब्यास	35
24	रघुनाथपुरा	10	50	टपरियाखेड़ी	20
25	सहाड़ा	95	51	गणेशपुरा	10
26	पोटलां	180	52	सांगांस	15

क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.	क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.
53	मेंहदी	10	79	रामखेड़ा	10
54	माझावास	40	80	जबरकिया	15
55	राईथलियास	20	81	भूणास	30
56	रंगीली	07	82	रामदेव नगर	15
57	सुल्तानपुरा	05	83	मेघरांस	20
58	सुरावास	20	84	मेहन्द्रगढ़	35
59	मण्डपिया	10	85	पीबूनगर	15
60	उम्मेदपुरा	05	86	माकड़िया	15
61	गांगड़ास	15	87	शिवरति	20
62	सरगांव	30	88	कालागुढा	10
63	लक्ष्मीपुरा	15	89	शिलावड़ी	30
64	तिरोली	15	90	दरीबा	00
65	टोड़ी	06	91	गणेशपुरा	30
66	लाखोला	45	92	सूरजपुरा	15
67	नयाखेड़ा	25	93	लखमणियास	12
68	अरनिया	45	94	श्रीरामनगर	08
69	बिकरई	05	95	गलोदिया	10
70	चतरसिंह का खेड़ा	05	96	नाथजी का खेड़ा	08
71	रामपुरिया	15	97	गायत्री नगर	12
72	आलोली	10	98	ढ़ोसर	20
73	भरक	30	99	सतद्धढिया	05
74	गुढा	20	100	बाघपुरा	05
75	गुडखेड़ा	12	101	गठिला	07
76	बघेरा	20	102	गठिलाखेड़ा	07
77	पिचोरियाखेड़ा	08	103	साकरिया	08
78	सोनियाणा	45	104	उंचकिया	08
				कुल योग	**2470**
				कुल योग तहसील सहाड़ा	**1617+ 853**
				कुल योग विधान सभा क्षेत्र	**2470+1517**

परिशिष्ट-1

तहसील-रायपुर में वर्ष 2006-07 में सरसों बुवाई क्षेत्र हैक्टेयर में

क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.	क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.
1	रायपुर	07	25	जोगरांस	35
2	केमुनिया	09	26	फतहपुरा	10
3	सगरेव	11	27	दुल्हेपुरा	15
4	जगपुरा	08	28	नारायणखेड़ा	23
5	थला	16	29	सरगु	02
6	मोखमपुरा	09	30	खूटियां	13
7	पीथलपुरा	13	31	आमांखेड़ा	16
8	गाडरीखेड़ा	12	32	खूटियांखेड़ा	11
9	पाटियाखेड़ा	08	33	तेज्याखेड़ी	12
10	गिलखेड़ी	02	34	खूटियां का खेड़ा	18
11	बागोलिया	22	35	आशाहोली	75
12	बाड़ी	18	36	बकाण	56
13	सुरास	14	37	राणांस	42
14	अर्जुनगढ़	06	38	लखाहोली	47
15	धूलखेड़ा	10	39	बोरियापुरा	82
16	नांदशा	22	40	रेवाड़ा	71
17	परबती	13	41	शिवनाथपुरा	57
18	बाड़िया खुर्द	24	42	तोलास	35
19	बाड़िया कलां	17	43	देवरिया	50
20	डियास	16	44	गलवा	20
21	नाथ्डियास	18	45	सिंहपुरा	05
22	पनातिया	12	46	टोंकरा	02
23	आसपुर	10	47	लाठियाखेड़ी	01
24	नाहरी	20	48	रालीखेड़ा	01

क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.	क्र. सं.	नाम ग्राम	अनुमानित बुबाई क्षेत्र है.
49	झड़ौल	25	72	बोराणा	83
50	डांगड़ा	02	73	कलालखेड़ी	10
51	डांगड़ी	02	74	पीथाकाखेड़ा	25
52	नयाखेड़ा	03	75	रामा	10
53	मोखून्दा	15	76	लड़की	10
54	मासिंगपुरा	03	77	मण्डोल	25
55	मांडका खेड़ा	02	78	ढिकाणी	00
56	पालरा	04	79	कोट	20
57	खारनिया	02	80	मेरनिया	10
58	पचातरा खेड़ा	06	81	छातोल	10
59	खेमाड़ा	08	82	बागड़	20
60	गलियावड़ी	03	83	कारोल	30
61	चारोट	05	84	मण्डी	20
62	गोविंदपुरा	06	85	मियाला	20
63	खाखरमाला	01	86	जलामली	20
64	रेबारियों की ढाणी	00	87	भींटा	25
65	थोरियाखेड़ा	00	88	भटेवर	15
66	किशोरपुरा	02	89	सरेवड़ी	15
67	आसूणा	05	90	जोरावरपुरा	02
68	टूंगच	06	91	थोरियाखेड़ा	02
69	शिरोड़ी	02	92	रूपाखेड़ा	02
70	ठिकरिया	08	93	सेमलाट	02
71	नांदूड़ा	03	94	कारोल	12
				कुल योग	**1517**
			कुल योग तहसील रायपुर	**1015+502**	**1517**

बूंदी जिले के असिंचित क्षेत्र से सिंचाई शुल्क की वसूली

165. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले में जखाना राजवाह, हनुत्या माइनर, अजेता राजवाह तथा बाजड़ राजवाह की टेल कलस्टर कितनी-कितनी चेन पर स्थित है तथा टेल कलस्टर के बाद में आने वाली कृषि भूमि में किस-किस तारीख को नहरी पानी पहुंचाया गया? संधारित रिकार्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहरों के अंतिम छोर की कृषि भूमि आश्वस्त सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने के बाद भी वर्ष 2002 से अब तक की अवधि में वर्ष में मात्र एक बार पानी पहुंचाये जाने से फसलों में शत-प्रतिशत खराबा होने के बावजूद भी सिंचाई शुल्क लिखा गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये अब आगे क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में बांई मुख्य नहर से निकली बूंदी ब्रान्च केनाल के अन्तर्गत जखाना माईनर, हनोतिया माइनर, अजेता राजवाह तथा बाजड़ राजवाह स्थित है। इसमें से जखाना माइनर का टेल कलस्टर चेन 92, हनोतिया माइनर का टेल कलस्टर चेन 60, अजेता राजवाह का टेल कलस्टर चेन 237 तथा बाजड राजवाह का टेल कलस्टर 747 पर स्थित है इसमें से अजेता राजवाह तथा बाजड राजवाह की टेल पर रबी सन 2006-07 के लिए क्रमशः दिनांक 12.12.06 व दिनांक 26.1..06 को पानी पहुंचाया गया था। संधारित रिकार्ड की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। चम्बल सिंचित क्षेत्र में रबी में 55 प्रतिशत एवं खरीफ में 21 प्रतिशत सिंचाई सघनता पर सिंचाई किये जाने का प्रावधान है। सिंचाई शुल्क का इन्द्राज एवं संग्रहण जल प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। यह समितियां स्थानीय कृषकों द्वारा ही संचालित की जाती हैं। जिनके द्वारा वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप ही सिंचाई शुल्क का इन्द्राज किया जाता है। वर्ष 2002 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष नहर के टेल क्षेत्र की भूमि को दो से तीन बार सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्राण्डेड दवाइयों के स्थान पर जेनेरिक दवाइयों के उपयोग से चिकित्सा व्यय में बचत

166. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों व पेन्शनर्स को जेनेरिक दवाइयां लिखने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो पूर्व में सम्बन्धित आदेश कब-कब किये गये? वर्तमान आदेशों सहित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) जेनेरिक दवाइयां, ब्रान्डेड दवाइयों के स्थान पर लागू होने पर राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स के चिकित्सा खर्च में सरकार को कितनी बचत होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जेनेरिक दवाइयां लिखने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेशों के दिनांक का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. 24.05.96
2. 24.4.02
3. 04.12.04
4. 19.07.05
5. 01.09.05
6. 03.03.06
7. 23.12.06

आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) ब्रान्डेड दवाइयों के स्थान पर जेनेरिक दवाइयां लागू होने पर राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स के चिकित्सा व्यय में औसतन लगभग 50 प्रतिशत बचत होने का अनुमान है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

लम्बी अवधि से अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही

167. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) राज्य में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो पांच वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित चल रहे हैं? अनुपस्थिति तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 23 चिकित्सक पांच वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित चल रहे हैं। अनुपस्थिति दिनांक सहित सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ''अ''

5 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की सूची

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	दिनांक जिससे अनुपस्थित है
1.	डा. जितेन्द्र कुमार जैन	3.3.86
2.	डा. नरेन्द्र कुमार शर्मा	3.5.2000
3.	डा. रिया तायल	22.2.95
4.	डा. राकेश शर्मा	14.12.2000
5.	डा. रामेश्वर लाल पंवार	17.6.2000
6.	डा. राजकुमार शर्मा	1.12.89
7.	डा. महेन्द्र कुमार जैन	7.8.86
8.	डा. करण सिंह पूनिया	30.6.91
9.	डा. कर्मवीर सिंह	25.8.98
10.	डा. कविता कपूर	5.6.2000
11.	डा. रतनलाल मेहता	29.5.91
12.	डा. कलावती किशनानी	08.12.01
13.	डा. मुकेश चन्द्र अग्रवाल	04.03.97
14.	डा. रीता कुलश्रेष्ठ	14.06.84

1	2	3
15.	डा. राजेन्द्र कुमार जैन	07.11.90
16.	डा. राजेश बी. शर्मा	31.07.94
17.	डा. अरूण कुमार सक्सैना	25.01.2001
18.	डा. अशोक कुमार शर्मा	20.10.95
19.	डा. गौतम कपूर	6.3.2001
20.	डा. एच.सी. चेचानी	9.8.2000
21.	डा. जितेन्द्र सिंह वालिया	18.1.2000
22.	डा. मनिषा पुरोहित	31.1.2001
23.	डा. सत्येन्द्र प्रसाद शर्मा	13.2.2001

क्रमांक 1 से 11 तक चिकित्सकों के विरुद्ध आर.एस.आर. नियम 86 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु इन्हें एक माह की अवधि का अन्तिम अवसर दिये जाने हेतु समाचार पत्रों में दिनांक 11.2.07 को विज्ञप्ति जारी करवाई जा चुकी है। एक माह की अवधि पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमांक 12 से 16 तक के चिकित्सकों के विरुद्ध आर.एस.आर नियम-86 (4) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्रमांक 17 से 23 तक के चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है।

संविदा चिकित्साकर्मियों का स्थायीकरण

168. डा. सुरेश चौधरी (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार निकट भविष्य में संविदा चिकित्साकर्मियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

संविदा पर कार्यरत चिकित्साकर्मियों को नियमित करने का प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

अजमेर जिले में चयनित आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षण

169. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) सरकार द्वारा अजमेर शहर में कितनी महिलाओं का चयन आशा सहयोगिनी में किया गया?

(2) क्या सरकार द्वारा चयनित सहयोगिनी को प्रशिक्षण दे दिया गया ? यदि हां, तो प्रशिक्षण के उपरान्त कार्यरत सहयोगिनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर में 115 आंगनबाड़ी केन्द्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। आशा सहयोगिनी का चयन महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जा रहा है।

अभी तक 55 महिलाओं का चयन आशा सहयोगिनी के रूप में किया गया है।

(2) शहरी क्षेत्र में चयनित आशा सहयोगिनी को प्रशिक्षण अभी तक नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सलूम्बर के सड़क विहीन राजस्व ग्राम

170. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कितने राजस्व ग्राम डामरीकृत सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा कितने वंचित हैं? क्या सरकार वंचित गांवों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 221 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें से 129 राजस्व ग्राम डामरीकृत सड़कों से जुडे हुए हैं, 15 राजस्व ग्राम (4 राजस्व ग्राम डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज-तृतीय एवं 11 राजस्व ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर है)। वंचित 77 राजस्व ग्राम में से 27 राजस्व ग्राम 250-499 तक की आबादी वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं, शेष 50 राजस्व ग्राम जिनकी आबादी 250 से कम है, जिनकी वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृति नहीं है न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

डेगाना की ग्रामीण ढांचागत विकास कोष योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कें

171. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण ढांचागत विकास कोष आर.आई.डी.एफ. XII योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क बनाने की क्या नीति निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की कितनी सड़कें उक्त नीति के अन्तर्गत आती हैं? क्या सरकार इन सड़कों की स्वीकृति जारी करके उक्त ग्रामों को शीघ्र जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में नागौर जिले में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई तथा कितनी सड़कों का निर्माण कार्य चालू है? सूची विधान सभा क्षेत्रवार, ग्रामवार मय सड़कों की लम्बाई के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर.आई.डी.एफ. XII के योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित नाबार्ड द्वारा निर्धारित नीति की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कुल 3 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत नागौर जिले में कुल 29 सड़कें स्वीकृत हुई जिनमें से 3 सड़क कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 26 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। कार्यों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार एवं ग्रामवार मय सड़कों की लम्बाई विवरण परिशिष्ट ''स'' में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

250 की आबादी के ग्रामों हेतु डामरीकृत सड़कें

172. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

500 तक की आबादी वाले ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ा गया है जब कि आदिवासी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले ग्रामों की सड़कों को डामरीकृत किया गया है? क्या सरकरर केन्द्र को 250 तक की आबादी वाले शेष बचे गांवों को डामरीकृत करने हेतु अनुरोध करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार अपनी किसी योजना में इन गांवों को डामरीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 तक की आबादी के ऐसे गांव जो किसी भी प्रकार की सड़क से जुडे हुये नहीं हैं, बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने हेतु स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर हैं। आदिवासी एवं मरू क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी के गांवों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं स्वीकृति अपेक्षित है। जी हां।

(2) यह राज्य सरकार के वितीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

रायपुर की अपूर्ण सड़कें

173. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 30 नवम्बर, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर के विभिन्न गांवों में कच्ची और डब्ल्यू.बी.एम. की सड़कें भी बनाई गई थी? यदि हां, तो इस अवधि में स्वीकृत प्रत्येक सड़क का नाम उसकी लम्बाई और उस पर व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 30 नवम्बर, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में डामर की सड़क और पक्की पुलियाओं का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो सड़क का नाम उसकी लम्बाई और उस पर व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ सड़कें अधूरी रह गई हैं? यदि हां, तो उन सड़कों का नाम एवं कितनी अधूरी रही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1 जनवरी, 1999 से 30 नवम्बर, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर के विभिन्न गांवों में कच्ची एवं डब्ल्यू.बी.एम. की स्वीकृत सड़कों का नाम, उसकी लम्बाई और उस पर व्यय की राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। 1 जनवरी, 1999 से 30 नवम्बर, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में डामर की सड़कों एवं पुलियों का नाम, उसकी लम्बाई और उस पर व्यय की राशि का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (चूरू) तहसील के विद्यालयों में रिक्त पद

174. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ जिला चूरू में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़, चूरू में 201 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 103 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 26 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 19 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
अध्यापक ग्रेड-I	116	36
अध्यापक ग्रेड-II	385	54
अध्यापक ग्रेड-III	1317	111

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

बाड़मेर के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय

175. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कई स्थानों पर पूर्व में राजीव गांधी पाठशाला के लिए भवन बने हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे भवनों की संख्या का विवरण मय पाठशाला का नाम, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, भवन निर्मित होने का वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व में राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम से बने हुए भवनों में विद्यालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भवनों की संख्या का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) पूर्व में राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम से (ई.जी.एस. केन्द्रों) निर्मित भवनों, जहां विद्यालय प्रारम्भ नहीं हो सके, उन स्थानों पर गुणावगुण एवं वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान

176. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुआरामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात राज्य की विभिन्न अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान प्रतिशत में कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं और ऐसी नियुक्तियों पर सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(3) क्या यह सही है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान प्रतिशत में कटौती करने व रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रतिबंधित किये जाने से अनुदानित शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कगार पर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन संस्थाओं का अनुदान प्रतिशत बढ़ाने व रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) किसी भी संस्था को वर्ष 2004-05 में प्राप्त वास्तविक अनुदान राशि को कम नहीं किया गया है।

(2) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 10.06.99 से वित्त विभाग द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता के कारण अनुदानित पदों पर अनुदान देना बन्द है।

(3) जी नहीं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में विद्यालय विकास कोष में अनियमितता

177. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में विद्यालय विकास कोष के दुरुपयोग एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच में दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रा.उ.मा. विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में विद्यालय कोष के

(शिक्षा मंत्री

दुरूपयोग एवं अन्य अनियमितताओं की जांच हेतु उप-निदेशक (माध्यमिक) जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर, जांच करवाई गई। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 14.2.07 को प्रस्तुत की है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है।

(2) जांच रिपोर्ट में श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर एवं श्री शिवराम शर्मा तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक श्योपुर को प्रथम दृष्टया दोषी दोषी पाया गया है।

(3) जी नहीं। क्योंकि जांच रिपोर्ट दिनांक 14.2.07 को ही प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण के पश्चात ही अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोटर दुर्घटना वाद अधिकरणों में कर्मचारियों के रिक्त पद

178. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मोटर दुर्घटना वाद अधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/कनिष्ठ लिपिक एवं आशुलिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस न्यायालय में कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि रिक्त पदों के कारण न्यायालयों में कार्यभार अधिक बढ़ गया है?

(3) क्या सरकार अब इन रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कोई कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इन न्यायालयों को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालयों में आशुलिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालयों में रिक्त पदों के विवरण हेतु परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(विधि मंत्री)

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है इसलिए उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करना संभव नहीं है।

(4) राज्य के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालयों को माननीय उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ करने का मामला राज्य सरकार में उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

परिशिष्ट ''क''

मोटर दुर्घटना दावा अधिकार न्यायालयों में रिक्त पदों का विवरण

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	आशुलिपिक	कनिष्ठ लिपिक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
1. जयपुर	-	-	-	
2. अजमेर	-	-	1 पद/दि. 5.6.06	मा.उ. न्या. का स्टे लगा हुआ है
3. कोटा	-	-	-	
4. उदयपुर	-	1 पद/12.2.02	-	
5. राजसमंद	1 पद/अगस्त 05	-	-	
6. अलवर	1 पद/23.5.01	-	3 पद/23.5.01	23.5.01
7. बूंदी	1 पद/5.8.02	1 पद/पर. 06	1 पद/18.4.06	-
8. भीलवाड़ा	1 पद/17.6.06	1 पद/27.6.06	3 पद/11.7.02	
9. चित्तौड़गढ़	1 पद/4.10.01	1 पद/26.8.05	1 पद/21.9.06	
10. सिरोही	1 पद/13.6.01	1 पद/13.6.01	4 पद/	
11. पाली	1 पद	2 पद/	1 पद/	

चूरू जिले को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति

179. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार चूरू जिले को सिंचाई हेतु आबंटित पानी की मात्रा बढ़ाकर तहसील चूरू, सुजानगढ़ तथा रतनगढ़ को भी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना तथा नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार चूरू जिले में पेयजल योजनाओं का विस्तार कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तहसील चूरू, रतनगढ़ व सुजानगढ़ को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना?

उत्तर

(1) जी नहीं। चूरू जिले के लिये यमुना जल बेसिन से उपलब्ध जल की योजना से जिले के कुल 35 गांवों की 37360 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना के आकार को बढ़ाकर चूरू जिले की तहसील चूरू, सुजानगढ़ एवं रतनगढ़ को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। चूरू जिले में आपणी योजना प्रथम भाग से शेष बचे गांवों हेतु इन्दिरा गांधी नहर को लेकर लाभान्वित करने बाबत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) चूरू–बिसाऊ परियोजना :- इस स्वीकृत परियोजना से दो शहर चूरू एवं रतननगर तथा 84 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। चूरू शहर को आंशिक रूप से एवं 44 गांवों को अब तक पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है व योजना के शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना को माह जुलाई, 2007 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(ब) रतनगढ़–सुजानगढ़ :- रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसील के कुल 256 गांव एवं 5 शहर क्रमशः रतनगढ़, सुजानगढ़, छापर, बीदासर तथा राजलदेसर को सम्मिलित करते हुए बनाई गई योजना वर्तमान में स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। जांच में सही पाये जाने के उपरान्त प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार स्वीकृति सम्भव होगी।

बनास नदी पर बने एनीकटों में व्याप्त अनियमितताएं

180. श्री सुभाषचन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में 50 लाख की लागत से बनास नदी पर बना जवासिया एनीकट पहली वर्षा में ही उखड़ गया और आज खाली पड़ा है? इसी तरह गुलाबपुरा खारी नदी पर बने एनीकट में रिसाव होने से खाली है व यह जगह-जगह से जर्जर हो चुका है तथा इन दोनों की जांच जिला कलक्टर के स्तर पर होने से 21.61 लाख का गबन पाया गया? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त दोनों एनीकटों में दोष सिद्ध होने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। जिला भीलवाड़ा में बनास नदी पर रुपये 37.00 लाख की लागत से निर्मित जवासिया एनीकट वर्ष 2006 में हुई अतिवृष्टि के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है एवं वर्षाकाल तक पूर्ण भरा था। वर्तमान में खाली है।

गुलाबपुरा खारी नदी पर जुना गुलाबपुरा एनीकट का निर्माण वर्ष 2005–06 में हुआ था। वर्ष 2006–07 के वर्षाकाल में एनीकट 2 माह तक पूर्ण भरा रहा तथा 15 दिनों तक चादर चली। इसी दौरान कुछ स्थानों पर एनीकट में पानी का रिसाव पाया गया। वर्तमान में खाली है।

श्री बंशीलाल पटवा, पूर्व विधायक द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने स्तर से जांच कराई गई थी। जांच में अनियमितताएं उजागर हुई, गबन नहीं। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तकनीकी प्रकृति का कार्य होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग के उच्चाधिकारियों की एक कमेटी का गठन कर जांच करवाई गई। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। ये दोनों जांच रिपोर्ट विचाराधीन हैं। अन्तिम निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

नगर (भरतपुर) पंचायत समिति में एनीकट निर्माण

181. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) क्या सरकार ग्राम तेस्की व ठेकरी, पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर के पहाड़ों के बीच एक 450 वर्ग मीटर का एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जगह एनीकट के निर्माण से 5 ग्राम पंचायतों–तेस्की, संझार सिंहावली, लाडमका, जोतरी के अनेकों गांवों के किसानों को लाभ होगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट निर्माण से 4–5 हजार बीघा भूमि की सिंचाई हो सकेगी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट निर्माण से कुओं व ट्यूबवैलों का पानी रिचार्ज होकर जल स्तर बढ़ेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन गांवों के पहाड़ों के मध्य कोई एनीकट प्रस्तावित नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) उपरोक्तानुसार

(4) उपरोक्तानुसार

कपासन उपखण्ड मुख्यालय में महाविद्यालय की स्थापना

182. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नये राजकीय महाविद्यालय खोलने में शिथिलता प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन में उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु निम्नानुसार मानदण्ड हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की गई है–

(उच्च शिक्षा मंत्री)

राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार है–

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कपितय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे– निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्र उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा : खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि।

नियमों की प्रति (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उपखण्ड मुख्यालय कपासन पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में कपासन उपखण्ड पर रवीन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है।

परिशिष्ट–1

राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं–

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे– निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्च्ित करना, महाविद्यालय में छात्र उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा : खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि।

सिकराय तहसील मुख्यालय में नवीन महिला महाविद्यालय

183. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सिकराय में 40 कि.मी. की दूरी तक कोई महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्राओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए सिकराय में नवीन महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सिकराय एवं सिकराय के आसपास 40 किलोमीटर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में 3 महिला महाविद्यालय तथा 7 सहशिक्षा एवं राजकीय क्षेत्र में 1 सहशिक्षा महाविद्यालय तथा एक स्ववित्तपोषी महिला महाविद्यालय संचालित है। (परिशिष्ट–अ)

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राजकीय क्षेत्र में सिकराय में महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

निर्धारित मापदण्डों व वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट- अ

सिकराय एवं सिकराय के आसपास 40 किलोमीटर के क्षेत्र में निजी क्ष्ोत्र/ राजकीय क्ष्ोत्र/स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत में संचालित 12 महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थान
(अ) निजी क्ष्ोत्र में संचालित महाविद्यालय		
1.	श्री बालाजी महिला महाविद्यालय	मेहन्दीपुर बालाजी
2.	दिवा महिला महाविद्यालय	महुवा

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थान
3.	श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय	महुआ
(ब) निजी क्षेत्र में संचालित सहशिक्षा महाविद्यालय		
1.	प्रसस्वी महाविद्यालय	सिकराय
2.	सैनी आदर्श महाविद्यालय	बांदीकुई
3.	महात्मा गांधी महाविद्यालय	महुवा
4.	यूनिवर्सल कालेज	महुवा
5.	बजरंग शिक्षण संस्था महाविद्यालय	महुवा
6.	नेहरू महाविद्यालय	महुवा
7.	विनायक कालेज	महुवा
(स) राजकीय क्षेत्र में संचालित सहशिक्षा महाविद्यालय		
1.	स्व. राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय	बांदीकुई
(द) स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संचालित महिला महाविद्यालय		
1.	महिला महाविद्यालय	बांदीकुई

अजमेर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

184. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? सूची स्थान व वर्गवार सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन औषधालयों में अन्तः रोगी व्यवस्था हैं? सूची मय बिस्तर संख्या व स्टाफ के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अन्तः रोगी औषधालयों में स्वयं के भवन हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनका भवन बनाने का विचार रखती है?

(4) जो भवन वर्तमान में हैं उनकी स्थिति क्या है? औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार भवन मरम्मत व रख-रखाव के लिये बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्तमान में 132 आयुर्वेद चिकित्सालय व औषधालय संचालित हैं, इनकी स्थान व श्रेणीवार सूची, परिशिष्ट–क में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अजमेर जिले में वर्तमान में 8 शैया वाले चिकित्सालय हैं, इनकी सूची मय स्वीकृत स्टाफ व स्वीकृत शैयाओं की संख्या के परिशिष्ट–ख में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ''अ'' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय लोंगिया अजमेर को छोड़कर शेष सभी 7 शैया वाले चिकित्सालयों के भवन राजकीय एवं विभाग के नाम पंजीकृत है। लोंगिया अजमेर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय का भवन नगर परिषद का है तथा विभाग का टोकन रेन्ट पर मिला हुआ है।

(4) लौंगिया–अजमेर व हितैषी–किशनगढ़ के चिकित्सालय भवन मरम्मत योग्य है। शेष 6 शैयावाले चिकित्सालय भवनों की दशा सन्तोषजनक है। राज्य सरकार द्वारा विभाग को भवन मरम्मत व रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष 11.00 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाता है।

परिशिष्ट-क

अजमेर जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों की सूची

(दिनांक 1.3.07 की स्थिति)

क्र.सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय	श्रेणी
1	लोंगिया-अजमेर	अ
2	रामनगर (सीमावर्ती) अजमेर	अ
3	ब्यावर	अ
4	मदनगंज-किशनगढ़	अ
5	हितैषी-किशनगढ़	अ
6	नसीराबाद	अ
7	दादिया	अ
8	सावर	अ
9	कोटडा-नागफणी अजमेर	ब
10	गोतमनगर अजमेर	ब
11	चन्दन निवास अजमेर	ब

क्र.सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय	श्रेणी
12	कचहरी रोड अजमेर	ब
13	नागवाई अजमेर	ब
14	राजनगर-विजयनगर	ब
15	केकड़ी	ब
16	पुष्कर	ब
17	जवाजा	ब
18	कोटडा	ब
19	बराखन	ब
20	सूरजपुरा	ब
21	सिरोंज	ब
22	करकेड़ी	ब
23	बान्दरसीन्दरी	ब
24	रलावता	ब
25	कुचील	ब
26	बरना	ब
27	रूपनगढ़	ब
28	सिलोरा	ब
29	सुरसुरा	ब
30	टिकावड़ा	ब
31	ड़ीडवाड़ा	ब
32	पनेर	ब
33	भदूण	ब
34	सलेमाबाद	ब
35	ढाणी पुरोहितान	ब
36	नौसल	ब
37	सिनोदिया	ब
38	सिनगारा	ब
39	कल्याणीपुरा	ब
40	मांगलियावास	ब
41	लीडी	ब

क्र.सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय	श्रेणी
42	मकरेडा	ब
43	विडक्च्यावास	ब
44	बाधसूंरी	ब
45	न्यारा	ब
46	भटियाणी	ब
47	बिठूर	ब
48	श्रीनगर	ब
49	मोराजड़ी	ब
50	कानपुरा	ब
51	सनोद	ब
52	लवेरा	ब
53	बीर	ब
54	ब्यावर ग्राम	ब
55	जामोला	ब
56	रामगढ़	ब
57	कानिया	ब
58	किराप	ब
59	नन्दवाड़ा	ब
60	शिवपुराघाटा	ब
61	शिखरानी	ब
62	शेरगढ़	ब
63	सथाना	ब
64	हनुतियां	ब
65	जीवाणा	ब
66	बेगलियावास	ब
67	बालोता का बाडिया	ब
68	देवास	ब
69	सतावडिया	ब
70	कानाखेड़ा	ब
71	जूनिया	ब

क्र.सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय	श्रेणी
72	बधेरा	ब
73	पीपलाज	ब
74	धटियाली	ब
75	पारा	ब
76	बाजटा	ब
77	मेहरूकलां	ब
78	सदारा	ब
79	प्रान्हेडा	ब
80	बिसुन्दनी	ब
81	धून्धरी	ब
82	आलोली	ब
83	कुशायता	ब
84	गुलगांव	ब
85	कवरुजी का कालेड़ा	ब
86	सल्लारी	ब
87	देवगांव	ब
88	टाकावास	ब
89	चीतीवास	ब
90	केरोट	ब
91	बडगांव	ब
92	नागोला	ब
93	सांपला	ब
94	खवास	ब
95	कडेल	ब
96	नान्द	ब
97	भावता	ब
98	नागेलाव	ब
99	कालेसरा	ब
100	पिचोलिया	ब
101	बुधवाड़ा	ब

क्र.सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय	श्रेणी
102	भटसूरी	ब
103	राजगढ़	ब
104	भगवानपुरा	ब
105	डूमाडा	ब
106	सराधना	ब
107	चावण्डिया	ब
108	हटूण्डी	ब
109	उटडा	ब
110	रामनेर की ढाणी	ब
111	बबायचा	ब
112	भिनाय	ब
113	बान्दनवाडा	ब
114	चापानेरी	ब
115	देवलियाकलां	ब
116	एकलसिन्हा	ब
117	राताकोट	ब
118	बडली	ब
119	कुम्हारिया	ब
120	कुरूथल	ब
121	रामामालिया	ब
122	खेडी (कराटी)	ब
123	सराना	ब
124	जोताया	ब
125	डबरेला	ब
126	गोयला	ब
127	हिंगोनिया	ब
128	सदापुरा (फतेहगढ़)	ब
129	ढसूक	ब
130	भगवन्तपुरा	ब
131	अजमेर जे.एल.एन. अस्पताल परिसर	ब
132	नारेली	ब

परिशिष्ट-ख

अजमेर जिले में संचालित विभागीय अ श्रेणी शैया वाले आयुर्वेद चिकित्सालयों (अन्तरंग व्यवस्था) का विवरण

(दिनांक 1.3.07 की स्थिति)

क्र. सं.	स्थान चिकित्सालय	स्वीकृत शैयाओं	स्वीकृत पदों का विवरण			
			चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर	मंत्रालयिक कर्मचारी	परिचारक
1.	लोंगिया-अजमेर	70	6	31	1	11
2.	रामनगर (सीमावर्ती) अजमेर	5	1	2	-	1
3.	ब्यावर	18	3	10	1	5
4.	मदनगंज-किशनगढ़	10	3	8	1	5
5.	हितैषी-किशनगढ़	10	2	4	-	2
6.	नसीराबाद	5	3	4	1	3
7.	दादिया	5	3	4	1	3
8.	सावर	5	1	2	-	1

खैरथल (अलवर) कृषि उपज मण्डी द्वारा करवाये गये विकास कार्य

185. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में कितनी कृषि उपज मण्डियां कहां-कहां कार्यरत हैं? उनका कार्यक्षेत्र कितना है? मण्डी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2003-04 से अब तक इन मण्डियों को कुल कितनी आय हुई व कितना अनुदान या अन्य प्रकार से राजकीय सहायता प्राप्त हुई? मण्डीवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(3) मण्डियों द्वारा अपने क्षेत्रों के विकास पर कितनी राशि व्यय की गई कार्यवार व मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में जिले की खैरथल कृषि उपज मण्डी द्वारा कहां-कहां और कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में तीन कृषि उपज मण्डी समितियां कार्यरत हैं, मण्डी समितिवार स्थान एवं उनका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :-

अलवर–पंचायत समिति राजगढ़, रैणी, उमरेण, रामगढ़, थानागाजी एवं नगर परिषद क्षेत्र–अलवर तथा नगर पालिका क्षेत्र–राजगढ़ का समस्त क्षेत्र।

खैरथल–पंचायत समिति किशनगढ़वास, मुण्डावर, तिजारा, कोटकासिम, बानूसर, बहरोड़, नीमराना एवं नगर पालिका क्षेत्र खैरथल, तिजारा एवं बहरोड़ का समस्त क्षेत्र।

खेरली–पंचायत समिति कठूमर, गोविन्दगढ़ (लक्ष्मगढ़) एवं नगर पालिका खेरली का समस्त क्षेत्र।

(2) वर्ष 2003–04 से अब तक (जनवरी 07) की इन मण्डियों की कुल आय निम्नानुसार रही है :-

क्र.सं.	नाम मण्डी	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07 (जन. 07 तक)
1.	अलवर	510.51	577.03	616.75	475.93
2.	खेड़ली	392.59	307.48	299.85	245.20
3.	खैरथल	306.13	283.37	225.71	231.39

उक्त अवधि में कोई अनुदान या अन्य प्रकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उक्त मण्डियों द्वारा इनके क्षेत्रों में विकास पर व्यय की गयी राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट –''अ'' पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि में कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा क्षेत्र पुस्तकालय में रखा गया)

दीगोद में लम्बित सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य

186. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006–07 में कृषि उपज मण्डी कोटा द्वारा मिसिंग लिंक योजना के तहत सड़क निर्माण व स्पेशल सड़क रिपेयर व पेच रिपेयर हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में किन-किन योजनाओं के तहत क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं व उन पर कुल कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र दीगोद के अन्तर्गत 3 कार्य राशि रुपये 9.22 लाख के गौण मंडी सांगोद में विशेष मरम्मत (भवन) हेतु प्रस्तावित किये हैं जो परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में वर्ष 2006-07 में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 31.10.06 के माध्यम से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	प्रस्तावित निर्माण कार्य राशि
1	सबयार्ड सांगोद में निर्मित कवर्ड प्लेटफार्म की विशेष मरम्मत कार्य	5.64 लाख
2	सबयार्ड सांगोद में निर्मित कार्यालय भवन का विशेष मरम्मत कार्य	1.60
3	सबयार्ड सांगोद में चारदिवारी का मरम्मत कार्य	1.98 लाख
	योग	**9.22 लाख**

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-95 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

औद्योगिक क्षेत्र एग्रो फूड पार्क, रानपुर, कोटा में उत्पादनरत इकाइयों की सूची

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	मैसर्स शिव एडीबल आयल प्राइवेट लि.	स्पेशल-1 एवं 2
2.	मैसर्स आर्शीवाद इण्डस्ट्रीज	जी1-99

औद्योगिक क्षेत्र एग्रो फूड पार्क, रानपुर, कोटा में रिक्त ऐसे भूखण्डों की सूची जो उत्पादन प्रारम्भ करने की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बाद रिक्त हैं

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	मैसर्स अलका इण्डस्ट्रीज	एफ-17
2.	मैसर्स बद्रीलाल सत्यनारायण	एफ-20
3.	मैसर्स जे.के. एग्री जेनेटिक्स लि.	ई-25, 26
4.	सुमन एन्टरप्राईजेज	ई-30
5.	मैसर्स बन्सल एण्ड कम्पनी	एफ-38
6.	मैसर्स गणपति इण्डस्ट्रीज	जी-44
7.	मैसर्स अवधेश ट्रेडिंग कम्पनी	जी-46
8.	मैसर्स विशाल एग्रो इण्डस्ट्रीज	जी-52
9.	मैसर्स समृद्धि इण्डस्ट्रीज	जी-54
10.	मैसर्स प्रतिभा फूड प्रोडक्ट	जी-55
11.	मैसर्स सर्वेश फूड प्रोडक्ट	एच1-70
12.	मैसर्स सीता मसाला उद्योग	एच1-78
13.	मैसर्स रजत सोया प्रोडक्ट	एच1-79
14.	मैसर्स राज फूड प्रोडक्ट	एच1-82
15.	मैसर्स जैन इण्डस्ट्रीज	एच1-83

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
16.	मैसर्स सन्तोष इण्डस्ट्रीज	एच1-86
17.	मैसर्स नीलम फूड प्रोडक्ट	जी1-94
18.	मैसर्स शारदा मीण	जी1-95
19.	मैसर्स ममता जैन	जी1-96
20.	मैसर्स अग्रवाल एग्रो इण्डस्ट्रीज	एफ-105
21.	मैसर्स कल्पना अग्रवाल	जी-111
22.	मैसर्स विजयवर्गीय इण्डस्ट्रीज	जी-112
23.	मैसर्स विश्वम्भर दयाल रामनिवास गुप्ता	जी-114
24.	मैसर्स नाटाणी एग्रो	जी-116
25.	मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज	एच1-123
26.	मैसर्स सन्तोषी पापड़ उद्योग	एच1-125
27.	मैसर्स चौहान एग्रो	एच1-126
28.	मैसर्स गणपति उद्योग	एच1-127
29.	मैसर्स राठौड आयल इण्डस्ट्रीज	एच1-128
30.	मैसर्स पोकरा एण्ड कम्पनी	एच1-131
31.	मैसर्स शिवा बेकरी	एच1-133
32.	मैसर्स सिंघवी इण्डस्ट्रीज	एच1-134
33.	मैसर्स झंवरी प्रोडक्टस	एच1-136
34.	मैसर्स कार्तिक इण्डस्ट्रीज	एच1-137
35.	मैसर्स जय एन्टरप्राईजेज	एच1-141
36.	मैसर्स जगदीश अग्रवाल	जी-14